


















भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

# उल्लेखनीय तथ्य Highlights
















सिडबी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए अपनी संवर्द्धन, वित्तपोषण एवं विकासपरक पहल के अन्तर्गत ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरण रक्षा उपायों को मुख्यधारा में लाने को अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा है। सिडबी की उत्तरदायित्वपूर्वक वित्तपोषण पहल इस क्षेत्र की दीर्घकाल तक कायम रहने वाली तथा समावेशी संवृद्धि को आगे ले जाने तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए समर्पित है।

SIDBI continues its commitment to mainstream energy efficiency and environmental protection measures in its promotional, financing and development initiatives for the MSME sector. SIDBI's responsible financing initiative is dedicated towards furthering long-term sustainable and inclusive growth of the sector and contributing towards Nation-building.

# भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक Small Industries Development Bank of India

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 (5) के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत निदेशक मंडल की रिपोर्ट जुलाई 07, 2010 Report of the Board of Directors for the year ended March 31, 2010 submitted to the Central Government in terms of Section 30 (5) of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989. July 07, 2010

# विषय सूची Contents

निदेशक मंडल

प्रेषण-पत्र

निदेशकों की समितियाँ

प्रमुख कार्यपालक

प्रगति की एक झलक

उप प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

**Board of Directors** 

Letter of Transmittal

Committees of Directors

**Principal Executives** 

Progress at a Glance

Deputy Managing Director's Statement

# निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report

#### अध्याय

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम— कार्यनिष्पादन और दृष्टिकोण

व्यावसायिक कार्यनीतिक प्रयास

समग्र परिचालन

वित्तीय समावेशन और टिकाऊ संवृद्धि

प्रबन्ध एवं निगमित व्यवस्था

सिडबी के सहायक एवं सहयोगी संगठन

तुलनपत्र एवं लेखा विवरण परिशिष्ट--वार्षिक लेखे

## Chapter

- 1 Micro, Small and Medium Enterprises -Performance and Outlook
- 2 Strategic Business Initiatives
- 3 Overall Operations
- 4 Financial Inclusion and Sustainable Growth
- 5 Management and Corporate Governance
- 6 Subsidiaries and Associate Organizations of SIDBI
- 7 Balance Sheet & Statement of Accounts
  Appendix-Annual Accounts

# निदेशक मंडल Board of Directors

(यथा 30 जून, 2010 / As on June 30, 2010)



श्री माधव लाल Shri Madhav Lal



श्रीमती रवनीत कौर Smt Ravneet Kaur



श्री एस एस चट्टोपाध्याय Shri S S Chattopadhyay



श्री एस के टुटेजा Shri S K Tuteja



श्री जानकी बल्लभ Shri Janki Ballabh



श्री एम बालाचन्द्रन Shri M Balachandran



श्री के सीतारामम् Shri K Sitaramam



श्री बी मणिवनन्न Shri B Manivannan



श्री टी आर बजालिया Shri T R Bajalia



श्री राकेश रेवारी Shri Rakesh Rewari



श्री आर एम मल्ला Shri R M Malla

# प्रेषण-पत्र Letter of Transmittal

# भारतीय लघु उद्योग बैंक

#### प्रधान कार्यालय

सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ।

07 जुलाई, 2010

सचिव.

वित्तीय सेवाएं विभाग,

वित्त मंत्रालय.

भारत सरकार,

नई दिल्ली।

प्रिय महोदय,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989, की धारा 30 (5)के प्रावधानों के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रेषित कर रहा हूँ:

- (1) 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वार्षिक लेखों की प्रति: तथा
- (2) 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट की एक प्रति।

भवदीय.

राजन्द मला

(आर एम मल्ला) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

#### **Small Industries Development Bank of India**

#### **Head Office**

SIDBI Tower, 15, Ashok Marg, Lucknow.

July 07, 2010

The Secretary,
Department of Financial Services,
Ministry of Finance
Government of India,
New Delhi,

Dear Sir,

In accordance with the Provisions of Section 30 (5) of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989, I forward herewith the following documents:

- (1) Copy of Annual Accounts of Small Industries
  Development Bank of India for the year Ended
  March 31, 2010; and
- (2) Acopy of the Report of the Board on the working of Small Industries Development Bank of India During the year ended March 31, 2010.

Yours Faithfully,

puralle

(R M Malla)
Chairman & Managing Director

# निदेशक मंडल की समितियाँ Committees of Directors

(यथा 30 जून, 2010/ As on June 30, 2010)

# कार्यपालक समिति Executive Committee

श्री आर एम मल्ला

श्री राकेश रेवारी

श्री के सीतारामम्

श्री टी आर बजालिया श्री बी मणिवनन्न

श्री एस एस चट्टोपाध्याय

श्री एस के ट्रेजा

Shri R M Malla

Shri Rakesh Rewari

Shri K Sitaramam

Shri T R Bajalia

Shri B Manivannan

Shri S S Chattopadhyay

Shri S K Tuteja

#### लेखा परीक्षा समिति Audit Committee

श्री राकेश रेवारी

श्री टी आर बजालिया

श्री बी मणिवनन्न

श्री एस के ट्रटेजा

Shri Rakesh Rewari Shri T R Bajalia Shri B Manivannan

Shri S K Tuteja

# जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee

श्री आर एम मल्ला

श्री राकेश रेवारी

श्री एम बालाचन्द्रन

श्री जानकी बल्लभ

Shri R M Malla Shri Rakesh Rewari Shri M Balachandran Shri Janki Ballabh

# राज्य वित्तीय निगमों के पर्यवेक्षण के लिए समिति Committee for Supervision of SFCs

श्री आर एम मल्ला

श्री राकेश रेवारी

श्री एम बालाचन्द्रन

श्री जानकी बल्लभ

Shri R M Malla Shri Rakesh Rewari Shri M Balachandran Shri Janki Ballabh

# बड़े मूल्य की घोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds

श्री आर एम मल्ला

श्री राकेश रेवारी

श्री टी आर बजालिया

श्री एस के टुटेजा

Shri R M Malla Shri Rakesh Rewari

Shri T R Bajalia

Shri S K Tuteja

Dr. Madan N.K.

# प्रमुख कार्यपालक Principal Executives

(यथा 30 जून, 2010 / As on June 30, 2010)

कार्यपालक निदेशक	<b>Executive Directors</b>
श्री मैनी एन.के.	Shri Maini N.K.
श्री रामन एन.	Shri Raman N.
श्री राठौड़ वी.एस.	Shri Rathore V.S.
मुख्य महाप्रबंधक	<b>Chief General Managers</b>
श्री आलै के.जी.	Shri Alai K.G.
श्री बोस बी.के.	Shri Bose B.K.
श्री चौधुरी एस.एल.	Shri Choudhury S.L.
श्री धर्म प्रकाश	Shri Dharm Prakash
श्री गर्ग एस.सी.	Shri Garg S.C.
श्री घोष डी.	Shri Ghosh D.
श्री गुणसेगरन एस.	Shri Gunasegaran S.
श्री कपूर ए.के.	Shri Kapur A.K.
श्री कौल हर्ष	Shri Kaul Harsh
श्रीमती कृष्णमूर्ति भामा	Smt. Krishnamurthy Bhama
श्री लालवानी यू.जे.	Shri Lalwani U.J.
श्री मलिक आर.पी.	Shri Malik R.P.
श्री नायर के.एम.	Shri Nair K.M.
श्री नमग्याल	Shri Namgial
श्री नन्दगोपाल एस.वी.जी.	Shri Nandagopal S.V.G.
श्री राम नाथ	Shri Ram Nath
श्री साहा पी.के.	Shri Saha P.K.
श्री सिंहवान के.एस.	Shri Singhwan K.S.
श्री श्रीवास्तव आर.के.	Shri Srivastava R.K.
श्री सुब्रह्मणियन एम.	Shri Subramanian M.
श्री विनोद ओ.एस.	Shri Vinod O.S.
महाप्रबंधक	<b>General Managers</b>
श्री अग्रवाल आर.के.	Shri Agrawal R.K.
श्रीमती आलै सी.के.	Smt. Alai C. K.
श्री बक्शी एस.एस.	Shri Bakshee S.S.
श्री भानू के.सी.	Shri Bhanoo K.C.
श्री भार्गव ए.के.	Shri Bhargava A.K.
श्री बुरडे एस.डी.	Shri Burde S.D.
श्री दास आर.के.	Shri Das R.K.
श्री धर्माजी आर.जी.	Shri Dharmaji R.G.

Shri Jagtap P.T.

Shri Lal U.S.

Shri Karambelkar S.M.

Shri Krishnakumar K.V.

on June 30, 2010
डॉ. मदान एन.के.
श्री महलवार एस.
श्री मालगाँवकर पी.ए.
श्री मल्लिकार्जुन एस.
श्री मंडल पी.एन.
श्री मणि के.आई.
श्री मेनन आर.एस.
श्री मित्तल एम.
श्री मुखोपाध्याय एस.
श्री नायर एम.आर.
श्री नर्जरी एन.बी.
श्री नरूला एन.के.
श्री नटराजन के.
श्री पाण्डेय एम.के.
श्री राधाकृष्णन पी.एम.
श्री रामकृष्णन एस.
श्री रवीशा एम.के.
श्री रवींद्रा दास पी.
श्री रोहतगी आर.
श्री रो आर.ई.
श्री सामल ए.आर.
श्री समर्थ एस.एस.
श्री सारस्वत ए.के.
श्री सत्यानंदन के.
श्री शर्मा एम.के.
श्री शर्मा आर.के.
श्री सिंह के.
श्री सिंह एस.एन.
श्रीमती सचदेवा ए.
श्रीमती सूद आर.
श्री श्रीनिवास ए.
श्रीमती श्रीनिवासन एन.
श्री श्रीधर वी.
श्री सुन्दरम के.एस.
श्री टाटा यू.आर.
श्री त्यागी आर.
श्री यादव आर.एन.
कार्यपालक सचिव ग्रेड
सुश्री मुंजवानी एल.टी.

Shri Mahalwar S. Shri Malgaonkar P.A. Shri Mallikarjun S. Shri Mandal P.N. Shri Mani K.I. Shri Menon R.S. Shri Mittal M. Shri Mukhopadhyay S. Shri Nair M.R. Shri Narjaree N.B. Shri Narula N.K. Shri Natarajan K. Shri Pandey M.K. Shri Radhakrishnan P.M. Shri Ramakrishnan S. Shri Raveesha M.K. Shri Raveendra Das P. Shri Rohatgi R. Shri Rowe R.E. Shri Samal A.R. Shri Samarth S.S. Shri Saraswat A.K. Shri Sathianandan K. Shri Sharma M.K. Shri Sharma R.K. Shri Singh K. Shri Singh S.N. Smt. Sachdeva A. Smt. Sood R. Shri Srinivas A. Smt. Srinivasan N. Shri Sridhar V. Shri Sundaram K.S. Shri Tata U.R. Shri Tyagi R. Shri Yadava R.N. **Executive Secretary Grade E** Ms. Munjwani L.T.

श्री जगताप पी.टी.

श्री कर्मबेलकर एस.एम.

श्री कृष्णकुमार के.वी.

श्री लाल यू.एस.

# ध्येय / Mission

"आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया में योगदान करने के उद्देश्य से अल्प, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सशक्त बनाना"।

"To empower the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector with a view to contributing to the process of economic growth, employment generation and balanced regional development".

#### लक्ष्य कथन / Vision

"अल्प, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सुदृढ़, ऊर्जावान तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के उद्देश्य से उसकी वित्तीय और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति का एकल केन्द्र बनना, सिडबी की छवि वरीय और ग्राहक—अनुकूल संस्था के रूप में स्थापित करना तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शेयरधारकों के धन तथा सर्वोच्च निगमित मूल्यों की वृद्धि करना"।

"To emerge as a single window for meeting the financial and developmental needs of the MSME sector to make it strong, vibrant and globally competitive, to position SIDBI Brand as the preferred and customer friendly institution and for enhancement of shareholders wealth and highest corporate values through modern technology platform".

# प्रगति की एक झलक / Progress at a Glance

वर्ष-वार तालिका / Table for the year

(करोड़ रुपये /Rs. Crore)

1990-91	2006-07	2007-08	2008-2009	2009-10
2,410.1	11,102.3	16,164.4	29,188.0	35,521.3
1,838.8	10,225.3	15,087.2	28,297.8	31,917.9
यथा 31 मार्च को / As on March 31				
1991	2007	2008	2009	2010
500.00	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
450.0	450.0	450.0	450.0	450.00
44.9	4,691.0	4,809.8	5,149.4	5,457.2
5,176.8	16,031.0	20,226.5	30,885.9	37,969.0
425.1	1,187.3	1,638.2	2,082.3	2,539.8
35.6	298.2	198.4	299.2	421.3
शेयरधारकों को लाभांश				
5.0	67.5	67.5	67.5	112.5
औसत बकाया संविभाग पर प्रतिलाभ (%)				
0.7	3.1	2.1	3.7	2.6
100	99.86	99.75	99.92	99.82
13.9	37.5	41.7	34.2	30.1
	2,410.1 1,838.8 वया 31 मार्च 1991 500.00 450.0 44.9 5,176.8 425.1 35.6 5.0 0.7	2,410.1 11,102.3 1,838.8 10,225.3  स्था 31 मार्च को / As on Marc 1991 2007  500.00 1,000.0 450.0 450.0  44.9 4,691.0  5,176.8 16,031.0 425.1 1,187.3 35.6 298.2  5.0 67.5  0.7 3.1	2,410.1 11,102.3 16,164.4 1,838.8 10,225.3 15,087.2  स्था 31 मार्च को / As on March 31  1991 2007 2008  500.00 1,000.0 1,000.0 450.0 450.0  44.9 4,691.0 4,809.8  5,176.8 16,031.0 20,226.5 425.1 1,187.3 1,638.2 35.6 298.2 198.4  5.0 67.5 67.5  0.7 3.1 2.1	2,410.1 11,102.3 16,164.4 29,188.0 1,838.8 10,225.3 15,087.2 28,297.8 विया 31 मार्च को / As on March 31  1991 2007 2008 2009  500.00 1,000.0 1,000.0 1,000.0 450.0 450.0 450.0  44.9 4,691.0 4,809.8 5,149.4  5,176.8 16,031.0 20,226.5 30,885.9 425.1 1,187.3 1,638.2 2,082.3 35.6 298.2 198.4 299.2  5.0 67.5 67.5 67.5 67.5  0.7 3.1 2.1 3.7

# उप प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

वित्तीय वर्ष 2009-10 का सिडबी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसके साथ ही सिडबी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की सेवा में परिचालन के 20 वर्ष पूरे किए हैं। ये दो दशक अवसर और चुनौतियों से भरपूर रहे हैं, जो कि वित्तीय क्षेत्र में खुलापन आने, विनियामकीय पर्यवेक्षण तथा वैश्विक आर्थिक संकट से उपजे हैं। बैंक इन परिवर्तनों के साथ प्रभावी ढंग से अनुकूलन करने में सफल रहा। साथ ही, बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विभिन्न स्तरों पर उभरती हुई ऋण तथा गैर-ऋण आवश्यकताओं का भी समाधान किया है। वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान सिडबी की व्यावसायिक कार्यनीति के अंतर्गत संकट-पश्चात दौर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सतत सहयोग, टिकाऊ वित्तपोषण तथा समावेशी वृद्धि का समावेश था।

# संकट के दौरान सहयोग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रमुख वित्तीय संस्था होने के नाते सिडबी ने वैश्विक वित्तीय संकट और आर्थिक मंदी के दौर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की, ताकि उनकी तरलता संबंधी समस्या का समाधान हो सके। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सिडबी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अतिरिक्त सहयोग प्रदान किया, जैसे - ऋण की आवश्यकता आधारित पुन:संरचना, 100 लाख रुपये तक के ऋणों का ऋण गारंटी के अंतर्गत कवरेज, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को आवश्यकतानुरूप तैयार की गई जोखिम पूंजी सुविधा प्रदान करना और एमएसएमई प्राप्य राशियों की रीयल टाइम आधार पर भुनाई हेतु एनएसई ट्रेड रिसीवेबल्स इंजिन फॉर ई-डिस्काउंटिंग (एनट्रीज़) नामक ई-प्लेटफॉर्म की स्थापना। इसके अतिरिक्त, बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के टिकाऊ विकास पर अधिक बल दिया, जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ उत्पादन ऋण व्यवस्थाओं, हरित रेटिंग आदि को प्रोत्साहित किया गया।

## टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में टिकाऊपन को प्रोत्साहित करने के लिए सिडबी प्रतिबद्ध है और इस तथ्य को मान्यता देता है कि टिकाऊ विकास भविष्य में इस क्षेत्र के अस्तित्व और वृद्धि की कुंजी है। तदनुसार, बैंक सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के साथ पर्यावरण, ऊर्जा दक्षता तथा सामाजिक मानकों का उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में एकीकरण करते हुए उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा दक्षता उपायों के जिरए, उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बैंक ने जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका), क्रेडिटांस्टाल्ट फर वीडरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) तथा फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी) से ऋण-व्यवस्थाओं हेतु द्विपक्षीय संविदाएं करते हुए ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण में वृद्धि की है। इसी प्रकार बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, पर्यावरण सुरक्षा तथा सामाजिक मानकों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से ऋण-व्यवस्था प्राप्त की।

# **Deputy Managing Director's Statement**

The Financial Year 2009-10 has a very historical significance for SIDBI as it marked the completion of 20-years of its operations in the service of the MSME sector. These two decades have been characterized by opportunities and challenges, emanating from opening up of the financial sector, regulatory oversight and the global economic crisis. The Bank was able to adapt to these changes effectively. At the same time, SIDBI addressed the emergent credit and non-credit needs of MSMEs at various stages. The business strategy of SIDBI during FY 2010 encompassed continued support to MSMEs in the post-crisis phase, sustainable financing and inclusive growth.

#### Support during crisis

SIDBI, being the principal financial institution for MSMEs, has provided timely financial support to the MSME sector during the period of the global financial crisis and economic slowdown to overcome their liquidity problem. During the FY 2009-10, SIDBI provided additional support to MSMEs, such as, need-based restructuring of debt, coverage of loans upto Rs.100 lakh under credit guarantee, providing customized risk capital to MSMEs and setting up an e-platform called NSE Trade Receivables Engine for E-discounting (NTREES) for discounting of MSMEs receivables on real time basis. Further, the Bank accorded greater thrust to the sustainable development of the MSME sector by way of, inter alia, promoting energy efficiency, clean production credit lines, Green Rating, etc.

#### **Promoting Sustainable Development**

SIDBI is committed to promote sustainability in the MSME sector by recognizing the fact that sustainable development is a key to the sector's survival and growth in future. Accordingly, the Bank focuses on responsible financing by integrating environment, energy efficiency and social standards with its financial support to MSMEs in an increasing manner. In order to improve productivity and competitiveness of MSMEs through energy efficiency (EE) measures in their production process, the Bank upscaled its EE financing by contracting bilateral Lines of Credit (LoC) from Japan International Cooperation Agency (JICA), Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) and French Development Agency (AFD). Similarly, the Bank availed a World Bank LoC to promote clean technologies, environmental safety and social standards in the MSME sector.

सिडबी द्वारा ऊर्जा दक्षता के संबंध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास अग्रलिखित हैं - मुंबई के टैक्सी मालिकों को उनकी मौजूदा पेट्रोल टैक्सियों को सीएनजी युक्त टैक्सियों से बदलने हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण ; चंडीगढ़ में 600 से अधिक एलपीजीयुक्त ऑटो रिक्शों की सहायता हेतु दिल्ली वित्तीय निगम को विशेष पुनर्वित्त; लखनऊ और उसके आसपास के उपेक्षित व्यक्तियों को 500 रिक्शा देने के लिए भारतीय माइक्रो क्रेडिट को सहायता; और मणिपुर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों के सूक्ष्म उद्यमियों को 50,000 सौर लालटेन देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ वूमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग को वित्तीय सहायता।

एमएसएमई इकाइयों / समूहों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश, सीईटीपी, कचरा पुनर्चक्रण तथा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने पर्यावरण और सामाजिक मानकों पर आधारित विश्व बैंक ऋण-व्यवस्था प्राप्त की। विश्व बैंक ऋण का उपयोग अत्यंत संतोषजनक रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने "स्वच्छ उत्पादन विकल्पों हेतु सहायता" प्रदान करने की योजना आरंभ की, जिसके अंतर्गत एमएसएमईज को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता के अलावा तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जाता है, तािक वे पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश कर सकें।

सिडबी ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा विश्व बैंक की साझेदारी में वैश्विक पर्यावरण सुविधा परियोजना के अंतर्गत 30 समूहों में ऊर्जा दक्षता उपाय लागू करने का निर्णय किया है। टिकाऊ विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, बैंक ने देश में पहली बार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 'हरित रेटिंग', विकसित करने हेतु लघु और मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी (स्मेरा) को सहायता प्रदान की। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को 'हरित रेटिंग', के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सिडबी अपने उन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ग्राहकों को ब्याज दर में 50 आधार अंकों तक की रियायत देता है, जो 'स्मेरा ग्रीन 3' और उससे ऊपर की हरित रेटिंग प्राप्त करते हैं। ये सभी उपाय ग्रीन हाउस गैसों में कमी करके जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और सरोकारों के समाधान की दिशा में कार्य करते हैं और अंतत: इनसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की उत्पादकता/लाभप्रदता सुधरेगी।

## समावेशी वृद्धि

अल्प वित्त हाल के वर्षों में समावेशी वृद्धि और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करने के एक सशक्त उपाय के रूप में उभरा है। सिडबी सबसे निचले तबके के लोगों तक पहुंच कर समावेशी वृद्धि हासिल करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने अब तक 150 से अधिक अल्प वित्त संस्था साझेदारों के जिरए अल्प वित्त सहायता प्रदान की है, जिससे 340 लाख से अधिक निर्धन लाभान्वित हुए, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं।

उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण पहल के एक भाग के रूप में, सिडबी अल्प वित्त क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों और सरोकारों, जैसे - निर्धन ग्राहकों के साथ संव्यवहार में पारदर्शिता, ब्याज दर घटाने, संव्यवहार दक्षता बढ़ाने आदि के समाधान की दिशा में कार्य कर रहा है और इसके लिए संबंधित हितधारकों को विभिन्न मंचों पर परिचयात्मक जानकारी देने जैसे नीतिगत उपाय अपनाए गए हैं। सिडबी ने ऋणदाता बैंकों की विधिक प्रसंविदाओं को सुसंगत बनाने के लिए ऋणदाता फोरम बनाया है, जिसका उद्देश्य

Some of the notable EE initiatives of SIDBI include providing collateral free credit to Mumbai taxi owners to replace their existing petrol taxis with CNG fitted taxis, special refinancing to Delhi Financial Corporation for assisting more than 600 LPG fitted auto rickshaws at Chandigarh, financial support to Bhartiya Micro Credit for providing 500 rickshaws to disadvantaged persons in and around Lucknow and financial assistance to Friends of Women's World Banking for providing 50,000 solar lanterns to micro entrepreneurs in Manipur and other states of North Eastern Region.

To promote investment in clean technologies, CETPs, waste recycling and management in MSME units/clusters, the Bank availed a World Bank Line of Credit based on Environment and Social (E&S) standards. The utilization of the World Bank loan has been highly satisfactory. Further, the Bank has introduced a Scheme to provide "Assistance for Clean Production Options", under which, apart from financial assistance on concessional terms, technical support is also provided to MSMEs for investing in environmentally friendly technologies.

SIDBI, in partnership with Bureau of Energy Efficiency and World Bank under its Global Environment Facility project, has decided to implement EE measures in 30 clusters. As a part of its commitment to sustainable development, the Bank supported Small and Medium Enterprises Rating Agency (SMERA) to develop 'Green Rating', for the MSMEs for the first time in the country. To encourage MSMEs to go in for 'Green Rating', SIDBI gives concession in interest rate upto 50 bps to its MSME clients who obtain Green Rating of 'SMERA Green3' and above. All these measures address the issues and concern of climate change by reducing Green House Gases and would ultimately, improve the productivity / profitability of MSMEs.

#### **Inclusive Growth**

The recent years have witnessed Micro Finance emerging as a potent tool of inclusive growth and attainment of Millennium Development Goals. SIDBI, on its part, is committed to contribute towards the national goal of attaining Inclusive Growth by reaching out to those at the bottom-of-the-pyramid. The Bank has, so far, provided micro finance assistance through more than 150 Micro Finance Institutions (MFIs) partners, thereby benefiting more than 340 lakh disadvantaged persons, mostly women in the rural sector.

As a part of its responsible financing initiative, SIDBI has been addressing various issues and concerns of the micro finance sector like transparency in dealing with poor clients, reducing interest rates, improving transaction efficiency, etc. through its policy instruments by sensitizing the concerned stakeholders at various fora. The Bank has created a Lenders' Forum to harmonize

ऋण दरों में पारदर्शिता और अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना है। बैंक ने अल्प वित्त संस्थाओं के लिए आचार संहिता आकलन साधन विकसित करने हेतु भी चर्चा आरंभ की है, तािक इस बात का निर्धारण हो सके कि वे स्वैच्छिक अल्प वित्त आचार संहिता का किस सीमा तक अनुपालन कर रही हैं। सिडबी के इन सतत प्रयासों के कुछ सकारात्मक परिणाम आने आरंभ हो गए हैं।

## परिचालनगत और वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2009-10 में बैंक ने पहली बार मंजूरियों में 35,000 करोड़ रुपये तथा संवितरणों में 30,000 करोड़ रुपये का आँकड़ा पार किया और अब तक की सर्वाधिक मंजूरियाँ एवं संवितरण दर्ज किए, जो क्रमश: 35,521 करोड़ रुपये तथा 31,918 करोड़ रुपये रहे। यथा 31 मार्च 2010 को संचयी संवितरण 1,64,331 करोड़ रुपए रहे, जो 360 लाख लाभार्थियों तक पहुँचे। अल्प वित्त सहायता 53 प्रतिशत बढ़कर 2,670 करोड़ रुपये हो गई और अल्प वित्त बकाया पहली बार 3000 करोड़ रुपये के आँकड़े को पार कर यथा 31 मार्च 2010 को 3,812 करोड़ रुपये हो गया, जो 78 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। बैंक का कुल बकाया संविभाग 23 प्रतिशत बढ़कर यथा 31 मार्च 2010 को 37,969 करोड़ रुपये हो गया। बैंक की कुल आस्तियों में 21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यथा 31 मार्च 2010 को वे 41,885 करोड़ रुपये हो गईं। निवल बकाया के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए यथा 31 मार्च 2010 को 0.18 प्रतिशत था, जो सुदढ़ निगरानी, सतत अनुवर्तन, बैंक द्वारा समय पर कार्रवाई और पर्याप्त प्रावधानीकरण द्वोतक है। वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु बैंक की कुल आय में 22 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह प्रावधानों के बाद 2,540 करोड़ रुपये हो गई। इसके फलस्वरूप, लाभ भी 41 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़कर 421 करोड़ रुपये हो गया। प्रति शेयर अर्जन भी बढ़कर 9.36 रुपये हो गया। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु 25 प्रतिशत के उच्चतर ईक्विटी लाभांश की घोषणा की है।

## संस्थायी सामाजिक दायित्व की दिशा में कदम

सिडबी एक बहु साझीदार, बहु गितिविधि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तपोषण तथा विकास परियोजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं के विवेकसम्मत संयोग के जिरए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के मांग और आपूर्ति पक्षों से संबंधित सरोकारों की दिशा में कार्य करना है। परियोजना के अंतरराष्ट्रीय साझीदार हैं - विश्व बैंक; डीएफआईडी, यूके; केएफडब्ल्यू तथा जीटीजेड, जर्मनी। परियोजना की प्रगित काफी उल्लेखनीय रही है और यह अब तक 28,000 लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है, जिनमें 26,000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा 2,000 बैंक अधिकारी तथा अन्य हितधारक हैं। परियोजना को वर्ष 2010 में अंतरराष्ट्रीय एडीएफआईएपी मेरिट पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त, सिडबी अपने ग्रामीण उद्योग कार्यक्रमों तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के जिरए उद्यम संवर्द्धन में और कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रमों एवं लघु उद्योग प्रबंध कार्यक्रमों के जिरए उद्यम सुदृढ़ीकरण में संलग्न है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ

the legal covenants of the lending banks, with a view to ensuring transparency in lending rates and adherence to the Code of Conduct by MFIs. The Bank has also initiated discussions for development of a Code of Conduct Assessment Tool for MFIs to assess their degree of adherence to the Voluntary Microfinance Code of Conduct. These continuous efforts of SIDBI have since started yielding some positive results.

#### Operational & Financial Performance

The Bank has for the first time crossed the landmark of sanctions of Rs. 35,000 crore and disbursements of Rs. 30,000 crore during FY 2009-10 and recorded the highest ever sanctions and disbursements of Rs. 35,521 crore and Rs 31,918 crore, respectively. The cumulative disbursements of SIDBI as on March 31, 2010 stood at Rs 1,64,331 crore, reaching out to around 360 lakh beneficiaries. Micro finance assistance increased by 53% to Rs. 2,670 crore and micro finance outstanding crossed the Rs. 3000 crore mark for the first time to reach to Rs. 3,812 crore as on March 31, 2010, reflecting an increase of 78%. The aggregate outstanding portfolio of the Bank grew by 23% to Rs. 37,969 crore as on March 31, 2010. The total assets of the Bank recorded sizable increase of 21% to Rs. 41,885 crore as on March 31, 2010. Net NPA as a percentage of net outstanding stood at 0.18% as on March 31, 2010, reflecting strong monitoring, persistent follow-up and timely action by the Bank, as also adequate provisioning. The total income of the Bank for FY 2009-10 has shown an impressive growth of 22% and stood at Rs. 2,540 crore, net of provisions. Consequently, the profits have also increased by over 41% to Rs. 421 crore. The Earnings Per Share (EPS) have improved to Rs.9.36. The Bank has declared a higher equity dividend of 25% for FY 2009-10.

#### A Step towards Corporate Social Responsibility

SIDBI is implementing a multi-partner, multi-activity MSME Financing and Development Project, which has the primary objective of meeting both the demand and supply side concerns of MSMEs through a judicious blend of financial and non – financial services. The international partners of the Project are World Bank; DFID, UK; KfW and GTZ, Germany. The progress of the Project has been quite remarkable and it has so far reached out to about 28,000 beneficiaries, comprising 26,000 MSMEs and 2,000 bank officials and other stakeholders. The Project has bagged international ADFIAP Merit Award in 2010. In addition, SIDBI is engaged in enterprise promotion through its Rural Industries Programmes and Entrepreneurship Development Programmes and enterprise strengthening through its Skill-cum-Technology Upgradation Programme and Small Industries Management Programmes. One important achievement was that the Bank, in association with Union Bank of India, set up a "Management & Skill Development Institute [MSDI]" in Murshidabad

इंडिया के सहयोग से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 'मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट' की स्थापना की। बैंक ने इन कार्यक्रमों के जिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के 22 जिलों में ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम, 34 उद्योग-समूहों में क्लस्टर विकास कार्यक्रम, विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विपणन संबंधी प्रयासों आदि के माध्यम से विशेष पहलकदिमयाँ की हैं। अब तक इन कार्यक्रमों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1,800 से अधिक इकाइयों के संवर्द्धन में मदद की है।

## वित्तीय संस्थाओं का क्षमता विकास

सिडबी एमएसएमई को विभिन्न ऋण एवं ऋणेतर सुविधाओं की प्रदायगी के लिए लगातार राज्य वित्तीय निगमों तथा तकनीकी परामर्श संगठनों के क्षमता विकास और सुदृढ़ीकरण में लगा रहता है। राज्य वित्तीय निगमों के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार के उद्देश्य से बैंक ने 12 राज्य वित्तीय निगमों के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं, जिन्होंने धनात्मक नेटवर्थ हासिल करने, गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी आदि की दृष्टि से सुधरे हुए परिणाम दिखाने आरंभ कर दिए हैं। एमएसएमई क्षेत्र के विकास में तकनीकी परामर्श संगठन मध्यवर्ती की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। तकनीकी परामर्श संगठनों की शेयरधारिता सिडबी के पक्ष में अंतरित करने के लिए वर्ष के दौरान सिडबी और आईडीबीआई के मध्य एक करार निष्पादित किया गया।

# सिडबी सरकारी योजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में

एमएसएमई क्षेत्र की विनिर्माण इकाइयों में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सिडबी भारत सरकार को नोडल एजेंसी की सेवाएं प्रदान करता है। ये योजनाएं हैं- ऋण आधारित पूँजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस), वस्त्र उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स), चमड़ा क्षेत्र एकीकृत विकास योजना (आईडीएलएसएस) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण /विस्तार की योजना।

# उद्यम पूँजी

सिडबी उद्यम पूंजी लिमिटेड (एसवीसीएल) एक आस्ति प्रबंधन कंपनी है, जिसकी स्थापना उद्यम पूँजी निधियों के प्रबंधन हेतु 1999 में की गई। वर्तमान में यह सेबी में पंजीकृत दो उद्यम पूँजी निधियों- सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हेतु राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी) तथा एसएमई संवृद्धि निधि (एसजीएफ) का प्रबंधन करती है। निवेश चरण के पश्चात्, एनएफएसआईटी अब किए गए निवेशों (84.40 करोड़ रुपये) का संपोषण कर रही है और अब तक 23 कंपनियों से आंशिक/ पूर्ण बिहर्गमन कर चुकी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान किए गए 3 पूर्ण बिहर्गमन भी शामिल हैं। एसजीएफ के अंतर्गत कुल प्रतिबद्धता 465.92 करोड़ रुपये थी और संचयी संवितरण 442.56 करोड़ रुपये रहा। निधि ने अब तक 4 कंपनियों से बिहर्गमन कर लिया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2009-10 में किए गए 2 आंशिक बिहर्गमन भी शामिल हैं।

District, West Bengal. The Bank has created more than 2 lakh employment opportunities in the MSME sector through these programmes. The Bank has also taken special initiatives in the North Eastern Region (NER), by way of Rural Industries Programme in 22 districts, Cluster Development Programme in 34 clusters, various vocational training programmes, marketing activities, seminars, etc. These programmes have, so far, helped in promoting more than 1,800 units in NER.

#### Capacity Building of Financial Institutions

SIDBI is constantly engaged in building and strengthening the capacity of State Financial Corporation (SFCs) and Technical Consultancy Organisations (TCOs) in efficiently delivering various credit and non-credit facilities to MSMEs. In order to improve the operational and financial performance of SFCs, the Bank has MOUs with 12 SFCs, which have started yielding improved results in terms attaining positive networth, reduction in NPAs, etc. Technical Consultancy Organisations (TCOs) have been playing an important intermedition role in the development of the MSME sector. An agreement for transfer of shareholding of TCOs in favour of SIDBI was executed between SIDBI and IDBI during the year.

#### **SIDBI as Nodal Agency for Government Schemes**

SIDBI continues to extend the Nodal Agency services to the Govt of India for schemes sponsored by various Central Ministries for encouraging implementation of modernisation and technology upgradation by manufacturing units in the MSME sector. These schemes are Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), Technology Upgradation Fund Scheme for Textile Industry (TUFS), Integrated Development of Leather Sector Scheme (IDLSS) and Scheme of Technology Upgradation/Setting up /Modernisation/Expansion of Food Processing Industries.

#### Venture Capital

SIDBI Venture Capital Limited (SVCL) is an asset management company, established in 1999 for managing venture capital funds. At present, it manages two SEBI registered venture capital funds, viz. the National Venture Fund for Software and Information Technology Industry (NFSIT) and the SME Growth Fund (SGF). After the investment phase, NFSIT is now nurturing the investments made (Rs. 84.40 crore) and has, so far, made partial / full exits from 23 companies including 3 full exits during FY 2009-10. Under SGF, the total commitments amounted to Rs.465.92 crore and cumulative disbursements stood at Rs.442.56 crore. The Fund has ,so far, made exits from 4 companies including 2 partial exits in FY 2009-10.

#### ऋण गारंटी

बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक उधार देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार और सिडबी ने जुलाई 2000 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की, ताकि बैंकों और ऋणवात्री संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रवान किए गए 100 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-रिहत/ तृतीय पक्ष गारंटी रिहत ऋणों के लिए इसकी ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी सहायता प्रवान की जा सके। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सीजीटीएमएसई ने दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं- अब तक किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख से अधिक गारंटी अनुमोदन और 31 मार्च 2010 तक संचयी रूप से 3 लाख से अधिक गारंटी अनुमोदन। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान ऋण अनुमोदनों की संख्या में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 182% की वृद्धि हुई और गारंटित राशि में 213% की। यथा 31 मार्च 2010 संचयी रूप से 11,559.61 करोड़ रुपये के लिए 3,00,105 खातों में गारंटी अनुमोदन प्रवान किया जा चुका है। अकेले वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रवत्त 6,875.11 करोड़ रुपये की गारंटी अनुमोदनों की राशि ही पूर्ववर्ती नौ वर्षों की 4,684.50 करोड़ रुपये के संचयी कवरेज से अधिक है। योजना के अंतर्गत कवरेज में तीव्र वृद्धि इस तथ्य की द्योतक है कि अब ऋण गारंटी योजना देश के बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं और एमएसई, दोनों के बीच अधिक स्वीकार्यता पा रही है।

#### प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) की स्थापना नवंबर 2005 में हुई, तािक भारत के एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी विकास की विविध गतिविधियों जैसे प्रौद्योगिकी मैचमेिकंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वच्छ विकास प्रणाली को चलाया जा सके। आईएसटीएसएल ने वर्ष के दौरान विभिन्न औद्योगिक समूहों में जागरूकता अभियान चलाए और केएफडब्ल्यू, जर्मनी के सहयोग से जयपुर के स्टेनलेस स्टील री-रोलिंग क्लस्टर में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन की परियोजना आरंभ की। अब इस परियोजना के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता उपायों के क्रियान्वयन के जरिए स्वच्छ विकास प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उम्मीद है कि इससे इकाइयों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ईंधन की लागत में कमी के साथ-साथ, सीडीएम आय भी अर्जित होगी।

# क्रेडिट रेटिंग

सिडबी ने सितंबर 2005 में सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी और निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों तथा डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इन्फर्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीएंडबी) के साथ एमएसएमई के लिए समर्पित तथा व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंगों देनेवाली और जोखिम प्रोफाइलिंग करनेवाली तृतीय पक्ष रेटिंग एजेंसी एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (स्मेरा) की स्थापना की। आरंभ से 31 मार्च 2010 तक की गई रेटिंगों की संचयी संख्या 6,599 रही। वित्तीय वर्ष 2009-10

#### **Credit Guarantee**

In order to encourage banks to lend more to the MSME sector, Government of India (GoI) and SIDBI have set up the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) in July 2000 to provide credit guarantee support for collateral free / third-party guarantee free loans up to Rs. 100 lakh extended by banks and lending institutions for micro and small enterprise (MSEs) under its Credit Guarantee Scheme (CGS). CGTMSE crossed two significant milestones during the FY 2009-10, viz., over 1.50 lakh guarantee approvals in any single financial year so far and 3 lakh guarantee approvals cumulatively as on March 31, 2010. The number of credit approvals during FY 2009-10 had registered a growth of 182% and the amount guaranteed increased by 213% over the previous financial year. As at March 31, 2010, cumulatively, 3,00,105 accounts have been accorded guarantee approval for Rs.11,559.61 crore. The amount of guarantee approvals of Rs.6,875.11 crore in FY 2009-10 alone exceeded the cumulative coverage of Rs.4,684.50 crore during the first nine years of CGTMSE's operations. The sharp growth in coverage under the Scheme is indicative of the fact that the CGS is now finding greater acceptance with both the Banks/FIs and the MSEs in the country.

#### **Transfer of Technology**

India SME Technology Services Limited (ISTSL) was established in November 2005 to carry out various technological development activities like technology matchmaking, technology transfer and clean development mechanism for MSMEs in India. ISTSL organized awareness campaigns in various industrial clusters during the year and also took up the project for implementing Energy Efficient technologies in Stainless Steel Re-rolling Cluster of Jodhpur, in association with KfW, Germany. The project is now being taken up for implementing Clean Development Mechanism (CDM) project by implementing Energy Efficiency measures, which are expected to generate CDM revenues, besides reducing the cost of fuel being consumed by the units.

## **Credit Rating**

SIDBI, along with leading public, foreign and private sector banks and Dun & Bradstreet Information Services India Private Limited (D&B), set up the SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA) in September 2005, as an MSME dedicated third-party rating agency to provide comprehensive, transparent and reliable ratings and risk profiling. The cumulative number of ratings since inception till March 31, 2010 stood at 6,599. During the financial year 2009-10,

के दौरान स्मेरा ने बाजार में अपनी सेवा-प्रदायगी में विविधता लाने पर ध्यान दिया। इसके फलस्वरूप ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड रेटिंग, अल्प वित्त संस्था-रेटिंग, जोखिम मॉडल मैपिंग/ वैधीकरण तथा ग्रीन रेटिंग की शुरुआत की गई।

# आस्ति पुनर्निर्माण

एमएसएमई क्षेत्र की गैर-निष्पादक आस्तियों पर विशेष ध्यान देते हुए गैर-निष्पादक आस्तियों के अभिग्रहण और नवोन्मेषी प्रणालियों के जिए उनके समाधान के लिए अप्रैल 2008 में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) -इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (इसार्क) की स्थापना की गई। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी सार्वजिनक क्षेत्र के 19 शेयर धारकों- सिडबी, सिडबी वेंचर, बैंक ऑफ बड़ौदा, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (प्रायोजक), सार्वजिनक क्षेत्र के 10 अन्य बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम और 4 राज्य-स्तरीय संस्थाओं से 100 करोड़ रुपये की अपनी समस्त शेयर पूँजी जुटाने में पूर्णतया सफल रही। 1 वर्ष की अत्यल्प अवधि में इसार्क ने सिक्रय संस्था के रूप में अपनी पहचान बना ली है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान इसार्क ने 20 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के 1,117 गैर-निष्पादक खातों का मूल्यांकन किया और 663 गैर निष्पादक खातों में विस्तृत सम्यकश्रम किया। इसने 4 बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से 202 खाते अभिगृहीत किए, जिनमें कुल बकाया मूलधन की राशि 249 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी की आय 699.61 लाख रुपये और निवल लाभ 278.39 लाख रुपये रहा। 31 मार्च 2010 को कंपनी की नेटवर्थ 102.07 करोड़ रुपये थी।

## दृष्टिकोण

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति तेजी से सुधर रही है और वित्तीय वर्ष 2009-10 में इसने 7.4 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर दर्ज की है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही में इसकी वृद्धि दर 9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में टिकाऊ आधार पर तीव्रतर आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं उज्ज्वल प्रतीत होती हैं। आशा है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धि दर 8.5% - 9.4 % रहेगी। इसी प्रकार की वृद्धि का आशावाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में देखा जा रहा है। भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के त्वरित और विवेकपूर्ण नीतिगत उपायों से पुष्ट होकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की अंतर्निहित शक्ति तथा समुत्थानशीलता ने इस क्षेत्र को मोटे तौर पर आर्थिक संकट से पार पाने में सक्षम बनाया। मुख्यत: विशाल घरेलू बाजार तथा अपने निर्यात बाजारों के विविधीकरण के बल पर यह क्षेत्र उच्चतर वृद्धि पथ पर अग्रसर होने के लिए उद्यत है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्था होने के नाते सिडबी उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है और रोजगार सृजन, आय वृद्धि तथा सहस्राब्दि लक्ष्यों की प्राप्ति की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ अपनी गतिविधियों का सामंजस्य स्थापित करना जारी रखेगा। सिडबी यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेगा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को पर्याप्त और समय पर ऋण तथा गैर-ऋण क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की जाए, ताकि यह क्षेत्र सुदृढ़ एवं ऊर्जावान बना रहे तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करे।

SMERA embarked on diversification of its service offerings to the market. Accordingly, newer services, such as, Green Field and Brown Field Ratings, Micro Finance Institutions' Ratings, Risk Model Mapping/Validation and Green Ratings were introduced.

#### **Asset Reconstruction**

India SME Asset Reconstruction Company Ltd. (ISARC) was set up in April 2008 as an Asset Reconstruction Company (ARC) to acquire non-performing assets (NPAs) and to resolve them through its innovative mechanisms with a special focus on the NPAs of MSME sector. During FY 2009-10, the Company successfully completed raising of its entire share capital of Rs.100 crore from 19 public sector shareholders, i.e. SIDBI, SIDBI Venture, Bank of Baroda, United Bank of India (the sponsors), 10 other public sector banks, LIC and 4 State-level institutions. In a very short span of 1 year, ISARC has established its presence as an active player. During FY 2009-10, ISARC evaluated 1,117 non-performing accounts of 20 banks/FIs and carried out detailed due-diligence in respect of 663 NPAs. It acquired 202 accounts from 4 banks / FIs with an aggregate principal outstanding amount of Rs. 249 crore. The income of the Company during FY 2009-10 stood at Rs. 699.61 lakh and the net profit at Rs. 278.39 lakh. The networth of the company as on March 31, 2010 was Rs. 102.07 crore.

#### **Outlook**

With the Indian economy recovering fast and registering a higher growth rate of 7.4% during FY 2009-10 and estimated 9% during first quarter of FY 2010-11, the prospects of an accelerated economic growth on sustainable basis appear bright. The FY 2010-11 is expected to achieve a growth rate in the range of 8.5%-9.4%. The same growth optimism is being witnessed in the MSME sector also. The inherent strength and resilience of the MSME sector, further bolstered by prompt and prudent policy measures by the Government of India, Reserve Bank of India and banks / FIs, have enabled the sector to largely overcome the economic crisis. The sector is poised on a higher growth trajectory, facilitated largely by the large domestic market and by diversifying its exports to new markets.

SIDBI, as the principal financial institution for the MSME sector, continues to remain committed to responsible financing and would continue to align its activities to the national priorities of employment generation, income growth and attainment of Millennium Development Goals. SIDBI would also endeavour to ensure that adequate and timely credit and appropriate noncredit capacity building support are provided to the MSME sector, so that the sector remains strong, vibrant and achieves international competitiveness.

# SIDBI FOUNDATION FOR MICRO CREDIT

To create a national network

of strong, viable and sustainable

Micro Finance Institutions for

providing micro finance

services to the economically

disadvantaged people of India,

especially women.







सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम -कार्यनिष्पादन और दृष्टिकोण Micro, Small and Medium Enterprises -Performance and Outlook



SIDBI celebrates 20th Foundation Day - The function was inaugurated by Hon'ble Finance Minister Padma Vibhushan Shri Pranab Mukherjee.

श्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार दिखाई देने लगा है और अब वह गित पकड़ रहा है। वर्ष 2009 की चौथी तिमाही से यह विशेष रूप से देखा गया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2009 की चौथी तिमाही में 5.6 % की वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था की सुधरती हुई स्थिति को और सुदृढ़ करने तथा संवृद्धि में तीव्रता लाने में अन्य कारकों के अलावा वैश्विक कारोबारी विश्वास तथा सशक्त मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रोत्साहनों का योगदान रहा है। इन सकारात्मक रुझानों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2010 हेतु वैश्विक आर्थिक संवृद्धि के अपने अनुमानों में सुधार किया और जनवरी 2010 में लगाए गए 3.9% के अनुमान को अप्रैल 2010 के अपने वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक में 4.2% कर दिया।

विवेकसम्मत मौद्रिक और राजकोषीय उपायों का समर्थन पाकर भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक मंदी से तेजी से उबरी और वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान उसने टिकाऊ और मजबूत सुधार दर्ज किया। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 7.4% की तीव्र वृद्धि हुई, जबिक वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान यह 6.7% थी। यह सुधार औद्योगिक गतिविधियों के ऊर्ध्वमुखी रुझान के फलस्वरूप संभव हो सका - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जनवरी 2010 में 16.7%, फरवरी 2010 में 15.1% तथा मार्च 2010 में 13.5% की व्यापक आधार वाली वृद्धि हुई। खनन और उत्खनन (10.6%), विनिर्माण (10.8%), बिजली (6.5%), तथा निर्माण क्षेत्र(6.5%) में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2009-10 में समग्र औद्योगिक वृद्धि 9.3% रही, जबिक वित्तीय वर्ष 2008-09 में यह 3.9% थी। अन्य क्षेत्रों में देखें, तो कम वर्षा तथा देश के कुछ भागों में बाढ़ के फलस्वरूप कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में 0.2% (1.6%) की निम्न वृद्धि दर्ज हुई। सेवा क्षेत्र में उच्च वृद्धि जारी रही, यद्यपि वित्तीय वर्ष 2009-10 में हुई 8.5% की वृद्धि उससे पिछले वर्ष हुई 9.8% की वृद्धि से कम है। यह मुख्यत: बाहरी माँग में कमी का परिणाम है। भारत के निर्यात और आयात में वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, डॉलर की दृष्टि से, क्रमश: 4.7% तथा 8.2% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। तथापि, अंतिम तिमाही में व्यापार में वृद्धि हुई और जनवरी, फरवरी तथा मार्च 2010 में क्रमश: 11.5%, 34.8% तथा 54.1% की निरंतर ऊँची निर्यात वृद्धि तथा क्रमश: 35.5%, 66.4% और 67.1% की निरंतर ऊँची आयात वृद्धि दर्ज हुई।

## सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 27 फरवरी 2007 को प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा के बाद, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 2006-07 को आधार वर्ष मानते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की चतुर्थ गणना कराई। उक्त गणना



A unit assisted by SIDBI engaged in managing e-waste at Bangalore, Karnataka.

he global economy has started exhibiting recovery which is gaining momentum, especially from the fourth quarter of 2009. The US economy showed a 5.6% GDP growth in Q4, 2009. The consolidation of recovery and growth momentum has been contributed by, among others, improvement in global business confidence and strong monetary and fiscal stimuli. Considering these positive trends, IMF upgraded its global economic growth forecast for 2010 from 3.9% made in January 2010 to 4.2% in its April 2010 World Economic Outlook.

The Indian economy, backed by the prudent monetary and fiscal measures, made a quick recovery from the global economic slowdown and recorded a sustained and firm recovery during FY 2009-10. The real GDP registered an accelerated growth of 7.4% during FY 2009-10 as compared to that of 6.7% during FY 2008-09. This recovery could be achieved due to uptrend in industrial activities with Index of Industrial Production (IIP) recording a broad-based growth of 16.7 per cent in January 2010, 15.1 per cent in February 2010 and 13.5 per cent in March 2010. The overall industrial growth was 9.3% for FY 2009-10 as against 3.9% growth in FY 2008-09 with remarkable growth in mining and quarrying (10.6%), manufacturing (10.8%), Electricity (6.5%) and construction sector (6.5%). Among the other sectors, agriculture and allied sector recorded a lower growth of 0.2% (1.6%) due to deficient monsoon and floods in some parts of the country. Services sector continued to show a high growth, though the growth in FY 2009-10 was lower at 8.5% as against 9.8% during last FY mainly due to lower external demand. India's exports and imports registered a negative growth of 4.7% and 8.2%, respectively, in dollar terms, during FY 2009-10. However, there was a surge in trade during the last quarter and the months of January, February and March 2010 witnessed sustained higher exports growth of 11.5%, 34.8% and 54.1% and imports growth of 35.5%, 66.4% and 67.1%, respectively.

#### Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) Sector

Subsequent to the announcement of Package for Promotion of Micro and Small Enterprises on February 27, 2007, the Ministry of MSME conducted the 4th census of MSMEs with base year



Hon'ble Finance Minister Padma Vibhushan Shri Pranab Mukherjee releasing the Corporate Social Responsibility Report, 2010, of SIDBI.

के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कुल संख्या अनुमानत: **26**1 लाख है, जो लगभग 600 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तीसरी गणना के आँकड़ों और चौथी गणना के आँकड़ों की प्रमुख विशेषताओं की तुलना नीचे तालिका 1.1 में दी गई है:

तालिका 1.1: लघु उद्योग/सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - प्रमुख विशेषताएं - वित्तीय वर्ष 2006-07

मानदंड	तीसरी लघु उद्योग गणना	चौथी सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम गणना
उद्यमों की कुल संख्या (लाख)	134	261
भारत के कुल निर्यात में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के निर्यात का प्रतिशत(%)	31.2	31.9
रोजगार (लाख व्यक्ति)	312.5	594.61

स्रोत: (क) तीसरी अखिल भारतीय लघु उद्योग गणना, 2001-2002

नोट: तीसरी लघु उद्योग गणना तथा चौथी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम गणना हेतु आधार वर्ष क्रमश: वित्तीय वर्ष 2001-02 तथा वित्तीय वर्ष 2006-07 हैं।

समय के साथ-साथ, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों, प्रति व्यक्ति रोजगार, निवेश और उत्पादन, अवस्थितिगत परिवर्तनों, स्वामित्व का स्वरूप आदि की दृष्टि से संरचनात्मक रूपांतरण हुआ है (तालिका 1.2)। यह पाया गया है कि विनिर्माता सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का हिस्सा, जो कि तीसरी गणना में 42% था, चौथी गणना में घटकर 29% रह गया और इसी अनुरूप सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ गया। स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अब 94.5% हैं, जबिक 2001-02 में ये 95.8% थे। पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का प्रति उद्यम रोजगार, जो कि 2001-02 में घटकर 4.48 व्यक्ति रह गया था, 2006-07 में बढ़कर 5.93 व्यक्ति हो गया।

<sup>(</sup>ख) चौथी अखिल भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम गणना, 2006-07 के परिणाम



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Faridabad, Haryana.

of 2006-07. As per the Census, the total number of MSMEs was estimated at 261 lakh providing employment to about 600 lakh persons. A comparison of salient features of the 4<sup>th</sup> census data visà-vis the 3<sup>rd</sup> Census data for the year 2006-07 is given in Table 1.1.

Table 1.1: SSI/MSE salient features for FY 2006-07


Parameters	3rd SSI Census	4th MSME Census
Total No. of enterprises (Lakh)	134	261
Percentage of MSE Exports to India's total Exports (%)	31.2	31.9
Employment (Lakh person)	312.5	594.61

Sources: (a) Third All India Census of Small Scale Industries, 2001-02

(b) Fourth All India Census of Micro, Small & Medium Enterprises, 2006-07

Note: The base year for 3<sup>rd</sup> SSI Census and 4<sup>th</sup> MSME Census are FY 2001-02 and FY 2006-07, respectively.

Over the years, the MSME sector has undergone structural transformation in terms of economic activities per unit of employment, investment and output, locational changes, ownership pattern, etc. (Table 1.2). It is observed that the share of manufacturing MSMEs has came down from 42% in the 3rd Census to 29% in the 4th Census and correspondingly, the share of services sector has increased. The proprietorship MSMEs constituted 94.5% as against 95.8% in 2001-02. The employment per enterprise for registered MSME sector, which had gone down to 4.48 persons in 2001-02, showed improvement to 5.93 persons in 2006-07.



Hon'ble Minister for State for Finance, Shri Namo Narain Meena, releasing the MSME dedicated magazine OPTIMiSM.

तालिका 1.2 : सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों का संरचनात्मक रूपांतरण

क्रम सं.	मद	तीसरी गणना (वित्तीय वर्ष 2001-02)	चौधी गणना (वित्तीय वर्ष 2006-07)		
1.	उद्यमों की कुल संख्या (करोड़)	1.05	2.61		
2.	विनिर्माण उद्यमों की कुल संख्या (लाख)	44.46(42%)	74.53(29%)		
3.	सेवा क्षेत्र उद्यमों की कुल संख्या (लाख)	60.75(58%)	186.47(71%)		
4.	कुल रोजगार (लाख व्यक्ति)	249.33	594.61		
5.	निम्नलिखित द्वारा प्रबंधित उद्यमों का प्रतिशत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाएं	10 4.97 10.11	7.88 3.18 7.36		
6.	संगठनों का प्रकार स्वामित्व साझेदारी प्राइवेट लि. कंपनी पब्लिक लि. कंपनी. सहकारी	95.8% 1.9% 0.68% - 0.14% 1.41%	94.5% 0.68% 0.52% 0.28% 0.51% 3.51%		
पंजीकृत सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम					
7.	प्रति इकाई सकल उत्पादन (लाख रु.)	14.78	45.69		
8.	प्रति इकाई रोजगार	4.48	5.93		
9.	स्थिर आस्तियों में प्रति 1 लाख रुपये निवेश पर रोजगार	0.67	0.19		
10.	प्रति उद्यम स्थिर निवेश (लाख रुपए)	6.68	32.26		
11.	रुग्णता का प्रतिशत	13.98	14.47		

# नीतिगत परिवेश

देश के समग्र आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के समग्रतावादी विकास के महत्व को देखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने 2009-10 तथा 2010-11 के केंद्रीय बजट में उक्त क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कई उपायों की घोषणा की। ये उपाय



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing injection and blow moulds at Balanagar, Hyderabad.

Table 1.2: Structural Transformation of MSMEs

S. No.	Item	3 <sup>rd</sup> Census (FY 2001-02)	4 <sup>th</sup> Census (FY 2006-07)	
1.	Total Number of Enterprises (Crore)	1.05	2.61	
2.	Number of Manufacturing Enterprises (Lakh)	44.46(42%)	74.53(29%)	
3.	Number of Service Enterprises (Lakh)	60.75(58%)	186.47(71%)	
4.	Total Employment (Lakh Persons)	249.33	594.61	
5.	% Number of enterprises managed by SCs STs Women	10 4.97 10.11	7.88 3.18 7.36	
6.	Type of organizations Proprietary Partnership Pvt. Ltd. Company Public limited Co. Cooperatives Others	95.8% 1.9% 0.68% - 0.14% 1.41%	94.5% 0.68% 0.52% 0.28% 0.51% 3.51%	
Registered MSMEs				
7.	Per Unit Gross output (Rs. Lakh)	14.78	45.69	
8.	Per unit Employment	4.48	5.93	
9.	Employment per Rs 1 lakh investment in fixed assets	0.67	0.19	
10.	Fixed investment per enterprise in Rs lakh	6.68	32.26	
11.	% age Sickness	13.98	14.47	

#### **Policy Environment**

Considering the importance of holistic development of the MSME sector to the overall economic development of the country, Hon'ble Finance Minister announced a number of measures in the Union Budgets of 2009-10 and 2010-11 having positive impact on the sector, in addition to fiscal stimulus



Mrs. Rajni Bector of Mrs. Bector's Food Specialties Ltd., Ludhiana, SIDBI Award for Outstanding Entrepreneur assisted under the Scheme was felicitated with the award for Outstanding Woman Entrepreneur.

for marketing of MSE products was presented to Nalli Trust.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के नकारात्मक प्रभाव का सामना करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज तथा भारतीय रिजर्व बैक द्वारा मौद्रिक कठिनाइयों के निवारण एवं तरलता वृद्धि के लिए किए गए उपायों के अतिरिक्त हैं।

#### केंद्रीय बजट 2009-10

भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :

- रोजगार-उन्मुख सात निर्यात क्षेत्रों के लिए नौभरण-पूर्व ऋण पर 2 प्रतिशत के सरकारी ब्याज अनुदान की मौजूदा समय सीमा को 30 सितंबर 2009 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2010 कर दिया गया।
- उचित दरों पर ऋण प्रवाह सुकर बनाने के लिए ग्रामीण मूलभूत ढांचा विकास निधि से 4,000 करोड़ रुपए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को प्रदान किए गए। इससे वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वृद्धिगत ऋणों के 50 प्रतिशत का पुनर्वित्तपोषण किया जाएगा, जिससे बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन मिला है।
- राज्य स्तरीय बैंकर समिति की एक उप-समिति गठित की गई, जो कम बैंकिंग सुविधा अथवा बैंकिंग सुविधारहित इलाकों की पहचान करेगी और उनमें अगले तीन वर्ष में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्ययोजना तैयार करेगी। एकबारगी अनुदान सहायता के रूप में 100 करोड़ रुपए की राशि अलग रख दी गई है, ताकि प्रत्येक बैंकिंगरहित ब्लॉक में बैंकिंग सेवाओं हेतु कम से कम एक केंद्र/विक्रय केंद्र का प्रावधान सुनिश्चित हो सके।
- प्रकल्पित कराधान की व्यवस्था का विस्तार 40 लाख रुपये तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले सभी छोटे व्यवसायों के लिए कर दिया गया है। ऐसे सभी करदाताओं को यह विकल्प होगा कि वे व्यवसाय से अपनी आय कुल वार्षिक कारोबार के 8 प्रतिशत की दर से घोषित करें और साथ ही लेखा बहियों के रखरखाव के अनुपालन के बोझ से मुक्त हो जाएं। प्रक्रियागत सरलीकरण के तौर पर उन्हें अग्रिम कर से भी मुक्त किया जाना था और व्यवसाय से उत्पन्न संपूर्ण कर देयता का भुगतान उन्हें विवरणी दाखिल करते समय ही करने की अनुमति दी जानी थी। यह नई योजना वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावी हुई।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को बढ़ाकर बही लाभ का 15 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले यह 10 प्रतिशत था। मैट के अतंर्गत कर क्रेडिट को अग्रेनीत करने की अनुमन्य अवधि सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष की जाएगी।
- वस्तु लेन-देन कर समाप्त कर दिया गया।
- एलसीडी पैनल, विशिष्ट जीवनरक्षक दवाइयों, मोबाइल फोनों के विनिर्माण हेतु पुर्जों तथा सहायक सामग्री, कच्चे मूँगों, बायोडीजल, विशिष्ट हृदय उपकरणों, कॉफी प्लांटेशन हेतु मैकेनिकल हारवेस्टर, रुई अपशिष्ट, ऊन अपशिष्ट, रॉक फॉस्फेट आदि पर सीमा शुल्क में कमी।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of auto components at Chennai, Tamil Nadu.

packages by Government of India and a number of monetary easing and liquidity enhancing measures by Reserve Bank of India to counter the negative fallout of the global slowdown on the Indian economy.

#### Union Budget 2009-10

The major steps taken by GoI are listed below:

- Interest subvention of 2 percent on pre-shipment credit for seven employment oriented export sectors was extended beyond the current deadline of September 30, 2009 to March 31, 2010.
- To facilitate flow of credit at reasonable rates, Rs.4, 000 crore was provided out of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) to Small Industries Development Bank of India (SIDBI). This has incentivised Banks and State Finance Corporations (SFCs) to lend to Micro and Small Enterprises (MSEs) by refinancing 50 per cent of incremental lending to MSEs during the financial year 2009–10.
- A sub-committee of State Level Bankers' Committee (SLBC) was set up to identify and formulate an action plan for providing banking facilities in under-banked / unbanked areas in the next three years. A sum of Rs.100 crore set aside as one-time grant-in-aid to ensure provision of at least one centre/Point of Sales (POS) for banking services in each of the unbanked blocks.
- Scope of presumptive taxation was extended to all small businesses with a turnover upto Rs. 40 lakh. All such taxpayers to have option to declare their income from business at the rate of 8 percent of their turnover and simultaneously enjoy exemption from the compliance burden of maintaining books of accounts. As a procedural simplification, they were also to be exempted from advance tax and allowed to pay their entire tax liability from business at the time of filing their return. This new scheme came into effect from the financial year 2010–11.
- Minimum Alternate Tax (MAT) was increased to 15 per cent of book profits from 10 per cent. The period allowed carrying forward the tax credit under MAT to be extended from seven years to ten years.
- Commodity Transaction Tax (CTT) was abolished.
- Reduction in custom duty on LCD panel, specified life saving drugs, parts for manufacture of mobile
  phones and accessories, unworked corals, bio-diesel, specified heart devices, mechanical harvester for coffee
  plantation, cotton waste, wool waste, rock phosphate, etc.



SIDBI Award for MSME Unit with Unique Project/Concept was presented to E-parisara Pvt. Ltd.

SIDBI Award for Best Venture Capital Beneficiary was presented to IndiaIdeas.com

- पेट्रोल चालित ट्रकों/लारियों, स्पेशल बॉयलिंग स्पिरिट, नाफ्था, हाई स्पीड डीजल, ब्रांडेड कृत्रिम आभूषण आदि पर उत्पाद शुल्क में कमी।
- लघु उद्योग छूट योजना का विस्तार करते हुए इसका लाभ उन प्रिंटेड लेमिनेटेड रोल्स को भी दिया गया, जो दूसरों का ब्रांड नेम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए इस मद को ब्रांड नेम प्रतिबंध के दायरे से बाहर कर दिया गया।
- रेलगाड़ी तथा समुद्रतटीय कारगो से माल परिवहन से संबंधित सेवाओं, विधि के क्षेत्र में दी जाने वाली सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता, कॉस्मेटिक तथा प्लास्टिक सर्जरी सेवा पर भी सेवा कर लगाया जाएगा।

#### केंद्रीय बजट 2010-11

भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :

- हस्तशिल्प, कार्पेट, हथकरघा तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित निर्यातों पर 2 प्रतिशत के मौजूदा सरकारी ब्याज अनुदान को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित उच्च स्तरीय कार्यदल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय लघु एवं मध्यम उद्यम परिषद गठित की जाएगी।
- अल्प वित्त विकास और ईक्विटी निधि हेतु समूहनिधि को दुगना कर वित्तीय वर्ष 2010-11 में 400 करोड़ रुपये किया जाएगा।
- 2000 से अधिक की आबादी वाले स्थानों पर मार्च 2012 तक उपयुक्त बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- बीमा तथा अन्य सेवाएं व्यवसाय करसपोंडेंट मॉडल अपनाते हुए प्रदान की जाएंगी। इस व्यवस्था से 60,000 स्थानों को कवर करने का प्रस्ताव है।
- वित्तीय समावेशन निधि तथा वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि में 100-100 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाएगी। इस राशि का अंशदान भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा किया जाएगा।
- लेखाओं की लेखापरीक्षा की बाध्यता हेतु कुल कारोबार की सीमा को बढ़ाकर बिजनेस के लिए 60 लाख रुपये तथा प्रोफेशनलस के लिए 15 लाख रुपये कर दिया गया।
- लघु व्यवसायों हेतु प्रकल्पित कराधान के उद्देश्य से कुल कारोबार की सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई।
- रोडियम (आभूषणों की पॉलिश में इस्तेमाल होनी वाली धातु), स्वर्ण अयस्क, माइक्रोवेव ओवन के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख उपकरण, पिपरामूल, हींग, आरओ को छोड़कर अन्य घरेलू वाटर फिल्टर में इस्तेमाल होने वाली प्रतिस्थापनीय किट, कॉरुगेटेड बक्स या कार्टन, लेटेक्स रबर आदि पर आधारभूत सीमा शुल्क में कमी।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of Ceramics at Rajkot, Gujarat.

- Reduction in excise duty on petrol driven trucks/lorries, special boiling spirits, naphtha, high speed diesel, branded artificial jewellery, etc.
- Benefit of SSI exemption scheme was extended to printed laminated rolls bearing the brand name of others by excluding this item from the purview of the brand name restriction.
- Service Tax to be imposed on services provided in relation to transport of goods by rail and coastal cargo, advice, consultancy or technical assistance provided in the field of law, cosmetic and plastic surgery service.

#### Union Budget 2010-11

The major steps initiated by GoI are listed below:

- Extension of existing interest subvention of 2 per cent for one more year for exports covering handicrafts, carpets, handlooms and small and medium enterprises.
- High Level Council on Micro and Small Enterprises to be set up to monitor the implementation of the recommendations of High-Level Task Force constituted by the Hon'blePrime Minister.
- The corpus for Micro Finance Development and Equity Fund doubled to Rs.400 crore in FY 2010-11.
- Appropriate Banking facilities to be provided to habitations having population in excess of 2000 by March, 2012.
- Insurance and other services to be provided using the Business Correspondent model. By this arrangement, it is proposed to cover 60,000 habitations.
- Augmentation of Rs.100 crore each for the Financial Inclusion Fund (FIF) and the Financial Inclusion Technology Fund, which shall be contributed by Government of India, RBI and NABARD.
- Limits for turnover over which accounts need to be audited enhanced to Rs. 60 lakh for businesses and to Rs. 15 lakh for professionals.
- Limit of turnover for the purpose of presumptive taxation of small businesses enhanced to Rs. 60 lakh.
- Reduction in basic custom duty on rhodium (metal used for jewellery polishing), gold ore, key components
  used in production of microwave ovens, long pepper, asafoetida, replaceable kits used for household type
  water filter other than RO, corrugated box or cartons, latex rubber, etc.



Issue of sanction letter to one of the beneficiaries from Satincare, a partner Micro Finance Institution of SIDBI.

Issue of sanction letter to one of the beneficiaries from Bandhan, a partner Micro Finance Institution of SIDBI.

## प्रधान मंत्री द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के संबंध में गठित कार्यदल

माननीय प्रधान मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की समस्याओं की समीक्षा करने के लिए श्री टी.के.ए. नायर, प्रमुख सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यदल गठित किया था। कार्यदल में सिडबी का भी प्रतिनिधित्व था। कार्यदल ने ऋण, विपणन, मूलभूत ढाँचा/प्रौद्योगिकी/कौशल विकास, निकास नीति, श्रम, कराधान, पूर्वोत्तर एवं जम्मू और कश्मीर हेतु विशेष पैकेज संबंधी मामले - इन क्षेत्रों पर 7 उप-समूह गठित किए। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी 2010 को भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित उपर्युक्त मदों पर अनेक सिफारिशें की गई हैं।

# भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीतिगत उपाय

वैश्विक आर्थिक संकट के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक सुगमता देने वाले तथा तरलता वृद्धि करने वाले कई समायोजनकारी उपाय किए, जिन्होंने बाजार भागीदारों में विश्वास जगाने में मदद की तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर उक्त संकट के प्रतिकूल प्रभाव का निवारण किया। इनमें से कुछ उपायों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने नए समष्टि आर्थिक विकास के अनुरूप धीरे-धीरे वापस ले लिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए प्रमुख उपाय निम्नलिखित थे:

- अक्तूबर 2009 में सांविधिक तरलता अनुपात को 25 प्रतिशत के संकट पूर्व अविध के स्तर पर ले जाना।
- 24 अप्रैल 2010 से नकद आरक्षित अनुपात 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करना
- 02 जुलाई 2010 से रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर को बढ़ाकर क्रमश: 5.50 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत करना
- बेंचमार्क मूल उधार दर व्यवस्था संबंधी कार्यदल के सुझाव के अनुरूप बैंकों को यह आदेश देने का निर्णय किया गया कि वे 01 जुलाई 2010 से आधार दर व्यवस्था अपनाएं।
- बैंकों को यह आदेश देने का प्रस्ताव किया कि वे 10 लाख रुपये तक के ऋणों के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर न दें, जबिक इसकी मौजूदा सीमा 5 लाख रुपये है, जो कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र की सभी इकाइयों के लिए है। यह सिफारिश सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की ऋण गारंटी योजना से संबंधित आरबीआई कार्यदल ने की थी।
- बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे प्रधान मंत्री कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखें और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए, विशेषकर सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि हेतु प्रभावी कदम उठाएं। भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करेगा। कार्यदल ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कामकाज पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों, जैसे ऋण, विपणन, श्रम, निकास नीति, मूलभूत ढाँचा/प्रौद्दोगिकी/कौशल विकास और कराधान के संबंध में अनेक सिफारिशें कीं।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Faridabad, Haryana.

#### Prime Minister's Task Force on MSMEs

The Hon'ble Prime Minister had constituted a Task Force on Micro, Small & Medium Enterprises under the Chairmanship of Shri T. K. A. Nair, Principal Secretary, Prime Minister's Office to review the problems of the MSME Sector. SIDBI was also represented in the Task Force. The Task Force had set up seven subgroups in the areas of Credit, Marketing, Infrastructure / Technology / Skill Development, Exit Policy, Labour, Taxation, Matters relating to Special Package for North East and Jammu & Kashmir. The Task Force submitted its report to Government of India on January 30, 2010 with a number of recommendations on the above issues concerning MSMEs.

#### **RBI Monetary Policy Measures**

RBI has taken a number of accommodative monetary easing and liquidity enhancing measures in the wake of the global economic crisis, which have helped to instill the confidence in the market participants and mitigated the adverse impact of the crisis on Indian economy. Some of these measures have since been reversed by Reserve Bank of India in a calibrated manner in line with new macro economic development. The salient measures by RBI were:

- Restoring the Statutory Liquidity Ratio (SLR) to pre-crisis period of 25% in October 2009.
- Increase in Cash Reserve Ratio from 5% to 6% w.e.f. April 24, 2010.
- Increase in Repo Rate and Reverse Repo Rate to 5.50% and 4%, respectively, w.e.f. July 02, 2010.
- Decided to mandate banks to switch over to the system of Base Rate from July 01, 2010 as suggested by the Working Group on Benchmark Prime Lending Rate (PLR) system.
- Proposed to mandate banks not to insist on collateral security in case of loans up to Rs.10 lakh as against the present limit of Rs.5 lakh extended to all units of the micro and small enterprises (MSEs) sector as recommended by the RBI Working Group on Credit Guarantee Scheme of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).
- Banks have been urged to keep in view the recommendations made by the Prime Minister's Task Force and take effective steps to increase the flow of credit to the MSE sector, particularly to micro enterprises. The Reserve Bank will monitor the performance of banks in this regard. The Task Force recommended several measures having a bearing on the functioning of MSMEs, credit, marketing, labour, exit policy, infrastructure/technology/skill development and taxation



SIDBI Award for Best MFI / Project in the North Eastern Region was presented to Rastriya Gramin Vikas Nidhi.

The award for Outstanding Successful long standing customer was presented to Obeetee Pvt. Ltd.

- बैंकों की पहुँच का विस्तार करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि वे अगले तीन वर्ष में कार्यान्वित करने हेतु निदेशक मंडल से अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना बनाएं और उसे मार्च 2010 तक भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।
- राज्य स्तरीय बैंकर समिति/जिला परामर्श समितियों के कामकाज की उपयुक्त निगरानी पद्धति की व्यवस्था करना।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) की शुरूआत संबंधी कार्यदल के विचारार्थ विषय का विस्तार करना और बैंकों द्वारा अल्प वित्त संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल करने के गुण दोषों की समीक्षा को उसमें समाहित करना।

# विदेश व्यापार नीति 2009-14

विदेश व्यापार नीति 2009-14 तैयार करने का अल्पावधि उद्देश्य घटते हुए निर्यात की प्रवृत्ति को रोकना तथा उलटना और विकसित देशों की मंदी की मार झेल रहे क्षेत्रों को विशेष रूप से अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है। उक्त नीति के अंतर्गत निर्धारित नए लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

- मार्च 2011 तक 200 अरब अमेरिकी डालर के वार्षिक निर्यात लक्ष्य के साथ 15 प्रतिशत की वार्षिक निर्यात वृद्धि
- 2014 तक भारत का माल और सेवाओं का निर्यात दुगना किया जाएगा।
- भारत सरकार का दीर्घावधि नीतिगत उद्देश्य 2020 तक विश्व व्यापार में भारत के हिस्से को दुगना करना है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की :

- डीईपीबी योजना को दिसम्बर 2010 तक जारी रखना
- सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए धारा 10 (ए) के अंतर्गत तथा 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए धारा 10(बी) के अतंर्गत आयकर लाभ एक और वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च 2011 तक जारी रखना
- बढ़ा हुआ बीमा कवरेज और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) योजनाओं के जरिए निर्यातों हेतु प्रदत्त ऋण को 31 मार्च 2010 तक बीमित कराया गया।
- मूल्यवर्धित विनिर्माण के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एडवांस ऑथोराइजेशन योजना के अंतर्गत आयातित निविष्टियों पर न्यूनतम 15 प्रतिशत का मूल्यवर्धन निर्धारित किया गया है।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing Corrugated boxes and printing at Silvassa, Daman

- With a view to increasing banking penetration and promoting financial inclusion, domestic commercial banks, both
  in the public and private sectors, were advised to put in place a Board-approved Financial Inclusion Plan (FIP) in
  order to roll them out over the next three years and submit the same to the Reserve Bank by March 2010.
- To put in place an appropriate monitoring mechanism of the working of the SLBC/ District Consultative Committees (DCC).
- To expand the terms of reference of the Working Group on introduction of Priority Sector Lending Certificates (PSLC) to also include review of the pros and cons of inclusion of bank lending to microfinance institutions (MFIs) under priority sector lending.

#### Foreign Trade Policy 2009-14

Foreign Trade Policy, 2009-14 has been designed with the short term objective to arrest and reverse the declining trend of exports and to provide additional support, especially to those sectors which have been hit badly by recession in the developed world. The new targets set under the Policy are as under:

- An annual export growth of 15% with an annual export target of US\$ 200 billion by March 2011.
- By 2014, India's exports of goods and services would be doubled.
- The long term policy objective for the Government of India is to double India's share in global trade by 2020.

In order to meet these objectives, the Government of India announced the following important measures:

- Continue with the DEPB Scheme upto December 2010.
- Income Tax benefits under Section 10(A) for IT industry and under Section 10(B) for 100% export oriented units for one additional year till 31st March 2011.
- Enhanced insurance coverage and exposure for exports through Exports Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) Schemes has been ensured till 31st March 2010.
- To encourage value added manufacture export, a minimum 15% value addition on imported inputs under Advance Authorisation Scheme has been stipulated.



SIDBI celebrates 20th Foundation Day.

- निर्यातों का प्रौद्योगिकी उन्नयन कितपय क्षेत्रों, जैसे चुनिंदा इंजीनियरिंग उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, मूल रसायनों तथा सहवर्ती उत्पादों और चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों हेतु पूंजीगत माल के आयातों को बढ़ावा देकर हासिल करने का प्रयत्न किया गया है।
- सरकार ने इस तथ्य को माना है कि 'प्रास्थित धारक' भारत के माल निर्यात में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान करते हैं। 'प्रास्थित धारकों' को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने और साथ ही निर्यात उत्पादों के प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशिष्ट उत्पाद समूहों के लिए पिछले निर्यातों के एफओबी के 1 प्रतिशत के अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान किए जाएंगे। विशेष उत्पाद समूहों में चमड़ा, इंजीनियरिंग के विशिष्ट उप-क्षेत्र, वस्त्र, प्लास्टिक, हस्तिशिल्प तथा जूट भी शामिल हैं। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को इन प्रास्थित धारकों द्वारा पूँजीगत माल के आयात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आयातित पूंजीगत माल वास्तिवक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन होगा।
- हरित वाहनों हेतु चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम , शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना तथा निर्यातों हेतु प्रोत्साहन जैसे उपायों के जरिए 'हरित उत्पादों' के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन
- भारतीय उद्योग और निर्यातकों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विश्व व्यापार संगठन ढाँचे के अंतर्गत व्यापार उपचार उपायों के जरिए अपने अधिकार हासिल करने में सहयोग देने हेतु भारत सरकार का प्रस्ताव है कि व्यापार उपचार उपाय निदेशालय गठित किया जाए।
- लघु उद्योग इकाइयों के लिए पूँजीगत माल का आयात 3 प्रतिशत के सीमा शुल्क पर अनुमन्य होगा, बशर्ते वे पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के 6 गुने के बराबार निर्यात बाध्यता अथोराइजेशन जारी होने की तारीख से 8 वर्ष के भीतर पूरी करें, परंतु उक्त योजना के अंतर्गत ऐसे आयातित पूंजीगत माल का लेंडेड सीआईएफ मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक न हो तथा ऐसे आयातो के बाद संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश लघु उद्योग सीमा से अधिक न हो।

# आर्थिक दृष्टिकोण

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन के अनुसार, अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार, सतत नीतिगत सहयोग और वित्तीय स्थिरता की बहाली के फलस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2011 के दौरान 4.3 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि होने की आशा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभावनाएं सकारात्मक मानी गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 8.0 प्रतिशत की उच्च वृद्धि का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जबिक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अग्रिम आकलन में सकल घरेलू उत्पाद की



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of textiles at Tirupur, Tamil Nadu

- Technological upgradation of exports is sought to be achieved by promoting imports of capital goods
  for certain sectors, such as, select engineering products, electronic products, basic chemicals and
  pharmaceuticals, apparel and textiles, plastics, handicrafts, chemicals and allied products and leather and
  leather products.
- The Government recognized that 'Status Holders' contribute approx. 60% of India's goods exports. To incentivise and encourage the 'Status Holders', as well as to encourage technological upgradation of export production, additional duty credit scrip @ 1% of the FOB of past exports shall be granted for specified product groups including leather, specific sub-sectors in engineering, textiles, plastics, handicrafts and jute. This duty credit scrip can be used for import of capital goods by these Status Holders. The imported capital goods shall be subject to actual user condition.
- To encourage production and export of 'green products' through measures, such as, phased manufacturing programme for green vehicles, zero duty Export Promotion Capital Goods (EPCG) scheme and incentives for exports.
- To enable support to Indian industry and exporters, especially the MSMEs, in availing their rights through trade remedy instruments under the WTO framework, GoI proposes to set up a Directorate of Trade Remedy Measures.
- For SSI units, import of capital goods at 3 % Customs duty shall be allowed, subject to fulfillment of export obligation equivalent to 6 times of duty saved on capital goods, in 8 years from Authorization issue-date, provided the landed c.i.f. value of such imported capital goods under the scheme does not exceed Rs. 50 lakh and total investment in plant and machinery after such imports does not exceed SSI limit.

#### **Economic Outlook**

With economic recovery, continued policy support and financial stability getting restored, the global economy is expected to register accelerated growth at 4.3% during 2011, as per the IMF estimate. The growth prospects of Indian Economy are considered positive. While RBI has forecast a higher GDP growth of 8.0% for FY 2010-11, IMF's advance estimate places the GDP growth at 9.4% for



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of tools at Gurgaon, Haryana.

वृद्धि 2010 के लिए 9.4 प्रतिशत आँकी गई है। उच्चतर टिकाऊ वृद्धि को भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों - कृषि (मानसून सामान्य मानते हुए), उद्योग और सेवा से सहयोग मिलेगा।

सकारात्मक वृद्धि की संभावनाओं ने निवेश की माँग बढ़ा दी है और आशा है कि आने वाले वर्षों में यह और प्रबल हो जाएगी। बढ़ती हुई वैश्विक माँग के फलस्वरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के निर्यातों में जोरदार वृद्धि दर्ज होने की संभावना है। उपलब्ध नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की प्रमुखता वाले कुछ निर्यातों, जैसे - खाद्य उत्पाद, वस्त्र, ऊन उत्पाद, चमड़ा तथा रसायनों में वित्तीय वर्ष 2009-10 के उत्तरार्द्ध में उच्चतर वृद्धि दर्ज हुई।

रोजगार सृजन, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा समग्रत: गरीबी घटाने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के योगदान को देखते हुए इस क्षेत्र के समग्रतावादी विकास का विशेष महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने तथा अग्र एवं पश्च एकीकरण को प्रोत्साहित करने में यह क्षेत्र उत्प्रेरक की भूमिका निभाता रहेगा। भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से समय पर तथा पर्याप्त नीतिगत सहयोग के फलस्वरूप भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने अपनी अंतर्निहित शक्ति तथा प्रबल उत्थानशीलता के साथ वैश्विक आर्थिक संकट का मुकाबला किया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र विशाल घरेलू बाजार का लाभ उठाते हुए तथा अपने निर्यातों का नए बाजारों में विविधीकरण करते हुए उच्च वृद्धि पथ पर अग्रसर है। प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के उद्देश्य से, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अपने सूचना आधार को व्यापक बनाने तथा ऊर्जा दक्षता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश करने का कार्य जारी रखे हुए हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में सिडबी परिवर्तन के एजेंट की सक्रिय भूमिका निभाना तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों से जुड़ी हुई गतिविधियों में संलग्न रहना जारी रखेगा। सिडबी यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी करेगा कि प्रत्यक्ष रूप से और बैंकों, अल्प वित्त संस्थाओं, राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के जिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता तथा उपयुक्त गैर-ऋण सहायता प्रदान की जाए।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing plastic furnitures at Erode, Tamil Nadu.

2010. The higher sustained growth would be supported by all the three major sectors of Indian economy: Agriculture, assuming a normal monsoon, Industry and Services sector.

With positive growth expectations, the investment demand has picked up momentum and is expected to be strong in the coming years. The exports from the MSME sector are expected to record strong growth with rising global demand. As per the latest data available, some of the MSME-dominated exports like food products, textiles, wool products, leather and chemicals have registered higher growth during the second half of the FY 2009-10.

The importance of holistic development of the MSME sector is significant due to its contribution in employment generation, balanced regional development and overall poverty reduction. This sector would continue to act as catalyst to enable Indian economy to overcome challenges and encourage forward and backward integration. The Indian MSMEs, with their inherent strength and strong resilience, have weathered the global economic crisis as a result of timely and adequate policy support from Government of India and Reserve Bank of India. The MSME sector is on a higher growth trajectory by tapping the large domestic market and diversifying their exports to new markets. In order to remain competitive, the MSMEs continue to widen their information base and invest in energy efficiency and technological upgradation.

SIDBI, as the principal financial institution for the MSME sector, would continue to play the active role of change agent and engage in activities aligned to the national priorities and Millennium Development Goals. SIDBI would also endeavour to ensure that adequate and timely credit and appropriate non-credit support is provided to the MSME sector directly and through banks, Micro Finance Institutions, state level institutions and national and international agencies.

# SIDBI VENTURE CAPITAL LTD.

To catalyse entrepreneurship

by providing capital

and other strategic inputs

for building businesses

around growth opportunities


and maximize returns

on investment.





व्यावसायिक कार्यनीतिक पहल Strategic Business Initiatives



Chairman and Managing Director, SIDBI, addressing the gathering at BEE Foundation Day.

इबी की व्यावसायिक कार्यनीति एमएसएमई के टिकाऊ वित्तपोषण पर बल देना जारी रखते हुए विभिन्न अर्थ-चक्रीय चरणों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केद्रित है। एमएसएमई के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था होने के नाते सिडबी ने वैश्विक वित्तीय संकट तथा आर्थिक मंदी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की है, तािक वे अपनी तरलता संबंधी किठनाइयों से उबर सकें। साथ ही, उत्तरदाियत्वपूर्ण बैंकिंग की अपनी प्रतिबद्धता और जलवायु-परिवर्तन संबंधी समस्याओं का समाधान देने के उद्देश्य से सिडबी ने पर्यावरण, ऊर्जा दक्षता और सामाजिक मानकों को उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में अपनी ऋण गतिविधियों से एकीकृत किया है। बैंक की मान्यता है कि टिकाऊ विकास एमएसएमई के अस्तित्व और दीर्घकालिक संवृद्धि की कुंजी है। इसीलिए बैंक ने कई तरह के गहन प्रयास किए हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

# उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण

- ✓ ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा: भारत के एमएसएमई में उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा दक्षता के माध्यम से उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने की अच्छी संभावना है। एमएसएमई क्षेत्र को किए जानेवाले ऊर्जा दक्षता विषयक वित्तपोषण में वृद्धि के उद्देश्य से सिडबी ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका), जापान, केएफडब्ल्यू, जर्मनी तथा फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी), फ्रांस के साथ द्विपक्षीय ऋण-व्यवस्थाओं के करार किए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता परियोजना को बढ़ावा देने संबंधी एक योजना आरंभ की, तािक एमएसएमई को रियायती शर्तों पर ऋण सहायता दी जा सके, जिससे वे ऊर्जा बचतकारी प्रौद्योगिकियों में निवेश कर सकें। व्यापक कवरेज की दृष्टि से बैंक ने बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को संसाधन सहायता प्रदान की है, तािक वे ऊर्जा बचतकारी परियोजनाओं के लिए एमएसएमई को आगे उधार दे सकें। इसके साथ-साथ, ऊर्जा की अधिक खपत वाले एमएसएमई समूहों में बैंक ने ऊर्जा दक्षता उपायों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए हैं और साथ ही, ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी/ उपकरणों के निर्धारण के लिए एमएसएमई को तकनीकी सहायता सेवाएं भी प्रदान की हैं। इस पहल की अच्छी प्रतिक्रिया हुई और 31 मार्च 2010 तक बैंक ने जागरूकता अभियानों के ज़रिए 18 एमएसएमई समूहों को कवर किया और 3,300 से अधिक इकाइयों को कुल 1,565 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की।
- ✓ स्वच्छ उत्पादन-उपायों को बढ़ावा: एमएसएमई इकाइयों/ समूहों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, सामूहिक अपशिष्ट सफाई संयंत्रों, अपशिष्ट रीसाइक्लिंग में निवेश तथा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था का उपयोग किया जो पर्यावरण एवं सामाजिक मानकों पर आधारित है। विश्व बैंक के ऋण का उपयोग संतोषजनक रहा है। साथ ही, अप्रैल 2010 से बैंक ने स्वच्छ उत्पादन विकल्पों के लिए सहायता प्रदान करने की एक योजना आरंभ की, जिसमें



BEE Foundation Day during which SIDBI signed an MoU with BEE for implementing Energy Efficiency measures among MSMEs in 25 clusters.

The business strategy of SIDBI is oriented to provide financial support to MSMEs through different phases of economic cycles, while continuing its thrust on sustainable financing of the MSMEs. SIDBI, being the principal financial institution for MSMEs, has provided timely financial support to the MSME sector during the period of global financial crisis and economic slowdown to overcome the liquidity problems faced by them. At the same time, with its commitment to responsible banking and addressing the issues of climate change, SIDBI has integrated environment, energy efficiency and social standards with its lending activities in an increasing manner. The Bank recognizes that sustainable development is the key to MSMEs survival and growth in the long run and accordingly, has taken a number of focused initiatives, some of which are mentioned below:

#### Responsible Financing

- ✓ Promoting Energy Efficiency: The MSMEs in India have good potential for improving productivity and competitiveness through Energy Efficiency (EE) measures in production process. In order to upscale EE financing for the MSME sector, SIDBI contracted bilateral Lines of Credit from Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan; KfW, Germany and French Development Agency (AFD), France. During the year under review, the Bank introduced a Scheme for "Promoting Investment in Energy Efficiency projects in MSME sector" to provide loan assistance at concessional terms to MSMEs to invest in energy saving technologies. To have wider coverage, the Bank has provided resource support to banks, SFCs and NBFCs for onlending to MSMEs for energy saving projects. Simultaneously, the Bank has launched awareness campaigns on EE measures in the energy intensive MSME clusters and has also provided technical support services to MSMEs for identifying EE technology / equipments. The initiative received good response and as on March 31, 2010, the Bank has covered 18 MSME clusters across India through awareness campaigns and provided loan assistance to more than 3,300 units with an aggregate assistance of Rs.1,565 crore.
- ✓ **Promoting Clean Production Measurers:** To promote investment in clean technologies, CETPs, waste recycling and management in MSME units / clusters, the Bank availed a World Bank Line of Credit based on Environmental and Social (E&S) standards. The utilization of the World Bank loan has been satisfactory. Further, the Bank introduced a scheme to provide "Assistance for Clean Production



Inauguration of Solar lantern project under SIDBI micro credit assistance.

रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता के अलावा एमएसएमई को तकनीकी सहायता भी दी जाती है, ताकि वे पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश कर सकें।

✓ बीईई के साथ साझेदारी: सिडबी ने 25 उद्योग समूहों के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

# 🗸 ऊर्जा दक्षता पर विवरणिका और पोस्टर

- 1) ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी) के सहयोग से एमएसएमई हेतु ऊर्जा दक्षता उपायों पर एक पुस्तिका निकाली गई है, जिसमें बताया गया है कि क्या करें और क्या न करें ।
- 2) एमएसएमई की ऊर्जा-दक्षता में सुधार के लिए किए जानेवाले रख-रखाव संबंधी उपायों पर 3 विवरण पुस्तिकाएं और 6 पोस्टर तैयार किए गए हैं।
- ✓ विश्व बैंक वैश्विक पर्यावरण सुविधा परियोजना (विश्व बैंक-जीईएफ): सिडबी बीईई के साथ मिलकर 5 एमएसएमई समूहों-कोल्हापुर, पुणे, तिरुनेलवेलि, अंकलेश्वर तथा फरीदाबाद में विश्व बैंक-जीईएफ के अंतर्गत ऊर्जा-दक्षता उपायों के वित्तपोषण संबंधी एक नई पहल कार्यान्वित कर रहा है, तािक ऊर्जा दक्षता में सुधार लाया जा सके और एमएसएमई से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जा सके। इसके लिए ऊर्जा दक्षता हेतु वािणिज्यक वित्तपोषण और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- √ मुंबई के टैक्सीवालों को सहायता: माननीय उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र ने आदेश पारित किया कि मुंबई में चलनेवाली 25 वर्ष से अधिक पुरानी टैक्सियों को हटाया जाए। सिडबी ने इन टैक्सी मालिकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना तैयार की, तािक पुरानी टैक्सियों को नवीनतम ऊर्जा दक्ष मॉडलों से बदला जा सके। इसके लिए एक सरल ऋण प्रदायगी व्यवस्था इस्तेमाल की गई, जिसमें दो स्थानीय टैक्सी संघ सिक्रय रूप से शािमल हुए। इस व्यवस्था में रियायती दर पर सहायता दी जाती है, जिसके लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करता है। प्रदूषणकारक पुरानी टैक्सियों के स्थान पर नई सीएनजी टैक्सियाँ खरीदने के लिए अब तक 800 से अधिक टैक्सी मालिकों को संपार्श्विक प्रतिभूति-रहित ऋण दिया जा चुका है।
- ✓ ऑटो रिक्शा वित्तीयन: दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) ने चंडीगढ़ के 600 एलपीजी ऑटो रिक्शों को सहायता दी। स्वच्छ ऊर्जा संबंधी इस प्रयास के लिए सिडबी ने डीएफसी को पुनर्वित्त दिया।
- √ सौर लालटेनें: फ्रेंड्स ऑफ वीमेन वर्ल्ड बैंकिंग (एफडब्ल्यूडब्ल्यूबी) नामक एक अल्प वित्त संस्था को 10 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, तािक वह मणिपुर व पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान कर सके, जिससे वे 2-2 वॉट की सौर लालटेनें खरीद सकें। इसके अंतर्गत 50,000 सूक्ष्म उद्यमों को शािमल करने का प्रस्ताव है।




A unit assisted by SIDBI engaged in Textile processing at Tirupur, Tamil Nadu.

World's longest Coir Mat made at Alappuzha, Kerala, under MSME Financing and Development Project of SIDBI.

Options" from April 2010, under which, apart from financial assistance at concessional terms, technical support is also provided to MSMEs for investing in environmentally friendly technologies.

- ✓ **Partnership with BEE:** SIDBI has signed an MoU with Bureau of Energy Efficiency (BEE) for implementing Energy Efficiency (EE) measures among MSMEs in 25 clusters.
- ✓ Energy Efficiency handbooks and Posters:
  - a. Do's and Don'ts booklet has been released in collaboration with The Energy Research Institute (TERI) on energy efficiency measures for MSMEs.
  - b. 3 handbooks and 6 posters have been prepared on house keeping measures for improving Energy Efficiency of MSMEs.
- ✓ World Bank Global Environment Facility Project (WB-GEF): SIDBI, along with BEE, is implementing a new initiative on financing EE measures under WB-GEF in 5 MSME clusters, viz. Kolhapur, Pune, Tirunelveli, Ankaleshwar and Faridabad to improve EE and reduce Green House Gas (GHG) emissions from MSMEs utilizing increased commercial financing for EE.
- ✓ **Assistance to Mumbai Taximen:** The Hon'ble High Court of Maharashtra had passed an order for phasing out taxis plying in Mumbai which are more than 25 years old. SIDBI devised a special scheme for providing assistance to these taxi owners for replacing the old taxis with latest energy efficient versions, using a simplified credit delivery arrangement with active involvement of the two local taxi associations. Under the arrangement, assistance at concessional rate is offered with credit guarantee coverage by Credit Guarantee fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE). So far, over 800 taxi owners have been provided collateral free loans for buying new CNG taxis in place of older polluting ones.
- ✓ **Auto Rickshaw Financing:** 600 LPG fitted Auto Rickshaws were provided assistance in Chandigarh by Delhi Finance Corporation (DFC). SIDBI provided refinance to DFC for this clean energy initiative.
- ✓ **Solar lanterns:** Friends of Women's World Banking (FWWB), a Micro Finance Institution (MFI), was sanctioned assistance of Rs.10 crore for providing assistance to micro entrepreneurs in Manipur and other North Eastern States for purchasing Solar Lanterns of 2 watts each. 50,000 micro entrepreneurs are proposed to be covered under the assistance.



Launch of Rickshaw Sangh Programme.

- ✓ रिक्शा संघ कार्यक्रम: रिक्शा संघ कार्यक्रम नामक एक संयुक्त प्रयास के ज़िरए निम्न आय समूहों को जीविकोपार्जन की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सिडबी ने अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत बैंक ने अपनी अल्प ऋण योजना के अंतर्गत अल्प वित्त तथा जीवन यापन कार्यक्रमों के वित्तीयन हेतु भारतीय माइक्रो क्रेडिट (बीएमसी) को 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की। कार्यक्रम के अंतर्गत बीएमसी ने लखनऊ और उसके आसपास रहनेवाले साधनहीन लोगों को 500 रिक्शे दिए हैं, जिसके लिए ऋण सहायता बैंक से और तकनीकी सहायता एआईएफ से मिली है। बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के एक हिस्से के रूप में इन ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की ऋणेतर सहायता भी प्रदान की जा रही है, जैसे कि लाइसेंस और नगरपालिका परिमट, वर्दी, ग्राहक व पत्नी के लिए जीवन बीमा, रिक्शा-चालक के लिए दुर्घटना बीमा कवर दिलाना, बचत बैंक खाता खोलना आदि। इस प्रयास को दूसरी अल्प वित्त संस्थाओं के माध्यम से दूसरे पिछड़े राज्यों में ले जाने का प्रस्ताव है।
- ✓ हरित रेटिंग: टिकाऊ विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में बैंक ने एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्मेरा) को एमएसएमई के लिए हरित रेटिंग मॉड्यूल विकिसत करने के लिए सहायता दी। हरित रेटिंग के अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि औद्योगिक इकाई की क्षमता विनिर्माण प्रक्रियाओं के अनुरूप हो, उसमें संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग होता हो और पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुँचता हो। इसके अंतर्गत एमएसएमई द्वारा पर्यावरण संबंधी विनियामक मानदंडों के अनुपालन पर भी ध्यान दिया जाता है। एमएसएमई को ग्रीन रेटिंग कराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सिडबी ऐसे एमएसएमई को अपनी ऋण सहायता में ब्याज पर 50 आधार बिन्दुओं तक की छूट देगा, जिन्होंने स्मेरा ग्रीन3 अथवा उससे अधिक की हित रेटिंग हासिल की हो।
- ✓ एमएसएमई प्राप्य वित्त योजना: सिडबी क्रेता कंपनियों को की गई बिक्री व प्रदत्त सेवाओं के संबंध में एमएसएमई विक्रेताओं/ पात्र सेवा प्रदाताओं के लिए एमएसएमई प्राप्य वित्त योजना पिरचालित करता है। इस योजना के अंतर्गत सिडबी अच्छे कार्यिनष्पादन वाली क्रेता कंपनियों की सीमाएं निर्धारित करता है और घटकों, पुर्जों, उप-संयोजनों, सेवाओं आदि की आपूर्ति करनेवाले एमएसएमई/ सेवा क्षेत्र की पात्र इकाइयों के मीयादी बिलों की भुनाई करता है, ताकि एमएसएमई/ सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ अपनी बिक्री-राशि शीघ्र पा सकें। सिडबी क्रेता कंपनियों के एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को बीजक भुनाई सुविधा भी देता है।
- √ एनट्रीज: सिडबी ने नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज के साथ मिलकर एमएसएमई प्राप्यों की भुनाई के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफॉर्म स्थापित किया। इस ई-प्लैटफॉर्म को एनट्रीज (एनएसई ट्रेड रिसीवेबल्स इंजिन फॉर ई-डिस्काउंटिंग इन ऐसोसिएशन विथ सिडबी) नाम दिया गया है। प्लैटफॉर्म के परिचालन आरटीजीएस आधार पर होते हैं और सभी प्रतिभागियों को सिस्टम जनरेटेड



Chairman and Managing Director, SIDBI flagging off 500 rickshaws.

- ✓ Rickshaw Sangh Programme: SIDBI signed an MoU with American India Foundation (AIF) to provide livelihood support to the low-income groups through a joint initiative called the "Rickshaw Sangh Programme", under which the Bank sanctioned financial assistance of Rs. 50 lakh to Bhartiya Micro Credit (BMC) under its Micro Credit Scheme for microfinance as well as for financing livelihood programmes. BMC, under the Programme, has provided 500 Rickshaws to disadvantaged persons residing in and around Lucknow with the credit support from the Bank and technical support from AIF. As a part of the Bank's Corporate Social Responsibility, these clients are also being provided various non-credit support, such as, getting the license and Municipal permits, uniforms, life insurance covers for client and spouse, accident insurance for the rickshaw clients, opening of savings bank account, etc. The initiative is proposed to be scaled up in other backward states through more MFIs.
- ✓ **Green Rating:** As part of its commitment to sustainable development, the Bank supported SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA) to develop Green Rating model for MSMEs. Green rating assesses the compatibility of an industrial unit to adhere to manufacturing processes, alongwith efficient use of resources with minimum environmental damage. It also takes into account compliance of environmental regulatory norms by MSMEs. To encourage MSMEs to go for green rating, SIDBI gives concession in interest rate upto 50 bps in its loan assistance to MSMEs obtaining green rating of 'SMERA Green 3' and above.
- ✓ MSME Receivable Finance Scheme: SIDBI operates the MSME Receivable Finance Scheme (RFS) for MSME sellers / eligible service providers in respect of sales & services rendered to purchaser companies. Under the Scheme, SIDBI fixes limits to well-performing purchaser companies and discounts usance bills of MSMEs / eligible service sector units supplying components, parts, subassemblies, services, etc. so that the MSME / service sector units realise their sale proceeds quickly. SIDBI also offers invoice discounting facilities to the MSME suppliers of purchaser companies.
- ✓ NTREES: SIDBI, along with National Stock Exchange (NSE), took an initiative for setting up an electronic platform for discounting of MSME receivables. The e-platform is named as NTREES (NSE Trade Receivables Engine for E-discounting in association with SIDBI). Operations on the platform



Finance Secretary, Government of India, inaugurating the launch of NTREES – an electronic platform for discounting of MSME receivables.

पासवर्ड दिए जा रहे हैं, ताकि वे साइट का उपयोग कर सकें। वर्तमान में एमएसएमई प्राप्य वित्त योजना के अंतर्गत सिडबी द्वारा स्वीकृत व्यापार प्राप्य एनट्रीज पर अंतरित कर दिए गए हैं।

✓ कार्ट: वर्तमान में लाभ अर्जित कर रहे एमएसएमई के संबंध में 100 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा के मूल्यांकन व रेटिंग के लिए सिडबी आईटी आधारित प्रणाली- क्रेडिट अप्रैजल एंड रेटिंग टूल (कार्ट) का इस्तेमाल कर रहा है। अनुभव हासिल होने के बाद अब इसका इस्तेमाल 200 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा के लिए किया जा रहा है। अब तक 4,000 से अधिक ऋण आवेदनों पर कार्ट में कार्रवाई करके 800 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी जा चुकी है। यह साधन छोटे उधारों के ऋण-जोखिम आकलन की प्रभावी प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिससे ऋण प्रदायगी प्रक्रिया, पोर्टफोलियो विश्लेषण, स्थानांतरण अध्ययन आदि में तेजी आई है। उपयोगकर्ता के अनुकूल होने और ऑटो-वर्कफ्लो की विशेषता के कारण कार्ट ने ऋण-कार्रवाई पर लगनेवाले समय को घटाने में मदद की है, जिससे ऋण-मूल्यांकन और मंजूरी तेजी से होने लगी है। सिडबी ने बैंकों और समझौता ज्ञापन निष्पादित करनेवाले राज्य वित्तीय निगमों को यह साधन नि:शुल्क दिया है। सिडबी बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी देता रहा है, तािक इसका कार्यान्वयन सुचारु रूप से हो सके।

# ग्राहक के अनुकूल वित्तपोषण

सिडबी के व्यावसायिक प्रयासों की रणनीति में आवश्यकतानुरूप, ग्राहक-अनुकूल वित्तीय उत्पादों के विकास का प्रावधान है, ताकि एमएसएमई क्षेत्र की विविध ऋण-आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। वित्तीय सहायता परियोजना की व्यवहार्यता और उद्यमियों की क्षमताओं पर आधारित होती है। एमएसएमई को आर्थिक संकटों का सामना करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ विशिष्ट उपाय भी किए हैं, जिनमें से महत्त्वपूर्ण उपाय निम्नवत हैं-

- √ कठिन समय के दौरान सहयोग करते हुए, बैंक ने प्रभावित एमएसएमई के चुकौती कार्यक्रमों के आवश्यकता-आधारित
  पुनर्निर्धारण की अनुमित दी,
- ✓ एमएसई क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने 100 लाख रुपये तक के सभी ऋणों को सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूति और/ अथवा तृतीय अंतर्गतपक्ष की गारंटी के बिना प्रदान करने का निर्णय किया। एमएसई को 100 लाख रुपये तक के अधिक से अधिक ऋण बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के दिए जा रहे हैं। 31 मार्च 2010 तक सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत सिडबी के इन संपार्श्विक-रिहत ऋणों की राशि 490.63 करोड़ रुपये थी और ये 2.933 एमएसईज को प्रदान किए गए थे।
- ✓ जोखिम पूँजी निधि- वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप सिडबी ने जोखिम पूँजी निधि निर्मित की, तािक एमएसएमई को ईक्विटी, अधिमान्य पूँजी, विकल्पत: परिवर्तनीय ऋणपत्र, विकल्पत: परिवर्तनीय ऋण आदि के रूप में



Officials of SIDBI during the launching function of NTREES.

are on RTGS basis and all the participants are being provided with system generated passwords for accessing the site. At present, trade receivables under MSME Receivable Finance Scheme limits sanctioned by SIDBI have been shifted on NTREES.

✓ CART: SIDBI had been using Credit Appraisal and Rating Tool (CART), an IT- based mechanism for appraising and rating loan exposure up to Rs. 100 lakh for existing profit making MSMEs. With the experience gained, it is now being used for loan exposure upto Rs.200 lakh. So far, more than 4,000 loan applications have been processed in CART, sanctioning more than Rs.800 crore. The Tool has been used as an effective mechanism for quantification of credit risk of small loans, thereby enabling faster credit delivery processes, portfolio analysis, migration studies, etc. With user-friendly features and auto-workflow, it has helped in reduction of Turn-around-Time (TAT) resulting in faster credit appraisal and sanctions. SIDBI has shared the Tool with banks and MoU SFCs free of cost and has also been giving training to the officials of banks / FIs to facilitate its smooth implementation.

#### **Customized Financing**

SIDBI's business initiatives are strategized to develop tailor made, customized financial products to meet the diverse credit needs of the MSMEs. The financial support is based on project viability and entrepreneurs' capabilities. To enable the MSMEs to weather economic crisis, the Bank had, inter alia, taken certain specific measures, the important ones being:

- ✓ The Bank allowed need-based restructuring of repayment schedules to affected MSMEs as a support during the difficult times.
- ✓ In order to augment greater credit flow to MSE sector, the Bank decided to provide all loans upto Rs. 100 lakh without collateral and/or third party guarantee under the Credit Guarantee Scheme of CGTMSE. More and more loans upto Rs. 100 lakh are being provided to MSEs without collateral. These collateral free loans of SIDBI under Credit Guarantee Scheme of CGTMSE were provided to Rs. 490.63 crore to 2,933 MSEs as on March 31, 2010.
- ✓ **Risk Capital Fund:** Pursuant to the announcement made in the Union Budget 2008-09, the Risk Capital Fund was created by SIDBI to provide Risk Capital assistance to MSMEs in the form of Equity,




Seminar on Energy Conservation in Tanneries at Chennai Leather Cluster.

जोखिम पूँजी सहायता प्रदान की जा सके। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने नए वित्तीय लिखत- सबऑर्डिनेटेड डेट आरंभ करते हुए उत्पाद श्रेणी को व्यापक बनाया। इसका इस्तेमाल विस्तृत एमएसएमई जगत में किया जा सकता है। उप ऋण अर्ध- ईिक्वटीवत ऋण-आधारित उत्पाद है, जो चुकौती और प्रतिभूति के मामले में प्रवर ऋणों का अधीनस्थ होता है। इस ईिक्वटीवत उत्पाद के आरंभ किए जाने से एमएसएमई को अपनी संवृद्धिपरक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त ऋण जुटाने के लिए इसका लाभ लेने में मदद मिल रही है। बैंक ने अपने आरंभिक सहायता प्रयास के अंतर्गत भी प्रायोगिक आधार पर परिचालन आरंभ किए हैं। इसमें नवोन्मेषिता/ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शुरुआती चरण में परिचालनरत उद्यमों को लचीली शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इनमें प्रौद्योगिकी संवर्द्धकों में संपोषित किए जा रहे उद्यम भी शामिल हैं। एमएसएमई जोखिम पूँजी निधि ने वित्तीय वर्ष 2008-09 में काम करना शुरू किया। इसके परिचालनों ने वित्तीय वर्ष 2009-10 में और गित पकड़ी। वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक 72 एमएसएमई को जोखिम पूँजी निधि में से कुल 142 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिबद्धता की जा चुकी है। साथ ही, जोखिम पूँजी के अंतर्गत उद्यम पूँजी निधियों को सहायता प्रदान की गई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निधि में से उद्यम पूँजी निधियों को कुल 310 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिबद्धता की गई । वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक जोखिम पूँजी निधियों को की गई संचयी प्रतिबद्धता बढ़कर 640 करोड़ रुपये हो गई जो इस प्रकार की 16 निधियों के संबंध में थी। बैंक का प्रस्ताव है कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से एमएसएमई के बड़े समूह तक पहुँचते हुए अपने जोखिम पूँजी परिचालनों को और आगे बढ़ाया जाए।

# ऋण जोखिम प्रबंधन

सिडबी ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित की है जो इसके व्यावसायिक संव्यवहारों से उत्पन्न होनेवाले विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रति संवेदनशील और अनुक्रियाशील है। बेसल II मानदंडों के अनुपालन की दिशा में किए गए उपाय के रूप में सिडबी ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसमें ऋण जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियों और सॉफ्टवेयर की स्थापना किया जाना शामिल है। बैंक के ऋण एवं राजकोषीय परिचालनों से जुड़े इस प्रकार के वित्तीय जोखिमों तथा तुलनपत्र से इतर मदों की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) द्वारा निरंतर अनुवर्तन, मापन और प्रबंधन किया जाता है, जो सिडबी के निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति के समग्र पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में होता है।

बैंक ने परिचालन संबंधी जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) नीति तैयार की है जिसमें बैंक के परिचालन जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों और रणनीतियों का उल्लेख है। व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) भी तैयार की गई है जो ओआरएम का अभिन्न अंग होगी। जोखिम प्रबंधन के ढाँचे में बैंक के विभिन्न प्रकार के जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन/ मापन, निपटान तथा निगरानी के लिए नीतियों, संगठनात्मक ढाँचों, प्रणालियों और पद्धतियों का समावेश है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति-देयता



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of Auto Components at Faridabad, Haryana.


Preference capital, Optionally Convertible Debenture, Optionally Convertible Debt, etc. During FY 2009-10, the Bank expanded the product range by introducing a new financial instrument, viz. Sub-ordinated Debt (SD) which could be used across wider spectrum of MSMEs. Sub-debt is quasi-equity type debt-based product, which is subordinated in repayment and security to senior loans. The introduction of this quasi-equity type product is helping the MSMEs to leverage the same to raise additional debt to meet their growth requirements. The Bank has also started operations under its Start-up Assistance initiative on pilot basis, where early stage ventures operating in innovative/ technology space, including those being incubated at technology incubators are offered financial assistance on flexible terms. Operations under the MSME Risk Capital Fund, which commenced in FY 2008-09, picked up further momentum in FY 2009-10. A total sum of Rs. 142 crore out of the Risk Capital Fund has been committed to 72 MSMEs till the end of FY 2009-10. Further, assistance to Venture Capital Funds was extended under Risk capital. An aggregate sum of Rs. 310 crore has been committed out of the Fund to VC funds during the financial year under review. The cumulative commitments to VC Funds as at the end of FY 2009-10 went up to Rs. 640 crore in respect of 16 such funds. The Bank proposes to further expand its risk capital operations by reaching out to a larger group of MSMEs through banks and other institutions.

#### Credit Risk Management

SIDBI has put in place a comprehensive Credit Risk Management system which is sensitive and responsive to various risks emanating from its business dealings. As a move towards compliance with BASEL II norms, SIDBI has also initiated necessary steps for implementation of the Integrated Risk Management System covering setting up of systems and software for Credit Risk Management, Market Risk Management and Operational Risk Management. Such financial risks associated with the Bank's lending and treasury operations, including off- balance sheet items are constantly monitored, measured and managed by a Credit Risk Management Committee (CRMC), under the overall supervision and guidance of the Risk Management Committee of the Board of SIDBI.

The Bank has put in place the Operational Risk Management (ORM) Policy which lays down guidelines and strategies on operational risk management of the Bank. The Business Continuity Plan (BCP) has also been formulated which would be an integral part of the ORM. Framework for risk management encompasses policies, organization structure, system and practices for identification, assessment/ measurement, mitigation and







A unit assisted by SIDBI engaged in fabrication of Control panels at Peenya, Bangalore.

प्रबंधन नीति पहले ही बना ली है। अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंडों और धन-शोधन विरोधी मानकों से संबंधित नीतिगत दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए, प्रत्यक्ष वित्त योजना के उधारकर्ताओं के जोखिम-वर्गीकरण के लिए दस व्यापक मापदंडों और 3 जोखिम वर्गों के आधार पर एक स्कोरिंग मैट्रिक्स विकसित करके लागू की गई है।

### ब्याज दर ढाँचा

बाजार में तरलता की स्थिति में सुधार आने के कारण और एमएसएमई के लिए ऋण को सुलभ बनाने की दृष्टि से सिडबी ने 04 मई, 2009 से अपनी प्राथमिक उधार दर घटाकर 11% कर दी।

# एमएसएमई वित्तपोषण तथा विकास परियोजना (एमएसएमईएफडीपी)

सिडबी एक बहु-एजेंसी/ बहु-गितविधि एमएसएमई वित्तपोषण तथा विकास परियोजना (एमएसएमईएफडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार इस परियोजना की नोडल एजेंसी है। विश्व बैंक, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यूके, केएफडब्ल्यू और जीटीजेड, जर्मनी इस परियोजना के अंतरराष्ट्रीय भागीदार हैं। परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं के विवेकपूर्ण मिश्रण के जरिए एमएसएमई की माँग व आपूर्ति, दोनों से संबंधित चिंताओं का समाधान करना है।

परियोजना की प्रगति काफी दर्शनीय रही है, क्योंकि अब तक यह लगभग 28,000 लाभग्राहियों तक पहुँच चुकी है, जिसमें 26,000 एमएसएमई और 2000 बैंकर व अन्य लाभग्राही शामिल हैं। वर्ष 2010 में परियोजना को एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन्स इन एशिया एंड द पैसिफिक (एडीएफआईएपी) ने मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया ।

परियोजना के दो मुख्य घटक हैं - विश्व बैंक और केएफडब्ल्यू द्धारा ऋण सुविधा और डीएफआईडी, यूके, केएफडब्ल्यू और जीटीजेड, जर्मनी द्धारा तकनीकी सहायता।

# 1. ऋण सुविधा

पूँजी निर्माण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन में मदद के लिए दीर्घावधिक वित्तपोषण का होना एक महत्त्वपूर्ण निविष्टि है। यह परियोजना पारंपरिक दृष्टिकोणों को पीछे छोड़ते हुए अस्तित्व-रक्षा और टिकाऊपन के लिए ऋण सुविधा प्रदान करते हुए एमएसएमई की संवृद्धि को सुविधाकारी बनाती है। इस घटक के अंतर्गत बैंक ने समयावली से काफी पहले वर्ल्ड बैंक से (12 करोड़ अमेरिकी डॉलर) तथा केएफडब्ल्यू, जर्मनी से (4.35 करोड़ यूरो) की एक-एक ऋण-व्यवस्था का इस्तेमाल कर लिया है, जिससे 1,294 एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर 05 जून 2009 को विश्व बैंक और सिडबी ने 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण-व्यवस्था हेतु संविदा की। ऋण के उपयोग की प्रगति संतोषजनक है।



Training of artisans under Hunter Artisans Project at Kanpur Leather Cluster supported under MSME Financing and Development Project of SIDBI.

monitoring of the various risks of the Bank. The Bank has already put in place the Asset-Liability Management Policy in terms of RBI Guidelines. In compliance with the Policy Guidelines on KYC Norms and Anti-Money Laundering (AML) Standards, a Scoring Matrix based on ten broad parameters and 3 risk categories for risk categorization of Direct Finance Schemes (DFS) borrowers has been developed and put in place.

#### **Interest Rate Structure**

Keeping in line with the easing of market liquidity and making credit affordable to MSMEs, SIDBI reduced its Prime Lending Rate (PLR) to 11% w.e.f. May 04, 2009.

#### MSME Financing and Development Project (MSMEFDP)

SIDBI is implementing a multi-agency / multi-activity MSME Financing and Development Project (MSMEFDP). The Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India is the Nodal Agency for the Project. The World Bank; Department for International Development (DFID) UK; KfW and GTZ, Germany are the international partners in the Project. The primary objective of the Project is to meet both the demand and supply side concerns of MSMEs through a judicious blend of financial and non – financial services.

The progress of the Project has been quite noticeable as it has so far reached out to about 28,000 beneficiaries comprising 26,000 MSMEs and 2,000 bankers and other stakeholders. The Project has received Merit Award from Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) in 2010.

The Project has two major components: Credit Facility by World Bank and KfW and Technical Assistance by DFID, UK; KfW and GTZ, Germany.

#### A. Credit Facility (CF)

Long term financing is a critical input for supporting capital formation and technological upgradation. Looking beyond traditional approaches, the Project helps facilitate MSME growth for survival and sustainability by providing Credit Facility. Under this component, the Bank has earlier utilized one Line of Credit (LoC) from World Bank (USD 120 million) and KfW, Germany (Euro 43.5 million) well ahead of schedule and benefited 1,294 MSMEs. Encouraged by the success, the World Bank and SIDBI contracted additional LoC of USD 400 million on June 05, 2009. The progress of the loan utilisation is satisfactory.



Awarness Programme on SA 8000 at Chennai Leather Cluster under MSMEFDP of SIDBI.

Workshop on making Zero Liquid Discharge Systems in CETPs Operationally viable through Wind Energy Option.

# 2. तकनीकी सहायता

- व्यवसाय विकास सेवाएं (बीडीएस)- एमएसएमईएफडीपी के अंतर्गत बीडीएस कार्यक्रम 26 समूहों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इन समूहों में बीडीएस गितविधियों से 17,500 एमएसएमई को लाभ हुआ है। मुख्यत: यह लाभ बाजार तक एमएसएमई की पहुँच को मजबूत करने, कौशल उन्नयन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा इन समूहों में दूसरी विभिन्न सेवाओं के रूप में रहा है। इस प्रकार के एक प्रयास के अंतर्गत परियोजना में ऐसी गितविधियों के लिए मदद दी गई जिससे 3,500 से अधिक ग्रामीण युवाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण लेने और तत्पश्चात् लाभप्रद रोजगार पाने में सहायता मिली है। इनमें से अधिकतर व्यक्ति समाज के साधनहीन वर्गों से संबंधित थे।
- साख सूचना और साख निर्धारण- पिरयोजना ने क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लि. (सिबिल) के क्षमता निर्माण में मदद की है, तािक एमएसएमई विषयक साख सूचना में सुदृढ़ता लाई जा सके। मार्च 2010 के अंत तक सिबिल एमएसएमई संबंधी अपना डाटाबेस बढ़ाकर 42 लाख से ऊपर ले जाने में सफल रहा है- जो इसके साख-वृत्त संबंधी उद्यम डाटाबेस का लगभग 80% है। 31 मार्च 2010 तक जनरेट की गई साख सूचना रिपोर्टों की कुल संख्या बढ़कर 1,59,516 हो गई थी, जिससे ऋण वितरण में इसकी बढ़ती प्रभावोत्पादकता का पता चलता है।
  - परियोजना में एसएमई रेटिंग एजेंसी लि. (स्मेरा) के क्षमता निर्माण के लिए भी मदद की गई है, तािक एमएसएमई के बीच क्रेडिट रेटिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और अधिक संख्या में एमएसएमई की रेटिंग का लक्ष्य हािसल किया जा सके। स्मेरा ने मार्च 2010 तक 6,599 रेटिंग पूरी कर ली थीं और अपने एमएसएमई सदस्यों की जागरूकता व जानकारी बढ़ाने के लिए 550 कार्यक्रम आयोजित किए, तािक वे अपनी अनियोजित ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। 31 मार्च 2010 तक 24 एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। परियोजना की मदद से स्मेरा ने हाल ही में देश में पहली बार एमएसएमई की ग्रीन रेटिंग के लिए एक मॉडल शुरू किया है।
- बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को तकनीकी सहायता- परियोजना इस घटक का लक्ष्य प्रदायगी प्रणालियों में नवोन्मेषिता लाने, प्रक्रियाओं में संशोधन, नए उत्पादों के आरंभ किए जाने, अधिकारियों को एमएसएमई ऋण-प्रदायगी का प्रशिक्षण देने आदि के मामले में बैंकों की क्षमता विकसित करना है। परियोजना में अब तक विभिन्न बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के 2,000 अधिकारियों की विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्यावरण प्रबंधन फ्रेमवर्क, क्रेडिट स्कोरिंग, डाउनस्केलिंग तकनीकों, जोखिम पूँजी वित्तीयन और अभिग्रहण संबंधी दिशानिर्देशों में क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की गई है।
- नीतिगत पक्षपोषण- नीति/ विधिक / विनियामक ढाँचे को मजबूत करने के लिए पिरयोजना में तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने का
  प्रावधान है तािक सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे प्रमुख नीतिगत उपायों पर सूचनायुक्त और प्रमाण आधारित संवाद को बढ़ावा दिया जाए जो
  एमएसएमई के विकास के लिए और अधिक प्रभावशाली नीतिगत ढाँचे की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण हों।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of electrical stamping press at Faridabad, Haryana.

#### B. Technical Assistance (TA)

- Business Development Services (BDS)- The BDS programme under MSMEFDP is being implemented in 26 clusters. The BDS activities have benefitted 17,500 MSMEs in these clusters mainly to strengthen MSMEs' access to marketing, skill upgradation, technological changes and various other services in these clusters. Under one such initiative, the Project supported activities which have helped more than 3,500 rural youth to get trained in various skills and then becoming gainfully employed. Most of these people belonged to disadvantaged sections of our society.
- Credit Information and Credit Rating The Project has supported capacity building of Credit Information Bureau of India Ltd. (CIBIL) for strengthening credit information on MSMEs. CIBIL has been able to increase its MSME database of more than 42 lakh as at end March 2010 almost 80% of its total credit history related enterprise database. The total number of Credit Information Reports generated has gone up to 1,59,516 till March 31, 2010 which indicates its increasing efficacy in credit dispensation.

The Project has also supported capacity building of SME Rating of Agency Ltd. (SMERA) to increase credit rating awareness among MSMEs and achieve higher number of credit ratings of MSMEs. SMERA has completed 6,599 ratings till March 2010 and organized 550 events for awareness and information dissemination. With the help of the Project, SMERA has recently launched a model for 'Green Rating' for MSMEs for the first time in the country.

- Technical Assistance to Banks/FIs This component of the Project aims at capacity building of banks in innovating the delivery mechanisms, modifying processes, launching new products, training of officials in MSME lending, etc. The Project has so far supported capacity building of about 2,000 officials of different Banks / FIs in various areas like Environment Management Framework, Credit Scoring, Downscaling techniques, Risk Capital Financing and Procurement Guidelines.
- Policy Advocacy In order to strengthen the policy/legal/regulatory framework, the Project provides
  technical assistance in promoting informed and evidence based dialogue in the public domain on key policy
  measures that are critical to establishing a more efficient policy framework for MSME development.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of auto components at Chennai, Tamil Nadu.

# 3. अन्य संवर्द्धनपरक प्रयास

- सूक्ष्म उद्यम व्यवसाय सूचना सलाहकार (एमईबीआईसी)- उद्यमिता को बढ़ावा देने और अल्प सेवित क्षेत्रों के सूक्ष्म उद्यमों के भीतर सूचनागत विषमता को दूर करने के उद्देश्य से सलाह देने, शुरुआती सहारा देने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए इस परियोजना में बीडीएस प्रदाताओं का एक कैडर विकसित करने की दिशा में एक प्रयास किया गया, जिसे सूक्ष्म उद्यम व्यवसाय सूचना सलाहकार (एमईबीआईसी) कहा गया। 31 मार्च 2010 तक लगभग 745 संभावित उद्यमियों को परामर्श की सेवा दी जा चुकी है।
- राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई को परामर्श देना- www.msmementor.in प्राइम डाटाबेस को पोर्टल विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की गई है। यह वेब-आधारित प्लैटफॉर्म विभिन्न वर्गों के सेवा प्रदाताओं का डाटाबेस और एमएसएमई के लिए सर्च टूल होस्ट करेगा, तािक वे इस प्रकार की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें। आशा है कि इस ई-प्लैटफॉर्म के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधित बीडीएस प्रोफेशनलों से विभिन्न प्रकार के लाभ पा सकेंगे।
- o **फरीदाबाद लघु उद्योग संघ (एफएसआईए) को सहायता** एफएसआईए की क्षमता विकसित करने के लिए अनुदान दिया गया है, ताकि एमएसएमई की अनियोजित ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनको अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराया जा सके। 31 मार्च 2010 तक 24 एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
- o **संशोधित ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम** परियोजना में 2 स्थानों पर संशोधित ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया गया है, जिसमें गतिविधियों को टिकाऊ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- जामनगर में सामूहिक सुविधा जाँच केन्द्र मेटालेब को सहायता- पिरयोजना से मिली सहायता ने जामनगर फैक्ट्री मालिक संघ को रिकॉर्ड समय में सामूहिक सुविधा केंद्र स्थापित करने में मदद की है। इस केंद्र ने लगभग 900 एमएसएमई को सेवा प्रदान की है। केंद्र ने सरकार से अतिरिक्त धन भी जुटा लिया है और नकद अधिशेष अर्जित करना आरंभ कर दिया है।
- एमएसएमई समूहों में ऊर्जा दक्षता संबंधी योजना- सिडबी ने शुरुआती तौर पर 19 एमएसएमई समूहों में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें लगभग 5000 एमएसएमई इकाइयों को प्रशिक्षित करने और 500 उद्यमों की ऊर्जा लेखापरीक्षा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। क्षमता निर्माण के साथ-साथ, एमएसएमई को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं की ऋण सहायता से भी जोड़ा जाएगा।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of injection and blow moulds at Balanagar, Andhra Pradesh

#### C. Other Promotional Initiatives

- o **Micro Enterprises Business Information Counselors (MEBIC)** In order to foster entrepreneurship and remove information asymmetry within micro enterprises of underserved regions, the Project took an initiative for developing a cadre of BDS providers for counselling, initial handholding and development of micro enterprises in North-Eastern region as Micro Enterprise Business Information Counselors (MEBIC). Around 745 prospective entrepreneurs have been provided counseling services as on March 31, 2010.
- o **National Level Mentoring to MSMEs -** Capacity building assistance has been sanctioned to PRIME Database for development of a portal www.msmementor.in This web-based platform would host the database of different categories of service providers and search tool for the MSMEs to avail such services. Through this e-platform, MSMEs are expected to get various benefits from the concerned BDS professionals.
- o **Support to Faridabad Small Industries Associations (FSIA)** A grant has been sanctioned to build the capacity of FSIA to channelise larger credit flow to its MSME members for meeting their unplanned credit needs. As on March 31, 2010, 24 MSMEs have been provided financial support.
- o **Modified Rural Industries Programme:** The project has started the modified version of Rural Industries Programme (RIP) in 2 pilot locations with a focus on sustainability of the activities.
- o **Support to METALAB, a common testing facility Centre at Jamnagar -** The support from the Project has helped the Jamnagar Factory Owners Association to set up a common facility centre in a record time. The centre has provided its services to about 900 MSMEs. The Centre has also leveraged additional Government funds and already started generating cash surplus.
- o **Scheme on Energy Efficiency in MSME Clusters -** SIDBI has launched a programme on Energy Efficiency, initially in 19 MSME clusters with focus to train about 5,000 MSME units and complete energy audit of 500 enterprises. Besides capacity building, the MSMEs will also be linked to credit assistance by banks / FIs.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of electrical stamping press at Faridabad, Haryana.

## राज्य वित्तीय निगमों से संबंधित प्रयास

- राज्य वित्तीय निगमों के साथ समझौता ज्ञापन- राज्य वित्तीय निगमों के परिचालन एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से बैंक ने 12 राज्य वित्तीय निगमों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। समझौता ज्ञापन की पश्चवर्ती अवधि में समझौता- युक्त 10 राज्य वित्तीय निगमों की वित्तीय स्थिति में सुधार दिखाई दिया। समझौता ज्ञापन वाले राज्य वित्तीय निगमों की वित्तीय स्थिति में सुधार वित्तीय वर्ष 2008-09 में 21% पर आ गया। समझौता ज्ञापन वाले राज्य वित्तीय निगम नई मंजूरियों में एनपीए के स्तर को 5% से कम रखने में भी सफल रहे। समझौता ज्ञापन के उपरान्त परिणामों और व्यवसायगत कार्यनिष्पादन में सुस्पष्ट सुधार के फलस्वरूप अपेक्षा की जाती है कि आनेवाले वर्षों में इन राज्य वित्तीय निगमों की वित्तीय स्थिति और सुधरेगी। समझौता अवधि का शुरुआती 5 वर्ष का चरण वित्तीय वर्ष 2009-10 में समाप्त हो गया। लगातार परामर्श और सहारा दिए रहने की आवश्यकता को देखते हुए और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों को और मजबूत करने और साथ ही उभरती हुई चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया कि संबंधित राज्य वित्तीय निगमों के साथ समझौता ज्ञापनों का पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया जाए। तदनुसार, 7 राज्य वित्तीय निगमों- एपीएसएफसी, एचएफसी, केएफसी, केएसएफसी, एमपीएफसी, आरएफसी और डब्ल्यूबीएफसी ने अपनी-अपनी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बैंक के साथ नए समझौता ज्ञापन निष्पादित किए हैं। बाकी तीन राज्य वित्तीय निगम- डीएफसी, एचपीएफसी तथा टीआईआईसी अपनी-अपनी राज्य सरकारों से शीघ्र सहमित लेने और समझौता ज्ञापन पुन: निष्पादित करने के लिए उनके साथ कार्रवाई कर रही हैं।
- विनियामक दिशानिर्देश- भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के हिस्से के रूप में सिडबी ने कई प्रयास किए हैं। राज्य वित्तीय निगमों को यथातिथि आय-निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड जारी किए गए हैं और उनके द्वारा तत्संबंधी अनुपालन की निगरानी की जा रही है। समझौता ज्ञापन वाले राज्य वित्तीय निगमों ने लेखांकन की उपचय प्रणाली अपना ली है। सिडबी ने राज्य वित्तीय निगमों के लिए उनके ऋणों व अग्रिमों तथा अन्य आस्तियों से संबंधित मूल्यांकन नीति का प्रारूप कार्यान्वयन हेतु परिचालित किया है। बैंक ऋण नीति और जोखिम प्रबंधन नीति के प्रारूप भी तैयार कर रहा है तािक राज्य वित्तीय निगम उन्हें अपनाकर इस्तेमाल कर सकें।
- जाइका-ऋण व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना- ऊर्जा बचत की बढ़ती हुई आवश्यकता और ऊर्जा बचत उपायों के कार्यान्वयन के परिणाम के रूप में टिकाऊ विकास व लाभप्रदता में सुधार के उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण के महत्त्व को देखते हुए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी- ऋण व्यवस्था (जाइका-एलओसी) के अंतर्गत एमएसएमई के लिए ऊर्जा बचत परियोजनाओं हेतु एक नई पुनर्वित्त योजना (आरएसईएस) आरंभ की गई। आरएसईएस का समग्र उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा बचत को बढ़ावा देना और उसके माध्यम से पर्यावरण संबंधी सुधार और देश के आर्थिक विकास में योगदान करना है।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of steel plates at Ernakulam, Kerala.

#### Initiatives relating to SFCs

- Memorandum of Understanding (MoU) with SFCs In order to improve the operational and financial performance of SFCs, the Bank has MoU with 12 SFCs. The financial position of 10 MoU SFCs registered improvement in the post-MoU period. The overall NPA level of MoU SFCs declined from 56% during FY 2002-03 to 21% during FY 2008-09. MoU SFCs could also contain NPAs out of fresh sanctions at less than 5%. With the visible improvement in results and business performance post-MoU, the financial position of these SFCs is expected to improve further in the coming years. The first 5- year phase of the MoU period had expired during FY 2009-10. Looking at the need for continued mentoring and hand-holding support and with a view to further consolidating the gains made so far and also to address the emerging challenges, it was decided to renew the MoU with SFCs concerned for a further period of five years. Accordingly 7 SFCs, viz. APSFC, HFC, KFC, KSFC, MPFC, RFC and WBFC have entered into fresh MoU with the Bank, along with their respective State Governments. The other three SFCs, viz. DFC, HPFC and TIIC are following up with their State Governments for obtaining early concurrence for re-execution of the MoU.
- Regulatory Directives SIDBI has taken various initiatives as part of compliance to RBI regulatory requirements. Up-to-date Income Recognition and Asset Classifications (IRAC) norms have been issued to SFCs and their compliance thereto is being monitored. The MoU SFCs have switched over to accrual system of accounting. SIDBI has circulated draft valuation policy for SFCs for their loans and advances and also other assets for implementation. The Bank is also in the process of preparing a draft "Loan Policy" and "Risk Management Policy" for adoption and use by SFCs.
- Refinance Scheme under JICA-LoC In view of the growing need for energy saving and importance of energy conservation for sustainable development and improvement in profitability as an outcome of implementing energy saving measures, a new Refinance Scheme for Energy Saving Projects (RSES) for MSMEs was launched under Japan International Co-operation Agency Line of Credit (JICA-LoC). The overall objective of the RSES is to promote energy saving in the MSME sector, thereby contributing to environmental improvement and economic development in the country.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing injection and blow moulds at Balanagar, Andhra Pradesh.

- राज्य वित्तीय निगमों के साथ संयुक्त वित्तपोषण: बैंक ने प्रायोगिक आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (एपीएसएफसी) और राजस्थान वित्तीय निगम (आरएफसी) के साथ संयुक्त वित्तीयन आरंभ किया है, तािक एमएसएमई को जोिखम-सहभािगता के आधार पर समय पर और पर्याप्त सहायता प्रदान की जा सके तथा राज्य वित्तीय निगमों को उनके मौजूदा अच्छे एमएसएमई ग्राहकों को रोक रखने और उनके परिचालन-फलक को व्यापक बनाने में मदद की जा सके। बाद में यह व्यवस्था केरल राज्य वित्तीय निगम (केएफसी) तथा तिमलनाडु औद्योगिक निवेश निगम (टीआईआईसी) के साथ भी की गई। इस व्यवस्था में और अधिक लचीलापन लाने के उद्देश्य से राज्य वित्तीय निगमों को उन सावधि ऋणों के लिए भी पुनर्वित्त प्रदान किया गया जो उन्होंने इस प्रकार की संयुक्त वित्तीयन व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान किए थे।
- राज्य वित्तीय निगमों के लिए निभाव की सीमा और पुनर्वित्त की अधिकतम सीमा में वृद्धिः एमएसएमई को अपने प्रतिष्ठानों के निगमन के लिए प्रोत्साहित करने और राज्य वित्तीय निगमों से एमएसएमई को तेजी से ऋण प्रदायगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 26 के परंतुक की शर्तों के अनुसार राज्य वित्तीय निगमों को इस आशय की अनुमित देने का निर्णय किया है कि यदि कोई इकाई निगम अथवा कंपनी अथवा सहकारी सिमित हो तो वे राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 26(i) के अंतर्गत उक्त इकाई को 10 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति इकाई पुनर्वित्त की सीमा जो ऋण की 100% थी उसे क्षेत्र का निगम/ कंपनी/ सहकारी सिमित होने पर 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया। किन्तु मध्यम उद्यमों को उपलब्ध पुनर्वित्त को घटाकर सावधि ऋण का 80% कर दिया गया, जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये रखी गई। किन्तु एकल स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों/ भागीदारी/ न्यास आदि के मामले में पुनर्वित्त सीमा प्रति उद्यम 2 करोड़ पर कायम रखी गई है।

# अंतरराष्ट्रीय सहयोग

पारस्परिक अनुभवों के आदान-प्रदान और पारस्परिक लाभ हेतु दुनिया भर के एमएसएमई और उनके नीति-निर्माताओं के साथ अधिकाधिक संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक एमएसएमई प्रोफेशनलों और बाहरी देशों के उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ संधि-वार्ताएं और विचार-विमर्श जारी रखे हुए है। आशा है कि बैंक के इन प्रयासों से सिडबी की न केवल अंतरराष्ट्रीय ब्रांड छवि बनेगी, बल्कि द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे।

वर्ष 2009-10 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग ने यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कांगो गणराज्य, ओमान, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, बोत्स्वाना आदि के सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विनिमयपरक बैठकें कीं। इनमें से कुछ देशों ने अपने-अपने देशों में एमएसएमई के पारस्परिक विकास के लिए सिडबी से संबंध स्थापित करने में रुचि दर्शाई।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of auto components at Chennai, Tamil Nadu.

- Joint Financing with SFCs: In order to provide adequate and timely assistance to MSMEs on a risk sharing basis and also help SFCs to retain existing good MSME clients and broaden their operating canvass, the Bank on a pilot basis, had launched joint financing with Andhra Pradesh State Financial Corporation (APSFC) and Rajasthan Financial Corporation (RFC). The arrangement was subsequently extended to Kerala Financial Corporation (KFC) and Tamilnadu Industrial Investment Corporation (TIIC). With a view to bringing about further flexibility in the arrangement, refinance was also extended to SFCs for the term loan sanctioned by them under such joint financing arrangement.
- Enhancement in Limit of Accommodation and ceiling on refinance for SFCs: In order to encourage MSMEs to corporatise their establishments and to ensure faster credit delivery to MSMEs from SFCs, the Bank has, in terms of proviso to Section 26 of the SFCs Act, decided to permit SFCs to provide assistance to individual units up to Rs.10 crore in case of a corporation or a company or a co-operative society under Section 26(i) of the Act,. Consequently, refinance ceiling per unit at 100% of the loan amount was enhanced from Rs. 5 crore to Rs.10 crore in case of a corporation/company/cooperative society in the sector. However, refinance to medium enterprises stood reduced to 80% of the term loan amount subject to a ceiling of Rs 10 crore. The refinance ceiling in case of proprietorship concerns / partnership / trusts, etc. has, however, been retained at Rs.2 crore per enterprise.

#### **International Co-operation**

In order to foster greater interaction with MSMEs worldover and their policy makers for mutual experience sharing and benefiting, the Bank continues to hold parleys and interaction with MSME professionals and representatives of industry associations of foreign countries. These initiatives of the Bank are expected to not only build the international brand image of SIDBI, but also strengthen bilateral ties.

During the year 2009-10, International Co-operation Division had held interactive meetings with government officials from UK, Germany, Italy, France, Japan, Republic of Congo, Oman, Rwanda, South Africa, Botswana, etc. Some of these countries evinced interest in forging alliance with SIDBI for the mutual development of MSMEs in their countries.



Strategic dialogue with delegates from Germany.

# कुछ बैठकों की मुख्य विशेषताएँ संक्षेप में इस प्रकार हैं-

- श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने 02से 07 अक्तूबर 2009 के दौरान इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित अंतरराष्ट्रीय
  मुद्रा कोष (आईएमएफ)- विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लिया। बैठक में विचार-विनिमय के मुख्य विषयों में वैश्विक संकट
  और नीतिगत समाधान, संकट तथा गरीब आदि समाहित किए गए।
- सीजीटीएमएसई की ओर से श्री मल्ला ने 9 से 13 नवंबर 2009 के दौरान तैपेई, ताइवान में आयोजित एशियन क्रेडिट सप्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूट कन्फेडरेशन की बैठक में भाग लिया।
- श्री मल्ला ने 3-4 दिसंबर 2009 को बर्लिन, जर्मनी में "वैश्विक संकट के दौरान वित्त तक पहुँच के संरक्षण" पर केएफडब्ल्यू द्वारा
   प्रायोजित 2009 वित्तीय क्षेत्र विकास संगोष्ठी में भाग लिया।
- श्री राकेश रेवारी, उप प्रबंध निदेशक ने 28-29 अक्तूबर 2009 के दौरान मनीला, फिलीपाइन्स में विकास वित्त संस्थाओं के मुख्य कार्यपालकों के लिए आयोजित एडीएफआईएपी के 6ठे अंतरराष्ट्रीय फोरम में भाग लिया। बैठक का मुद्दा था: समुत्थान का नेतृत्व: विकास वित्त संस्थाओं के पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन विषयक कर्तव्य । इसमें एडीएफआईएपी की सदस्य संस्थाओं के लगभग 100 मुख्य कार्यपालक अधिकारियों ने भाग लिया।
- ओमान डेवलपमेंट बैंक (ओडीबी), मस्कट के चार-सदस्यीय दल ने क्रेडिट रेटिंग, जोखिम पूँजी, उद्यम पूँजी, आस्ति पुनर्निर्माण, ऋण गारंटी, अल्प वित्त आदि पर चर्चा के लिए 03 नवंबर 2009 को सिडबी का दौरा किया।
- विभिन्न एमएसएमई प्रतिनिधियों वाले एक 10 सदस्यीय इटलियन व्यवसाय-प्रतिनिधि मंडल ने 11 नवंबर 2009 को सिडबी का दौरा किया, जिसका उद्देश्य भारत के एमएसएमई क्षेत्र की समग्र जानकारी हासिल करना और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना था।
- मिस्टर हेज श्यूट, डिविजनल चीफ, फायनेंश्यल एंड प्राइवेट सेक्टर, एशिया के नेतृत्व में केएफडब्ल्यू के एक दल ने 16 से 18 नवंबर 2009 के दौरान सिडबी का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने सिडबी में जारी केएफडब्ल्यू की तीन ऋण व्यवस्थाओं की स्थिति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में नवोन्मेषी वित्तीयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
- इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईडीसी) वीमेन्स ग्रुप ऑफ साउथ अफ्रीका के एक 10-सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 5 से 15 दिसंबर 2009 के दौरान भारत का दौरा किया और सिडबी, एसवीसीएल, स्मेरा तथा आईएसएआरसी के विरष्ठ अधिकारियों से 8 दिसंबर 2009 को मुंबई में चर्चा की। उन्होंने सिडबी से सहायता-प्राप्त कुछ इकाइयों का दौरा भी किया।



Strategic dialogue with delegates from UK.

#### The brief highlights of some of the meetings are:

- Shri R M Malla, CMD participated in the Annual Meeting of International Monetary Fund (IMF)—World Bank held at Istanbul, Turkey during October 02-07, 2009. The central themes of discussions at the meeting were on topics, such as, Global Crisis and Policy responses, Crisis and the Poor, etc.
- On behalf of CGTMSE, Shri Malla attended the meeting of Asian Credit Supplementation Institution Confederation during November 09-13, 2009 at Taipei, Taiwan.
- Shri Malla attended the KfW sponsored 2009 Financial Sector Development Symposium for "Preserving Access to Finance during Global Crisis" during December 03-04, 2009 at Berlin, Germany.
- Shri Rakesh Rewari, DMD attended ADFIAP's 6th International Forum for Chief Executives of Development Finance Institutions in Manila, Philippines during October 28-29, 2009. The theme of this meeting was "Leading the Recovery: Environmental, Social and Governance Imperatives for DFIs" which attracted about 100 CEOs and senior officers from ADFIAP's member institutions.
- A four-member delegation from Oman Development Bank (ODB), Muscat, visited SIDBI on November 03,2009 for interactions on credit ratings, risk capital, venture capital, asset reconstruction, credit guarantee, microfinance, etc.
- A 10-member Italian business delegation comprising various MSME representatives visited SIDBI on November 11, 2009 for an overview of the MSME sector in India and to explore the possibilities for collaborations.
- A KfW team headed by Mr. Haje Schuette, Division Chief, Financial & Pvt. Sector, Asia visited SIDBI during November 16-18, 2009. The delegation reviewed the status of KfW's ongoing three Lines of Credit to SIDBI and discussed issues relating to innovative financing in various areas.
- A 10-member delegation from Industrial Development Corporation (IDC) Women's Group of South Africa visited India during December 05-15, 2009 and interacted with senior officials of SIDBI, SVCL, SMERA and ISARC in Mumbai on December 08, 2009. They also visited some of the assisted units of SIDBI.



To facilitate collateral-free
loans to Micro and Small
Enterprises from banks
and financial institutions.



# 3



समग्र परिचालन Overall Operations



Signing of Line of Credit with KfW, Germany.

इबी ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को कुल ऋण मंजूरियों एवं संवितरणों में तीव्र वृद्धि हासिल की। ऋण मंजूरियाँ बढ़कर 35,521 करोड़ रुपए हो गईं और संवितरण बढ़कर 31,918 करोड़ रुपये हो गए। वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष ऋण में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 9,160 करोड़ रुपए हो गया। 31 मार्च 2010 तक संचयी संवितरण 1,64,331 करोड़ रुपये हो गए।

तालिका 3.1: समग्र परिचालन

(करोड़ रु.)

योजनाएं	योजनाएं वित्तीय वर्ष 2008-09		वित्तीय वर्ष 2009-10	
	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण
क. अप्रत्यक्ष ऋण				
पुनर्वित्त	19,260.98	18,534.24	19,926.09	18,584.82
ईक्विटी सहायता (अप्रत्यक्ष)	8.80	9.18	-	-
अल्प वित्त (पीएंडडी सहायता सहित)	1,920.73	1,746.19	2,972.35	2,671.61
संस्थाओं/एजेंसियों को संसाधन सहायता	1,224.33	1,197.08	2,003.94	1,501.60
उप-जोड़	22,414.84	21,486.69	24,902.38	22,758.03
ख. प्रत्यक्ष ऋण				
प्रत्यक्ष ऋण योजनाओं के अंतर्गत सावधि ऋण	2,323.58	2,498.95	4,153.20	2,849.13
एमएसएमई प्राप्य वित्त	4,177.90	4,050.21	6,332.19	6,154.24
अन्य ऋण सुविधा	271.69	261.99	133.57	156.57
(वृहत् ऋण तथा उद्यम पूंजी सहित)				
उप-जोड़	6,773.17	6,811.15	10,618.96	9,159.94
कुलऋण (क+ख)	29,188.01	28,297.84	35,521.34	31,917.97



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of Auto Components at Panchkula, Chandigarh.

A unit assisted by SIDBI engaged in manufacuring heavy forged components at Pithampur, Madhya Pradesh.

SIDBI achieved accelerated growth in its total credit sanctions and disbursements to the MSME sector during FY 2009-10. The credit sanctions increased to Rs. 35,521 crore and the disbursements increased to Rs. 31,918 crore. Direct credit grew by 34.5 percent to reach Rs. 9,160 crore during the FY. The Cumulative disbursements stood at Rs. 1,64,331 crore as on March 31, 2010.

**Table 3.1: Overall Operations** 

(Rs. crore)

				`
Schemes	FY 2008-09		FY 2009-10	
	Sanc.	Disb.	Sanc.	Disb.
A. Indirect Credit				
Refinance	19,260.98	18,534.24	19,926.09	18,584.82
Equity assistance (Indirect)	8.80	9.18	-	-
Micro Finance (including P&D Assistance)	1,920.73	1,746.19	2,972.35	2,671.61
Resource support to institutions/agencies	1,224.33	1,197.08	2,003.94	1,501.60
Sub-total	22,414.84	21,486.69	24,902.38	22,758.03
B. Direct Credit				
Term Loan under Direct Credit Schemes	2,323.58	2,498.95	4,153.20	2,849.13
MSME Receivable Finance	4,177.90	4,050.21	6,332.19	6,154.24
Other Credit Facility	271.69	261.99	133.57	156.57
(Including Bulk Credit and Venture Capital)				
Sub-total	6,773.17	6,811.15	10,618.96	9,159.94
Total Credit (A + B)	29,188.01	28,297.84	35,521.34	31,917.97



Signing of Line of Credit with French Development Agency.

#### 1. अप्रत्यक्ष ऋण

# 1.क. पुनर्वित्त सहायता

मूलत: पुनर्वित्त संस्था होने के नाते सिडबी प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं, जैसे - बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, अल्प वित्त संस्थाओं आदि के संसाधन आधार को बढ़ाने पर काफी बल देता आ रहा है, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण का अधिक प्रवाह हो सके। इस प्रयास में सिडबी को भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से पर्याप्त सहायता मिली है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण वितरण में वृद्धि करने के उद्देश्य से सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से 7,000 करोड़ रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त की थी, जो मार्च 2010 तक उपलब्ध थी। यह पुनर्वित्त राशि सार्वजिक क्षेत्र के बैंकों (6,390 करोड़ रु.) तथा राज्य वित्तीय निगमों (610 करोड़ रु.) को पूर्णत: आवंटित थी। उक्त पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2010 को भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्णत: चुकता कर दी गई।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि केंद्रीय बजट 2009-10 में घोषित किया गया था, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उचित दरों पर ऋण प्रवाह सुगम बनाने के लिए 4,000 करोड़ रुपये सिडबी को प्रदान किए गए। यह राशि ग्रामीण मूलभूत ढाँचा विकास निधि में से विशेष निधि के रूप में दी गई। उद्देश्य यह था कि बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदत्त वृद्धिशील ऋण के 50 प्रतिशत का पुनर्वित्तपोषण किया जाए, जिससे बैंक और राज्य वित्तीय निगम सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित हों। 4,000 करोड़ रुपये की संपूर्ण निधि सिडबी द्वारा आहरित कर ली गई और 3,800 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के 16 बैंकों तथा 200 करोड़ रुपये चुनिंदा राज्य वित्तीय निगमों को मंजूर और संवितरित किए गए। प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता के अंतर्गत सिडबी की मंजूरियां और संवितरण क्रमश:19,926 करोड़ रुपए तथा 18,585 करोड़ रुपए रहे (तालिका 3.2)।

तालिका 3.2: प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता (रुपये करोड़ में)

संस्थाएं	वित्तीय वर्ष 2	008-09	वित्तीय वर्ष 2009-10		
	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण	
बैंक	18,162.75	17,438.36	18,465.49	17,325.29	
राज्य वित्तीय निगम	1,098.00	1,095.65	1,460.60	1,259.53	
राज्य औद्यौगिक विकास निगम	0.23	0.23	0.00	0.00	
योग	19,260.98	18,534.24	19,926.09	18,584.82	



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of Plastic Packaging Materials (Pet Bottles) at Goregaon West and Goregaon East, Mumbai, Maharashtra.

#### 1. Indirect Credit

#### 1. A. Refinance Assistance

SIDBI, being primarily a Refinancing Institution, has been according greater thrust on augmenting the resource base of Primary Lending Institutions (PLIs) like banks, SFCs, MFIs, etc, so that higher credit flows to the MSME sector. In this endeavour, SIDBI has received substantial support from Government of India and Reserve Bank of India.

In order to enhance credit delivery to MSE sector, SIDBI had received a Special Refinance Facility of Rs. 7,000 crore from RBI during FY 2008-09, which was available till March 2010. This refinance amount was fully allocated to public sector banks (Rs. 6,390 crore) and SFCs (Rs. 610 crore). The refinance facility was fully repaid to RBI on March 31, 2010.

Further, as announced in the Union Budget 2009–10, in order to facilitate flow of credit to MSEs at reasonable rates, Rs. 4,000 crore were provided to SIDBI as a special fund out of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF). The purpose was to incentivise banks and SFCs to lend to MSEs by refinancing 50 per cent of their incremental lending to MSEs. The entire Rs 4,000 crore fund was drawn by SIDBI and an amount of Rs. 3,800 crore was sanctioned and disbursed to 16 Public Sector Banks and about Rs. 200 crore to select SFCs. SIDBI's sanctions and disbursements under refinance support to PLIs stood at Rs. 19,926 crore and Rs. 18,585 crore, respectively (Table 3.2).

Table 3.2: Refinance Assistance to Primary Lending Institutions (PLIs)

(Rs. crore)

Institutions	FY 2008-	FY 2008-09		FY 2009-10		
	Sanc.	Disb.	Sanc.	Disb.		
Banks	18,162.75	17,438.36	18,465.49	17,325.29		
SFCs	1,098.00	1,095.65	1,460.60	1,259.53		
SIDCs	0.23	0.23	0.00	0.00		
Total	19,260.98	18,534.24	19,926.09	18,584.82		



Seminar on Benefits and Usage of Information and Communication Technology in Small and Medium Enterprises at Jodhpur, Rajasthan.

# 1. ख. संस्थाओं को संसाधन सहायता

बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से जुड़ी हुई मूलभूत ढाँचा परियोजनाओं को ऋण का वितरण सुगम बनाने के उद्देश्य से, सिडबी विभिन्न वित्तीय मध्यवर्तियों, जैसे - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, राज्य बिजली बोर्डों, फैक्टरिंग कंपनियों तथा इस क्षेत्र से जुड़ी हुई अन्य संस्थाओं को संसाधन सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान इन संस्थाओं को संसाधन सहायता के अंतर्गत मंजूरियाँ और संवितरण क्रमश: 63.7 प्रतिशत तथा 25.4 प्रतिशत बढ़कर 2,004 करोड़ रुपए तथा 1,502 करोड़ रुपए हो गए (तालिका 3.3)।

तालिका 3.3: संस्थाओं को संसाधन सहायता

(करोड़ रु.)

संस्थाएं	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2008-09		वित्तीय वर्ष 2009-10	
	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण	
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	239.00	186.75	7.50	7.50	
अल्पावधि ऋण -राज्य बिजली बोर्ड/विद्युत निगम	0.00	25.00	-	-	
अन्य	985.33	985.33	1,996.44	1,494.10	
योग	1,224.33	1,197.08	2,003.94	1,501.60	

# 2. प्रत्यक्ष खुदरा ऋण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के बैंको/वित्तीय संस्थाओं के प्रयासों के संपूरक प्रयास के रूप में सिडबी प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप बैंक गत दो दशकों के दौरान अर्जित अद्वितीय विशेषज्ञता तथा अनुभव का उपयोग करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को आवश्यकतानुरूप तैयार किए गए उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर पाता है। प्रत्यक्ष ऋण सहायता को मोटे तौर पर चार वर्गों में रखा जाता है - (क) सावधि ऋण, (ख) आईडीबीई बैंक के साथ व्यवस्था के जिर कार्यशील पूँजी, (ग) एमएसएमई प्राप्यराशि वित्तपोषण और (घ) गैर-निधि आधारित सुविधा। सिडबी ने भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादों के दायरे को विस्तृत करने का निरंतर प्रयत्न किया है।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Gurgaon, Haryana.

#### 1. B. Resource Support to Institutions

In order to facilitate channelising credit to a large number of MSMEs and infrastructure projects having linkages to MSMEs, SIDBI provides resource support to various financial intermediaries like NBFCs, State Electricity Boards (SEBs), factoring companies and other institutions having linkages with this sector. Sanctions and disbursements under resource support to such institutions during the FY 2009-10 increased to Rs. 2,004 crore and Rs. 1,502 crore, registering growth of 63.7 percent and 25.4 percent, respectively (Table 3.3).

Table 3.3: Resource Support to Institutions

(Rs. crore)

Institutions	FY 200	08-09	FY 2009	-10
	Sanc. Disb.		Sanc.	Disb.
NBFCs	239.00	186.75	7.50	7.50
STL-SEBs/Power Corporations	0.00	25.00	-	-
Others	985.33	985.33	1,996.44	1,494.10
Total	1,224.33	1,197.08	2,003.94	1,501.60

#### 2. Direct Retail Credit

SIDBI provides direct credit to complement the efforts of banks/FIs in augmenting the flow of credit to MSME sector. This also enables the Bank to provide tailor-made products and services for MSMEs, leveraging on unique expertise and exposure gained over the past two decades. Direct credit assistance is classified into four broad segments, i.e. (a) Term Loan, (b) Working Capital through arrangement with IDBI Bank, (c) MSME Receivable Finance and (d) Non - Fund based facility. SIDBI has constantly endeavoured to expand its product range in line with the growing needs of India's MSMEs.



A Seminar on Currency Futures at Varanasi, Uttar Pradesh.

# 2. क. सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी सहायता/एसएसएमई प्राप्यराशि वित्तपोषण

सावधि ऋण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पूँजी निवेश, आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि के लिए प्रदान किए जाते हैं।सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की नियमित कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यशील पूंजी सहायता आईडीबीआई बैंक लि. के जिए प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण संवितरण 2,849 करोड़ रुपए रहे (तालिका 3.4)। प्राप्य राशियों का वित्तपोषण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों की तरलता में वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत उक्त इकाइयों को, उनके द्वारा बड़ी खरीददार कंपनियों को बेचे गए माल/प्रदत्त सेवाओं के प्रति वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस संबंध में सिडबी की दो योजनाएं हैं - प्राप्यराशि वित्त योजना (आरएफएस) तथा विक्रेतावार प्राप्यराशि वित्त योजना (एसआरएफएस)। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 6,154 करोड़ रुपए का प्राप्यराशि वित्त प्रदान किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (तालिका 3.4)।

# तालिका 3.4: प्रत्यक्ष ऋण योजना के अंतर्गत सावधि ऋण /कार्यशील पूंजी / प्राप्यराशि वित्तपोषण

(करोड़ रु.)

योजनाएं	वित्तीय वर्ष 20	वित्तीय वर्ष 2008-09		वित्तीय वर्ष 2009-10		
	मंजूरी	मंजूरी संवितरण		संवितरण		
सावधि ऋण	2,094.08	2,300.86	3,860.95	2,685.09		
कार्यशील पूंजी / कार्यशील पूँजी सावधि ऋण	229.50	198.09	292.25	164.04		
एमएसएमई प्राप्यराशि वित्तपोषण	4,177.90	4,050.21	6,332.19	6,154.24		
योग	6,501.48	6,549.16	10,485.39	9,003.37		

# 2.ख. गैर निधि आधारित सुविधा

गैर-निधि आधारित सेवाएं जैसे ऋण पत्र (विदेशी तथा अंतर्देशीय, दोनों), मूल्यांकन हेतु सेवाएं, प्रबंधन, ऋण समूहन, गारंटी आदि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विशिष्ट आवश्यकताओं से उपजी हैं। इन उद्यमों को परंपरागत बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ इस प्रकार की सहायता की भी जरूरत पड़ती है। गैर-निधि आधारित सुविधाओं के अतंर्गत सिडबी की योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2009-10 में अच्छा कार्यनिष्पादन रहा है। गैर-निधि आधारित सुविधाओं के अंतर्गत व्यवसाय का सारांश तालिका 3.5 में दिया गया है।



A unit assisted by SIDBI engaged in textile processing at Faridabad, Haryana.

#### 2.A. Term Loan / Working Capital Assistance / MSME Receivable Financing

Term Loans are provided to MSMEs for capital investment, modernisation / technology upgradation, etc. Working capital assistance is provided through IDBI Bank Ltd to meet the regular working capital needs of MSMEs. During FY 2009-10, the term loans and working capital loans disbursements stood at Rs. 2,849 crore (Table 3.4).

Financing of receivables is an important tool for augmenting liquidity for MSME units by providing them with financial assistance against the goods sold and / or services rendered by them to big purchaser companies. SIDBI has two offerings in this domain, namely, a Receivable Finance Scheme (RFS) and a Seller – wise Receivable Finance Scheme (SRFS). During the year under review, the Bank provided receivable financing amounting to Rs. 6,154 crore, which reflected a growth of 52% over the preceding year (Table 3.4).

Table 3.4: Term Loan / Working Capital / Receivable Financing under Direct Credit Schemes

(Rs. crore)

Schemes	FY 2008-09		FY 2009-10		
	Sanc. Disb.		Sanc.	Disb.	
Term Loan	2,094.08	2,300.86	3,860.95	2,685.09	
Working Capital / Working Capital Term Loan	229.50	198.09	292.25	164.04	
MSME Receivable Financing	4,177.90	4,050.21	6,332.19	6,154.24	
Total	6,501.48	6,549.16	10,485.39	9,003.37	

#### 2. B. Non-Fund based Facility

Non-fund based services like Letters of Credit (both foreign and inland), services for appraisal, management, loan syndication, Guarantees, etc. arise out of niche requirements of MSMEs which need such support in addition to services provided within the traditional banking framework. SIDBI's schemes under non-fund based facilities have shown good performance in FY 2009-10. Summary of business under non-fund based facility during FY 2009-10 is provided in Table 3.5.



A Seminar on Currency Futures at Jaipur, Rajasthan.

# तालिका 3.5: गैर-निधि आधारित सुविधा

(करोड़ रु.)

योजनाएं	वित्तीय वर्ष 2	वित्तीय वर्ष 2008-09		वित्तीय वर्ष 2009-10		
	संख्या राशि		संख्या	राशि		
विदेशी ऋण पत्र	103	304.42	190	101.12		
अंतर्देशीय ऋण पत्र	54	20.08	73	11.36		
गारंटियाँ	148	28.78	163	23.90		
योग	305	353.28	426	136.38		

#### अन्य

बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की प्रदान की जाने वाली सहायता में खुदरा ऋण के अतिरिक्त, जोखिम पूंजी/एसएसई ऋणों का समनुदेशन/मूलभूत ढाँचा वित्तपोषण/उद्यम पूँजी/प्रतिभूतीकरण शामिल हैं, जो इस क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने में सहायक हैं।

# अल्प वित्त

अल्प वित्त निचले तबके के लोगों तक पहुंचने के लिए वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरा है। सिडबी ने अल्प वित्त संस्थाओं को आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता के जरिए अल्प वित्त क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।

अल्प वित्त के अंतर्गत सिडबी की मंजूरियों, संवितरणों तथा बकाया ऋण में वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान जोरदार वृद्धि हुई, जो इस बात का द्योतक है कि बैंक का अपनी अल्प वित्त सेवाओं को विकसित करने पर विशेष ध्यान है। अल्प वित्त के अंतर्गत कुल मंजूरियां 55 प्रतिशत बढ़कर 2,970 करोड़ रुपये हो गई, जबिक संवितरण 53.3 प्रतिशत बढ़कर 2,670 करोड़ रुपये हो गए। अल्प वित्त के अंतर्गत बकाया राशि पहली बार 3,000 करोड़ रुपए के आँकड़े को पार कर गई और 31 मार्च 2010 को यह 3,812 करोड़ रुपए थी, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 78.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। बैंक के अल्प वित्त परिचालनों का विवरण अध्याय 4 में दिया गया है।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of auto components at Chennai, Tamil Nadu.

Table 3.5: Non - Fund based Facility

(Rs. crore)

Schemes	FY 2008-09		FY 2009-10		
	No.	Amount	No.	Amount	
Foreign Letter of Credit	103	304.42	190	101.12	
Inland Letter of Credit	54	20.08	73	11.36	
Guarantees	148	28.78	163	23.90	
Total	305	353.28	426	136.38	

#### Others

In addition to retail credit, the Bank assistance to MSME sector also includes risk capital/ assignment of MSE loans/ infrastructure financing / venture capital / securitization to help augment the flow of credit to the sector.

#### Micro Finance

Micro finance has emerged as an important conduit of financial inclusion to reach out to the bottom-of-the-pyramid section of the population. SIDBI has sought to boost development of micro finance sector by need-based financial assistance to MFIs.

Reflecting the Bank's focus on developing its micro finance services, sanctions, disbursements and credit outstanding of SIDBI's micro finance registered a strong growth during the FY 2009-10. The total sanctions under micro finance surged by 55.0 percent to Rs. 2,970 crore, while disbursements increased by 53.3 percent to Rs. 2,670 crore. The outstanding amount under micro finance crossed the Rs. 3,000 crore mark for the first time and stood at Rs.3,812 crore as on March 31,2010, recording a growth of 78.4 percent over the preceding year. The details of the micro finance operations of the Bank are given in Chapter 4.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of precision components and moulds at Balanagar, Andhra Pradesh.

# संवर्द्धनशील और विकासपरक सहायता

बैंक सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को संवर्द्धनशील और विकासपरक (पीएंडडी) सहायता देने वाली एजेंसियों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। बैंक की पीएंडडी सहायता के अंतर्गत उद्यमिता विकास और उद्यम संवर्द्धन पर बल दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न पीएंडडी योजनाओं और गतिविधियों के अंतर्गत मंजूरियां लगभग 2 करोड़ रुपए और संवितरण भी लगभग 2 करोड़ रुपए रहे। बैंक की पीएंडडी गतिविधियों का विवरण अध्याय 4 में दिया गया है।

# सरकारी योजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में सिडबी

सिडबी अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण परिचालनों के साथ-साथ, भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र के लिए कई संकेंद्रित योजनाएं चलाई जा रही हैं और सिडबी ने वर्षों से इन योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में सिडबी निम्नलिखित योजनाओं हेतु नोडल एजेंसी के लिए कार्य कर रहा है:

- ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी योजना(सीएलसीएसएस) [सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय]
- वस्त्र उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) [वस्त्र मंत्रालय]
- एकीकृत चमड़ा क्षेत्र विकास योजना (आईडीएलएसएस) [वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय]
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार की योजना (एफपीटफ्स) [खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय]

वर्ष के दौरान सीएलसीएसएस के अंतर्गत 1,103 पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल 67 करोड़ रुपए के पूँजी सब्सिडी दावों का निपटान किया गया। यह योजना अक्तूबर 2000 में आरंभ हुई थी। तब से 6,073 इकाइयों के कुल 263 करोड़ रुपए (संचयी) के पूंजी सब्सिडी दावों का निपटान किया गया। इसी प्रकार टफ्स के अंतर्गत सिडबी से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त मामलों के संबंध में 235 पात्र इकाइयों के कुल 11 करोड़ रुपए के सब्सिडी दावों (ब्याज प्रोत्साहन सब्सिडी तथा पूंजी/मार्जिन राशि सब्सिडी, दोनों) का निपटान किया गया और सहयोजित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को, उनके द्वारा



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Faridabad, Haryana.

#### Promotional and Developmental Assistance

The Bank extends loans and grants to agencies giving Promotional & Developmental (P & D) support to the MSME sector. The Bank's P&D assistance puts emphasis on entrepreneurship development and enterprise promotion. The sanctions and disbursements under various P&D schemes and activities aggregated about Rs. 2 crore each during FY 2009-10. Details of the Bank's P&D activities are furnished in Chapter 4.

#### SIDBI as Nodal Agency for Government Schemes

In addition to its direct and indirect credit operations, SIDBI also plays a pivotal role in implementation of various schemes for MSME sector undertaken by the Government of India. There are a number of focused schemes under implementation for the sector and SIDBI has played an important role in the implementation of these schemes over the years. Presently, SIDBI is acting as a nodal agency for the following schemes:

- Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) [Ministry of MSME]
- Technology Upgradation Fund Scheme for Textile Industry (TUFS) [Ministry of Textiles]
- Integrated Development of Leather Sector Scheme (IDLSS) [Ministry of Commerce & Industry]
- Scheme of Technology Upgradation/Setting up /Modernisation/Expansion of Food Processing Industries (FPTUFS) [Ministry of Food Processing Industries]

During the year, capital subsidy claims of 1,103 eligible MSEs were settled under CLCSS, amounting to Rs.67 crore. Since the launch of the Scheme in October 2000, capital subsidy claims of 6,073 units aggregating Rs.263 crore (cumulative) have been settled. Similarly, TUFS; subsidy claims (both interest incentive subsidy & capital / margin money subsidy) of 235 eligible textile units for SIDBI's directly assisted cases amounting to Rs.11 crore and subsidy claims aggregating Rs.35



A unit assisted by SIDBI engaged in printing at Erode, Tamil Nadu.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रदत्त सहायता के संबंध में, कुल 35 करोड़ रुपए के सब्सिडी दावों का संवितरण किया गया। अप्रैल 1999 में उक्त योजना के आरंभ से कुल 526 करोड़ रुपए (संचयी) के पूंजी सब्सिडी और ब्याज प्रोत्साहन दावों का निपटान किया गया। नवंबर 2005 में शुरू हुई आईड़ीएलएसएस के अंतर्गत संचयी रूप से 810 इकाइयों के कुल 132 करोड़ रुपए के दावों का निपटान किया गया, जिनमें वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 141 इकाइयों के 31 करोड़ रुपये के दावे शामिल हैं। एफपीटफ्स के अंतर्गत 40 मामलों को कुल 8 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के लिए 40 मामलों की सिफारिश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को की गई, जिसमें से 15 इकाइयों को कुल 3.43 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

# गैर-निष्पादक आस्ति प्रबंधन

गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रबंधन सिडबी के परिचालनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यथा 31 मार्च 2010 को अप्रत्यक्ष सहायता संविभाग के अंतर्गत विवेकपूर्ण तौर पर बट्टे खाते डालने (पीडब्ल्यूओ) के बाद गैर-निष्पादक आस्तियाँ 31 मार्च 2009 की भांति ही शून्य बनी रहीं। प्रत्यक्ष सहायता संविभाग के अंतर्गत गैर-निष्पादक आस्तियाँ (पीडब्ल्यूओ के बाद) बढ़कर यथा 31 मार्च, 2010 को 189 खातों के संबंध में 77 करोड़ रुपये हो गईं, जबिक 31 मार्च, 2009 को वे 34 खातों के संबंध में 32 करोड़ रुपए थीं। चूककर्ता खातों की गहन निगरानी की जा रही है और बैंक अलग-अलग मामले के आधार पर उपयुक्त वसूली कार्यनीति अपना रहा है। सतत अनुवर्तन और समय पर कार्रवाई के फलस्वरूप बैंक अपने पुनर्वित्त तथा प्रत्यक्ष वित्त संविभाग से काफी राशि वसूल करने में सफल रहा। 31 मार्च 2010 को बैंक की सकल गैर-निष्पादक आस्तियां कुल बकाया संविभाग की 0.20 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2010 को बैंक की निवल गैर-निष्पादक आस्तियां निवल बकाया की 0.18 प्रतिशत थी।

# संसाधन प्रबंध

सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 25,689 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाए, जबिक वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 15,820 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाए गए थे (तालिका 3.6)। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान जुटाए गए संसाधनों का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of fabrics at Tirupur, Tamil Nadu.

crore have been disbursed to co-opted PLIs in respect of their assistance to MSMEs. Since the launch of the Scheme in April 1999, Capital Subsidy and interest incentive claims for an amount of Rs.526 crore (cumulative) have been settled. Under the IDLSS, which was launched in November 2005, cumulative claims of 810 units aggregating Rs.132 crore were settled including 141 units amounting to Rs.31 crore during FY 2009-10. Under FPTUFS, 40 cases have been recommended for grant-in-aid amounting to Rs.8 crore to the Ministry of Food Processing Industries against which subsidy amounting to Rs.3.43 crore has been released to 15 units.

#### **NPA** Management

Management of NPAs is an important part of operations of SIDBI. As at March 31, 2010, NPAs under Indirect Assistance portfolio after Prudential Write-Off (PWO) continue to remain nil as it was as on March 31, 2009. Under Direct Assistance portfolio, the stock of NPAs (after PWO), increased to Rs. 77 crore in respect of 189 accounts as at March 31, 2010 from Rs. 32 crore in respect of 34 accounts as on March 31,2009. The defaulting accounts are being monitored intensively and appropriate recovery strategy is being adopted by the Bank on a case-to-case basis. As a result of persistent follow-up and timely action, the Bank could recover sizable amount from its Refinance and Direct Finance portfolio. Gross NPAs of the Bank to total portfolio outstanding stood at 0.20 percent as on March 31, 2010. The net NPAs of the Bank stood at 0.18 percent of net outstanding as on March 31, 2010.

#### Resources Management

Resources aggregating Rs.25,689 crore were raised by SIDBI during FY 2009-10 as against Rs.15,820 crore raised during FY 2008-09 (Table 3.6). The particulars of resources raised during FY 2009-10 are detailed in the next page.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Faridabad, Haryana.

# तालिका 3.6: सिडबी द्वारा जुटाए गए संसाधन

(करोड़ रु.)

म्रोत	वित्तीय वर्ष 2008-09	वित्तीय वर्ष 2009-10
क. घरेलू उद्यारियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक से विशेष पुनर्वित्त सुविधा	6,269.00	0.00
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (पुनर्वित्त) निधि	3,325.57	4,000.00
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (जोखिम पूंजी) निधि	250.00	250.00
विदेशी बैंकों से जमा	-	-
सावधि जमा	1,047.21	1,603.07
जमा प्रमाणपत्र	294.47	481.51
वाणिज्यिक पत्र	-	10,668.03
बैंकों से अल्पावधि ऋण	2,050.00	300.00
सावधि मुद्रा उधारियाँ	1,200.00	0.00
सावधि ऋण	-	5,600.00
अप्रतिभूत बॉण्ड	-	1,800.00
उप-जोड़	14,436.25	24,702.61
ख. विदेशी मुद्रा उधारियाँ		
जाइका VII #	1,279.21	47.44
केएफडब्ल्यू III (भाग II) @	51.72	-
केएफडब्ल्यू VII	-	249.01
विश्व बैंक	25.36	682.36
आईएफएडी, रोम *	4.56	-
डीएफआईडी, यूके से अनुदान **	22.47	7.85
केएफडब्ल्यू IV के अंतर्गत अनुदान @	0.35	-
उप-जोड़	1,383.67	986.66
योग (क+ख)	15,819.92	25,689.27

<sup>#</sup> जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी, जापान

<sup>@</sup> क्रेडिटान्स्टाल्ट फुर वीडरॉफबाउ,जर्मनी\* इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट,रोम

<sup>\*\*</sup> डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूके



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of corrugated boxes and carton at Village Jafferpur, Tehsil Gadarpur, District Udham Singh Nagar, Uttrakhand.

Table 3.6: Resources raised by SIDBI

(Rs. crore)

Sources	FY 2008-09	FY 2009-10
A. Domestic Borrowings		
Special Refinance Facility from RBI	6,269.00	0.00
MSME (Refinance) Fund	3,325.57	4,000.00
MSME (Risk Capital) Fund	250.00	250.00
Deposits from Foreign Banks	_	-
Fixed Deposits	1,047.21	1,603.07
Certificate of Deposits	294.47	481.51
Commercial Paper	-	10,668.03
Short Term Loan from Banks	2,050.00	300.00
Term Money Borrowing	1,200.00	0.00
Term Loan	-	5,600.00
Unsecured Bonds	_	1,800.00
Sub-total	14,436.25	24,702.61
B. Foreign Currency Borrowings		
JICAVII#	1,279.21	47.44
KfW III (Portion II) @	51.72	-
KfWVII	-	249.01
World Bank	25.36	682.36
IFAD, Rome *	4.56	-
Grant from DFID, UK **	22.47	7.85
Grant under KfW IV @	0.35	-
Sub-total	1,383.67	986.66
Total (A+B)	15,819.92	25,689.27

<sup>#</sup> Japan International Cooperation Agency, Japan.

<sup>@</sup> Kreditanstalt für Wiederaufbau, Germany.

<sup>\*</sup> International Fund for Agriculture Development, Rome.

<sup>\*\*</sup> Department for International Development, U.K



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Faridabad, Haryana.

# I. घरेलू संसाधन

# क) सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम (पुनर्वित्त) निधि

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, विदेशी बैंकों सहित, द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति में रह गई कमी के तुल्य राशि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (पुनर्वित्त) निधि हेतु बैंक के पास जमा की गई। यह राशि 4,000 करोड रुपए थी।

# ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (जोखिम पूंजी) निधि

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति में रह गई कमी के तुल्य राशि बैंक के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (जोखिम पूंजी) निधि हेतु जमा की गई। पिछले वर्ष यह राशि 250 करोड़ रुपये थी।

# ग) सावधि जमा

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सावधि जमा के जरिए कुल 1,603.07 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई, जबकि पिछले वर्ष इस मद में 1047.21 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई थी।

# घ) बैंकों से अप्रतिभूत ऋण

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान वाणिज्य बैंकों से अप्रतिभूत ऋण के रूप में कुल 5,900 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई।

# ङ) अप्रतिभूत बॉण्ड

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान अप्रतिभूत बॉण्ड के जरिए कुल 1,800 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई।

# च) वाणिज्यिक पत्र

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 10,668.03 करोड़ रुपये की राशि वाणिज्यिक पत्रों के जरिए जुटाई गई।

# छ) जमा प्रमाणपत्र

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 481.51 करोड़ रुपये की राशि जमा प्रमाणपत्र के जरिए जुटाई गई।

# II. विदेशी मुद्रा संसाधन

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 986.66 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए गए। इनका विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of precision components and moulds at Balanagar, Andhra Pradesh.

#### I. Domestic Resources

#### a) MSME (Refinance) Fund

The deposits placed with the Bank by domestic scheduled commercial banks, including foreign banks, having shortfall in achievement of priority sector lending targets against MSME (Refinance) Fund aggregated Rs.4,000 crore during FY 2009-10.

# b) MSME (Risk Capital) Fund

The deposits placed with the Bank by domestic scheduled commercial banks, having shortfall in achievement of priority sector lending targets against MSME (Risk Capital) Fund aggregated Rs.250 crore during FY 2009-10.

#### c) Fixed Deposits

An aggregate amount of Rs.1,603.07 crore was mobilised by way of Fixed Deposits during FY 2009-10 as against Rs.1,047.21 crore during the previous year.

#### d) Unsecured Loans from Banks

An aggregate amount of Rs.5,900 crore was mobilised by way of unsecured loans from commercial banks during FY 2009-10.

#### e) Unsecured Bonds

An aggregate amount of Rs.1,800 crore was mobilised by way of Unsecured Bonds during FY 2009-10.

#### f) Commercial Paper

An aggregate amount of Rs.10,668.03 crore was mobilised by way of Commercial Papers during FY 2009-10.

#### g) Certificate of Deposits

An aggregate amount of Rs.481.51 crore was mobilised by way of Certificate of Deposits during FY 2009-10.

# II. Foreign Currency Resources

Resources in foreign currency aggregating Rs.986.66 crore were mobilised during the FY 2009-10. The details are given in the next page:



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of corrugated boxes and carton at Village Jafferpur, Tehsil Gadarpur, District Udham Singh Nagar, Uttrakhand.

# क) विश्व बैंक ऋण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तपोषण और विकास परियोजना हेतु विश्व बैंक अतिरिक्त वित्तपोषण के अंतर्गत विश्व बैंक से 1,519.9 लाख अमरीकी डॉलर (682.36 करोड़ रुपए) प्राप्त हुए।

### ख) जाइका ऋण-व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, ऊर्जा बचत परियोजना हेतु जाइका ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत 9,274.3 लाख जापानी येन (47.44 करोड़ रुपए) आहरित किए गए। 31 मार्च 2010 तक कुल आहरित राशि 24.927 अरब जापानी येन है, जबिक कुल मंजूर ऋण राशि 30 अरब जापानी येन है।

# ग) अल्प वित्त हेतु केएफडब्ल्यू ऋण-व्यवस्था

बैंक ने अल्प वित्त को बड़े पैमाने पर चलाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010 में केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 850 लाख यूरो की ऋण-व्यवस्था की संविदा की। वित्तीय वर्ष 2009-10 में उक्त ऋण के अंतर्गत 411.9 लाख यूरो (249.01 करोड़ रुपए) आहरित किए गए।

# घ) डीएफआईडी, यूके

16.8 लाख अमरीकी डॉलर (7.85 करोड़ रुपए) की अनुदान राशि डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूके से प्राप्त हुई।

# III. सिडबी बॉण्डों की रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि. (केयर) ने सिडबी के बकाया ऋण निर्गमों के संबंध मं 'केयर एएए' (ट्रिपल ए) रेटिंग तथा 2,000 करोड़ रुपये के सावधि जमा कार्यक्रम के लिए 'केयर एएए(एफडी)' [ट्रिपल ए (सावधि जमा)] रेटिंग बनाए रखी। अप्रतिभूत बॉण्डों के जिरए 2,000 करोड़ रुपये के सिडबी उधारी कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान 300 करोड़ रुपए जुटाए गए, को भी केयर ने 'केयर एएए' (ट्रिपल ए) रेटिंग प्रदान की। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 1,500 करोड़ रुपए के बॉण्ड निर्गम के संबंध में सिडबी बॉण्डों को क्रिसिल ने भी सर्वोच्च रेटिंग एएए/स्टेबल प्रदान की। उक्त रेटिंग वाले लिखतों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला समझा जाता है, जिनमें नगण्य निवेश जोखिम होता है।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Faridabad, Haryana.

#### a) World Bank Loan

USD 151.99 million (Rs.682.36 crore) was received from World Bank under World Bank additional financing for MSME Financing and Development Project.

#### b) JICA Line of Credit

An amount of JPY 927.43 million (Rs.47.44 crore) was drawn during FY 2009-10 under JICA Line of Credit for Energy Saving project. The total amount drawn is JPY 24.927 bn as on March 31, 2010 against the total sanctioned loan amount of JPY 30 bn.

#### c) KfW Line of Credit for Microfinance

The Bank had contracted a Line of Credit for Euro 85 million from KfW, Germany in FY 2009-10 for upscaling microfinance. An amount of Euro 41.19 million (Rs.249.01 crore) was drawn under the loan in FY 2009-10.

#### d) DFID, UK

A grant amount of USD 1.68 million (Rs.7.85 crore) was received from Department for International Development (DFID), UK.

#### III. Rating of SIDBI Bonds

During FY 2009-10, Credit Analysis and Research Ltd. (CARE) retained 'CARE AAA' (Triple A) rating in respect of outstanding debt issues of SIDBI 'CARE AAA (FD)' (Triple A (Fixed Deposit) rating for the Fixed Deposit Programme of Rs.2,000 crore. CARE also assigned 'CARE AAA' (Triple A) rating for SIDBI borrowing programme of Rs.2,000 crore through unsecured bonds against which Rs.300 crore was raised during FY 2009-10. CRISIL also assigned rating of AAA/Stable, the highest rating for SIDBI bonds, aggregating to Rs.1,500 crore for bond issuance during FY 2009-10. Instruments carrying the above ratings are considered to be of the best quality, carrying negligible investment risk.

# SME RATING AGENCY OF INDIA LTD.

To be a facilitator in creating an enabling environment for growth of Micro, Small & Medium Enterprises through qualitative input for financial intermediation, action research and policy advocacy.



# 4



वित्तीय समावेशन और टिकाऊ संवृद्धि Financial Inclusion and Sustainable Growth



Release of Book at the hands of Hon'ble Finance Minister Padma Vibhushan Shri Pranab Mukherjee on the completion of 10 years of Micro Finance by SIDBI.

पहचान बनने से इसे फायदा पहुँचा है, जिससे बहुपक्षीय उधार एजेंसियों, द्विपक्षीय दानदाता एजेंसियों, विकसित और विकासशील देशों की सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों को इस क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय सहायता देने की प्रेरणा मिली है। दानकर्ताओं और सामाजिक उन्मुखता वाले निवेशकों ने सामाजिक एवं वित्तीय प्रतिलाभों की संभावना को पहचानने के पश्चात् अल्प वित्त क्षेत्र के निधीयन में वृद्धि की है। इस क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की विशेषता है- अच्छी गुणवत्तावाली आस्तियाँ और आस्तियों पर स्थिर प्रतिलाभ। क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक निधीयन के फलस्वरूप यह क्षेत्र उस सीमा से काफी अधिक विकसित हो गया है, जहाँ तक एक दशक पहले के निधियों के प्राथमिक स्रोत -दानकर्ता और सरकार के सहयोग से पहुँचना इसके लिए संभव था। इसके फलस्वरूप पिछले दशक के दौरान अल्प वित्त का विकास तेजी से हुआ है और यह समावेशी संवृद्धि तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के बहुत कारगर साधन के रूप में उभरा है।

क्षेत्र में दिखाई पड़ रही संवृद्धि के साथ-साथ, कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे भी उभरे हैं, जैसे- उधारकर्ताओं को प्रभावी ब्याज दर तथा इस प्रकार के अन्य प्रभारों से अवगत कराने में पारदर्शिता, लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनहीनता, उचित प्रणालियों का अभाव, आंतरिक नियंत्रणों का अभाव, बहुविध ऋणप्रदायगी, अत्यधिक ऋणग्रस्तता आदि। इसने प्रतिस्पर्धा में नए दबाव तथा सर्वोत्तम पद्धितयों को अपनाने की अतीव आवश्यकता को जन्म दिया है, तािक सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्र का विकास व्यवस्थित और टिकाऊ तरीके से हो रहा है।

सिडबी अपनी साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं को अन्य उभरते हुए मुद्दों से अवगत कराने के साथ-साथ उनको बताता आया है कि वे अल्प वित्त परिचालनों के लिए उचित साधनों को अपनाएँ और इस्तेमाल करें। सिडबी विभिन्न मंचों पर अपने नीतिगत उपकरणों के माध्यम से अल्प वित्त संस्थाओं की संव्यवहार लागत, गरीब ग्राहकों से कारोबार में पारदर्शिता, ग्राहकों को उपलब्ध ऋण की प्रभावी लागत आदि चिन्ताओं का समाधान देता रहा है। साथ ही, यह अल्प वित्त संस्थाओं के स्वशासन और स्व-विनियमन पर भी यथोचित बल देता रहा है।

उधार दरों में पारदर्शिता और ग्राहक-शिक्षण बैंक की कार्यसूची में सर्वोपिर रहा है। सिडबी की अल्प वित्त संस्थाओं से नियमित आग्रह किया जाता है कि वे ग्राहक को सर्वसमावेशी ब्याज दरें सूचित करें और साथ ही उसकी प्रयोज्यता के बारे में भी उनको शिक्षित करें। अपनी साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं को सिडबी निरन्तर कहता रहा है कि वे अपनी दक्षता में वृद्धि करके और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ब्याज दरों में कमी लाएँ। दीर्घ कालिक ग्राहक पूँजी के रूप में सिडबी



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI

The micro finance sector has experienced exponential growth in the last ten years. It has benefited from widespread international recognition as a development tool, prompting multilateral lending agencies, bilateral donor agencies, developing and developed country governments, and non-government organizations to extend active support for the development of the sector. Donors and socially oriented investors, having recognized the potential for social and financial returns have directed increased funding towards micro finance. The performance of the sector has been characterized by good asset quality and stable return on assets. An increase in commercial funding to the sector has enabled it to grow well beyond what could have been possible with just donor and government support - the primary source of funding a decade ago. As a result, micro finance has grown rapidly during the last decade and has emerged as a potent tool of inclusive growth and attainment of Millennium Development Goals.

Alongside the growth witnessed by the sector, certain critical issues, such as, transparency in disclosing the effective interest rate and other such charges to the borrowers, non-sensitisation towards gender issues, lack of proper systems, absence of adequate internal controls, multiple lending, over indebtedness, etc. have emerged which have created new pressures of competition and the pressing need for adoption of best practices so as to ensure that the growth of the sector continues in an orderly and sustainable manner.

SIDBI has been impressing upon its partner MFIs to adopt and practise fair means of managing the MF operations, besides sensitizing them on other emerging issues. SIDBI has been addressing the concerns like transaction cost of MFIs, transparency in dealing with poor clients, effective cost of credit to clients, etc. through its policy instruments at various fora and has also been laying due emphasis on self-governance and self-regulation by individual MFIs.

Transparency in lending rates and client education has been on top of the agenda of the Bank. SIDBI's partner MFIs are regularly urged to declare all inclusive interest rates to the clients as well as educate them about its applicability. SIDBI has been consistently pursuing with its partner MFIs to bring down the interest rates by increasing efficiency and leveraging technology. SIDBI's equity and quasi-equity products in the form of long term patient capital has also helped the partner MFIs to rationalise the costs. Equity



Launch of National Micro Finance Conference - 2010 at New Delhi.

के ईक्विटी और अर्ध-ईक्विटी उत्पादों से भी साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं को लागत को तर्कसंगत बनाने में मदद मिली है। अल्प वित्त संस्थाओं में ईक्विटी निवेश और अधीनस्थ ऋण पर बैंक ने ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और 9 अल्प वित्त संस्थाओं में ईक्विटी /अर्ध-ईक्विटी उत्पादों के माध्यम से 450 करोड़ रुपये के निवेश प्रतिबद्ध किए गए।

दक्षिणी राज्यों में अल्प वित्त के सुदृढ़ विकास और अन्यत्र उसकी कम पकड़ पर भी जोखिमधारकों का ध्यान जाता रहा है। सिडबी अल्पसेवित राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष बल देते हुए अपने ऋण परिचालनों पर जोर देना जारी रखे हुए है। साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाता रहा कि वे अल्पसेवित क्षेत्रों में पहुँच का विस्तार करें।

# नीतिगत संशोधन

बैंक अल्प वित्त योजना परिचालनों की पहुँच और परिमाण में वृद्धि के उद्देश्य से अल्प वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत अपने ऋण एवं परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों की आवधिक समीक्षा करता रहा है, तािक इसकी कार्यनीतिक व परिचालन प्रक्रियाओं को पुन: परिभाषित किया जा सके। उपर्युक्त के मद्देनज़र वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान अल्प ऋण प्रदायगी के नीतिगत मानदंडों को अद्यतन बनाया गया, तािक उनको व्यावसाियक वातावरण के बदलावों, बाजार की स्थितियों, परिचालन कार्यालयों, साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं से प्राप्त प्रतिसूचना आदि के अनुरूप बनाया जा सके।

- □ अलप वित्त क्षेत्र में ईक्विटी निवेश की लगातार वृद्धि, बहुत-सी अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-अलप वित्त संस्थाओं / रूपांतरणशील अलप वित्त संस्थाओं के ईक्विटी सहायता के लिए निवेशकों (जिनमें सिडबी भी शामिल है) से संपर्क करने की संभावना, विनियामक प्राधिकरणों द्वारा विनिर्धारित किए जा रहे पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुपालन के लिए बढ़ी हुई पूँजी आवश्यकता को देखते हुए "अल्प वित्त संस्थाओं के लिए सिडबी संवृद्धि निधि" (एसजीएफ-एमएफआई) का निधि-आकार बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये कर दिया गया।
- बैंक की साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा सर्वोत्तम पद्धितयों का पालन किए जाने के महत्त्व पर बल देने के उद्देश्य से और उसे प्रोत्साहित करने व उसकी निगरानी की दृष्टि से परियोजना सलाहकार सिमित के नामितियों तथा विभिन्न अल्प वित्त संस्थाओं के निदेशक मंडलों में बैंक के नामिती निदेशकों को सूचित किया गया कि वे जोखिम से निपटने, संसाधन प्रबंधन, नकदी के लेनदेन, ब्याज-दरों की पारदर्शिता आदि के बारे में चुनिंदा अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम पद्धितयों के विषय में अल्प वित्त संस्थाओं को सुग्राही बनाएँ।



Deputy Managing Director, SIDBI addressing the gathering during National Micro Finance Conference, 2010.

Executive Director, SIDBI addressing the gathering during National Micro Finance Conference, 2010.

investment and subordinated debt in MFIs continued to be a focal point of the Bank and investments amounting to Rs.450 crore were committed in 9 Microfinance Institutions through equity/ quasi-equity products.

Strong micro finance growth in the Southern States and low penetration levels elsewhere, have also been catching the attention of the stakeholders. SIDBI continues to lay stress on its lending operations with special emphasis on the underserved regions, especially the North Eastern Region. Partner MFIs continued to be prompted to expand outreach in the underserved regions.

#### **Policy Modifications**

The Bank has been undertaking periodic review of its credit and operational guidelines under the micro finance programme with a view to redefining its strategy and operational procedures for increasing the outreach and volume under MCS operations. In line with the above, the policy norms under micro credit dispensation were updated/ modified during FY 2010, so as to align them with the developments in the business environment, market conditions, feedback received from operating offices, partner MFIs, etc.

- □ Looking to the steady increase in the equity investments in the MF sector, likelihood of many of the leading NBFC-MFIs/ transforming MFIs approaching investors including SIDBI for equity assistance, enhanced requirement of capital for compliance of capital adequacy norms being stipulated by the regulatory authorities, etc. the fund size of the "SIDBI Growth Fund for Micro Finance Institutions" (SGF-MFI) was increased from Rs.50 crore to Rs.500 crore.
- ☐ In order to emphasize the importance of best practices to be followed by the Bank's partner MFIs and with a view to encouraging and monitoring the same, the Project Advisory Committee (PAC) Nominees and the Nominee Directors of the Bank on the Boards of the various MFIs were advised to sensitize the partner MFIs on the best practices being followed by select MFIs in regard to risk mitigation, resource management, cash handling, transparency in interest rate, etc.



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

- रेटिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से बैंक ने दो और रेटिंग एजेंसियों इकरा लि. तथा स्मेरा को रेटिंग सेवा प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया, तािक बैंक की साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं की क्षमता मूल्यांकन रेटिंग की जा सके।
- □ अल्प वित्त संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने और साथ ही, उनको अपनी पहुँच का विस्तार करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से विशेषाधिकारप्राप्त साझेदार योजना (पीपीएस) लागू की गई,जो सिडबी के उन अच्छे वर्तमान ग्राहकों के लिए है जो अल्प वित्त परिचालन करते हों और जिनका सिडबी के साथ चुकौती का पाँच वर्ष से अधिक का प्रमाणित रिकॉर्ड है।
- "सूक्ष्म उद्यम ऋण योजना (एमईएल)- प्रत्यक्ष उधार" की माँग को देखते हुए और पिरचालन-कार्यालयों से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर निर्णय किया गया कि योजना के अंतर्गत उद्योग-समूह- केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया जाए।
- ☐ उधारकर्ता को क्षेत्र के अन्य ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधा के संबंध में उधारकर्ता की दृष्टि से पारदर्शिता के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के मद्देनज़र यह निर्णय किया गया कि संघीय व्यवस्था/बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत उधार के संबंध में सहायता के विवरणों का अन्य ऋणदाताओं से आदान-प्रदान किया जाए।
- ☐ अल्प वित्त ऋण-प्रदायगी के अंतर्गत बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए और विभिन्न मंजूरी प्राधिकारियों/ सिमितियों के विचारार्थ प्रस्तुत किए जा रहे अल्प वित्त प्रस्तावों के संबंध में एकरूपता बनाए रखने के लिए मूल्यांकन ज्ञापन के मौजूदा प्ररूपों को सुव्यवस्थित और मानक बनाया गया ताकि उनमें समस्त आवश्यक सूचना का समावेश हो सके।

# सिडबी अल्प ऋण कोष के परिचालन

सिडबी के अल्प वित्त प्रयासों के अंतर्गत 31 मार्च 2010 तक मंजूर की गई संचयी सहायता (ऋणों, अनुदानों, ईक्विटी और ईक्विटीवत सहायता को मिलाकर) 6,832.90 करोड़ रुपये थी, जबिक कुल संचयी संवितरण 6,068.07 करोड़ रुपये थे। बैंक का बकाया अल्प ऋण संविभाग 31 मार्च 2010 तक 78% से अधिक बढ़कर 3,811.86 करोड़ रुपये हो गया था, जबिक 31 मार्च 2009 को यह 2,136.89 करोड़ रुपये था। बैंक की ऋण बकाया वाली साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं की संख्या 31 मार्च 2010 को 146 थी। साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं के माध्यम से प्रदत्त सिडबी की अल्प वित्त सहायता से 340 लाख साधनहीन लोगों को लाभ पहुँचा है, जिनमें से अधिकतर महिलाएं हैं। परिचालन संबंधी मुख्य विशेषताओं की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

- ☐ With a view to expediting the rating process, two more rating agencies, viz. ICRA Ltd. and SMERA were empanelled by the Bank as Rating Service Providers for carrying out Capacity Assessment Rating of the Bank's partner MFIs.
- ☐ In order to ensure timely and adequate financial support to the MFIs in tune with their requirement and also to enable them to expand their outreach, the Privileged Partner Scheme (PPS) was introduced for existing good customers of SIDBI with micro credit operations and proven repayment track record of more than five years with SIDBI.
- ☐ Keeping in view the demands of the "Micro Enterprise Loan Scheme (MEL) Direct Lending" and based on the feedback received from the operating offices, it was decided to have a cluster centric approach under the Scheme.
- ☐ In line with RBI directives towards transparency on the part of the borrower with regard to the credit facility extended to them by other lenders in the sector, it was decided to share details of assistance with other lenders in respect of lending under consortium arrangement/ multiple banking arrangements.
- ☐ In view of the changing requirements under Microfinance dispensation and to maintain uniformity in respect of Microfinance proposals being submitted to various sanctioning authorities / committees for consideration, the existing formats of the Appraisal Memorandum were structured and standardized to capture all the required information.

#### Operations of SFMC

The cumulative assistance (including loans, grants, equity and quasi-equity) sanctioned under SIDBI's micro finance initiatives upto March 31, 2010 aggregated Rs.6, 832.90 crore, while cumulative disbursements aggregated Rs. 6,068.07 crore. The outstanding micro credit portfolio of the Bank grew by over 78% to Rs.3, 811.86 crore, as on March 31, 2010 vis-à-vis, Rs.2, 136.89 crore as on March 31, 2009. The number of partner MFIs having loan outstanding with the Bank as on March 31, 2010 stood at 146. SIDBI's MF assistance through partner MFIs has benefited more than 340 lakh disadvantaged people, most of them being women. The comparative operational highlights are given in the following table:



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

तालिका 4.1- अल्प ऋण के अंतर्गत सहायता

(करोड़ रु.)

क्रम	विवरण	2008	2008-09		008-09 2009-10 <del>T</del>		सं	वयी
		मंजूरियां	संवितरण	मंजूरियां	संवितरण	मंजूरियां	संवितरण	
1	सावधि ऋण	1,872.15	1,686.75	2,518.64	2,512.87	6,211.42	5,764.89	
2	तरलता प्रबंध सहायता	0	0	0	0	6.60	6.47	
3	रूपांतरण ऋण/ रूपांतरण हेतु समूह सहायता	8	8	0	0	23.05	19.05*	
4	उप ऋण	0	0	395	100	395	100	
5	ईक्विटी सहायता	24.18	24.05	56.66	56.79	96.55	87.55	
6	अल्प वित्त संस्थाओं को क्षमता निर्माण सहायता	3.28	12.15	0	0	67.04	58.78	
7	लघुतर अल्प वित्त संस्थाओं को जोखिम निधि	4.30	4.30	0	0	7.28	7.28	
8	द्वि-स्तरीय अल्प वित्त संस्थाओं हेतु जोखिम निधि	3.00	3.00	0	0	3.00	3.00	
9	क्षमता निर्माण हेतु अन्य अनुदान	0.87	3.36	0	0	22.96	21.05	
	योग	1,915.78	1,741.61	2,970.30	2,669.66	6,832.90	6,068.07	
10	बकाया ऋण		2,136.89				3,811.86	
11	अल्प वित्त संस्थाओं के माध्यम से सहायता-प्राप्त लाभग्राहियों की संख्या						340 लाख	

<sup>\* 3</sup> करोड़ रुपये के रूपांतरण ऋण अब संबंधित अल्प वित्त संस्था की ईक्विटी में बदल दिए गए

# अल्प सेवित राज्यों (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) में प्रयास

क्षेत्रीय विकास की विषमता को देखते हुए और अपने अल्प वित्त परिचालनों की मात्रा व पहुँच को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक अब तक अल्पसेवित रहे क्षेत्रों- जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड,



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

Table 4.1: Assistance under Micro Credit

(Rs. crore)

Sr.	Particulars	FY 20	FY 2008-09 FY 2009-10		Cumulative		
		Sanc.	Disb.	Sanc.	Disb.	Sanc.	Disb.
1	Term Loans	1,872.15	1,686.75	2,518.64	2,512.87	6,211.42	5,764.89
2	Liquidity Management Support (LMS)	0	0	0	0	6.60	6.47
3	Transformation Loan (TL) / Corpus Support for Transformation	8	8	0	0	23.05	19.05*
4	Subordinate Debt	0	0	395	100	395	100
5	Equity Support	24.18	24.05	56.66	56.79	96.55	87.55
6	Capacity Building grant to MFIs	3.28	12.15	0	0	67.04	58.78
7	Risk Fund for smaller MFIs	4.30	4.30	0	0	7.28	7.28
8	Risk Fund for Two-Tier MFIs	3.00	3.00	0	0	3.00	3.00
9	Other capacity building grants	0.87	3.36	0	0	22.96	21.05
	Total	1,915.78	1,741.61	2,970.30	2,669.66	6,832.90	6,068.07
10	Loan outstanding		2,136.89				3,811.86
11	No. of beneficiaries assisted through partner MFIs						340 lakh

<sup>\*</sup> Transformation Loan of Rs.3 crore has since been converted into Equity of the MFIs concerned.

# Initiatives in the underserved States including North-Eastern Region

Taking cognizance of the regional growth asymmetry and with a view to upscaling and widening the outreach of its micro finance operations, the Bank has been constantly taking several proactive steps to increase



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में सहायता-प्रवाह में वृद्धि के कई स्वत:स्फूर्त कदम लगातार उठाता रहा है। इनमें स्थानीय अल्प वित्त संस्थाओं का विकास करना, दक्षिणी राज्यों की बृहत्तर अल्प वित्त संस्थाओं को अल्पसेवित क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाने के लिए शामिल करना, अल्प वित्त प्रोफेशनलों द्वारा प्रवर्तित नई शुरुआती अल्प वित्त संस्थाओं का संपोषण, दीर्घकालिक साझेदार बनने की संभावना वाली उपयुक्त अल्प वित्त संस्थाओं की पहचान के प्रयास में तेजी लाना और केवल क्षमता निर्माण सहायता प्रदान किया जाना शामिल है। कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं-

- ❖ वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक अल्पसेवित राज्यों में 15 नए एमएफआई साझेदारों को जोड़ सका, जिससे इन राज्यों में साझेदारों की कुल संख्या 81 हो गई। अल्प सेवित राज्यों की अल्प वित्त संस्थाओं को सावधि ऋणों के रूप में वर्ष के दौरान मंजूर की गई कुल सहायता 793 करोड़ रुपये थी, जबिक पिछले वर्ष यह 445.24 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार इसमें 78% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि हुई। अल्पसेवित राज्यों के विकास पर दिए जानेवाले बल में वृद्धि के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2009-10 में अल्प ऋण के अंतर्गत इन राज्यों के कुल बकाया संविभाग में इन राज्यों का हिस्सा 28% रहा।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पूर्वोत्तर क्षेत्र से 2 नए साझेदारों तथा 50 सूक्ष्म उद्यम ऋणों को अपने दायरे में ला सका। वर्तमान में पूर्वोत्तर के साझेदारों की कुल संख्या 10 है, साथ ही एमईएल के अंतर्गत 55 ऋण भी हैं।
- ❖ इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कार्यरत एक अल्प वित्त संस्था बंधन को पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिचालन के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

# संविभाग जोखिम निधि

भारत सरकार ने संविभाग जोखिम निधि (पीआरएफ) के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये की सहायता की वचनबद्धता की है, जिसका उपयोग बैंक अल्प ऋण योजना के अंतर्गत अल्प वित्त संस्थाओं की आवश्यकता वाले सावधि ऋण के 7.5% के प्रतिभूति कवर (10% की सामान्य आवश्यकता के स्थान पर) की पूर्ति के लिए कर रहा है, तािक अल्पसेवित राज्यों और अन्य राज्यों के अल्पसेवित हिस्सा/जिलों में (अनुसूचित जाित, अनुसूचित जनजाित, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलों पर बल देते हुए) अल्प वित्त संस्थाओं को ऋण सहायता दी जा सके। पीआरएफ समूह-निधि वित्तीय वर्ष 2006-07 से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है और इसमें देशभर के 50 लाख लाभग्राहियों को शामिल करने का लक्ष्य है। 31 मार्च 2010 तक लगभग 60 लाख लाभग्राहियों को पीआरएफ के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है।



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

the flow of assistance to hitherto underserved areas, viz. North Eastern Region (NER) and in States like Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Bihar, West Bengal, Jharkhand, Orissa, Chattisgarh, etc. These include development of local MFIs, inducing larger MFIs from the Southern states to expand outreach in underserved areas, incubation of new start-up MFIs promoted by microfinance professionals, intensifying its effort in identifying suitable MFIs who have the potential of becoming long term partners and providing stand-alone Capacity Building (CB) support. Some of the major initiatives are:

- ❖ During the FY 2009-10, the Bank was able to add 15 new MFI partners in the underserved States, taking the total number of partners in these States to 81. The aggregate assistance sanctioned by way of term loans to MFIs in the underserved States, during the year, stood at Rs. 793 crore vis-à-vis Rs 445.24 crore during the previous year, registering an impressive growth of over 78%. The increased thrust on development of underserved States resulted in the share of these States being 28% in the total outstanding portfolio under micro finance in FY 2009-10.
- During the year under review, the Bank was able to bring 2 new partners and 50 Micro Enterprise Loans from the NER under its fold. The total number of partners from the NER currently stands at 10, besides 55 loans under MEL.
- ❖ Besides, Bandhan, an MFI operating from West Bengal, was allocated Rs. 25 crore towards its operations in the NER.

#### Portfolio Risk Fund

The Government of India has committed support of Rs. 150 crore under Portfolio Risk Fund (PRF) Scheme, which is being utilized by the Bank for meeting 7.5% of the term loan towards security cover (against the normal requirement of 10%) of the MFIs requirements under Micro Credit Scheme for providing loan assistance to MFIs in the underserved states and underserved pockets/ districts in other states (with emphasis on SCs, STs, Minority, OBCs and women). The PRF corpus is available for a period of 5 years with effect from FY 2006-07 and aims to cover 50 lakh beneficiaries throughout the country. As on March 31, 2010, about 60 lakh beneficiaries have been covered under PRF.



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

पीआरएफ के अंतर्गत वर्ष के दौरान पात्र अल्प वित्त संस्थाओं को 510.31 करोड़ रुपये का ऋण संवितरित करके 38.27 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया, जो पात्र संवितरण का 7.5% है। संचयी रूप से 31 मार्च 2010 तक पीआरएफ के अंतर्गत पात्र अल्प वित्त संस्थाओं को 1,299.68 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया और तदनुसार पात्र ऋण संवितरणों के 7.5% यानी 97.48 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

# अल्प वित्त क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास

- बैंक के अधिकारियों को अल्प वित्त संबंधी प्रशिक्षण व शैक्षिक दौरे पर बांगलादेश तथा मनीला में अल्प वित्त व एसएमई वित्तीयन संबंधी अध्ययन दौरे के लिए नामित किया गया।
- बैंक के दो अधिकारियों को हार्वर्ड केनेडी स्कूल, कैंब्रिज में "माइक्रो एंड एसएमई फायनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस " विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया।
- बैंक ने जयपुर में माइक्रोसेव प्रा. लि. द्वारा "अप्लाइड माइक्रोफायनेंस इंस्टीट्यूट" (एएमआई) में आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागिता के लिए 2 अधिकारियों को नामित किया।
- अल्प वित्त संस्थाओं में ईक्विटी निवेश पर सिडबी अल्प ऋण कोष द्वारा अधिकाधिक ध्यान दिए जाने और विभिन्न एजेंसियों से निवेश-प्रस्तावों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, बैंक के अधिकारियों को नई दिल्ली में एम2आई द्वारा आयोजित कार्यक्रम- "अल्प वित्त संस्था मूल्यांकन और निवेश"- में नामित किया गया। नई दिल्ली में इंडियन वेंचर कैपिटल ऐसोसिएशन (आईवीसीए) द्वारा आयोजित दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम- "फाउंडेशन कोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स"- में चार अधिकारियों को नामित किया गया।
- अल्प वित्त संस्थाओं में प्रभावी मंडल अभिशासन और जोखिम प्रबंधन के महत्त्व को देखते हुए, बैंक के अधिकारियों को सा-धन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम- "रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इन एमएफआईज" में नामित किया गया।
- सिडबी अल्प ऋण कोष के नए भर्ती हुए अधिकारियों के ज्ञान-भंडार में सुधार करने के उद्देश्य से चेन्नै में "*फैमिलियराइजेशन* प्रोग्राम ऑन माइक्रो क्रेडिट" आयोजित किया गया। इस त्रि-दिवसीय कार्यक्रम में बैंक के 22 अधिकारियों ने भाग लिया।

# अंतरराष्ट्रीय सहयोग

आईएफएडी, रोम के साथ सहयोग 01अप्रैल 2002 से जारी है। बैंक ने आईएफएडी से 1.635 करोड़ एसडीआर की प्रतिबद्ध राशि पूरी तरह आहरित कर ली है। कार्यक्रम की परियोजना समापन कार्रवाई के एक हिस्से के रूप में एक परियोजना समापन कार्यशाला



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

Under PRF, the loan disbursement to eligible MFIs, during the year, stood at Rs.510.31 crore, with utilization of Rs.38.27 crore being 7.5% of eligible disbursement. Cumulatively, as on March 31, 2010, the disbursement to eligible MFIs under PRF stood at Rs.1,299.68 crore, thereby utilizing Rs.97.48 crore, being 7.5% of eligible loan disbursements.

#### Human Resources Development for micro finance sector

- Officers of the Bank were nominated for training cum exposure visit on micro finance to Bangladesh and for a study tour programme on micro finance and SME Financing in Manila.
- Two officials of the Bank were nominated for a training programme on "Micro and SME Finance in Theory and Practice" at Harvard Kennedy School, Cambridge.
- The Bank nominated 2 officers for participating at the annual training event of MicroSave Pvt, Ltd. branded as "Applied Microfinance Institute" (AMI) at Jaipur.
- In view of the increased focus of SFMC on equity investments in MFIs and the growing number of offers of investment from various agencies, officials of the Bank were nominated for a programme on "MFI Valuation and Investments" conducted by M2i in New Delhi. Four officials were nominated for a two-day training programme titled "Foundation Course for Investment Professionals" conducted by Indian Venture Capital Association (IVCA) in New Delhi.
- Keeping in view the importance of effective board governance and risk management in MFIs, officials of the Bank were nominated for a two-day training program on "Risk Management and Governance in MFIs" conducted by Sa- Dhan in New Delhi.
- With a view to improving the knowledge base of the newly inducted SFMC officials, a "Familiarization programme on Micro Credit" was conducted in Chennai. The three-day programme was attended by 22 officials of the Bank.

#### **International Collaborations**

The collaboration with IFAD, Rome, has been underway since April 01, 2002. The Bank has fully drawn the committed amount of SDR 16.35 million from IFAD. As part of the project completion exercise of the



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

आयोजित की गई, जिसमें सहयोगकर्ताओं के साथ-साथ क्षेत्र के प्रमुख जोखिमधारकों ने भाग लिया। कार्यशाला में बैंक ने परियोजना की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसे सभी प्रतिभागियों ने स्वीकार किया। परियोजना के सहयोगियों ने सिडबी के कार्यान्वयन एजेंसी होने पर संतोष व्यक्त किया।

बैंक ने भारत में गरीबों, खासकर महिलाओं के बीच अल्प वित्त उत्पादों की पहुँच में सुधार के लिए क्रेडिटांस्टाल्ट फर वीडरॉफबाऊ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी के साथ 8.5 करोड़ यूरो की ऋण सहायता तथा 0.169 करोड़ यूरो के वित्तीय योगदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहायता के ऋण वाले हिस्से का इस्तेमाल अल्प वित्त संस्थाओं को ऋण देने के लिए किया जा रहा है, तािक वे अल्प वित्त क्षेत्र को आगे उधार दे सकें। क्षमता निर्माण घटक का इस्तेमाल सिडबी स्टाफ तथा अन्य साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं को प्रशिक्षण देने, वेब-आधारित प्लैटफॉर्म के सृजन, जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल के विकास, औद्योगिक मानदंडों के अंतरण के क्षेत्र में चुनिंदा आधार पर क्षमता निर्माण संबंधी प्रयास, सहायता-प्राप्त अल्प वित्त संस्थाओं में सर्वोत्तम पद्धतियों तथा विवेकसम्मत प्रबंधन उपाय के रूप में हमारी साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं की ऋण संविभाग लेखा-परीक्षा/ प्रणाली लेखा-परीक्षा के लिए किया जाएगा। सहयोग के अंतर्गत केएफडब्ल्यू ने 31 मार्च 2010 तक 4.1 करोड़ यूरो की राश जारी कर दी है।

बैंक ने 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए एशिया विकास बैंक से सहयोग -समझौता किया है, जो सिडबी का दीर्घकालिक आधार पर निधीयन करेगा, ताकि वह ऐसे विशिष्ट वित्तीयन कार्यक्रमों के माध्यम से अत्यंत लघु, सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान कर सके, जो भारत के अल्प वित्त क्षेत्र की विभिन्न वित्तीयन योजनाओं के पूरक हों। इस ऋण के साथ 30 लाख अमेरिकी डॉलर तक की तकनीकी सहायता भी मिलेगी। लक्ष्य समूह में "लापता मध्य" यानी 50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक के ऋण शामिल हैं।

बैंक ने "टिकाऊ और जिम्मेदार अल्प वित्त में वृद्धि" शीर्षक परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक से 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है। प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों और सहायता का इस्तेमाल करते हुए विशेषकर देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में टिकाऊ अल्प वित्त सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि करना है, तािक भारत की अल्प वित्त संस्थाओं के बीच एक जिम्मेदार वित्तीय एजेंडा को बढावा दिया जा सके।

# नीति-पक्षपोषण

मौजूदा पद्धित के अनुसार बैंक ने अल्प वित्त संस्थाओं में सुनिर्धारित विनियामक ढाँचे, पारदर्शी और ग्राहक-अनुकूल पद्धितयों के लिए सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और विचार-विनिमयपरक अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों हेतु सहायता देना जारी रखा। इनमें से कुछ अगले पृष्ठ पर दिया गया है ।



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

programme, a project completion workshop was organized which was attended by the collaborators and also major stakeholders of the sector. The success of the project was showcased by the Bank and acknowledged by all those who attended the workshop. The collaborators' perspective on the project reflected their satisfaction in having SIDBI as a partner and implementing agency.

The Bank has signed an agreement with Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany for loan support of Euro 85 million and financial contribution of Euro 1.69 million for improving access to microfinance products in India among the poor, particularly women. The loan component of the support is being used to provide loans to MFIs for on-lending to micro finance sector. The capacity building component would be used to provide training to SIDBI staff and partner MFIs, creation of a web based platform, development of a risk assessment module, select capacity building interventions in the area of transfer of industry benchmarks, best practices to assisted MFIs and for carrying out of loan portfolio audits / system audits of our partner MFIs, as a prudent risk management measure. Till March 31, 2010, KfW had released an amount of Euro 41 million under the collaboration.

The Bank has entered into collaboration with Asian Development Bank (ADB) for loan support of USD 50 million which would provide SIDBI with long tenor funding to support to tiny, micro enterprises through specific financing programmes which complement the various financing schemes in the Indian Micro finance sector. The loan would be accompanied by technical assistance of upto USD 3 million. The target group covers the 'missing middle'- i.e. loans between Rs.50,000 to Rs.10 Lakh

The Bank has obtained loan of USD 300 million from the World Bank under the project "Scaling Up Sustainable and Responsible Microfinance". The objective of the proposed project is to scale up access to sustainable microfinance services, particularly in the underserved areas of the country, including through innovative financial products and leveraging support to foster a responsible finance agenda amongst Indian MFIs.

#### **Policy Advocacy**

In line with its existing practice, the Bank continued to support initiatives for a well-defined regulatory structure, transparent and customer-friendly practices among the MFIs through seminars, conferences, workshops and other interactive events, some of which are given on next page.



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

- "वित्तीय समावेशन और उत्तरदायी अल्प वित्त"- शीर्षक वार्षिक नीति-सम्मेलन का सह-प्रायोजन किया गया, जिसे सा-धन ने मार्च 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किया।
- ऐक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा 26 से 28 अक्तूबर के दौरान नई दिल्ली में "वॉकिंग द टाइट रोप- डुइंग गुड एंड डुइंग इट वेल" शीर्षक पर आयोजित राष्ट्र-स्तरीय अल्प वित्त सम्मेलन के लिए सहायता दी गई, जिसमें इस क्षेत्र की प्रमुख स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया।
- बैंक ने अल्प वित्त संस्थाओं में काम करने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम सह-प्रायोजित किए, जिनका आयोजन एडीएस ने पश्चिम बंगाल में किया।
- बैंक ने अल्पसेवित राज्यों में परिचालनरत अल्प वित्त संस्थाओं के लिए बंधन द्वारा अल्प सेवित क्षेत्रों में अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा आरंभ किए गए "निर्धन-समर्थक नवोन्मेषी उत्पादों का विस्तार"- शीर्षक पर एक कार्यशाला प्रायोजित की। इस कार्यशाला में पूर्वी अंचल की 22 अल्प वित्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- बैंक द्वारा अल्प वित्त क्षेत्र की सेवा के दस वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 31 जनवरी 2010 को "महिला सशक्तीकरण का दशक" शीर्षक वृत्त-चित्र और रिपोर्ट जारी की।

# ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा

ऊर्जा दक्षता के लिए समग्र रूप से सिडबी की कार्य-नीति को ध्यान में रखते हुए और ऊर्जा दक्षता को गरीबों की चौखट तक ले जाने के उद्देश्य से बैंक ने अपनी अल्प वित्त प्रदायगी-व्यवस्था के अंतर्गत एक साझेदार अल्प वित्त संस्था को 10 करोड़ रुपये की सावधि ऋण सहायता मंजूर की, तािक वह अपने साझेदार संगठनों को उधार दे सके और वे संगठन मिणपुर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के अंतिम लाभग्राहियों को सौर-बत्तियों की खरीद हेतु ऋण दे सकें।

# रिक्शा संघ कार्यक्रम

सिडबी ने लखनऊ में रिक्शा संघ कार्यक्रम आरंभ करने के लिए अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ सहयोग का समझौता किया है। लखनऊ के रिक्शा संघ कार्यक्रम में 500 रिक्शे सड़क पर उतारे गए।

बैंक की साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित रिक्शा कार्यक्रम में साइकिल रिक्शा चालकों के समूह बनवाए जाते हैं और उनको औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की मुख्य धारा में लाने का अवसर दिया जाता है। कार्यक्रम में एक एकीकृत पैकेज की व्यवस्था है, जिसमें केवल रिक्शे ही नहीं दिए जाएँगे, बल्कि उसमें कई प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल हैं, जैसे- नो-फ्रिल बैंक खाता,



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

- The Annual Policy Conference titled "Financial Inclusion and Responsible Microfinance" was cosponsored which was organized by Sa-dhan during March 2010 at New Delhi.
- A national level Micro Finance Conference titled "Walking the Tight Rope- Doing Good and Doing it Well" organized by ACCESS Development Services (ADS) from October 26-28, 2009 at New Delhi was supported and attended by major domestic and international players in the sector.
- The Bank co-sponsored two training programmes for unemployed youth intending to join MFIs, conducted by ADS in the State of West Bengal.
- The Bank sponsored a workshop organized by Bandhan on "The expansion of innovative pro-poor products initiated by MFIs in the underserved areas". Representatives from 22 MFIs from the eastern zone participated in the workshop.
- To commemorate the successful completion of a decade of the Bank's service to the micro finance sector, a documentary film and a report titled "A Decade of Empowerment of Women" were released by the Hon'ble Union Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee on January 31, 2010.

#### **Energy Efficiency Promotion**

Keeping in line with SIDBI's overall intervention strategy for energy efficiency and with a view to taking energy efficiency to the doorsteps of the poor, the Bank, under its micro finance dispensation, sanctioned a term loan assistance of Rs.10 crore to a partner MFI for on-lending to its partner organizations for extending loans to the ultimate beneficiaries in Manipur and other North Eastern states for purchasing solar lamps.

#### Rickshaw Sangh Programme

SIDBI entered into collaboration with American India Foundation (AIF) for launch of Rickshaw Sangh Programme in Lucknow. The Rickshaw Sangh Programme at Lucknow marked the launch of 500 rickshaws.

The Rickshaw Programme, implemented through the Bank's partner micro finance institutions, organizes cycle rickshaw pullers to form their "Collectives" and offers an opportunity to mainstream them into the formal banking system. The programme extends an integrated package which will not only offer rickshaws





Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

ग्राहक और उसकी पत्नी के लिए व्यापक बीमा सहायता, रिक्शा-चालक के लिए मेडिक्लेम बीमा और दुर्घटना बीमा, रिक्शे का बीमा, वर्दी, पहचान पत्र, नगरपालिका का परमिट, मोबाइल फोन आदि।

इस कार्यक्रम ने सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए देश की शीर्ष संस्था के रूप में बैंक को मिले अधिदेश को पुन: रेखांकित किया है, क्योंकि इसमें उधारकर्ताओं को ''उधार की रकम से ज्यादा'' सेवा दी जा रही है।

# भावी दृष्टिकोण

अल्प वित्त में साधनहीनों को गरीबी के गर्त से बाहर निकालने और देश में एक गुणात्मक व टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक संवृद्धि लाने की असीम संभावना विद्यमान है। इसलिए इस क्षेत्र की ताकत और विकासक्षमता को बनाए रखने की आवश्यकता है, तािक गरीबी हटाने के राष्ट्रीय लक्ष्य और 2015 तक दुनिया की आधी गरीबी कम करने के सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। अल्प वित्त कार्यक्रम की सफलता और हाल में इस क्षेत्र द्वारा पैदा की गई रुचि के ऊंचे स्तर के कारण अब चुनौती है इस आधारशिला पर प्रासाद खड़ा करने की, तािक जिम्मेदारीपूर्ण उधार के माध्यम से संकेंद्रित संवृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तीयन को बढ़ावा देना और विनिर्दिष्ट आचार-संहिता का पालन किया जाना, विश्व बैंक के सहयोग से सिडबी द्वारा किया गया एक प्रमुख हस्तक्षेप होगा। बैंक द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण उधार के संबंध में किया गया प्रयास इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रकटन के साथ-साथ, प्रबंधन, अभिशासन और परिचालन संबंधी पद्धितयों में सुधार लाने में भी सहायक होगा। सिडबी ने उधारकर्ताओं का एक मंच बनाया है। जिसमें प्रमुख अल्प वित्त संस्था निधीयनकर्ता शामिल हैं। इसका उद्देश्य और अधिक जिम्मेदारी वाली ऋण-पद्धितयों को बढ़ावा देने के लिए समूचे क्षेत्र की अल्प वित्त संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए अल्प वित्त संस्था-उधारदाताओं के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है। यह मंच अभिशासन, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धी पद्धितयों के उपायों को स्वेच्छा से अपनाए जाने की दिशा में काम करेगा और अल्प वित्त संस्थाओं को इस शर्त पर सहायता देगा कि वे उद्योग संबंधी इन मानकों को अपने प्रतिज्ञापत्रों में समाहित करते हुए अपनाएं और उनका पालन करें। ऋणदाताओं के मध्य सूचना के पर्याप्त आदान-प्रदान की परिकल्पना भी की गई है और संबंधित अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा अपने सभी ऋणदाताओं को सामान्य प्रणाली के माध्यम से रिपोर्टिंग के प्रयास भी किए जाएँगे।

पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिडबी का प्रस्ताव है कि विश्व बैंक के सहयोग से अल्प वित्त संस्थाओं के लिए - भारतीय अल्प वित्त मंच - नामक एक सामूहिक सूचना मंच विकसित किया जाए, तािक भारतीय अल्प वित्त संस्थाओं के संबंध में मूल्यवान जानकारी दी और प्रचारित-प्रसारित की जा सके। अन्य प्रस्तािवत प्रयासों में अल्प वित्त संस्थाओं के लिए एक आचार-संहिता मूल्यांकन साधन का विकास किया जाना शािमल है, तािक यह पता लग सके कि उन्होंने सा-धन और एमएफआईएन द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक अल्प वित्त आचार संहिता का किस हद तक पालन किया है। (बॉक्स सं. 4.1)



Micro Finance Beneficiaries of SIDBI.

but also an array of other add-on facilities like a no-frills bank account, a comprehensive insurance support for the client and his spouse, besides mediclaim insurance and accidental insurance for the rickshaw puller, insurance of the rickshaw, uniform, ID cards, municipal permits, mobile phones, etc.

The programme re-emphasizes the Bank's mandate as an apex institution for development of micro enterprises in the country, as it also offers "credit plus services" to the borrowers.

#### Future outlook

Micro finance holds tremendous promise for lifting the underprivileged out of poverty and for bringing about a qualitative and sustainable socio-economic growth in the country. The vigour and viability of the sector, therefore, needs to be sustained to serve the national goal of poverty alleviation and in line with the Millenium Development Goal of reducing poverty by half, across the world by 2015. With the success of micro finance programme and the high level of interest that the sector has generated in recent times, the challenge now lies in leveraging the Foundation to ensure focused growth through responsible lending. Promoting responsible finance and adherence to a laid down Code of Conduct would be a major intervention

by SIDBI, with support from the World Bank. Responsible lending initiative of the Bank would help in improving management, governance and operational practices, besides adequate disclosures in the sector. As part of its responsible finance initiative, SIDBI has created a Lenders' Forum comprising key MFI funders with a view to promoting cooperation among MFI lenders for leveraging support to MFIs across the sector to promote more responsible lending practices. The forum would seek to work towards voluntary adoption of measures on governance, transparency, competitive practices and condition support to MFIs on their adherence and adoption of these industry standards by building them into their covenants. It is also envisaged that there would be adequate information sharing among the lenders and efforts would be initiated towards common reporting systems to all its lenders by the MFIs concerned.

With a view to promoting transparency, SIDBI proposes to develop, in collaboration with the World Bank, a common information platform for MFIs – The India Microfinance Platform (IMFP)– to provide and disseminate valuable information on the Indian MFIs. Other initiatives proposed to be undertaken include development of a Code of Conduct Assessment Tool for MFIs to assess their degree of adherence to the voluntary microfinance Code of Conduct formulated by Sa-dhan and MFIN (Box No.4.1).



Beneficiaries under Rural Industries Programme of SIDBI.

# बॉक्स 4.1- आचार संहिता

अल्प वित्त संस्थाओं के लिए मूलभूत मूल्यों और स्वैच्छिक पारस्परिक आचार-संहिता का निर्माण देश की अल्प वित्त संस्थाओं के अग्रणी नेटवर्क सा-धन ने किया।

देश की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा निर्मित स्व-विनियमित संगठन एमएफआईएन ने भी अपनी सदस्य संस्थाओं के लिए एक आचार-संहिता तैयार की है।

मूलभूत मूल्यों में ईमानदारी के सिद्धान्तों, सेवा की गुणवत्ता, पारदर्शिता, निजता, उचित पद्धतियों, प्रतिसूचना प्रणाली तथा सामाजिक मूल्यों का जिक्र है। आचार-संहिता में उन कार्यों का उल्लेख है जो हर सिद्धान्त के संबंध में अपेक्षित हैं।

इसके अलावा, बैंक इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने मौजूदा उत्पादों व सेवाओं में परिष्कार लाना जारी रखेगा और साथ ही साथ नए व नवोन्मेषी उत्पाद भी बनाता रहेगा, ताकि उभरती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। चूंकि ऊर्जा दक्षता उधार देने हेतु एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, इसलिए बैंक साझेदार अल्प वित्त संस्थाओं को इस क्षेत्र में नए उत्पाद व सेवाओं के अभिकल्प बनाने, विकसित करने तथा परीक्षण करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। अंतिम उधारकर्ताओं को बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए अल्प वित्त नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए बैंक अखिल-भारतीय उपस्थित वाली बीमा कंपनियों से सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है, जिससे ऋण-प्रदायगी के अंतर्निहित जोखिम व लागत को कम किया जा सकेगा। बैंक आवास अल्प ऋण के क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करने पर भी विचार कर रहा है, जो मुख्यतया बाजार अनुसंधान और उत्पाद डिजाइन, अल्प वित्त संस्था-स्टाफ के क्षमता निर्माण आदि से संबंधित होगी।

बृहत्तर समावेशन के लिए आगे उधार दिए जाने के उद्देश्य से अल्प वित्त संस्थाओं को सहायता प्रदान किए जाने पर ध्यान केन्द्रित करना सिडबी जारी रखेगा। अल्प सेवित राज्यों में विस्तार पर अब बैंक अधिक बल दे रहा है और तब तक देता रहेगा जब तक ये राज्य दक्षिणी राज्यों की बराबरी पर नहीं आ जाते। साथ ही, संभावनाशील अल्प वित्त संस्थाओं की ईक्विटी और अर्ध-ईक्विटी में निवेश तथा सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के विकास पर बैंक का ध्यान बना रहेगा।

बैंक को विश्वास है कि उसके अल्प वित्त विषयक प्रयास उत्तरदायित्वपूर्ण ऋण-प्रदायगी का वातावरण तैयार करने में महत्त्वपूर्ण योगदान करेंगे, जिससे भारत के गरीबों की सेवा में जुटे एक और औपचारिक, व्यापक, प्रभावपूर्ण व टिकाऊ अल्प वित्त क्षेत्र का विकास होगा।



Beneficiaries under Rural Industries Programme of SIDBI.

### Box 4.1: Code of Conduct (COC)

The Core Values and Voluntary Mutual Code of Conduct for MFIs were formulated by Sa-Dhan, the leading network of MFIs in the country.

MFIN, a self-regulatory organization formed by leading NBFC-MFIs in the country, has also formulated a Code of Conduct (CoC) for its member institutions.

The core values talk of principles of integrity, quality of service, transparency, privacy, fair practices, feedback mechanism and social values. The CoC defines the kinds of actions that are expected with respect to each principle.

Further, the Bank would continue to bring about refinements in its existing products and services to meet the needs of the sector, while at the same time designing new and innovative products to meet the emerging requirements. Since energy efficiency lending is emerging as one of the thrust areas, the Bank would extend support to partner MFIs towards designing, developing and testing of new products and services in this area. The Bank is exploring tie-ups with Insurance Companies having pan-India presence for using the micro finance network to provide insurance products to the ultimate clients which would help in bringing down the inherent risk and cost of lending. The Bank is also contemplating providing technical support to MFIs in the field of housing microfinance, which would be mainly towards market research and product design, capacity building of MFI staff, etc.

For greater inclusion, support to MFIs for onlending would continue to be the focus of SIDBI. Expansion in the underserved States is now the thrust area for the Bank and would continue to remain so till these States reach at par with their Southern counterparts. Besides, investment in equity and quasi- equity of MFIs with potential and development of the micro enterprise sector would continue to remain the focus area of the Bank.

The Bank is confident that its micro credit initiatives would contribute significantly towards building a platform for responsible lending, leading to the development of a more formal, extensive, effective and sustainable micro finance sector serving the poor in India.



SIDBI-World Bank Project - Stakeholder's Meeting.

# संवर्द्धनशील और विकासपरक प्रयास

बैंक की संवर्द्धनशील और विकासपरक गतिविधियाँ राष्ट्रीय महत्त्व के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार की गई हैं, जो इस प्रकार हैं-

- (1) **संवर्द्धन** जिसमें इसके चुनिंदा कार्यक्रमों, जैसे ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षणों आदि के माध्यम से स्व-रोजगार/ मजदूरी आधारित रोजगार सृजन होता है।
- (2) विकासपरक- जिसमें चुनिंदा आधार पर प्रयासों जैसे- कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रमों, लघु उद्योग प्रबंध कार्यक्रमों, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, विपणन सहायता आदि के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया जाता है, तािक वे सार्वभौमीकरण व बढ़ती प्रतियोगिता की उभरती चुनौतियों का सामना कर सकें।

कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन इस प्रकार है-

# ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम

- ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम बैंक का अग्रणी कार्यक्रम है, जिसमें ग्रामीण उद्यमियों के लाभार्थ व्यापक उद्यम सहायता सेवा प्रदान की जाती है। इसका लक्ष्य व्यवहार्य ग्रामीण उद्यमों का संवर्द्धन करना होता है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन हो सके और स्थानीय संसाधनों का उपयोग हो सके। कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध व्यवसाय विकास सेवाओं के पैकेज में ग्रामीण उद्यमियों को पहचानना और प्रोत्साहित करना, स्थानीय कौशल और संसाधनों पर आधारित व्यवहार्य उद्यमों, प्रशिक्षण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी की पहचान करना और औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से संबंध स्थापित करना शामिल है। इस प्रकार ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम ग्रामीण उत्पादों के विपणन की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसियों का पारिश्रमिक उनके द्वारा इकाइयों को बैंकों / राज्य वित्तीय निगमों से दिलाए गए वित्त की मात्रा पर निर्भर करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने इस कार्यक्रम को एक नए जिले- झारखंड के सिमदेगा में आरंभ किया। 31 मार्च 2010 तक संचयी रूप से ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम 24 राज्यों के 120 से अधिक जिलों में कार्यान्वित हो चुका है। लगभग 35,000 उद्यम प्रवर्तित किए जा चुके हैं, जिनमें से 2,214 इकाइयाँ इस वर्ष लगीं। इन उद्यमों ने एक लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
- वर्ष के दौरान ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम में समुचित संशोधित किए गए, ताकि जीविकोपार्जन के व्यवसाय संबंधी आयाम उसमें शामिल किए जा सकें। इसका नाम बदलकर संशोधित ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (एमआरआईपी) किया गया। एमआरआईपी का उद्देश्य ऐसे व्यवहार्य ग्रामीण उद्यमों का प्रवर्तन करना है, जो व्यवसाय सेवाओं की उपलब्धता को सुविधाकारी बनाते हुए ग्रामीण भारत में रोजगार पैदा कर सकें। इससे एक ऐसी प्रणाली बनेगी, जिससे ग्रामीण उद्यमियों को औद्योगिक उपक्रमों की पहचान करने और उनकी स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिलेगा। इसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का लाभप्रद रूप में उपयोग करना भी है। कार्यक्रम का लक्ष्य समूह ग्रामीण /अल्पसेवित क्षेत्रों / हस्तिशिल्प क्लस्टरों के संभावनाशील और मौजूदा उद्यमी हैं।



Beneficiaries under Rural Industries Programme of SIDBI.

#### PROMOTIONAL & DEVELOPMENTAL INITIATIVES

The Promotional and Developmental (P&D) activities of the Bank are designed to achieve the twin objectives of national importance, viz;

- (a) **Promotional** enterprise promotion resulting in creation of self-employment/ wage employment through its select programmes, such as, Rural Industries Programme (RIP), Entrepreneurship Development Programme (EDP), Vocational Training Programmes, etc. and
- **(b) Developmental -** strengthening the MSME sector to face the emerging challenges of globalisation and growing competition through select interventions, such as, Skill-cum-Technology Upgradation Programme (STUP), Small Industries Management Programme (SIMAP), Cluster Development Programme (CDP), Marketing Assistance, etc.

Brief details about the programmes and the performance during the year are given below:

#### Rural Industries Programme (RIP)

- RIP, the flagship programme of the Bank, is a comprehensive enterprise support service programme for the benefit of rural entrepreneurs. It aims at promoting viable rural enterprises leading to employment generation in rural areas and use of local resources. The package of Business Development Services offered under the programme includes identifying and motivating rural entrepreneurs, identification of viable ventures based on local skills and resources, training, appropriate technology and establishing linkages with the formal banking sector. Thus, RIP addresses problems of rural unemployment, urban migration, under-utilisation of know-how, latent rural resources and marketing of rural products. The incentive for RIP implementing agencies is dependent on their linking of financing of the units from Banks/SFCs. During the year under review, the Bank extended the programme to a new district, viz. Simdega district of Jharkhand. Cumulatively, upto March 31, 2010, the RIP has been implemented in more than 120 districts in 24 States. Around 35,000 enterprises have been promoted, including about 2,214 units during the year. These enterprises have generated employment opportunities for over one lakh persons.
- During this year, RIP has been suitably modified to include the business related aspects of livelihood and was rechristened as Modified Rural Industries Programme [MRIP]. The MRIP aims at promoting viable rural enterprises leading to employment generation in rural India by facilitating availability of business services. It would create a mechanism to provide help in identifying, motivating and guiding rural entrepreneurs in setting up industrial ventures. It also aims at gainful utilisation of local resources. The target group of the programme is potential as well as existing entrepreneurs in the rural /underserved areas/artisan clusters.



Beneficiaries under Rural Industries Programme of SIDBI.

# उद्यमिता विकास

बैंक के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य ऐसे स्वरोजगारपरक उद्यमों का प्रवर्तन करना है जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कम साधन-संपन्न वर्गों जैसे महिलाओं और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए रोजगार के अवसर जुटाने में सक्षम हों। प्रतिष्ठित उद्यमिता विकास संस्थानों, जैसे रुडसेटी, उजिरे को विभिन्न प्रकार के उद्यमिता संबंधी कार्यक्रमों जैसे सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, विकास सलाहकारों के लिए पाठ्यक्रम आदि के आयोजन हेतु वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है। उभरते हुए गैर सरकारी संगठनों/ अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित अकेले उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए भी बैंक सहायता देता है। वर्ष के दौरान बैंक ने 71 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता दी। इनमें 43 रुडसेटी, उजिरे ने आयोजित की थीं, जिनमें 1,248 लाभग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया। स्थापना से लेकर 31 मार्च 2010 तक बैंक ने विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए कुल 2,732 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता दी है, जिनकी प्रतिभागी संख्या लगभग 67,839 है। सिडबी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जांगीपुर, मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल में "प्रबंधन एवं कौशल विकास संस्थान" (एमएसडीआई) स्थापित किया है। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य इस इलाके में उद्यमिता के संवर्द्धन को बल देना और सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना करना है। एमएसडीआई इलाके के ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के लाभग्राहियों और साथ ही अन्य बेरोजगार युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

# एमएसएमई क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

- एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों की तकनीकी व प्रबंधकीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैंक प्रतिष्ठित प्रबंधन / प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता प्रदान करता है, तािक वे प्रबंध / कौशल विकास कार्यक्रम, जैसे- "कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम" (स्टुप) तथा लघु उद्योग प्रबंध कार्यक्रम (सिमैप) आयोजित कर पाएँ। कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई इकाइयों का प्रौद्योगिकी प्रोफाइल बढ़ाना होता है और लघु उद्योग प्रबंध कार्यक्रम में योग्यताप्राप्त बेरोजगारों और साथ ही, उद्योग-प्रायोजित अभ्यर्थियों को लक्ष्य में रखा जाता है, समग्रत: जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को सक्षम प्रबंधक उपलब्ध कराना होता है।
- समूह निधि के रूप में सहायता प्रदान करने के अलावा बैंक ऐसे नए संस्थानों को भी प्रोत्साहित करता है जो इस प्रकार के विशेषज्ञतायुक्त कार्यक्रम चला सकते हैं। स्वतंत्र रूप में संचालित स्टुप एवं सिमैप के लिए भी बैंक सहायता प्रदान करता रहा है। वर्ष के दौरान 15 स्टुप एवं 4 सिमैप हेतु सहायता प्रदान की गई, जिनमें लगभग 550 लाभग्राही शामिल हुए। 31 मार्च 2010 तक बैंक से सहायता प्राप्त स्टुप और सिमैप की कुल संख्या क्रमश: 1475 तथा 288 है।
- o वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान सिडबी द्वारा चार संस्थानों- आईआईटी दिल्ली, एमआईएम बंगलूरु, एक्सआईएम भुवनेश्वर और सिमैप लखनऊ को सिमैप और स्टुप के आयोजन हेतु प्रदान की गई समूह निधि सहायता का नवीकरण किया गया।

# समूह विकास

विगत कुछ वर्षों में समूह विकास कार्यक्रम में मूलभूत परिवर्तन आया है और वह प्रौद्योगिकी केन्द्रिक से और अधिक व्यापक स्तर के समूह विकास दृष्टिकोण पर केन्द्रित हो गया है, जिसमें प्रबंध पद्धतियाँ, विपणन संपर्कों का विकास, उत्पाद/डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन



Cluster Development Programme at Handicraft Cluster.

#### Entrepreneurship Development

The Bank's Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) aim at promotion of self-employed ventures capable of generating employment opportunities, especially in rural areas targeting less privileged sections of the society like women and SCs/STs. Established EDP institutions, such as, RUDSETI, Ujire are provided annual support for conducting variety of entrepreneurship related programmes, such as, General EDPs, Product / Process specific EDPs, Trainers' Training Programmes, Courses for Development Consultants, etc. The stand-alone EDPs conducted by upcoming NGOs / other agencies are also supported by the Bank. The incentive structure under EDP is linked to promotion of units. During the year, 71 EDPs were supported by the Bank, including 43 by RUDSETI, Ujire in which 1,248 beneficiaries were trained. As on March 31, 2010, the total number of EDPs supported by the Bank since inception for various target groups was 2,732 covering about 67,839 participants. SIDBI, in association with Union Bank of India, has set up a "Management & Skill Development Institute [MSDI] at Jangipur in Murshidabad District, West Bengal. The objective for setting up this Institute is to give a thrust to promotion of entrepreneurship and grounding of MSEs in the region. MSDI will cater to the needs of beneficiaries under the RIP as well as other unemployed youth of the area.

#### **Strengthening MSME Sector**

- o With a view to strengthen the existing MSME sector, the Bank supports reputed management / technology institutions to offer management development programmes, viz. "Skill-cum-Technology Upgradation Programme" [STUP] and "Small Industries Management Programme" [SIMAP]. The STUP aims at enhancing technology profile of MSME units and the SIMAP targets qualified unemployed as well as industry-sponsored candidates with the overall objective of providing competent managers to the MSME sector.
- o Besides extending assistance in the form of corpus fund, the Bank also encourages new institutions which can take up such specialised programmes and has been extending support for stand-alone STUPs, SIMAPs and other awareness programmes. During the year, 15 STUPs and 4 SIMAPs were supported covering about 550 beneficiaries. As on March 31, 2010, the total number of STUPs and SIMAPs supported by the Bank since inception were 1,475 and 288, respectively.
- O During FY 2010, the Corpus support provided by SIDBI for conducting SIMAP and STUP was renewed to four Institutions viz. IIT, Delhi; MIM, Bangalore; XIM, Bhubasneswar and CIMAP, Lucknow.

#### Cluster Development

The paradigm shift in the cluster development programme during the last few years is basically from technology centric to a more comprehensive cluster development approach which include management practices, establishment



International Agricultural Trade Exhibition "Agri Intex 2009" at Coimbatore, Tamil Nadu.

आदि समाविष्ट हैं। वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 6 समूह विकास कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई। मूलत: ये समूह हैं स्थानीय कौशलों/ संसाधनों पर निर्भर हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक उद्योग। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रतिभागियों/शिल्पकारों के तकनीकी, डिजाइनिंग और विपणन कौशल को सुदृढ़ बनाना और सुधारना है।

# अल्पसंख्यकों को सहायता

बैंक ने अल्पसंख्यक-बहुलता वाले जिलों में केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 800 प्रतिभागियों के लाभार्थ आयोजित कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की है। विभिन्न पीएंडडी कार्यक्रमों से अल्पसंख्यक समुदायों के 3,300 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित होंगे।

# विपणन गतिविधियाँ

- विपणन गतिविधियों के अंतर्गत वर्ष के दौरान बैंक की सहायता प्राप्त कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में समाहित हैं- कोडिसिया द्वारा आयोजित इनटेक-2009, देहरादून में आयोजित उत्तर भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, वेपएक्स्पो 2009 और चेन्नै में आयोजित टैन्सटिया।
- सिडबी ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न संस्थानों द्वारा 2700 से अधिक उद्यमियों के लाभार्थ आयोजित और कई कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की, जिनका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के विपणन प्रयासों को प्रोत्साहन और मदद देना था।
- बैंक ने वर्ष के दौरान सम्मेलनों /कार्यशालाओं के लिए भी सहायता प्रदान की, जैसे कि अल्प वित्त एवं लिंग-भेद, गरीबी पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला, अल्प वित्त प्रबंधन और संगठनात्मक विकास पर कोच्चि में आयोजित एक-दिवसीय राष्ट्र-स्तरीय कार्यशाला।
- भुवनेश्वर में एमएसएमई को ऋण उपलब्धता विषय पर आयोजित वार्षिक राज्य-स्तरीय सम्मेलन तथा संगोष्ठी और विदर्भ उद्योग संघ, नागपुर को भी बैंक ने सहायता प्रदान की।
- छत्तीसगढ़ एवं सहायक उद्योग संघ, बिलासपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मेला- बिलासपुर मेला 2010 के लिए बैंक ने सहायता
   प्रदान की। इस सेमिनार में राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय ख्याति के कई अग्रणी व उभरते हुए एमएसएमई ने प्रतिभागिता की।

# तकनीकी परामर्श संगठन

- औद्योगिक क्षेत्र में विशेषकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए तकनीकी परामर्श संगठन महत्त्वपूर्ण मध्यवर्ती होते हैं। उद्यमी को शुरुआती सेवाएँ प्रदान करने के साथ-साथ, वे नई के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों/ भावी उद्यमियों को औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- तकनीकी परामर्श संगठनों की शेयरधारिता सिडबी के पक्ष में अंतरित करने के संबंध में वर्ष के दौरान सिडबी और आईडीबीआई के मध्य एक करारनामा निष्पादित किया गया। 17 में से 9 तकनीकी परामर्श संगठनों- (1)ऐपिटको (2) बिटको (3) जेएंडिकटको (4) किटको (5)नेकॉन (6)नीटको (7)ओरिटको (8)युपिको और (9) वेबकॉन में सिडबी प्रमुख शेयरधारक है।



Beneficiaries under Rural Industries Programme of SIDBI.

of marketing linkages, product/design development, skill upgradation, etc. During the year, 6 cluster development programmes have been sanctioned in the North-Eastern region. These clusters are basically handicraft, handloom and traditional industries dependent on local skills/ resources. The objective of these programmes is to strengthen and improve the technical, designing and marketing skills of the participants/ artisans.

#### Support to Minorities

The Bank has extended assistance for programmes in minority dominated districts exclusively for the benefit of about 800 participants from minority communities. Over 3,300 participants from the minority communities would benefit from the various P&D programmes.

#### **Marketing Activities**

- Under the marketing activities, some of the important events supported by the Bank during the year include INTEC-2009, organized by CODISSIA, Northern India International Trade Fair at Deharadun, WEP EXPO 2009 and TANSTIA at Chennai.
- Many other programmes organised by various Institutes in different States for the benefit of more than 2700
  entrepreneurs were assisted by SIDBI, with a view to encouraging and supporting the marketing efforts of micro
  entrepreneurs.
- The Bank also supported seminars/workshops during the year, such as, a two-day workshop on Micro finance
  and Gender Poverty and a one-day National level workshop on Micro Finance Management and Organisational
  Development at Kochi.
- Annual State Level Convention and Seminar on Credit flow to MSMEs at Bhubaneswar, Vidharba Industries Association, Nagpur were also supported by the Bank.
- National Industry Trade Fair Bilaspur Mela 2010 organised by Chhatisgarah Avam Shayak Udyog Sangh, Bilaspur
  was also supported by the Bank. Many leading as well as emerging MSMEs of the state as well as of the National
  repute participated in the Seminar.

#### **Technical Consultancy Organisations**

- TCOs are an important intermediary in the industrial sector especially for micro and small enterprises. Besides
  providing start-up services to an entrepreneur, they provide industrial and technical consultancy services to the
  new as well as existing units./ prospective entrepreneurs.
- An agreement for transfer of shareholding of TCOs in favour of SIDBI was executed by SIDBI and IDBI during the year. SIDBI is the major shareholder in 9 of the 17 TCOs, viz. (1) APITCO, (2) BITCO, (3) J&KITCO, (4) KITCO, (5) NECON, (6) NEITCO, (7) ORITCO (8) UPICO and (9) WEBCON.



Beneficiaries under Rural Industries Programme of SIDBI.

# दृष्टिकोण

आगामी वर्ष के दौरान कार्यनीतिक और नीतिगत प्रयासों के अंतर्गत संवर्द्धनशील एवं विकासपरक सेवाओं में सृदृढ़ता व गहनता लाने और उनकी पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए उनको बेरोजगार युवाओं तथा उभरते हुए एमएसएमई उद्यमियों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा।

हालांकि एमएसएमई क्षेत्र की विकासपरक आवश्यकताएं अत्यधिक विषम हैं, तब भी विगत वर्षों में बैंक ने मददगार की भूमिका प्रभावशाली तरीके से निभाना जारी रखा है, तािक उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके और समग्र रूप से क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाया जा सके। बैंक इस क्षेत्र पर ध्यान देना जारी रखेगा। ग्रामीण विकास और पूर्वोत्तर तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक सहायता दी जाएगी, जिसमें अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ-साथ, क्लस्टर-आधारित विकासपरक गतिविधियों पर भी बल देना जारी रहेगा। आशा की जाती है कि इस संबंध में बैंक के लगातार प्रयासों से इस क्षेत्र की बहु-आयामी समस्याओं के समाधान और उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति पर परिलक्षित होने योग्य प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, इससे अर्थव्यवस्था के इस उत्पादक क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

# पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सिडबी की सहायता

- बैंक अल्प वित्त, ग्रामीण उद्योगीकरण, हस्तिशिल्प क्लस्टर विकास, उद्यमिता विकास, विपणन सहायता आदि की दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष तौर पर और संकेंद्रित रूप से ध्यान देता है। वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 75 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। 31 मार्च 2010 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के 22 जिलों को ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम में समाहित किया गया है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में बैंक ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 34 क्लस्टरों को सहायता प्रदान की है, जिनमें बाँस-चटाई बुनाई, गलीचा बुनाई, हस्तिशिल्प, हथकरघा, बुनाई आदि गतिविधियाँ शामिल हैं। इन क्लस्टर विकास गतिविधियों से लगभग 2,786 हस्तिशिल्पी लाभान्वित होंगे।
- सूक्ष्म और लघु उद्यिमयों के लिए सिडबी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक परामर्श केन्द्र स्थापित किया गया, ताकि उभरते हुए उद्यिमयों को परामर्श सेवाएं प्रदान की जा सकें। 31 मार्च, 2010 तक केन्द्र ने लगभग 745 संभावित उद्यिमयों को सेवा प्रदान की है।
- बैंक ने कई व्यवसायपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विपणन गतिविधियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के लिए सहायता दी है, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के एमएसएमई से संबंधित 3,500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। इसके अलावा संस्था निर्माण की दृष्टि से बैंक ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (नेडफी) का सह-प्रायोजन किया है और संस्थापक सदस्य के रूप में भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी को संस्थान की स्थापना हेतु समूह निधि प्रदान की है।



Inauguration of Rural Industries Programme of SIDBI.

#### Outlook

The emphasis on strategic and policy initiatives during the ensuing year would be aimed at strengthening, deepening and significantly upscaling the reach of Promotional and Developmental services to the unemployed youth and budding MSME entrepreneurs.

While the developmental needs of the MSME sector are extremely heterogeneous, the Bank has continued to play the supporting role effectively over the years so as to promote entrepreneurship and improve the overall competitiveness of the sector. The Bank's focus in this area would continue with enhanced support for rural development, as also the development of North Eastern and other backward regions with special thrust on minorities and backward categories. Simultaneously, the thrust on cluster-based developmental activities would also continue. It is expected that the cumulative effect of the Bank's persistent efforts in this regard would create a perceptible impact in addressing the multifarious problems and emerging needs of the sector, besides creating employment opportunities in this productive sector of the economy.

#### SIDBI's Support for North Eastern Region (NER)

- ☐ The Bank accords special and focused attention to the development of North Eastern Region (NER) in terms of micro finance, rural Industrialisation, handicraft cluster development, entrepreneurship development, marketing support etc. During the year, total assistance of Rs.75 lakh was extended under various programmes for the North Eastern Region. 22 districts in NER are covered under RIP as on March 31, 2010.
- ☐ The Bank has supported 34 clusters under Cluster Development Programme in different States of NER covering activities like bamboo mat weaving, carpet weaving, handicrafts, handloom weaving, etc. These cluster development initiatives would benefit about 2,786 artisans.
- A Counselling Centre for Micro & Small Enterprises was setup jointly by SIDBI and United Bank of India for providing counselling services to budding entrepreneurs. Till March 31, 2010, the Centre has rendered service to about 745 prospective entrepreneurs.
- □ The Bank has supported various vocational training programmes, marketing activities, seminars, exhibitions covering over 3,500 participants from MSME sector in the NER. Further, with regard to institution building, the Bank had co-promoted North Eastern Development Finance Corporation Ltd. (NEDFi) at Guwahati and as a founder member had extended corpus fund to Indian Institute of Entrepreneurship (IIE), Guwahati for setting up the Institute.

# INDIA SME TECHNOLOGY SERVICES LTD.

To render services for technology

transfer and attendant support

services in order to enhance market

competitiveness of Micro, Small &

Medium Enterprises and promote

sustainable development.



# 5



प्रबन्ध एवं निगमित व्यवस्था Management and Corporate Governance



Board Meeting of SIDBI.

गमित व्यवस्था की उत्तम पद्धितयों (जीसीजीपी) के प्रित सशक्त प्रितबद्धता सिडबी के कामकाज का अंतर्निहित सिद्धांत है। बैंक की जीसीजीपी में व्यावसायिक प्रबंधन, विभिन्न आचार संहिताओं का पालन, नैतिक कारोबार की पद्धितयों का अनुसरण आदि सभी पक्षों का समावेश है। इसी दिशा में कार्य करते हुए बैंक ने अपने संस्थायी सामाजिक दायित्व (सीएसआर)निर्धारित किए हैं और अपनी पहली संस्थायी सामाजिक दायित्व रिपोर्ट, 2010 में विभिन्न प्रयासों को प्रलेखित किया है। उक्त रिपोर्ट का विमोचन 02 अप्रैल 2010 को बैंक के 20 वें स्थापना दिवस पर माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री के कर कमलों से हुआ।

# निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की समितियाँ

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(संशोधन) अधिनियम, 2000 में 15 सदस्यों वाले निदेशक मंडल का प्रावधान है। इनमें से आठ निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किए जाते हैं। इन आठ निदेशकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो पूर्ण कालिक निदेशक, दो सरकारी अधिकारी और विशेष ज्ञान अथवा व्यावसायिक अनुभव वाले तीन विशेषज्ञ (राज्य वित्तीय निगमों से एक सदस्य सिहत) शामिल हैं। शेष सात निदेशकों में से तीन का नामांकन केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली तीन सबसे बड़ी शेयरधारक संस्थाओं, बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। चार निदेशकों का चुनाव आम शेयरधारकों द्वारा किया जाता है, अथवा उन्हें निदेशक मंडल द्वारा सहयोजित किया जा सकता है, जब तक कि चुने हुए निदेशक कार्यभार ग्रहण न करें। 07 मई 2010 को निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एक पूर्णकालिक निदेशक सहित कुल ग्यारह निदेशक थे।

भारत सरकार की 01 मार्च 2007 की अधिसूचना के अनुसार श्री ए. प्रभाकर अपनी नियुक्त का कार्यकाल पूरा हो जाने के फलस्वरूप 01 मार्च 2010 से सिडबी के निदेशक मंडल के सदस्य नहीं रहे। निदेशक मंडल श्री प्रभाकर द्वारा किए गए अमूल्य योगदान की हार्दिक सराहना करता है।

विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर संकेंद्रित ध्यान देने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने पाँच सिमितियां गठित की हैं - कार्यपालक सिमिति, लेखापरीक्षा सिमिति, जोखिम प्रबंध सिमिति, राज्य वित्तीय निगम पर्यवेक्षण सिमिति और बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष सिमिति। एक न्यूनतम सीमा से ऊपर के ऋण प्रस्तावों से संबंधित मंजूरियों और ऐसे ही अन्य परिचालनगत मामलों पर कार्यपालक सिमिति द्वारा विचार किया जाता है। लेखापरीक्षा सिमिति लेखापरीक्षा विभाग के कामकाज का पर्यवेक्षण तथा उसकी प्रमुख टिप्पणियों की सिमीक्षा करने के साथ-साथ, बैंक के लेखाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित तथा आरबीआई निरीक्षण में की गई टिप्पणियों से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करती है। जोखिम प्रबंध सिमिति बैंक के एकीकृत जोखिम प्रबंध हेतु नीति और कार्यनीति निर्धारित करती है। राज्य वित्तीय निगम पर्यवेक्षण सिमित राज्य वित्तीय निगम में संबंधित सभी नीतियों/मामलों के विषय में



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Gurgaon, Haryana.

Astrong commitment to Good Corporate Governance Practices (GCGPs) is the underlying principle of the working and functioning of SIDBI. The Bank's GCGPs encompass an entire gamut of professional management, compliance to various codes of conduct, adherence to ethical business practices, etc. Towards this endeavor, the Bank has put in place its Corporate Social Responsibility (CSR) and documented various initiatives in its first CSR Report, 2010 released on April 02, 2010 through the hands of Hon'ble Union Finance Minister on the occasion of the 20<sup>th</sup> Foundation Day of the Bank.

#### Board of Directors/Committees of the Board

The Small Industries Development Bank of India (Amendment) Act, 2000 provides for a fifteen-member Board of Directors. Out of these, eight Directors are appointed / nominated by the Central Government comprising Chairman and Managing Director (CMD), two whole time Directors, two Government officials and three experts (including one from State Financial Corporations) having special knowledge or professional experience. Out of the remaining seven Directors, three are nominated by the three largest shareholding institutions, banks and insurance companies owned or controlled by the Central Government, while four are elected by the public shareholders or alternatively, can be co-opted by the Board until assumption of charge by the elected Directors. The Board, as on May 7, 2010, comprised eleven Directors, including CMD and a Whole Time Director.

In terms of GoI notification dated March 01, 2007, Shri A Prabhakara ceased to be a Director on SIDBI's Board with effect from March 01, 2010 on completion of his tenure of appointment. The Board placed on record its high sense of appreciation of the valuable contributions made by Shri Prabhakara.

With the objective of giving focussed attention to various important issues, the Board has constituted five Committees, viz. Executive Committee (EC), Audit Committee (AC), Risk Management Committee (RiMC), Committee for Supervision of SFCs (CfS) and Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (SCMLVF). Sanctions relating to credit proposals above a threshold limit and other such operational matters are considered by the EC. The AC, in addition to overseeing the functioning of the Audit Department and reviewing its major observations, also provides guidance in matters relating to finalization of accounts of the Bank and observations made in RBI Inspection. The RiMC lays down policy and strategy for Integrated Risk Management of the Bank. The CfS guides the Bank in respect of all the policies / matters pertaining



Board of Directors and Senior Executives during Annual General Meeting of SIDBI.

बैंक को मार्गदर्शन प्रदान करती है। 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी पर संकेंद्रित ध्यान देने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठकों के कार्यवृत्त, जिनमें किए गए निर्णयों का समावेश रहता है, निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की पाँच बैठकें हुईं, जबिक निदेशक मंडल की सिमितियों, अर्थात् कार्यपालक सिमिति, लेखापरीक्षा सिमिति, जोखिम प्रबंध सिमिति, राज्य वित्तीय निगम पर्यवेक्षण सिमिति और बड़े मूल्य की धोखाधिड़यों की निगरानी हेतु विशेष सिमिति की क्रमश: सात, छह, दो, दो तथा चार बैठकें हुईं। इसके अतिरिक्त, सिडबी की 12वीं वार्षिक साधारण बैठक 30 जून, 2010 को लखनऊ में आयोजित हुई।

# शेयरधारिता का स्वरूप

सिडबी के शेयर केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली पैंतीस संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों के पास हैं और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम इसके तीन सबसे बड़े शेयरधारक हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सिडबी की शेयरधारिता का स्वरूप अपरिवर्तित रहा।

# आस्ति देयता प्रबंध समिति

बैंक की आस्ति देयता प्रबंध समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है और उप प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा बैंक के अन्य विरष्ठ कार्यपालक, जो कि जोखिम प्रबंध, ऋण, संसाधन और राजकोष तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के प्रमुख होते हैं, इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। आस्ति देयता प्रबंध समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक में तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम की नियमित आधार पर समीक्षा और निगरानी करती है। बैंक की आस्ति देयता प्रबंध व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंध नीति से मार्गदर्शन प्राप्त करती है। आस्ति देयता प्रबंध नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, तािक मौजूदा विनियामक अपेक्षाओं एवं बैंक के बदलते हुए आस्ति देयता स्वरूप के अनुरूप इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें। आस्ति देयता प्रबंध नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान आस्ति देयता प्रबंध समिति की बैठकें आविधक अंतरालों पर अथवा बाजार दशाओं के फलस्वरूप अपेक्षित होने पर आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान समिति की पाँच बैंठकें हुईं, जो कि नियमित रूप से कार्यसूची पर परिचालन आधार पर विचार -विमर्श के अतिरिक्त हैं। इन बैठकों में विभिन्न सिफारिशें की गईं, जैसे - साविध जमा पर ब्याज दर में संशोधन, मूल उधार दर में संशोधन, विदेशी मुद्रा देयताओं की बचाव व्यवस्था, नई उधारियाँ और उनकी लागत आदि।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing food items at Indore, Madhya Pradesh.

A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing water pumps at Indore, Madhya Pradesh.

to State Financial Corporations. With a view to provide focused attention on monitoring of frauds involving amounts of Rs. 1 crore and above, SCMLVF has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India. Minutes of the meetings of the Committees, containing decisions made, are submitted to the Board.

The Board held five meetings during the year, while the committees of the Board, viz. the Executive Committee, Audit Committee, Risk Management Committee, Committee for Supervision of SFCs and Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds held seven, six, two, two and four meetings, respectively. Besides, SIDBI held its 12<sup>th</sup> Annual General Meeting on, June 30, 2010 at Lucknow.

#### **Shareholding Pattern**

The shares of SIDBI are held by thirty five institutions / public sector banks / insurance companies owned or controlled by Central Government, with Industrial Development Bank of India Ltd., State Bank of India and Life Insurance Corporation of India being the three largest shareholders. The shareholding pattern of SIDBI remained unchanged during the year under review.

#### **Asset Liability Management Committee**

The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is headed by the Chairman and Managing Director and comprises Dy. Managing Director, Executive Director and other senior executives of the Bank heading Risk Management, Credit, Resources & Treasury and Information Technology Departments as its members. ALCO, , reviews and monitors the liquidity risk and interest rate risk in the Bank on regular basis. The ALM system in the Bank is guided by the extant RBI guidelines and the ALM Policy of the Bank. The ALM Policy is reviewed from time to time to bring in necessary changes in line with extant regulatory requirements and the changing asset liability profile of the Bank. The ALCO meetings were held at periodic intervals or as and when the market conditions so warranted during FY 2009–10 as per the ALM Policy. The Committee held five meetings, besides deliberating on the agenda by circulation on regular basis during FY 2009–10 and made various recommendations, such as, revision in interest rates on Fixed Deposits, revision in PLR, hedging of foreign currency liabilities, fresh borrowings and cost thereof, etc.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Gurgaon, Haryana.

# निवेश समिति

बैंक की निवेश समिति बैंक की निवेश नीति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी संगत दिशानिर्देशों के दायरे में कार्यनीतियाँ निर्धारित करती है और बैंक के निवेश संविभाग के लिए विभिन्न निवेश विकल्पों की सिफारिश करती है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान निवेश समिति का एक बार पुनर्गठन किया गया और इसकी 28 बैठकें हुईं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न निवेश प्रस्तावों, न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने आदि पर चर्चा हुई।

# अनुषंगी बाजार समिति

जुलाई 2009 में अनुषंगी बाजार सिमित के पुनर्गठन के साथ ही राजकोष में अनुषंगी ईक्विटी बाजार परिचालन एक बार फिर वित्तीय वर्ष 2010 में आरंभ हो गए और इनमें एक्सपोज़र की अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपए रखी गई है। उप सिमित संभावनाशील स्क्रिपों के क्रय-विक्रय की नियमित निगरानी करती है और फिर विचारार्थ विभिन्न क्षेत्रों के चुनिंदा स्क्रिपों की सिफारिश करती है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सिमित का एक बार पुनर्गठन हुआ और उसकी 14 बैठकें हुई।

# आंतरिक लेखापरीक्षा

बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा, निगमित व्यवस्था को सुदृढ़ करने में और आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करने एवं जोखिम प्रबंध को सुधारने के प्रबंधन के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नियमित आधार पर शाखा कार्यालयों/अंचल कार्यालयों/प्रधान कार्यालय विभागों की परिचालनगत तथा प्रबंध लेखापरीक्षा कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, यह निर्णय किया गया था कि शाखा कार्यलयों की परिचालनगत लेखापरीक्षा 12 माह में एक बार की जाएगी। संसाधन प्रबंध विभाग की ह्रैमासिक संव्यवहार लेखापरीक्षा का संबंध बैंक के ऋण लिखतों से है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग संसाधन प्रबंध विभाग की मासिक समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करता है और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा यथासूचित चुनिंदा शाखा कार्यालयों की तिमाही सीमित समीक्षा लेखापरीक्षा का आयोजन करता है। वर्ष के दौरान 7 अल्प वित्त शाखाओं की परिचालनगत लेखापरीक्षा आरंभ की गई है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर सभी शाखा कार्यालयों और अल्प वित्त शाखाओं की रेटिंग की व्यवस्था समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जारी रही।

लेखापरीक्षा करते समय केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों के अनुपालन, निधियों के अंतिम उपयोग के सत्यापन, आस्तियों के सृजन, दिशानिर्देशों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं आदि के पालन पर जोर दिया जाता है। बेहतर ध्यान देने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अब मोटे तौर पर दो शीर्षों - 'प्रमुख' और 'अन्य' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जो कि उनसे संबंधित जोखिम आकलन पर



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of electrical stamping press at Faridabad, Haryana.

#### **Investment Committee**

The Investment Committee of the Bank formulates strategies as well as recommends various investment options with regard to the Bank's investment portfolio within the sphere of the Investment Policy of the Bank and relevant RBI guidelines issued from time to time. The Investment Committee was reconstituted once during FY 2009–10 and held 28 meetings to, *inter alia*, deliberate upon various investment proposals, fixing of floor price, etc.

#### **Secondary Market Committee**

The secondary equity market operations in Treasury were resumed during the FY 2010 with the reconstitution of Secondary Market Committee in July 2009 with a maximum cap of exposure of Rs.50 crore. The Sub-Committee regularly monitors the stock movements of the potential scrips and then recommends selected scrips in different sectors for consideration. The Committee was reconstituted once and held 14 meetings during FY 2009-10.

#### **Internal Audit**

Internal Audit of the Bank plays a pivotal role in strengthening Corporate Governance and complying with Management objectives to strengthen internal control and improve Risk Management.

Internal Audit Department (IAD) has been carrying out Operational and Management Audit (MA) of Branch Offices (BOs) / Zonal Offices (ZOs) / Head Office (HO) Departments on a regular basis. During FY 2009-10, it was decided that Operational Audit (OA) of BOs would be conducted once in 12 months. The bi-monthly Transactions Audit (TA) of Resources Management Department (RMD) pertains to debt instruments of the Bank. Besides the above, IAD reviews the monthly Concurrent Audit reports of RMD and organizes the quarterly Limited Review Audit of select BOs as advised by Statutory Auditors. During the year, OA of 7 Micro Finance Branches (MFBs) has been initiated. Rating of all BOs and MFBs, based on audit observations, continued during the year under review.

During conduct of audit, compliance to KYC/AML guidelines, verification of end use of funds, creation of assets, adherence to guidelines, systems & procedures, etc. are emphasized. In order to have a better focus, the audit observations are now grouped under the broad heads, viz. 'major' and 'others', depending on



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of Corrugated boxes and printing at Silvassa, Daman.

आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की प्रस्तुति तथा रिपोर्टों के समुचित समापन को शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है।

अंचल कार्यालय और प्रधान कार्यालय के विभागों की वार्षिक आधार पर प्रबंध लेखापरीक्षा की जाती है, जिसमें प्रबंध, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण संबंधी कार्य एवं महत्वपूर्ण परिचालनगत पहलू कवर किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान 118 लेखापरीक्षाएं की गईं, जिनमें 84 परिचालनगत लेखापरीक्षाएं, संसाधन प्रबंध विभाग की 12 समवर्ती लेखापरीक्षाएं, संसाधन प्रबंध विभाग की ऋण शोधन गतिविधियों की 6 संव्यवहार लेखापरीक्षाएं, मुंबई बांद्रा कुर्ला परिसर शाखा कार्यालय की एक संव्यवहार लेखापरीक्षा और 5 अंचल कार्यालयों तथा 10 प्रधान कार्यालय विभागों की प्रबंध लेखापरीक्षाएं थीं।

ऋण लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान आरंभ की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य ऋण/प्रतिभूति प्रलेखीकरण तथा संवितरण से पहले मंजूरी की शर्तों के अनुपालन की किमयों को चिह्नित करना और सुधारना था, तािक ऋण देने से जुड़े हुए जोिखम को कम किया जा सके। ऋण लेखापरीक्षा प्रायोगिक आधार पर सितंबर 2009 से उत्तर अंचल के शाखा कार्यालयों के लिए आरंभ की गई और दिसंबर 2009 से उसका विस्तार अन्य अंचलों के लिए भी कर दिया गया है। ऋण लेखापरीक्षा के अंतर्गत उच्च मूल्य की मंजूरियों, अर्थात् 5 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरियों/ऋण जोिखम(एक्सपोजर) को कवर किया जाता है। 3 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ से कम तक की मंजूरियों वाले प्रस्तावों में से 10 प्रतिशत को नमूना आधार पर कवर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान 61 मामलों की ऋण लेखापरीक्षा की गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग निरीक्षण के सुचारु संचालन के लिए आरबीआई समन्वय कक्ष के साथ समन्वय करता है और आरबीआई समन्वय कक्ष की गतिविधियों के संदर्भ में संपूरक भूमिका निभाता है।

निगमित लेखा विभाग के अनुरोध पर आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियों के पूर्ण अनुपालन हेतु शाखा कार्यालयों के साथ अनुवर्तन करता है और अनुपालन की स्थिति निगमित लेखा विभाग को प्रेषित करता है, ताकि वे समापन प्रमाणपत्र जारी कर सकें।

एक निगरानी उपाय के तौर पर आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग 30 जून को समाप्त अवधि हेतु दूरवर्ती निगरानी विवरण की प्रस्तुति के लिए अंचल कार्यालयों/शाखा कार्यालयों/चिन्हित प्रधान कार्यालय विभागों के साथ अनुवर्तन करता है। यह लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन की स्थिति की मासिक स्थिति रिपोर्ट की प्रस्तुति तथा शाखा कार्यालयों को समापन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु भी अंचल कार्यालयों के साथ अनुवर्तन करता है।

उत्तम निगमित व्यवस्था के एक उपाय के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति को विभिन्न ज्ञापन प्रस्तुत करता है। वार्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रस्तुत ज्ञापनों पर चर्चा करने के लिए निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की वर्ष के दौरान 6 बैठकें हुईं। ईएसए परियोजना के अंतर्गत लेखापरीक्षा सॉफ्टवेयर में परिचालनगत लेखापरीक्षा/प्रबंध लेखापरीक्षा की अपलोडिंग का कार्य शुरू किया गया है।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of electrical stamping press at Faridabad, Haryana.

perception of risk involved. Further, submission of compliance and proper closure of audit reports within the stipulated time frame are given utmost priority.

Zonal Offices and Head Office Departments are subjected to MA on an annual basis which covers the managerial, supervisory and controlling functions as well as important operational aspects.

During the year, 118 audits comprising 84 OAs, 12 Concurrent Audits of RMD, 6 TAs of debt servicing activities of RMD, one TA of Mumbai Bandra Kurla Complex Branch Office, MA of 5 ZOs and 10 HO Departments were completed.

Credit Audit (CA) was introduced during FY 2010 primarily to identify and rectify any shortcomings in loan / security documentation and compliance of terms of sanction before effecting any disbursement and thereby mitigate the risk involved in lending. CA was started on a pilot basis, from September 2009 for BOs in Northern Zone and has since been extended to other Zones from December 2009. Under CA, high value sanctions, i.e. sanctions / exposure above Rs.5 crore is covered. 10% of the proposals involving sanctions between Rs.3 crore and less than Rs.5 crore are covered on a sample basis. During FY 2010, CA was conducted in respect of 61 cases.

During RBI inspection, IAD coordinates with RBI Coordination Cell (RBICC) for smooth conduct of the inspection and supplements the activities of RBICC.

IAD, at the request of Corporate Accounts Department (CAD), follows up with BOs for complete compliance of the observations in the Statutory Audit Report and forwards the status of compliance to CAD to enable them to issue Closure Certificate.

IAD, as a monitoring measure, follows up with all ZOs/BOs/ identified HO Departments for submission of annual Offsite Monitoring Statement for the period ended June 30. Also it follows up with ZOs for submission of Monthly Status Report on the status of compliance of audit observations and issuance of Closure Certificates to BOs.

IAD submits various memoranda to Audit Committee of the Board (ACB) as a measure of good Corporate Governance. During the year, ACB met six times to discuss the memoranda submitted as per Annual Calendar. Under ESA project, uploading of OA / MA activities in Audit Software have been undertaken.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of garments at Ludhiana, Punjab.

# प्रतिनिधित्व

- श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बैंक का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और उद्योग संघों की महत्वपूर्ण बैठकें शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड में भी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वित्तीय समावेशन तथा बैंकिंग क्षेत्र के हाल के घटनाक्रमों के विशेष संदर्भ में अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित अग्रणी बैंक योजना संबंधी उच्च स्तरीय समिति के भी स्थायी आमंत्रिती हैं।
- श्री मल्ला ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के लिए ऋण-व्यवस्था हेतु फ्रैंच विकास एजेंसी के कंट्री हैड
   -इंडिया श्री येवस बाउडॉट और श्री जेरोम एडम से 17 जून 2009 को चर्चा की।
- कतर विकास बैंक की एक विरष्ठ टीम ने अपने अनुभवों से अवगत कराने और सिडबी की गितविधियों एवं प्रयासों, जैसे -ऋण मूल्यांकन मॉड्यूल, जोखिम तकनीक, रेटिंग टूल, संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋणों की गारंटी आदि के विषय में जानने के लिए 8 जुलाई 2009 को श्री मल्ला से मुलाकात की।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के मुद्दों के समाधान हेतु प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कार्यदल में श्री मल्ला ने सहभागिता की। कार्यदल ने 25 सितंबर को हुई अपनी प्रथम बैठक में ऋण, विपणन, श्रम, निकास नीति, मूलभूत ढाँचा/प्रौद्दोगिकी/कौशल विकास, कराधान और पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर हेतु विशेष पैकेज के संबंध में 7 उप-समूह गठित करने का निर्णय किया।
- श्री मल्ला ने 09-13 नवंबर 2009 के दौरान ताइपेइ, ताइवान में एशियन क्रेडिट सप्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन कन्फेडरेशन में
   भाग लिया। इस दौरे के दौरान हांगकांग में हांग कांग ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा रेनसेलियर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, न्यूयार्क तथा मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, कनाडा के साथ मिलकर 15 जनवरी 2010 को आयोजित एनुअल ग्लोबल कॉन्फ्रेन्स ऑन इंटरप्रेन्योरिशप एंड टेक्नोलॉजी इन्नोवेशन में श्री मल्ला मुख्य वक्ता थे। सिडबी ने आईआईटी, कानपुर को सिडबी इन्नोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर(एसआईआईसी) की स्थापना हेतु सहायता दी हुई है।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of special purpose machines and other allied engineering products at Balanagar, Andhra Pradesh.

#### **Interface**

- Shri R M Malla, CMD represented the Bank at various national and international fora including important meetings of Government of India, Reserve Bank of India and Industry Associations. CMD is also representing the Bank in National Board for Micro, Small and Medium Enterprises (NBMSME) constituted by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MoMSME), GoI. CMD is also permanent invitee of High Level Committee on Lead Bank Scheme set up by RBI to review the scheme with a focus on financial inclusion and recent development in the banking sector.
- Shri Malla, held discussions with Mr. Yaves Boudot, the Country Head-India of French Development Agency (AFD) on June 17, 2009 along with Mr. Jerome Adam for a Line of Credit for energy efficiency in MSME Sector.
- A senior team from Qatar Development Bank (QDB) called upon Mr. Malla on July 8, 2009 to share their experiences and learn about the activities of SIDBI and initiatives, such as, credit appraisal modules, risk techniques, rating tools, guarantees for collateral free lending, etc.
- Shri Malla attended High Level Task Force constituted under the chairmanship of Principal Secretary to the Hon'ble Prime Minister to address the issues of MSME sector. The Task force in its 1st meeting on September 25, 2009 decided to constitute 7 Sub-groups on Credit, Marketing, Labour, Exit Policy, Infrastructure/Tech/Skill Development, Taxation & Special Packages for NER and J&K.
- Shri Malla attended the Asian Credit Supplementation Institution Confederation during November 09-13 2009 at Taipei, Taiwan. During the visit, discussions were held with officials of Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) in Hongkong.
- Shri Malla delivered the Keynote address during the Annual Global Conference on Entrepreneurship and Technology Innovation (AGCETI) organized by IIT, Kanpur in association with Rensselaer Polytechnic Institute, New York and MacMaster University, Canada on 15th January, 2010. SIDBI has supported IIT, Kanpur for setting up of SIDBI Innovation & Incubation Centre (SIIC).



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of master batches and compounds at Noida, Uttar Pradesh.

- श्री मल्ला ने जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्डीज (जेआईएमएस) के दीक्षांत समारोह में भारत में नए उद्यमों की स्थापना के विभिन्न अवसरों के संबंध में व्याख्यान दिया।
- श्री मल्ला ने 31 जनवरी 2010 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जांगीपुर में मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। यह संस्थान सिडबी तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित है। यह मौजूदा तथा भावी उद्यमियों के कौशल उन्नयन में सहायक होगा तथा नए उद्यमियों को व्यवहार्य इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करेगा। समारोह के दौरान, माननीय वित्त मंत्री ने "ए डेकेड ऑफ इम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन" शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया तथा सिडबी की "अल्प वित्त गतिविधियों के 10 वर्ष" शीर्षक फिल्म जारी की।
- श्री मल्ला ने 2-3 मार्च 2010 को हैदराबाद में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की दो दिवसीय बैठक में भाग लिया,
   जिसमें उन्होंने "सिडबी अल्प वित्त संस्थाओं को क्या दे सकता है और अल्प वित्त संस्थाओं से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं" विषय पर अपने विचार प्रकट किए।
- सिडबी को एडीबी सहायता-ऋण के अंतर्गत, उक्त परियोजना के संबंध में एक हस्ताक्षर समारोह19 मार्च 2010 को नई दिल्ली में हुआ। डॉ. अनूप पुजारी, जेएस, डीईए ने भारत सरकार की ओर से गारंटी करार पर हस्ताक्षर किए और ऋण करार श्री हुन किम, कंट्री डाइरेक्टर, एडीबी, नई दिल्ली द्वारा निष्पादित किया गया। सिडबी की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने करार पर हस्ताक्षर किए। उप प्रबंध निदेशक भी समारोह में उपस्थित थे।
- श्री कीजी कटाई, फार्मूलेशन ऑफिसर, जाइका, भारतीय कार्यालय ने 21 अप्रैल 2010 को सिडबी का दौरा किया और सिडबी को नई ऋण-व्यवस्था के संबंध में चर्चा की।
- श्री राकेश रेवारी, उप प्रबंध निदेशक ने एशियाई विकास बैंक द्वारा 29-31 जुलाई 2009 के दौरान सिंगापुर में आयोजित फोरम ऑन फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट में सहभागिता की।
- श्री रेवारी ने 9 सितंबर 2009 को मुंबई में "ग्लोबल बैंकिंग पैराडाइम शिफ्ट" विषय पर फिक्की -आईबीए के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने 'ग्रोइंग क्रेडिट एमिडस्ट ए स्लोडाउन - मेंटेनिंग ए फाइन बैलेंस' विषयक सत्र में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of CNC machined components, precision tools at Balanagar, Andhra Pradesh

- Shri Malla addressed the convocation ceremony of Jagan Institute of Management Studies (JIMS) on various opportunities for setting up new enterprises/ventures in India.
- Shri Malla attended the inaugural function of the Management & Skill Development Institute at Jangipur in Murshidabad District, West Bengal on January 31, 2010. The Institute, jointly promoted by SIDBI and Union Bank of India, would facilitate in skill upgradation of existing and potential entrepreneurs as also encourage new entrepreneurs to set up viable units. During the function, Hon'ble FM released SIDBI's book titled "A decade of Empowerment of Women" as also Film on "10 years of Micro Credit activities" of SIDBI.
- Shri Malla attended the two-day meeting of Micro Finance Institutions Network (MFIN) at Hyderabad on 2nd and 3rd March 2010 wherein he spoke on "What SIDBI can offer to MFIs and what it wants from MFIs."
- Under ADB-assisted loan to SIDBI, a signing ceremony in connection with the aforesaid project was held on March 19, 2010 in New Delhi. While Dr. Anup Pujari, JS, DEA signed the Guarantee Agreement on behalf of the GoI and the Loan Agreement was executed by the Country Director, ADB, New Delhi, Mr. Hun Kim. CMD-SIDBI signed the Agreement from SIDBI side. DMD also attended the ceremony.
- Shri Keiji Katai, Project Formulation Officer, JICA, Indian Office visited SIDBI on April 21, 2010 to held discussion on the new Line of Credit to SIDBI.
- Shri Rakesh Rewari, DMD participated in the Forum on Financial Assets & Liabilities and Risk Management held by Asian Development Bank in Singapore during July 29-31, 2009.
- Shri Rewari attended FICCI-IBA's Annual Conference on "Global Banking: Paradigm Shift" on 9th September, 2009 at Mumbai and participated as a Panelist in the session on 'Growing Credit amidst a slowdown maintaining a fine balance'



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of CNC machined components, precision tools at Balanagar, Andhra Pradesh

- सीआईआई, नई दिल्ली ने 20-21 नवंबर 2009 के दौरान इंडिया ग्लोबल सिमट ऑन एमएसएमईज़ का आयोजन किया। श्री रेवारी, उप प्रबंध निदेशक को एक सत्र में "डीलिंग विद इकनॉमिक साइकल्स: हाउ टू एडाप्ट?." विषय पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया था। श्री दिनेश राय, आईएएस, सिचव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा श्री अरुण मैरा, सदस्य, योजना आयोग ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।
- टीआईई, नई दिल्ली ने 28 नवंबर 2009 को नई दिल्ली में "इनिवजिनंग द वायर्ड एसएमई" विषय पर विचारगोष्ठी का आयोजन किया। श्री रेवारी, उप प्रबंध निदेशक ने एक सत्र में "प्रोपेलिंग ग्रोथ फॉर एसएमईज्ज" पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।
- श्री रेवारी, उप प्रबंध निदेशक ने सा-धन द्वारा 17-18 मार्च 2010 के दौरान विभिन्न समसामियक मुद्दों पर सामूहिक रूप से चर्चा करने, अनुभवों और नवोन्मेषों का आदान-प्रदान करने, अल्प वित्त क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग और समन्वय विकसित करने हेतु आयोजित राष्ट्रीय अल्प वित्त सम्मेलन में सहभागिता की। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था "वित्तीय समावेशन और उत्तरदायित्वपूर्ण अल्प वित्त"। श्री रेवारी ने "अल्प वित्त की चुनौतियाँ" विषय पर व्याख्यान दिया।
- श्री रेवारी, उप प्रबंध निदेशक ने एडीएफआईपी की सदस्य संस्थाओं के विरष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। इस बीच श्री रेवारी सिंगापुर में 26 अक्तूबर 2009 को वर्टेक्स ग्रुप (टामासेक होल्डिंग्स (आई) पीटीई लि. की एक सहायक कंपनी) के विरष्ठ प्रबंध तंत्र से भी मिले, तािक उद्यम पूंजी के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करने की संभावना तलाश की जा सके।

# मानव संसाधन - एक अवलोकन

बैंक अपेक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराकर व्यवसाय में वृद्धि पर आवश्यक बल देने के लिए मानव संसाधन संबंधी कार्यों पर सतत ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के प्रयास बैंक की मानव पूँजी के प्रबंधन और पोषण के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित सूचना आधारित दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में उन्मुख रहे। मानव संसाधन प्रबंध और विकास के लिए बैंक द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं:

# कार्मिक

31 मार्च 2010 को बैंक के 1040 सक्रिय पूर्णकालिक स्टाफ-सदस्य थे, जिनमें 867 अधिकारी, 98 श्रेणी III स्टाफ तथा 75 अधीनस्थ स्टाफ थे। यथा 31 मार्च 2010 को कुल स्टाफ-सदस्यों में से 187 अनुसूचित जाति, 71 अनुसूचित जनजाति तथा 127 अन्य पिछड़े वर्गों के थे। स्टाफ-सदस्यों में से 12 कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक और 17 कर्मचारी असमर्थतायुक्त व्यक्ति थे। महिला कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई और 229 हो गई, जबिक पिछले वर्ष की समाप्ति पर यह 205 थी और इस प्रकार समान अवसरदाता नियोक्ता के रूप में बैंक की स्थिति मजबूत हुई।



A unit assisted by SIDBI engaged in textile processing at Faridabad, Haryana.

- India Global Summit on MSMEs was organized by CII, New Delhi during November 20-21, 2009. Shri Rewari, DMD was invited to address on "Dealing with Economic Cycles: How to Adapt?" in one of the sessions. Shri Dinesh Rai, I.A.S., Secretary, Ministry of MSME, Government of India and Shri Arun Maira, Member, Planning Commission also participated at the Summit.
- TiE, New Delhi had organized a seminar on November 28, 2009 at New Delhi on "Envisioning the Wired SME". Shri Rewari, DMD, delivered a session on "Propelling Growth for SMEs".
- Shri Rewari, DMD, participated in the National Microfinance Conference organized by Sa-Dhan during March 17-18, 2010 to reflect collectively on various contemporary issues, share experiences & innovations, develop collaborations and synergies for the development of MF sector. The theme of the conference was "Financial Inclusion & Responsible Microfinance". Shri Rewari delivered a lecture on "Challenges to Microfinance".
- Shri Rewari, DMD held discussions with senior officers from ADFIAP's member institutions. Enroute, Shri Rewari also met the senior management of Vertex group (a subsidiary of Tamasek Holdings (I) Pte Ltd.) at Singapore on October 26, 2009 to explore possibility of working jointly in areas of Venture Capital.

#### Human Resources - Overview

Apart from the continued focus of Human Resources function to give the necessary impetus for the growth in business of the Bank by providing the requisite manpower, the initiatives during the year under review have been directed towards building an information-led approach supported by technology, for managing and nurturing the human capital of the Bank. The activities undertaken by the Bank for Human Resources Management and Development are enumerated below.

#### Personnel

As on March 31, 2010, the Bank had on its rolls a total of 1040 active full time staff comprising 867 Officers, 98 Class III staff and 75 Subordinate staff. Of the total staff as on March 31, 2010, 187 belonged to Scheduled Castes (SCs), 71 to Scheduled Tribes (STs) and 127 to Other Backward Classes (OBC). The staff strength included 12 employees in Ex-servicemen and 17 employees in Persons with disabilities (PwD) categories. The strength of women employees has gone up to 229 from 205 as at the end of previous year, thereby strengthening the Bank's position as an equal opportunities employer.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of special purpose machines and other allied engineering products at Balanagar, Andhra Pradesh.

बैंक अपने मानव संसाधनों के ज्ञान और अनुभव के क्षितिज का विस्तार करने के लिए भी उन्हें उपयुक्त मंच प्रदान कर रहा है। इसके लिए विशेषज्ञताप्राप्त मानव शक्ति को विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया जाता है। वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी विभिन्न सहायक संस्थाओं/सहयोगी संगठनों में और राष्ट्रीय महिला कोष, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) आदि में अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया।

# प्रशिक्षण और कॅरियर विकास

मानव शक्ति की गुणवत्ता का उन्नयन करने, बदलते हुए कारोबारी परिवेश का सामना करने तथा संगठनात्मक लक्ष्य में प्रभावी योगदान करने की दृष्टि से कर्मचारियों का प्रशिक्षण हमेशा एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। उक्त अविध के दौरान प्रशिक्षण बैंक के सभी ग्रेडों, विभागों, अंचलों तथा शाखाओं के अधिकतम कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं में वृद्धि पर केंद्रित था। पहले की भाँति बैंक ने अपने कर्मचारियों को (i) आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों (ii) देश के भीतर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित/आयोजित घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों (iii) अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भेजकर प्रशिक्षित करना जारी रखा। वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम विविध विषयों पर थे, जैसे - विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रत्यक्ष वित्त (परियोजना मूल्यांकन, निगरानी और अनुवर्तन), परिवेश, सामाजिक और अधिप्राप्ति ढाँचे, आरक्षण नीति, विधिक मामले और सूचना का अधिकार अधिनियम, हिंदी के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए यूनिकोड का प्रयोग, अल्प ऋण पर परिचयात्मक कार्यक्रम, सॉफ्ट स्किल तथा कंप्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल उन्नयन। इसके अतिरिक्त, नए भर्ती अधिकारियों के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा श्रेणी III/IV के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान बैंक ने 877 कर्मचारियों को जानी-मानी प्रशिक्षण/अकादिमक संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न घरेलू, आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु भेजा। इनमें से 165 महिला कर्मचारी थीं, 244 आरक्षित वर्ग के कर्मचारी थे और 119 श्रेणी III/IV के कर्मचारी थे। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 709 कर्मचारियों ने विभिन्न आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने वर्ष के दौरान 102 अधिकारियों को प्रतिष्ठित संस्थाओं, जैसे - भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सा-धन, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, माइक्रोसेव प्रा. लि., फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन वैंचर कैपिटल एसोसिएशन, एक्सएलआरआई, जमशेदपुर आदि में प्रशिक्षण हेतु भेजा।

बैंक ने 66 अधिकारियों को बैंकिंग, वित्त, प्रबंध, अल्प वित्त आदि के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों से परिचित कराने हेतु विदेश भेजा। अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणों के अंतर्गत कवर किए गए कार्यक्रमों में शामिल थे - दुर्विक्रेय ऋणों का मूल्यांकन और पूंजीकरण, क्रेडिट मास्टरक्लास, मूलभूत प्रबंध कार्यक्रम, परिचालनगत जोखिम कार्यशाला, ऋण प्रलेखन: विधिक मुद्दों की महारत, एसएमई वित्तपोषण



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of garments at Ludhiana, Punjab.

The Bank has also been providing suitable platform to its human resources to widen their horizons of knowledge and experience by deputing its specialized manpower to various institutions. The Bank had during the year, deputed officers to its various subsidiaries/ associates and also to outside organizations like Rashtriya Mahila Kosh (RMK), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), etc.

#### Training & Career Development

Training of employees has always been a key feature for upgrading the quality of manpower and to cope with the changing business environment and contribute effectively towards organizational goal. The focus of training during the period was to build the skills and competencies of maximum number of employees of the Bank across grades, departments, zones and branches. As in the past, the Bank continued to impart training by deputing its employees to (i) in-house training programmes, (ii) inland training programmes / workshops conducted / organized by reputed national institutions within the country and (iii) international programmes. The training programmes organized during the year were on diverse topics like various Application Softwares, Direct Finance (Project Appraisal, Monitoring and Follow-Up), Environment, Social and Procurement Frameworks, Reservation Policy, Legal Matters & RTI Act, Use of Unicode for facilitating usage of Hindi, Familiarization Programme on Microcredit, Soft Skills, and Skill Upgradation in Computers / Information Technology. Besides, induction trainings for the newly recruited officers and training programmes for Class III/IV employees were also conducted.

During the year, Bank deputed 877 employees to attend various inland, in-house and international training programmes organized by renowned training / academic institutions, out of which 165 were women employees, 244 employees belonging to reserved categories and 119 employees belonging to Class III / IV categories. A total number of 709 employees attended various inhouse training programmes during FY 2009-10. In addition, the Bank deputed 102 officers during the year to reputed institutions like IIM, Ahmedabad, Bombay Stock Exchange, Sa-Dhan, NIBM, Microsave Pvt. Ltd., Foreign Exchange Dealers' Association of India, Indian Venture Capital Association, XLRI, Jamshedpur, etc.

The Bank also deputed 66 officers overseas to familiarize them with the international practices in the areas of Banking, Finance, Management, Microfinance, etc. The programmes covered under the International trainings included Assessing & Capitalizing Distressed Loans, Credit Masterclass, Basic Management Programme, Operational Risk Workshop, Loan Documentation: Mastering the Legal Issues, Study Tour Programme on SME Financing, Retail Banking, Financial Institutions for Private Enterprise Development: Micro & SME Finance in Theory



A unit assisted by SIDBI engaged in textile processing at Coimbatore, Tamil Nadu.

पर अध्ययन दौरा कार्यक्रम, खुदरा बैंकिंग, निजी उद्यम विकास हेतु वित्तीय संस्थाएं : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तपोषण- सिद्धांत और व्यवहार, ऋण विश्लेषण तथा संबध्द वित्तीय मॉडलिंग, मानव संसाधन प्रबंध को पूंजी में रूपांतरित करने संबंधी कार्यशाला।

# ग्राहक सेवा तथा परिवेदना निवारण

बैंक द्वारा अंगीकृत ऋणदाता उचित पद्धित संहिता के एक भाग के रूप में बैंक ने परिवेदना निवारण क्रियाविधि लागू की है। तदनुसार, बैंक के अंचल कार्यालयों के प्रभारी-अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है, जो कि अपने अंचल के उधारकर्ताओं/ग्राहकों की परिवेदनाओं को देखेंगे। जनसाधारण के साथ अधिक संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक सुविधा आरंभ की है, जिसके जिरए आम लोग बैंक और/अथवा उसके घटकों के विरुद्ध अपनी परिवेदनाएं और शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सिडबी ने भारतीय नागरिकों की परिवेदनाओं के त्वरित और प्रभावी ऑनलाइन समाधान के लिए भारत सरकार की केंद्रीकृत जन परिवेदना निवारण तथा निगरानी व्यवस्था (सीपीजीआरएएमएस) भी कार्यान्वित की है। प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाइयों के ब्यौरों की रिपोर्टिंग निदेशक मंडल को छमाही आधार पर की जा रही है।

# स्टाफ कल्याण गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान, स्टाफ कल्याण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता जारी रही और बैंक ने स्टाफ-सदस्यों एवं उनके परिवार जनों के लिए विविध कल्याण गतिविधियाँ चलाईं। केंद्रीय कल्याण समिति के मार्गदर्शन में बैंक के विभिन्न कार्यालयों के कल्याण संघों को निधियाँ आवंटित की जाती हैं, जिससे वे स्टाफ-सदस्यों एवं उनके परिवार जनों के लिए कल्याण गतिविधियाँ आयोजित कर सकें। उक्त निधि के अंतर्गत परिवार जनों के लिए अधिक कल्याण गतिविधियाँ आयोजित करने पर और ज्यादा बल दिया गया।

# नए प्रयास

बैंकिंग उद्योग में बदलती हुई मानव संसाधन पद्धतियों के अनुरूप मानव संसाधन विकास विभाग ने बैंक में भागीदारी और सहभागिता की संस्कृति के विकास में मदद देने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रयास किए :

# कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का आरंभ

बैंक ने अपने स्टाफ-सदस्यों के लिए कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना नामक नई योजना आरंभ की, ताकि बैंक में कार्यनिष्पादन आधारित संस्कृति विकसित की जा सके। योजना का उद्देश्य टीम स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन को पहचानना और पुरस्कृत करना था।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of components at Ludhiana, Punjab.

and Practice, Credit Analysis & Associated Financial Modeling, Workshop on transforming Human Resources Management to Capital, etc.

#### Customer Service & Grievance Redressal

The Bank has put in place a Grievance Redressal Mechanism as a part of Fair Practices Code for Lenders adopted by it. Accordingly, the In-charges of the Zonal offices of the Bank have been nominated as nodal officers to attend to grievances of the borrowers / clients from their zones. In order to promote greater interface with the general public, the Bank has also introduced a facility on its website whereby general public can submit its grievances and complaints against the Bank and/or its constituents. Further, SIDBI has also implemented Government of India's Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System (CPGRAMS) for prompt and effective online redressal of grievances of citizens of India. The details of such grievances received and action taken thereon are being reported to the Board on half-yearly basis.

#### **Staff Welfare Activities**

During FY 2010, the Bank continued its commitment to staff welfare and pursued multifarious welfare activities for the staff members and their families. Under the guidance of Central Welfare Committee, funds were allocated to welfare associations of various offices of the Bank to organize welfare activities for the staff and their families. Greater thrust was laid on organizing more welfare activities for family members of the staff under the Fund.

#### **New Initiatives**

In keeping with the changing HR practices in the industry, Human Resources Development Department during the year took the following initiatives to help develop a culture of participation and involvement in the Bank.

#### Introduction of Performance linked Incentive scheme

A new scheme of Performance Linked Incentive Scheme was introduced by the Bank for its staff, so as to develop a performance oriented culture in the Bank. The objective of the scheme was to recognize and reward employee performance both at team and individual level.



A unit assisted by SIDBI engaged in textile processing at Faridabad, Haryana.

# • मार्गदर्शन कार्यक्रम

वर्ष 2009-10 के दौरान भर्ती किए गए सभी अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए बैंक में मार्गदर्शन कार्यक्रम आरंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नए भर्ती हुए अधिकारी प्रशिक्षुओं को शीघ्रता से व्यवस्थित होने और बैंक की संस्कृति, मानकों तथा मूल्यों के साथ अनुकूलन करने में मदद करना था, ताकि अपेक्षित कार्यनिष्पादन और दक्षता हासिल हो सके।

# • सर्च (रिपोर्टिंग अथवा कैडर पदसोपान के जरिए कर्मचारी और पते खोजें)

वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी आधारित पहल के एक भाग के रूप में, सर्च नामक सॉफ्टवेयर आंतरिक रूप से विकसित किया गया, जो अधिकारियों की ऑनलाइन निर्देशिका का कार्य करता है। यह कर्मचारियों के मौजूदा डाटाबेस का प्रयोग करते हुए विभिन्न केंद्रों पर तैनात सिडबी के कर्मचारियों के संपर्क विवरण, पते तथा अन्य जानकारी पदसोपान क्रम से दर्शाता है। यह सॉफ्टवेयर नाम, कार्यालय अथवा रिपोर्टिंग पदसोपान के आधार पर कर्मचारियों का विवरण खोजने में मदद करता है और मौजूदा पद, कार्यालयीन पता, संपर्क-सूचना, कार्यालयीन ई-मेल आदि विवरण दर्शाता है। पोर्टल के जिरए एसएमएस भेजने तथा कर्मचारियों के फोटो शामिल करने की अतिरिक्त सुविधाओं ने इसकी उपयोगिता बढ़ा दी है।

# सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ

सिडबी में सतर्कता ढाँचे के प्रमुख एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता सहयोगी स्टाफ के अतिरिक्त छह अंचलों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा की जाती है, जो कि अपने-अपने अंचल के पदेन अंचल सतर्कता अधिकारी होते हैं।

वर्ष के दौरान, निवारक सतर्कता को मजबूत बनाने तथा ऐसे उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सतर्कता विभाग ने कई कदम उठाए। अन्य बातों के साथ-साथ, निर्णयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाकर ऋण वितरण तथा निगरानी कार्यपद्धित को सुदृढ़ करने पर मुख्य रूप से बल दिया जा रहा है। बैंक में माल की अधिप्राप्ति, कार्य और संविदाओं में केंद्रीय सतर्कता आयोग के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हों, इस पर भी लगातार विशेष बल दिया जा रहा है।

निवारक सतर्कता उपायों की समीक्षा करने के लिए शाखा कार्यालयों में निवारक सतर्कता समितियों तथा प्रधान कार्यालय में सतर्कता समिति का गठन किया गया है। सतर्कता कार्य/गतिविधियों की समीक्षा के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी के बीच तिमाही बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। लखनऊ में सतर्कता संबंधी आंतरिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जो निरीक्षणों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों, स्टाफ उत्तरदायित्व रिपोर्टों आदि से उत्पन्न सभी शिकायतों अथवा मामलों पर विचार



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of master batches and compounds at Noida, Uttar Pradesh.

## • Mentorship Programme

Mentorship Programme was initiated in the Bank for all the officer trainees recruited during the year 2009–10. The objective of the programme was to quickly settle the new recruits and help them adapt to the culture, norms and values of the Bank to achieve the desired performance and efficiency.

### • S.E.A.R.C.H (Search Employees & Addresses by Reporting or Cadre Hierarchy)

As part of the technology based initiatives during the year, an in-house software- S.E.A.R.C.H was developed to serve as on-line directory of officers. It uses the existing database of employees to display contact details, addresses and other information for SIDBI employees at various locations in an hierarchical order. The software helps locate employees based upon their name, office or reporting hierarchy in a simple and quick manner and displays details like current post, office address, contact information, office e-mail, etc. Additional facilities like provision of sending SMS through the portal and inclusion of photographs of employees have added to its utility.

#### Activities of Vigilance Department

The vigilance set-up in SIDBI is headed by a full-time Chief Vigilance Officer [CVO] appointed by the Ministry of Finance, Government of India. CVO is assisted by the In-charges of six Zones, in their exofficio capacity as Zonal Vigilance Officers of their respective Zones, besides the supporting staff.

During the year, several initiatives were taken by Vigilance Department towards strengthening preventive vigilance and effective implementation of such measures. The emphasis has mainly been on strengthening the credit delivery & monitoring mechanism *inter alia* making the decision making process more transparent. Importance of procurement of goods, works and contracts in the Bank in terms of the extant Central Vigilance Commission [CVC] guidelines also continued to be a major focus area.

Preventive Vigilance Committees at the Branch Offices and the Vigilance Committee at Head Office have been set up to review the preventive vigilance measures. Quarterly meetings are also being held between the CMD and the CVO to review the Vigilance work/ activities. An Internal Advisory Committee on Vigilance (IACV) has been set up at Lucknow which scrutinizes all the complaints or cases arising out of inspections, audit reports,



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of components at Ludhiana, Punjab.

करती है। अनैतिक उधारकर्ताओं, बाहरी व्यक्तियों आदि द्वारा बैंक से की गई धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग, निगरानी और अनुवर्तन के लिए भी सतर्कता विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करता है। सतर्कता विभाग आवधिक अंतराल पर सतर्कता गतिविधियों संबंधी रिपोर्ट, धोखाधड़ी के मामलों की स्थिति और धोखाधड़ी के नए मामलों की रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति/निदेशक मंडल/बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति को प्रस्तुत करता है।

बैंक में सतर्कता संबंधी कामकाज के अंतर्गत निवारक पहलू पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके, जिससे न्यूनतम ऐसे मामले/घटनाएं हों, जिनमें दांडिक कार्रवाई की आवश्यकता पड़े।

# कंप्यूटरीकरण

समग्रत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की सेवा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभदायक ढंग से उपयोग करने के उद्देश्य से बैंक ने इंटरप्राइज़ सिस्टम आर्किटेक्चर 'ईएसए' परियोजना की परिकल्पना की। परियोजना के प्रमुख घटक वर्ष के दौरान पूरे किए गए। बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन 'फ्लेक्सक्यूब' भी कार्यान्वित किया। फ्लेक्सक्यूब लेखांकन (जीएल) मॉड्यूल सभी कार्यालयों में कार्यान्वित हो चुका है, जबिक फ्लेक्सक्यूब ऋण मॉड्यूल 36 कार्यालयों में कार्यान्वित हुआ है। फ्लेक्सक्यूब बैंक भर में समग्र एकीकृत परिवेश तथा प्रक्रिया मानकीकरण प्रदान करता है। ऋण स्वचालन तथा प्रक्रिया सिस्टम 'लेप्स' एक अन्य घटक था, जिसे ऋण आरंभन प्रक्रिया के स्वचालन हेतु कार्यान्वित किया गया। लेप्स ऋण कार्रवाई चक्र को छोटा करने में मददगार होगा। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट आधारित बिल/बीजक भुनाई वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई, जिससे बिल/बीजक भुनाई प्रक्रिया में सुधार होगा और ग्राहक को सेवा देने में लगने वाले समय में कमी आएगी।

# शाखा विस्तार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को उनके दरवाजे पर सेवाएं प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समूहों में बैंक की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंक ने वर्ष के दौरान 3 नई शाखाएँ खोलीं, जिससे यथा 31 मार्च, 2010 को शाखाओं की कुल संख्या 103 हो गई। अब बैंक की 103 शाखाएं देश के 600 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समूहों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

# हिन्दी का प्रयोग

अपने दैनंदिन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु बैंक ने गहन प्रयास जारी रखे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के सभी कार्यालयों ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत समाहित सामान्यत: सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया और हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में देते हुए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित किया



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing in textile processing at Coimbatore, Tamil Nadu.

staff accountability reports, etc. Vigilance Department also acts as the Nodal department for reporting, monitoring and follow-up of frauds perpetrated on the Bank by unscrupulous borrowers, outsiders, etc. It submits a report on Vigilance Activities, status of cases of frauds and report on fresh cases of fraud to the Audit Committee / Board of Directors/ Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds at periodic Intervals.

The vigilance function in the Bank has been laying stress on the preventive aspect in order to make it more effective so that the incidence of instances/ cases that call for punitive action can be effectively minimized.

#### Computerization

In order to leverage information technology for servicing the MSME sector as a whole, the Bank conceived Enterprise System Architecture 'ESA' project. The major components of the project were completed during the year. The Bank also implemented core banking solution 'Flexcube'. While Flexcube accounting (GL) module has been implemented at all offices, Flexcube loan module has been implemented at 36 offices. Flexcube provides a total integrated environment and process standardization across the Bank. Lending Automation and Processing system 'LAPS' was another component implemented for automating the loan origination process. LAPS will help in reducing the loan processing cycle. Further, Internet based Bills / Invoice Discounting has been implemented during the year, which will improve and reduce bills / invoice discounting process / service time to the customers.

#### **Branch Expansion**

In order to increase the Bank's presence in important MSME clusters so as to deliver the services to the MSME sector at their doorstep, the Bank opened 3 new branches during the year taking the total number of branches to 103 as on March 31, 2010. The 103 branches of the Bank now cater to more than 600 MSME clusters in the country.

#### Use of Hindi

The Bank continued to make elaborate efforts for enhancing the usage of Hindi in its day-to-day work. All possible documents under section 3(3) of the Official Language Act, 1963 were issued simultaneously in Hindi and English, while all letters received in Hindi were replied in Hindi alone, so as to ensure compliance



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of Colour Sorting Machines for Food Processing Industry at Mangalore, Karnataka.

गया। जहाँ तक हिन्दी पत्राचार का संबंध है, वर्ष के दौरान क्षेत्र 'ख' एवं 'ग' स्थित अधिकांश कार्यालय लक्ष्य से आगे रहे, जबिक क्षेत्र 'क' के कार्यालयों ने अपनी स्थिति को और मजबूत बनाया। बैंक के 26 प्रमुख कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित हैं। 5 अन्य कार्यालयों को अधिसूचित कराने के संबंध में समुचित कार्रवाई की गई है।

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में नामित किया गया। बैंक के कामकाज और परिचालनों में हिन्दी को संप्रेषण का एक सशकत माध्यम बनाने के उद्देश्य से, बैंक के सभी प्रमुख कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। बैंक के 57 कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें कुल 325 स्टाफ सदस्यों ने प्रतिभागिता की। इनमें भाग लेने वाले स्टाफ-सदस्यों को हिन्दी भाषा तथा हिन्दी के प्रयोजनमूलक पहलुओं के साथ-साथ कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही, प्रधान कार्यालय, लखनऊ सिंहत सभी प्रमुख कार्यालयों में स्टाफ-सदस्यों के लिए यूनिकोड आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बैंक के सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन सिंमितयाँ गठित हैं। इन सिंमितयों की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका 'संकल्प' का प्रधान कार्यालय से नियमित प्रकाशन हुआ। बैंक ने अब तक पत्रिका के 53 अंक प्रकाशित किए हैं। बैंक ने 'विश्वव्यापी आर्थिक संकट और विकास प्रक्रिया' शिर्षक पुस्तक का प्रकाशन भी किया। प्रधान कार्यालय सिंहत बैंक के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकों की खरीद हेतु बजट आवंटित किया गया और उसका उपयोग करते हुए हिन्दी पुस्तकालयों को समृद्ध किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के विभिन्न कार्यालयों को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए स्थानीय नगर राजभाषा कार्यान्वयन सिमितियों द्वारा पुरस्कृत िकया गया। इन कार्यालयों में शामिल हैं - कोच्चि, बेंगलूर, मुंबई, नई दिल्ली, जमशेदपुर, हैदराबाद और रायपुर। प्रेरणा और प्रोत्साहन के जिरए हिन्दी के प्रचार-प्रसार की सरकारी नीति के अनुरूप, बैंक ने कई प्रोत्साहन योजनाएं कार्यान्वित कीं, जैसे - सिडबी राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता, सर्वोत्तम राजभाषा प्रतिनिधि योजना और हिंदी पखवाड़े के दौरान सर्वाधिक कामकाज हिंदी में करने वाले स्टाफ-सदस्यों हेतु नकद पुरस्कार योजना। समीक्षाधीन वर्ष से प्रधान कार्यालय के विभागों के लिए भी शील्ड योजना कार्यान्वित की गई। सिडबी की द्विभाषी वेबसाइट को वर्ष के दौरान अनवरत अद्यतन बनाया गया। वर्ष के दौरान बैंक ने पाँचवीं अखिल भारतीय सिडबी अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन िकया, जिसमें देश के विभिन्न बैंकों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति ने बैंक के हैदराबाद एवं रायपुर शाखा कार्यालयों से विचार-विमर्श किया। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकों में बैंक का नियमित



Launch of Hindi Book - Vishwavyapee Aarthik Sankat aur Vikas Prakriya

of the Rule 5 of the Official Language Rules 1976. As far as Hindi correspondence is concerned, most of the offices located under regions "B" and "C" were ahead of their defined targets, while those under region "A" consolidated their position. As many as 26 major offices of the Bank have been notified in the gazette of the Govt. of India. Appropriate action has been taken for notifying 5 more offices.

Officers/ employees lacking a working knowledge of Hindi were nominated in Prabodh, Praveen and Pragya classes under Hindi Teaching Scheme of the Govt. of India. Hindi workshops were organized in all major offices of the Bank, with a view to making Hindi an able mode of communication in transactions and operations of the Bank. Hindi workshops were organized in 57 offices which were attended by 325 staff members. The participants were imparted training on Hindi language and aspects of functional Hindi and also trained to carry out their work in Hindi on computers. Besides, uni-code based training programmes were also organized for the staff-members at Lucknow and at other major offices. Official Language Implementation Committees have been constituted in all offices of the Bank. Quarterly meetings of these committees were held regularly. The quarterly Hindi magazine "Sankalp" was published regularly from the Head Office. The Bank also published a book titled "Vishwavyapee Aarthik Sankat aur Vikas Prakriya" incorporating the selected prize winning essays from the Annual interbank Essay Competition organized by the Bank. Budget was allocated for purchase of Hindi books in various offices, including the Head Office and the same was utilized to enrich the Hindi libraries.

During the year under review, various offices of the Bank, viz. Kochi, Bangaloru, Mumbai, New Delhi, Jamshedpur, Hyderabad and Raipur received prizes from the local Official Language Implementation Committees for excellent implementation of the Official Language. Following the Government policy of promoting and expanding Hindi through motivation and encouragement, the Bank has come out with many motivational schemes, viz. SIDBI Rajbhasha Shield Competition, Sarvottam Rajbhasha Pratinidhi Yojana and a cash prize scheme to the staff members carrying out their maximum work in Hindi during the Hindi Fortnight. The Bank's bilingual website was updated on a regular basis during the year. The Bank organized the Fifth Inter Bank Hindi Essay Competition which saw an overwhelming participation from various banks across the country.

The Draft and Evidence Sub-Committee of the Parliamentary Committee on the Official Language held discussions with Hyderabad and Raipur Branch Offices of the Bank. Regular representation of the Bank was ensured in the



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing precision components and moulds at Balanagar, Andhra Pradesh.

प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। साथ ही, उक्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने प्रधान कार्यालय, लखनऊ का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सिडबी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

वर्ष के दौरान, कुल 27 कार्यालयों - मुंबई कार्यालय तथा भोपाल, पटना, इंदौर, अलीगढ़, जमशेदपुर, राँची, धनबाद, अलवर, किशनगढ़, पुणे, नागपुर, लुधियाना, जालंधर, कोल्हापुर, अहमदनगर, बेंगलूर, हैदराबाद, पणजी, शिलांग, ईटानगर, पुडुचेरी, नेल्लूर, बालानगर, पीन्या तथा त्रिची शाखा कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी आंतरिक निरीक्षण किया गया।

बैंक के सभी कार्यालयों ने सितंबर माह में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया और हिंदी में काम करने के लिए स्टाफ-सदस्यों के उत्साह में वृद्धि करने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रम आयोजित किए।

उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2008-09 के अंतर्गत क्षेत्र 'ग' में प्रथम और क्षेत्र 'क' में प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि हिन्दी गृह पत्रिका वर्ग के अंतर्गत बैंक की पत्रिका संकल्प को उसी अवधि का चतुर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया।

राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में बैंक की वचनबद्धता को और सुदृढ़ करते हुए , बैंक ने एचआरएमएस में कार्यनिष्पादन रिपोर्टें हिंदी में भरने की सुविधा आरंभ की।

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन कर रहा है। तदनुसार, बैंक ने अपनी वेबसाइट में संगठन के कार्य और कर्तव्य, बैंक द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन के लिए निर्धारित मानक, संगठनात्मक चार्ट आदि को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 4(1) में परिकल्पित है। बैंक ने केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी भी नियुक्त किए हैं, जिनका विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु स्थायी समिति (सीआईआरए) गठित की है, जो कि बैंक में उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु वे सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, जो वह ठीक समझे। वर्ष के दौरान बैंक को जानकारी माँगने वाले 94 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों को निर्धारित समय के भीतर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटा दिया गया।

वर्ष के दौरान बैंक के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 20 अपीलें की गईं और उन्होंने उक्त अपीलों को निर्धारित समय के भीतर निपटा दिया।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of components at Ludhiana, Punjab.

quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee of the Economic Services Department, Ministry of Finance, Govt. of India. Besides, Officials from the said Ministry visited the Head Office, Lucknow for inspection of the Official Language Implementation and appreciated the efforts being put in by SIDBI.

Internal inspections with regard to official language implementation were carried out in a total of 27 offices including Mumbai office, Bhopal, Patna, Indore, Aligarh, Jamshedpur, Ranchi, Dhanbad, Alwar, Kishangarh, Pune, Nagpur, Ludhiana, Jalandhar, Kolhapur, Ahmednagar, Bangaloru, Hyderabad, Panaji, Shillong, Itanagar, Puduchery, Nellore, Balanagar, Peenya and Trichy.

All offices of the Bank held Hindi Day/ Week/ Fortnight Celebrations during September, 2009 and organized various programmes aimed at motivating the staff members to carry out their work in Hindi.

The Bank bagged the coveted first prize in region C and a consolation prize in region A under Reserve Bank Rajbhasha Shield Pratiyogita 2008-09, besides winning 4th prize under Hindi House Journals category for the same period for its quarterly publication, Sankalp.

To further propel the Bank's commitment to promote use of Hindi as Official language, the Bank introduced the facility of filling the Performance Appraisal Reports (PAR) in Hindi in HRMS.

### Implementation of RTI Act, 2005

The Bank is implementing the Right to Information Act, 2005. Accordingly, the Bank has displayed in its website functions and duties of the organization, norms set by the Bank for discharge of its functions, organization chart, etc as envisaged under Section 4(1) (b) of the Act. The Bank has also appointed Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officers and Appellate Authority, the details of which are available on the Bank's website. A standing Committee for Implementation of the RTI Act (CIRA) has been constituted by the Bank which is fully empowered to take decisions as deemed fit by it for the effective implementation of the Act in the Bank. During the year, the Bank received 94 applications seeking information and all the applications were disposed of as per the provisions of the Act within stipulated time.

During the year, 20 appeals were made to the Appellate Authority of the Bank, who disposed of the same within stipulated time.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of components at Ludhiana, Punjab.

# सिडबी को पुरस्कार

एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन्स इन एशिया एंड द पैसिफिक (एडीएफआईएपी), जिसके 42 देशों के 116 सदस्य हैं, ने सिडबी को वित्तीय वर्ष 2009-10 में दो पुरस्कारों से सम्मानित किया - "एमएसएमई वित्तपोषण और विकास परियोजना" (एमएसएमईएफडीपी) को मेरिट पुरस्कार तथा "मेंबरशिप रिक्रूटमेंट में सर्वोत्तम" वर्ग का विशेष पुरस्कार।

एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा ने भी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी को "एमिटी कार्पोरेट एक्सीलेंस एवार्ड फॉर कार्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी" के पुरस्कार से सम्मानित किया।

### आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त मूल्यवान सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है। निदेशक मंडल विश्व बैंक समूह, जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका); डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यूके; क्रेडिटांस्टाल्ट फुर वीडरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी; जीटीजेड, जर्मनी; इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी), रोम; फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी), फ्रांस तथा एशियाई विकास बैंक को भी, उनके द्वारा प्रदत्त संसाधन सहायता तथा तकनीकी सहयोग के लिए, धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल बैंकों, राज्य स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संघों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्द्धन और विकास में संलग्न अन्य एजेंसियों द्वारा सिडबी को दिए गए सहयोग की भी सराहना करता है।

बैंक अपने सभी ग्राहकों तथा निवेशकों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आगामी वर्षों में उनके सतत सहयोग की आशा करता है। निदेशक मंडल सभी स्तरों पर सिडबी के स्टाफ की सेवाओं की सराहना करता है, जिन्होंने बैंक को उच्च वृद्धि पथ पर ले जाने के लिए सशक्त प्रतिबद्धता, सच्चरित्रता तथा निष्ठा दर्शाई।



Chief General Manager, SIDBI receiving Amity Corporate Excellence Award for Corporate Social Responsibility on behalf of Chairman and Managing Director.

### Awards to SIDBI

Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) – with membership of 116 institutions from 42 countries, honoured SIDBI with two awards in FY 2009-10 for Merit Award on "MSME Financing & Development Project" (MSMEFDP) and Special Award in the category of "Best in Membership Recruitment".

Amity University, Noida has also honoured CMD, SIDBI with the award of "Amity Corporate Excellence Award for Corporate Social Responsibility" during the year under review.

### Acknowledgements


The Board acknowledges the valuable support received from the Government of India and the Reserve Bank of India. The Board is also thankful to the World Bank Group; Japan International Co-operation Agency (JICA), Department for International Development (DFID), U.K.; Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany; The Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Germany; International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome, French Development Agency (AFD), France and Asian Development Bank for their continued resource support and technical co-operation. The Board places on record its appreciation for the co-operation extended to SIDBI by banks, state level institutions, industry associations and other agencies engaged in the promotion and development of the MSME sector.

The Bank also thanks all its clients and investors for their co-operation and looks forward to their continued support in the years to come. The Board places on record its appreciation for the services of SIDBI staff, at all levels, who showed strong commitment, integrity and dedication to take the Bank to a higher growth path.

# INDIA SME ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LTD.

To facilitate unlocking of value out of non-performing loans, with a focus on the Micro, Small & Medium Enterprises sector by resorting to innovative resolution mechanisms.





सिडबी के सहायक एवं सहयोगी संगठन Subsidiaries and Associate Organi ations of SIDBI



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Faridabad, Haryana.

# सहायक संस्थाएँ

# सिडबी उद्यम पूँजी लिमिटेड

सिडबी उद्यम पूँजी लिमिटेड (एसवीसीएल) एक आस्ति प्रबंधन कंपनी है, जिसकी स्थापना सितम्बर 1999 में उद्यम पूँजी निधि के प्रबंधन हेतु की गई। वर्तमान में यह सेबी में पंजीकृत दो उद्यम पूँजी निधियों- दि नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री (एनएफएसआईटी) तथा दि एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ) का प्रबंधन करती है।

# एनएफएसआईटी

एनएफएसआईटी की स्थापना अगस्त 1999 में 10 वर्ष की सीमित अवधि वाली निधि के रूप में हुई। इसकी समूह निधि 100 करोड़ रुपये है, जिसमें सिडबी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा आईडीबीआई लिमिटेड का अंशदान है। निधि की मूल अवधि 10 वर्ष थी, जो दो वर्ष यानी अगस्त 2011 तक बढ़ा दी गई है। एनएफएसआईटी में सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसने 31 कंपनियों का पोर्टफोलियो तैयार कर लिया है। एनएफएसआईटी ने अपना निवेश चरण पूरा कर लिया है और अब पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

# एनएफएसआईटी के परिचालन

31 मार्च 2010 तक कुल संचयी मंजूरियाँ (निरस्तीकरण घटाकर) तथा संवितरण 84.40 करोड़ रुपये है। निवेश चरण के पश्चात् अब एनएफएसआईटी किए गए निवेशों का पोषण कर रही है और अब तक इसने 23 कंपनियों से आंशिक/ पूर्ण बहिर्गमन कर लिया है, जिसमें 3 बहिर्गमन वित्तीय वर्ष 2009-10 में हुए। कुल मिलाकर ये बहिर्गमन निधि के लिए लाभप्रद रहे। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान एनएफएसआईटी ने अपने अंशदाताओं को 7.72 करोड़ रुपये वितरित किए और कुल वितरण 85.60 करोड़ रुपये रहा।

# एसएमई संवृद्धि निधि

एसएमई संवृद्धि निधि (एसजीएफ) 8 वर्ष की नियत-कालिक उद्यम पूँजी निधि है। इसकी स्थापना 2004 में सिडबी और 8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अंशदान से प्राप्त 500 करोड़ रुपये की समूह निधि से की गई। यह एक साधारण निधि है, जो मोटर वाहन पुर्जी, कपड़ा, औषिध, नवीकरणीय ऊर्जा, हल्की इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाओं आदि से संबंधित संवृद्धिशील चरण वाले एमएसएमई पर केन्द्रित है।

# एसजीएफ के परिचालन

निधि के अंतर्गत कुल प्रतिबद्धताएं 465.92 करोड़ रुपये की रहीं। संचयी संवितरण 442.56 करोड़ रुपये थे। निधि ने अब तक 4 कंपनियों से बहिर्गमन किया है जिसमें वित्तीय वर्ष 2009-10 में किए गए 2 आंशिक बहिर्गमन भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान एसजीएफ ने अपने अंशदाताओं को 33.83 करोड़ रुपये वितरित किए और कुल वितरण 49.55 करोड़ रुपये हो गया।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing tools at Gurgaon, Haryana.

### **SUBSIDIARIES**

### SIDBI Venture Capital Limited

SIDBI Venture Capital Limited (SVCL) is an asset management company, established in September 1999 for managing venture capital funds. At present, it manages two SEBI registered venture capital funds, viz. the National Venture Fund for Software and Information Technology Industry (NFSIT) and the SME Growth Fund (SGF).

### **NFSIT**

NFSIT was set up in August 1999, as close ended fund of 10 years, with a corpus of Rs.100 crore contributed by SIDBI, Ministry of Communications and Information Technology (MCIT), Government of India and IDBI Bank Limited. Original fund life of 10 years has been extended by two years, i.e. till August 2011. NFSIT, with focus on software and IT industries, has created a portfolio of 31 companies. NFSIT has completed its investment phase and is now fully committed.

### Operations of NFSIT

The cumulative sanctions (net of cancellation) and disbursements as on March 31, 2010 aggregated Rs.84.40 crore (31 companies). After the investment phase, NFSIT is now nurturing the investments made and has, so far, made partial / full exits from 23 companies including 3 full exits during FY 2009–10. These exits, on the whole, were profitable for the Fund. During FY 2009–10, NFSIT distributed Rs.7.72 crore to its contributors and the aggregate distributions stood at Rs.85.60 crore.

### **SME Growth Fund**

SME Growth Fund (SGF) is an eight-year close-ended Venture Capital Fund set up in 2004, with a corpus of Rs.500 crore, contributed by SIDBI and 8 scheduled commercial banks. It is a general fund with focus on the growth stage MSMEs in the areas of auto components, textiles, pharmaceuticals, renewable energy, light engineering, information technology, services, etc.

### Operation of SGF

The total commitments under the Fund amounted to Rs.465.92 crore. Cumulative disbursements stood at Rs.442.56 crore. The Fund has so far made exits from 4 companies including 2 partial exits in FY 2009–10. During FY 2009–10, SGF distributed Rs.33.83 crore to its contributors and the aggregate distributions were at Rs.49.55 crore.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing tools at Gurgaon, Haryana.

# एसवीसीएल के विपणन प्रयास

एमएसएमई के मध्य उद्यम पूँजी को बढ़ावा देने के लिए एसवीसीएल ने विपणन के विभिन्न प्रयास किए। इसने वर्ष के दौरान सात आयोजन प्रायोजित/ सह-प्रायोजित किए, जैसे कि- सितंबर 2009 और नवंबर 2009 में क्रमश: आयोजित "टाइकॉन 2009, दिल्ली" और "टाईकॉन 2009, चेन्नै", जिनका आयोजन टाई के दिल्ली व चेन्नै चैप्टरों द्वारा किया गया; अक्तूबर 2009 में जयपुर में आरवीसीएफ और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "6ठा राष्ट्रीय सम्मेलन वीसीफिन 2009";आईआईटी, मुंबई द्वारा जनवरी 2010 में आयोजित- "यूरेका 2009"; टाई मुंबई द्वारा दिसंबर 2009 में आयोजित कार्यक्रम "टाई आंत्र्रेनोरियल समिट 2009";कानपुर में जनवरी 2010 में आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित "ऐजिसेटी 2010" और आईआईटी, मुंबई में जनवरी 2010 में प्रोटो.इन द्वारा आयोजित कार्यक्रम "प्रोटो.इन 2010"।

# एसवीसीएल का तुलनपत्र

एसवीसीएल का यथा 31 मार्च, 2010 का संक्षिप्त तुलनपत्र तथा 31मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा निम्नलिखित तालिकाओं में द्रष्टव्य है-

# एसवीसीएल का संक्षिप्त तुलनपत्र (लाख रु.)

31 मार्च 2009 (लेखा-परीक्षित)		31 मार्च 2010 (लेखा-परीक्षित)
	देयताएं	
1,500.00	चुकता पूँजी	1,500.00
361.22	आरक्षितियाँ और अधिशेष	935.79
388.50	चालू देयताएं और प्रावधान	343.05
2,249.72	योग	2,778.84
	आस्तियाँ	
19.07	निवल स्थिर आस्तियाँ	10.07
2,117.22	चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	1,664.00
110.85	निवेश	1,101.00
2.58	आस्थगित कर आस्तियाँ	3.77
2,249.72	योग	2,778.84



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Faridabad, Haryana.

### Marketing Initiatives of SVCL

SVCL took various marketing initiatives to promote venture capital among MSMEs. It sponsored / cosponsored seven events during the year, viz. 'TiEcon 2009, Delhi' and 'TiEcon 2009, Chennai' conferences held in September 2009 and November 2009, respectively, organised by Delhi and Chennai chapters of TiE; '6th National Conference VCFIN 2009' an event organised jointly by RVCF and FICCI in October 2009 at Jaipur; 'Eureka 2009' organised by IIT, Bombay in January 2010; 'Tie Entrepreneurial Summit 2009' an event organised by TiE Mumbai in December 2009; 'AGCETI 2010' an event organised by IIT Kanpur at Kanpur in January 2010 and 'Proto.in 2010'; an event organised by proto.in in January 2010 at IIT, Bombay.

### **Balance-Sheet of SVCL**

The abridged Balance Sheet as at March 31, 2010 and the Profit and Loss Account of SVCL for the year ended March 31, 2010 are given in the following tables:

Abridged	Balance	Sheet of	f SV	CL
----------	---------	----------	------	----

(Rs. lakh)

March 31, 2009 (Audited)		March 31, 2010 (Audited)
	Liabilities	
1,500.00	Paid up Capital	1,500.00
361.22	Reserves and Surplus	935.79
388.50	Current Liabilities & Provisions	343.05
2,249.72	Total	2,778.84
	Assets	
19.07	Net Fixed Assets	10.07
2,117.22	Current Assets, Loans & Advances	1,664.00
110.85	Investment	1,101.00
2.58	Deferred Tax Assets	3.77
2,249.72	Total	2,778.84



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of Packaging Material at Faridabad, Haryana.

### (लाख रु.)

31 मार्च 2009 (लेखा-परीक्षित)	एसवीसीएल का संक्षिप्त लाभ-हानि लेखा	31 मार्च 2010 (लेखा-परीक्षित)
	आय	
1,145.14	प्रबंधन शुल्क	1,150.82
172.51	बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज	82.75
43.11	अपफ्रंटशुल्क और अन्य आय	45.06
1,360.76	योग	1,278.63
	व्यय	
394.48	स्थापना एवं अन्य व्यय	413.27
966.28	पूर्व अवधि समायोजन-पूर्व लाभ	865.36
2.17	जोड़ें- पूर्व अवधि समायोजन / पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आयकर हेतु अतिरिक्त प्रावधान	8.02
968.45	कर-पूर्व लाभ	873.38
340.25	घटाएं- कर हेतु प्रावधान	300.00
(0.31)	बट्टे खाते डाला गया आस्थगित कर	(1.19)
628.51	कर-पश्चात् लाभ	574.57
20	लाभांश (%)	25

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड ने आईएसएआरसी की ईक्विटी अंश पूँजी में 990 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का निवेश किया, जिससे आईएसएआरसी में एसवीसीएल का कुल निवेश 1,100 लाख रुपये हो गया। एसवीसीएल ने एसएमई ग्रोथ फंड की यूनिट बी पूँजी में भी 0.15 लाख रुपये का अतिरिक्त निवेश किया।



An Extrusion Plant assisted by SIDBI at Erode, Tamil Nadu.

(Rs. lakh)

March 31, 2009 (Audited)	Abridged Profit & Loss Account of SVCL	March 31, 2010 (Audited)
	Income	
1,145.14	Management Fees	1,150.82
172.51	Interest on Fixed Deposits with Banks	82.75
43.11	Upfront Fee and Other Income	45.06
1,360.76	Total	1,278.63
	Expenditure	
394.48	Establishment & other expenses	413.27
966.28	Profit before Prior period Adjustments	865.36
2.17	Add: Prior period adjustments / excess provision for income tax for earlier years	8.02
968.45	Profit before Tax	873.38
340.25	Less: Provision for Tax	300.00
(0.31)	Write off of Deferred Tax	(1.19)
628.51	Profit after Tax	574.57
20	Dividend (%)	25

During the year under review, SVCL invested additional amount of Rs.990 lakh in equity share capital of ISARC taking the total investment by SVCL in ISARC to Rs.1,100 lakh. SVCL also invested additional amount of Rs.0.15 lakh in Unit B capital of SME Growth Fund.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of auto components at Chennai, Tamil Nadu.

# सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल) की स्थापना सिडबी ने 19 जुलाई 1999 को की, ताकि वह नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनएफएसआईटी) के न्यासी के रूप में काम करे। अब यह एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ) के न्यासी के रूप में भी काम कर रही है। कंपनी ने सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) को एनएफएसआईटी तथा एसजीएफ के निवेश-प्रबंधक के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया है।

एसटीसीएल का 31 मार्च 2009 तक का संक्षिप्त तुलनपत्र तथा 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा नीचे दिया जा रहा है:

एसटीसीएल का संक्षिप्त तुलनपत्र	(लाख रु.)
--------------------------------	-----------

31 मार्च 2009 (लेखा-परीक्षित)		31 मार्च 2010 (लेखा-परीक्षित)
	देयताएं	
5.00	चुकता पूँजी	5.00
178.02	आरक्षितियाँ और अधिशेष	224.75
1.01	चालू देयताएं और प्रावधान	0.67
184.03	योग	230.42
	आस्तियाँ	
184.03	चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	230.42
184.03	योग	230.42



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of components at Ludhiana, Punjab.

### **SIDBI Trustee Company Limited**

SIDBI Trustee Company Limited (STCL) was set up by SIDBI on July 19, 1999, to act as Trustee of National Venture Fund for Software and Information Technology industry (NFSIT). Now, it is also acting as Trustee of SME Growth Fund. The company has appointed SIDBI Venture Capital Limited (SVCL) to act as the Investment Manager to NFSIT and SGF.

The abridged Balance Sheet as at March 31, 2010 and Profit and Loss account for the year ended March 31, 2010 for STCL are as given below:-

Abridged Balance	ce Sheet of STCL	
------------------	------------------	--

(Rs. lakh)

March 31, 2009 (Audited)		March 31, 2010 (Audited)
	Liabilities	
5.00	Paid up Capital	5.00
178.02	Reserves and Surplus	224.75
1.01	Current Liabilities & Provisions	0.67
184.03	Total	230.42
	Assets	
184.03	Current Assets, Loans & Advances	230.42
184.03	Total	230.42



A CBR unit assisted by SIDBI at Erode, Tamil Nadu.

## एसटीसीएल का संक्षिप्त लाभ-हानि लेखा

(लाख रु.)

31 मार्च 2009 (लेखा-परीक्षित)		31 मार्च 2010 (लेखा-परीक्षित)
	आय	
55.00	न्यासी शुल्क	55.00
17.35	बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज	16.02
72.35	योग	71.02
	व्यय	
3.72	स्थापना एवं अन्य व्यय	3.29
68.63	कर-पूर्व लाभ	67.73
22.00	घटाएँ- कर हेतु प्रावधान	21.00
46.63	कर-पश्चात् लाभ	46.73

# दृष्टिकोण

आशावादी आर्थिक दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के अनुमानों को संशोधित करके बढ़ाया जा रहा है। अप्रैल 2010 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित ऋण-नीति के अनुसार 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद में 8% से अधिक की वास्तविक वृद्धि होने का अनुमान है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के सुधरने की गित मंद होने के कारण निवेशक पृथ्वी पर वृद्धि के केंद्रों की तलाश में हैं और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के मध्य भारत एक महत्त्वपूर्ण विकल्प बन गया है, क्योंकि बाहरी माँग पर कम निर्भरता होने के कारण भारत की संवृद्धि अधिक टिकाऊ है। यहाँ घरेलू माँग काफी है और घरेलू उपभोग एवं मूलभूत ढाँचे पर व्यय में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है।

केपीएमजी, इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्राइवेट ईक्विटी निवेशक सुदृढ़ आर्थिक संवृद्धि, कर-वातावरण, कॉर्पोरेट-अभिशासन और निवेश-विन्यास के कारण भारत को चीन के बाद सबसे आकर्षक गंतव्य मानते हैं। सर्वेक्षण में 2010 को सुदृढ़ीकरण का वर्ष परिकल्पित किया गया है जिसमें पोर्टफोलियो की देखरेख पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अब एसवीसीएल भविष्य के उच्च संवृद्धि वाले एमएसएमई में निवेश करने की अनूठी स्थिति में है। आगे बढ़ते हुए, यह अपनी तीसरी निधि- इंडिया ऑपर्चुनिटीज फंड (आईओएफ) जुटाने में लगा है, जिसमें 1000 करोड़ रुपये की समूह निधि का लक्ष्य है। इससे एमएसएमई क्षेत्र को पूँजी एवं अन्य महत्त्वपूर्ण निविष्टियाँ प्रदान करते हुए उद्यमिता को और उत्प्रेरित किया जाएगा।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of Packaging Material at Faridabad, Haryana.

### Abridged Profit & Loss Account of STCL

(Rs. lakh)

March 31, 2009 (Audited)		March 31, 2010 (Audited)
	Income	
55.00	Trusteeship Fees	55.00
17.35	Interest on Fixed Deposits with Banks	16.02
72.35	Total	71.02
	Expenditure	
3.72	Establishment & other expenses	3.29
68.63	Profit before Tax	67.73
22.00	Less: Provision for Tax	21.00
46.63	Profit after Tax	46.73

### Outlook

The GDP growth estimates of Indian economy for the fiscal FY2010-11 are being revised upwards on the basis of optimistic economic outlook. As per RBI's credit policy announcement in April 2010, the real GDP growth for 2010-11 is projected at 8% with an upside bias. With global economic recovery being slow at present, investors are looking for growth centres across the globe and India is the prominent choice among Emerging Markets Economies (EMEs) because of the stronger sustainability of India's growth on account of lesser dependence on external demand, strong internal demand as well as various measures announced for boosting domestic consumption and increased infrastructure spending by the government.

According to a survey by KPMG, India, the domestic and international private equity investors consider India as the second most attractive destination after China, because of India's robust economic growth, tax environment, corporate governance and investment structuring. The survey projected 2010 to be the year of consolidation with focus on portfolio nurturing.

SVCL is now uniquely positioned to invest in high growth MSMEs of the future. Going forward, it is in the process of raising its third fund, viz. India Opportunities Fund (IOF), targeting a corpus of Rs.1000 crore which would further catalyze entrepreneurship by providing capital and other strategic inputs to the MSME sector.



Issue of one lakth guarantee of FY 2010 to Punjab National Bank.

# सहयोगी संस्थाएं

# सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट

भारत सरकार और सिडबी द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना चलाता है, जिसमें सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई 100 लाख रुपये तक की उन ऋण सुविधाओं के लिए गारंटियाँ दी जाती हैं जिनके लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति और / अथवा तृतीय पक्ष गारंटी नहीं होती। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सीजीटीएमएसई की समूह निधि में क्रमश: 135.91 करोड़ रुपये और 30.50 करोड़ रुपये का योगदान किया, जिससे इसकी समूह निधि 1906.56 करोड़ रुपये हो गई, जबिक लक्ष्य 2,500 करोड़ रुपये का है।

# सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 30 नई सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं का सीजीटीएमएसई में पंजीकरण हुआ, जिससे पंजीकृत सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या 31 मार्च 2010 को 111 हो गई। इनमें सार्वजिनक क्षेत्र के 27 बैंक, निजी क्षेत्र के 16 बैंक, 60 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 विदेशी बैंक तथा 6 अन्य संस्थाएँ यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी), पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (नेडफी), दि तिमलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. (टीआईआईसी), दिल्ली वित्तीय निगम (डीएफसी), केरल वित्तीय निगम (केएफसी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) शामिल हैं। 31 मार्च 2010 तक 85 सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं सीजीएस कवर का उपयोग कर रही थीं।

# ऋण गारंटी योजना में संशोधन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऋण गारंटी योजना में कई बदलाव किए गए, ताकि योजना के दायरे व कवरेज को बढ़ाया जा सके और सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को और सुखद स्थिति में लाया जा सके। उल्लेखनीय परिवर्तन हैं- पात्र उधारकर्ताओं को एक से अधिक बैंक और / अथवा वित्तीय संस्था द्वारा संयुक्तत: और / अथवा अलग-अलग प्रति उधारकर्ता अधिकतम



Felicitation meeting during the issue of one lakth guarantee of FY 2010 to Punjab National Bank.

### **ASSOCIATES**

### Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises

Credit Guarantee fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) set up in July, 2000, by Government of India and SIDBI operates the Credit Guarantee Scheme (CGS) for Micro and Small Enterprises (MSEs) which guarantees credit facilities upto Rs.100 lakh extended by Member Lending Institutions (MLIs) to those loans, which are not backed by collateral security and / or third party guarantees. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India and SIDBI contributed Rs.135.91 crore and Rs.30.50 crore, respectively, to the corpus of CGTMSE during FY 2009-10, raising the corpus size to Rs.1906.56 crore, as against the targeted corpus of Rs.2,500 crore.

### **Member Lending Institutions**

During FY 2009-10, 30 new MLIs were registered with CGTMSE raising the total number of registered MLIs to 111 as at March 31, 2010, comprising 27 Public Sector Banks, 16 Private Sector Banks, 60 Regional Rural Banks (RRBs), 2 Foreign Banks and 6 other institutions, viz. National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC), North Eastern Development Finance Corporation Ltd. (NEDFi), The Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd (TIIC), Delhi Financial Corporation (DFC), Kerala Financial Corporation (KFC) and Small Industries Development Bank of India (SIDBI). As at March 31, 2010, there were 85 MLIs which were availing CGS cover.

### Modification to CGS

During the year under review, several changes were made in the CGS with a view to enhancing the scope and coverage under the Scheme and increasing the comfort level of the MLIs. The noteworthy changes included coverage of credit facilities extended by more than one bank and / or



Three lakth Guarantee issued to State Bank of India at the hands of Hon'ble Finance Minister.

100 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा का कवरेज, जो संबंधित सदस्य ऋणदात्री संस्था की अधिकतम सीमा तक अथवा उस राशि तक सीमित होगी, जो ट्रस्ट ने विनिर्दिष्ट की हो, एक-मुश्त गारंटी शुल्क की भुगतान अविध में संशोधन; पहले और आखिरी वर्ष में वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान मंजूर की गई ऋण सुविधा पर यथानुपात दर पर और बीच के वर्षों के लिए पूर्ण रूप में; गारंटी आहूत करने की समय-सीमा में संशोधन, जिसका इस्तेमाल सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को यदि लॉक-इन अविध के बाद एनपीए हुआ हो तो एनपीए होने की तारीख से अधिकतम एक वर्ष के भीतर अथवा यदि लॉक-इन अविध में एनपीए हुआ हो तो लॉक-इन अविध के एक वर्ष के भीतर करना होता है; दावे के आवेदन ऑन-लाइन जमा करना और सदस्य ऋणदात्री संस्था के सभी गारंटी खातों के लिए एएसएफ का एकल भुगतान।

# ऋण गारंटी योजना के परिचालन

सीजीटीएमएसई ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं- अब तक किसी एक वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख से अधिक गारंटी अनुमोदन और 31 मार्च 2010 तक संचयी रूप से 3 लाख गारंटी अनुमोदन। ऋण गारंटी योजना में आरंभ से अब तक परिचालनों में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2000-01 में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या सिर्फ 9 थी, जबिक वित्तीय वर्ष 2009-10 में गारंटी कवर का उपयोग करनेवाली सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या 85 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 1,00,000 गारंटी अनुमोदनों के संशोधित लक्ष्य के मुकाबले ट्रस्ट ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान किए। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान ऋण अनुमोदनों में, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में समाहित खातों की संख्या की दृष्टि से 182% तथा गारंटित राशि की दृष्टि से 213% वृद्धि हुई है। संचयी रूप से 31 मार्च 2010 तक 3,00,105 खातों में 11,559.61 करोड़ रुपये के गारंटी अनुमोदन दिए जा चुके हैं, जिससे पता चलता है कि ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान हुई 1,51,387 खातों की कवरेज, पहले नौ वर्षों के दौरान हुई 1,48,718 खातों की संचयी कवरेज से अधिक रही। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान गारंटी अनुमोदनों की 6,875.11 करोड़ रुपये की राशि सीजीटीएमई के पहले नौ वर्षों के परिचालनों में संचयी रूप से हुए 4,684.50 करोड़ रुपये के कवरेज से अधिक रही। योजना के अंतर्गत कवरेज में आई त्विरत वृद्धि इस तथ्य की द्योतक है कि अब देश की सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं और सूक्ष्म व लघु उद्यमों, दोनों में ऋण गारंटी योजना की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है।



Plauge of Merit to Indian Banks' Association for their role played in maximizing the coverage of Credit Guarantee Scheme of CGTMSE.

financial institution jointly and / or separately to eligible borrowers upto a maximum of Rs.100 lakh per borrower, subject to ceiling amount of individual MLI or such amount as may be specified by the Trust; modification in period of payment of one-time Guarantee Fee; payment of Annual Service Fee (ASF) on *pro-rata* basis for the first and the last year and in full for the intervening years on the credit facility sanctioned; modification in time limit for invocation of guarantee whereby MLIs have to exercise the same within a maximum period of one year from the date of NPA, if NPA is after lock-in period, or within one year of lock-in period, if NPA is within lock-in period; filing of claim applications online and single payment of ASF for all the guaranteed accounts of the MLI.

### Operations of Credit Guarantee Scheme

CGTMSE achieved two significant milestones during the FY 2009-10, i.e., over 1.50 lakh guarantee approvals in any single financial year so far and 3 lakh guarantee approvals cumulatively as on March 31, 2010. The operations under CGS continued to exhibit consistent growth since inception. From only 9 active MLIs in FY 2000-01, the number of MLIs availing the guarantee cover has gone up to 85 in FY 2009-10. As against the revised target of 1,00,000 guarantee approvals set for FY 2009-10, the Trust achieved 1,51,387 guarantee approvals amounting to Rs.6,875.11 crore during FY 2009-10. Similarly, the number of credit approvals during FY 2009-10 had registered a growth of 182% in terms of number of accounts covered and 213% in terms of amount guaranteed over the previous financial year. Cumulatively, as at March 31, 2010, a total of 3,00,105 accounts have been accorded guarantee approval for Rs.11,559.61 crore indicating that the coverage in FY 2009-10 of 1,51,387 accounts was higher than the cumulative coverage of 1,48,718 accounts during the first nine years of operations under CGS. Similarly, the amount of guarantee approvals of Rs.6,875.11 crore in FY 2009-10 exceeded the cumulative coverage of Rs.4,684.50 crore during the first nine years of CGTMSE's operations. The sharp growth in coverage under the Scheme is indicative of the fact that the CGS is now finding greater acceptance with both the MLIs and the MSEs in the country.



Three lakth one and three lakth second guarantee issued to Canara Bank and Punjab National Bank respectively at the hands of Hon'ble Finance Minister.

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किए गए प्रस्तावों की संख्या की दृष्टि से सर्वोपिर सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं रहीं- पंजाब नेशनल बैंक (927.15 करोड़ रुपये के लिए 26,069 प्रस्ताव), भारतीय स्टेट बैंक (960.21 करोड़ रुपये के लिए 23,774 प्रस्ताव), बैंक ऑफ इंडिया (1,310.78 करोड़ रुपये के लिए 20,952 प्रस्ताव), इलाहाबाद बैंक (278.37 करोड़ रुपये के लिए 9,673 प्रस्ताव) तथा केनरा बैंक (334.91 करोड़ रुपये के लिए 8,263 प्रस्ताव)। संचयी रूप से 31 मार्च 2010 तक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 1,769.47 करोड़ रुपये के लिए 55,042 प्रस्तावों की कवरेज सर्वाधिक है, जिसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (1,250.69 करोड़ रुपये के लिए 43,413 प्रस्ताव), बैंक ऑफ इंडिया (2,000.53 करोड़ रुपये के लिए 36,821 प्रस्ताव) तथा इलाहाबाद बैंक (372.75 करोड़ रुपये के लिए 13.639 प्रस्ताव) का स्थान है।

राज्यों में, वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक संख्या में आवेदन (816.75 रुपये के लिए 26,526 प्रस्ताव) प्रस्तुत किए, जिसके पश्चात् पश्चिम बंगाल (676.77 करोड़ रुपये के लिए 21,394 प्रस्ताव), राजस्थान (301.99 करोड़ रुपये के लिए 11,712 प्रस्ताव), केरल (304.17 करोड़ रुपये के लिए 11,032 प्रस्ताव) तथा कर्नाटक (485.88 करोड़ रुपये के लिए 9,176 प्रस्ताव) का स्थान है। ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत संचयी रूप से 31 मार्च 2010 तक की राज्यवार कवरेज से पता चलता है कि अनुमोदित प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 1,117.57 करोड़ रुपये के 43,074 प्रस्तावों के साथ सबसे अधिक है, जिसके बाद केरल (650.29करोड़ रुपये के लिए 32,963 प्रस्ताव), पश्चिम बंगाल (1,067.24 करोड़ रुपये के लिए 30,070 प्रस्ताव), तिमलनाडु (1,016.22 करोड़ रुपये के लिए 25,455 प्रस्ताव) तथा कर्नाटक (1,078.41 करोड़ रुपये के लिए 19,879 प्रस्ताव) का स्थान है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किए गए ऋणों का औसत आकार पिछले वित्तीय वर्ष के 4.10 लाख की तुलना में बढ़कर 4.54 लाख रुपये हो गया। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि ऋण गारंटी योजना ने सूक्ष्म उद्यमों को ऋण की अधिक उपलब्धता में मदद की है, क्योंकि ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवर किए गए कुल उद्यमों में लगभग 98% उद्यम 25 लाख रुपये तक के ऋणों वाले थे। इसी प्रकार राशि-वार यह कवरेज 74% थी, जैसा कि तालिका 6.1 में दर्शाया गया है-



Training and stall of CGTMSE at Chennai.

During FY 2009-10, the top five MLIs in terms of number of proposals covered under CGS were Punjab National Bank (26,069 proposals for Rs.927.15 crore), State Bank of India (23,774 proposals for Rs.960.21 crore), Bank of India (20,952 proposals for Rs.1,310.78 crore), Allahabad Bank (9,673 proposals for Rs.278.37 crore) and Canara Bank (8,263 proposals for Rs.334.91 crore). Cumulatively, as on March 31, 2010, State Bank of India has the highest coverage of 55,042 proposals for Rs.1,769.47 crore, followed by Punjab National Bank (43,413 proposals for 1,250.69 crore), Canara Bank (37,608 proposals for Rs.947.88 crore), Bank of India (36,821 proposals for Rs.2,000.53 crore) and Allahabad Bank (13,639 proposals for Rs.372.75 crore).

Among the states, Uttar Pradesh lodged the maximum number of applications (26,526 proposals for Rs.816.75 crore) during FY 2009–10, followed by West Bengal (21,394 proposals for Rs.676.77 crore), Rajasthan (11,712 proposals for Rs.301.99 crore), Kerala (11,032 proposals for Rs.304.17 crore) and Karnataka (9,176 proposals for Rs.485.88 crore). The cumulative state–wise coverage under CGS as at March 31, 2010 indicates that Uttar Pradesh has the highest share of proposals approved at 43,074 proposals for Rs.1,117.57 crore, followed by Kerala (32,963 proposals for Rs.650.29 crore), West Bengal (30,070 proposals for Rs.1,067.24 crore), Tamil Nadu (25,455 proposals for Rs.1,016.22 crore) and Karnataka (19,879 proposals for Rs.1,078.41 crore).

During FY 2009-10, the average size of loans covered under CGS increased to Rs.4.54 lakh compared to Rs.4.10 lakh in the preceding financial year. However, it is important to note that the CGS has facilitated greater flow of credit to micro enterprises as almost 98% of total enterprises under CGS coverage was for loans upto Rs.25 lakh. Similarly, amount-wise, the coverage was 74% as given in Table 6.1.



A unit engaged in manufacturing of spices and food items under MSME Financing and Development Project of SIDBI.

Windmill assisted by SIDBI for captive consumption of a manufacturing unit

तालिका 6.1- ऋण गारंटी योजना की स्लैब-वार कवरेज (यथा 31 मार्च 2010)

सीमा	प्रस्तावों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)
5 लाख रुपये तक	2,49,495	3,153.89
	(83.14%)	(27.28%)
5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक	23,655	1,890.44
	(7.88%)	(16.35)
10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक	20,434	3,481.63
	(6.81%)	(30.12%)
25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक	5,133	1,974.15
	(1.71%)	(17.08%)
50 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक	1,388	1,059.50
	(0.46%)	(9.17%)
योग	3,00,105	11,559.61

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े हिस्से का प्रतिशत दर्शाते हैं।

ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2010 तक के संचयी कवरेज के विश्लेषण से पता चलता है कि 1,830.90 करोड़ रुपये (15.84%) के लिए 60,543 प्रस्ताव (20.17%) महिला उद्यमियों से, 198.03 करोड़ रुपये (1.71%) के लिए 16,016 प्रस्ताव (5.34%) अनुसूचित जाति से, 89.37 करोड़ रुपये (0.77%) के लिए 4,030 प्रस्ताव (1.34%) अनुसूचित जनजाति से और 445.42 करोड़ रुपये (3.85%) के लिए 21,140 प्रस्ताव (7.04%) अल्पसंख्यकों से संबंधित थे।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of components at Ludhiana, Punjab.

Table 6.1 : Slab wise CGS coverage
(As on March 31, 2010)

Range	No. of Proposals	Amount (Rs. crore)
Upto Rs. 5 lakh	2,49,495	3,153.89
	(83.14%)	(27.28%)
Rs. 5 lakh upto Rs. 10 lakh	23,655	1,890.44
	(7.88%)	(16.35)
Rs. 10 lakh upto Rs. 25 lakh	20,434	3,481.63
	(6.81%)	(30.12%)
Rs. 25 lakh upto Rs. 50 lakh	5,133	1,974.15
	(1.71%)	(17.08%)
Rs. 50 lakh upto Rs. 100 lakh	1,388	1,059.50
	(0.46%)	(9.17%)
Total	3,00,105	11,559.61

Note: Figures in the parentheses represent percentage share

An analysis of the cumulative coverage under CGS as at March 31, 2010, indicates that 60,543 proposals (20.17%) for Rs.1,830.90 crore (15.84%) were in respect of Women Entrepreneurs; 16,016 proposals (5.34%) for Rs.198.03 crore (1.71%) to Scheduled Castes; 4,030 proposals (1.34%) for Rs.89.37 crore (0.77%) to Scheduled Tribes and 21,140 proposals (7.04%) for Rs.445.42 crore (3.85%) to the Minorities.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of Drugs and Pharmaceuticals at Rajamundry, Andhra Pradesh.

### समग्र प्रभाव

सीजीटीएमएसई परिचालनों का अर्थव्यवस्था पर टर्नओवर, निर्यात और ऋण गारंटी प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में रोजगार की दृष्टि से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जैसािक तािलका 6.2 में द्रष्टव्य है-

तालिका 6.2: ऋण गारंटी योजना के प्रभाव

प्रभाव-क्षेत्र	यथा 31 मार्च, 2010
गारंटित इकाइयों द्वारा अपेक्षित टर्नओवर	69,196 करोड़ रुपये
गारंटित इकाइयों द्वारा अपेक्षित निर्यात	2,047 करोड़ रुपये
अपेक्षित रोजगार-सृजन (व्यक्तियों की संख्या)	17.56 लाख

### अनुमानित

### जागरूकता विकास

सीजीटीएमएसई ने बैंकों, एमएसएमई उद्योग संघों, एमएसएमई क्षेत्र आदि मेंऋण गारंटी योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पत्र-पित्रकाओं के ज़िरए, कार्यशालाओं / सेमिनारों के आयोजन द्वारा, जिला/ राज्य / राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न मंचों पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभागिता आदि के माध्यम से बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। वर्ष के दौरान सीजीटीएमएसई ने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं और उद्योग संघों द्वारा आयोजित 450 से अधिक सेमिनारों / कार्यशालाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक / सरकार/ उद्योग संघों द्वारा देश भर में एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में आयोजित प्रदर्शनियों व बैठकों में प्रतिभागिता की, तािक ऋण गारंटी योजना के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। सीजीटीएमएसई के अधिकारियों ने बैंकरों/ परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों के साथ लगभग 200 व्यवसाय विकास बैठकें भी कीं। देश भर में पत्र-पित्रकाओं के माध्यम से साल भर, लंबे समय तक अभियान भी चलाए गए, तािक दृश्यता में सुधार हो और योजना के बारे में जागरूकता बढ़े। सूचना प्रसार अभियान मुस्तैदी से चलाए गए और भिवष्य में उनको और बढ़ाया जाएगा।

# एसीएसआईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम

एशियन क्रेडिट सप्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन कन्फेडरेशन (एसीएसआईसी) संस्थाओं का परिसंघ है, जिसका उद्देश्य एशिया की लघु व्यवसाय ऋण अनुपूरक संस्थाओं के मध्य सूचना के आदान-प्रदान, चर्चाओं और कार्मिकों के आदान-प्रदान के ज़िरए एशियाई क्षेत्र के देशों में छोटे व्यवसायों के लिए सुदृढ़ विकास और ऋण अनुपूरक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। वर्ष 2008 में सीजीटीएमएसई को एसीएसआईसी सम्मेलन का पूर्ण सदस्य बनाया गया। जैसािक तैपेई, ताइवान में 9 से 13 नवंबर 2009 के दौरान आयोजित 22वें एसीएसआईसी सम्मेलन में निर्णय हुआ था, सीजीटीएमएसई अगस्त 2010 में 20 वाँ एसीएसआईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा नवंबर 2011 में 24वाँ एसीएसआईसी सम्मेलन क्रमश: मुंबई और गोवा में आयोजित करेगा।



Seminar attended by CMD and CEO of CGTMSE at ACSIC, Taiwan

### **Overall Impact**

CGTMSE's operations have had a positive impact on the economy in terms of turnover, exports and employment of credit guaranteed MSEs as given in the Table 6.2:

Table 6.2: Impact of CGS

Areas of Impact	As on March 31, 2010
Expected turnover of guaranteed units	Rs.69,196 crore
Expected exports by guaranteed units	Rs.2,047 crore
Expected employment generation (No. of persons)	17.56 lakh★

<sup>\*</sup> Estimated.

### **Awareness Creation**

CGTMSE has adopted multi-channel approach for creating awareness of the CGS amongst banks, MSME industry associations, MSME sector, etc. through print and press media, conducting workshops / seminars, attending the programmes organized at various district / state / national fora, etc. During the year, CGTMSE participated in more than 450 seminars / workshops organized by MLIs and Industry Associations, exhibitions and meetings organized by RBI / Govt. / Industry Associations in connection with MSME sector, across the country to create awareness about CGS. CGTMSE officials also held around 200 business development meetings with bankers / consultants / experts. Sustained print media campaigns were carried out across the country throughout the year to improve visibility and create awareness about the scheme. Information dissemination campaigns were vigorously carried out and would be further upscaled in future.

### **ACSIC Training Programme**

Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) is a confederation of institutions with the objective to promote the sound development of the credit supplementation system for small business in the countries in Asian region through exchange of information, discussions and interchange of personnel among small business credit supplementation institutions in Asia. In 2008, CGTMSE was made a full member at the ACSIC Conference. As decided at the 22nd ACSIC Conference held in Taipei, Taiwan during November 09–13, 2009, CGTMSE will host the 20th ACSIC Training Programme during August 2010 and the 24th ACSIC Conference during November 2011 in Mumbai and Goa, respectively.



Energy efficient recuperative pot furnace under MSME Financing and Development Project of SIDBI, at Firozabad cluster, Uttar Pradesh.

Small scale power gasifier developed for village electrification under MSME Financing and Development Project of SIDBI.

# सीजीटीएमई पर भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य-दल की रिपोर्ट

एमएसई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री वी.के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक कार्य-दल का गठन किया। कार्यदल ने 2 मार्च 2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कार्य-दल की मुख्य संस्तृतियाँ इस प्रकार हैं- एमएसई क्षेत्र के लिए संपार्श्विक-रहित ऋणों की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये के मौजूदा स्तर के बजाय 10 लाख रुपये कर दी जाए और बैंकों के लिए इसे अनिवार्य बनाया जाए, जो संवार्श्विक-रहित ऋण सुविधाओं के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवर ले सकते हैं; बैंकों के शाखा-स्तर के कर्मचारियों में ऋण गारंटी योजना की मुख्य विशेषताओं और उसके फायदों के विषय में व्यापक जागरूकता विकसित करना तथा बैंकों के फील्ड स्टाफ के मुल्यांकन में ऋण गारंटी योजना के उपयोग को एक मानदंड बनाया जाना; एक समान गारंटी शुल्क; 1% प्रतिवर्ष दर से सर्वसमावेशी सम्मिश्र गारंटी शुल्क जो लगभग वैसा ही वही है जैसा कि वर्तमान में प्रभारित किया जा रहा सम्मिश्र वार्षिक शुल्क और महिला उद्यमियों, सिक्किम व पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म उद्यमों व इकाइयों से लिए जानेवाले गारंटी शुल्क का समुचित पुनर्निर्धारण करते हुए, उसमें कमी किया जाना; प्रभारित किए जानेवाले गारंटी शुल्क की गतिपूर्वक विकसित हो रहे दावा-निपटान मॉडल के आधार पर हर वर्ष समीक्षा किया जाना; सरकार द्वारा ट्रस्ट को गारटी शुल्क और निवेशों से होनेवाली आय, दोनों को कर से मुक्त किया जाना; सूक्ष्म उद्यमों के 10 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-रहित ऋणों से संबंधित गारंटी शुल्क को सीजीटीएमएसई द्वारा इस परंतुक के साथ वहन किया/ खपाया जाना कि गतिपूर्वक विकसित हो रहे दावा-निपटान मॉडल के आधार पर ट्रस्ट गारंटी शुल्क को समायोजित करके उसमें कमी अथवा बढ़ोत्तरी कर सकता है; हर वर्ष किए गए दावों के भुगतान के आधार पर गारंटी शुल्क प्रभारित किए जाने के लिए एक उपयुक्त सांख्यिकीय मॉडल के विकास हेतु कार्रवाई आरंभ किया जाना; सूक्ष्म उद्यमियों को उपलब्ध 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधाओं पर चूक की राशि के 85% तक का गारंटी कवर लागू किया जाना; बैंकों की स्वीकार्यता और कर्षण की महत्त्वपूर्ण राशि हासिल करने व स्थिर होने के बाद समस्त पण्यावर्त गारंटी को लागू किया जाना; जब कभी आवश्यकता हो समूह निधि में भारत सरकार द्वारा योगदान किया जाए; दावा-प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण; खाते के एनपीए वर्गीकृत किए जाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को गारंटी आहूत करने की अनुमति दिया जाना, न कि एक वर्ष के भीतर- जैसाकि वर्तमान में निर्दिष्ट है; वसूली की डिक्री के कालातीत होने के बाद ही ट्रस्ट द्वारा अंतिम दावे की राशि जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर वसूली की डिक्री मिलने के तीन वर्ष के बाद ट्रस्ट द्वारा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को अंतिम दावे का भुगतान किया जाना; जो ऋण सुविधाएँ प्राथमिक संपार्श्विक के साथ-साथ इकाई के स्वामित्व वाली द्वितीयक संपार्श्विक के ज़रिए प्रतिभूत हैं और इकाई की व्यावसायिक गतिविधि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं उनके लिए बिना आश्रय और कवरेज के फैक्टरिंग सेवाएं। कार्य-दल की संस्तुतियों पर सीजीटीएमएसई का न्यास-मंडल विचार कर रहा है।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of components at Ahmedabad, Gujarat.

### Report of RBI's Working Group on CGTMSE

With a view to increasing the credit flow to MSE sector, the Reserve Bank of India set up a working group under the chairmanship of Shri V K Sharma, Executive Director, RBI. The Working Group submitted its Report on March 02,2010.

The main recommendations of the Working Group are the limit of collateral-free loans to MSE sector be increased from the present level of Rs.5 lakh to Rs.10 lakh and it be mandatory for banks, which can take cover for collateral-free credit facilities under CGS; to create widespread awareness about the key features and benefits of CGS among branch level functionaries of banks and making performance in availing CGS a criterion in the evaluation of the field staff of banks; uniform Guarantee Fee; composite all-in Guarantee Fee of 1% p.a. which is almost the same as the composite Annual Fee now being charged and appropriately realign downwards the Guarantee Fees chargeable to women entrepreneurs, micro enterprises and units located in North East Region including Sikkim; review each year the Guarantee Fee to be charged on the basis of the model of dynamically evolving distribution of claims; Government to consider exempting both Guarantee Fee and the income on investments of the Trust from Income Tax; Guarantee Fee for collateral-free loans upto Rs.10 lakh to Micro Enterprises be borne / absorbed by the CGTMSE subject to the proviso that the Trust be free to adjust Guarantee Fee both downwards and upwards based on the modeling of the dynamically evolving distribution of claims; initiate action in developing a suitable statistical model for charging Guarantee Fee based on the claims paid out every year; guarantee cover upto 85% of the amount in default be made applicable to credit facilities to Micro Enterprises upto Rs.10 lakh; introduction of Whole Turnover guarantee after gaining acceptability by banks and attains critical mass of traction and stabilize; Government of India may contribute to the Corpus Fund as and when required; simplification in procedure for filing claims; MLIs may be allowed to invoke guarantee within a period of two years from the date of classification of the account as NPA instead of the present prescription of within one year; final claim be paid by the Trust to the MLIs after three years of obtention of decree of recovery instead of the present procedure of releasing the final claim by the Trust only after the decree of recovery becomes time barred; factoring services without recourse and coverage of the credit facilities which are secured by primary collateral as well as secondary collateral which belongs to the unit and are directly connected to the business activity of the unit. The recommendations of the Working Group are under the consideration of the Board of Trustees of CGTMSE.



Launch of Green Ratings to Ultimate Alloys Pvt. Ltd. at the hands of Hon'ble Finance Minister.

# एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड

देश के एमएसएमई क्षेत्र को ऋण उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट और भारत के 11 सरकारी, विदेशी व निजी बैंकों के साथ हाथ मिलाते हुए सितम्बर 2005 में एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्मेरा) की स्थापना की। यह भारती की पहली और अकेली एमएसएमई-समर्पित रेटिंग एजेंसी है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान स्मेरा ने नए आवेदनों में तीव्र वृद्धि सूचित की और 31 मार्च 2010 तक 3,155 एमएसएमई की रेटिंग की, जो विगत वर्ष की तुलना में 80.5% की वृद्धि दर्शाता है। शुरुआत से 31 मार्च 2010 तक रेटिंगों की संचयी संख्या 6,599 है। साथ ही, अपने रेटिंग-कार्य में स्मेरा ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बीच अच्छा संतुलन कायम किया है, और 3,100 (46.98%) सूक्ष्म तथा 3,274 (49.61%) लघु उद्यमों की रेटिंग की है। इसे नीचे दी गई तालिका 6.3 में दर्शाया गया है-

तालिका 6.3: स्मेरा रेटिंग- क्षेत्र-वार

क्षेत्र	यथा 31 मार्च 2010
सूक्ष्म उद्यम	3,100 (46.98%)
लघु उद्यम	3,274 (49.61%)
मध्यम उद्यम	225 (3.41%)
योग	6,599

टिप्पणी- कोष्ठकों में दिए गए आँकडे हिस्से का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्मेरा द्वारा की गई रेटिंगों के क्षेत्र-वार वितरण की दृष्टि से दक्षिण क्षेत्र 2,326 रेटिंगों के साथ सबसे आगे रहा, जिसके बाद 1,827 रेटिंगों के साथ पश्चिम क्षेत्र और उससे नजदीकी बनाए हुए 1,816 रेटिंगों के साथ उत्तर क्षेत्र का स्थान रहा।



Various events/seminars conducted by SMERA on empowering MSMEs through Rating and relevance of Credit Rating.

### SME Rating Agency of India Limited

In order to enhance credit flow to the MSME sector in the country, Small Industries Development Bank of India (SIDBI), along with Dun & Bradstreet and 11 leading public, foreign and private banks in India joined hands to set up SME Rating Agency of India Limited (SMERA) in September, 2005. It is India's first and only MSME-dedicated rating agency.

During the FY 2009-10, SMERA reported strong growth in fresh applications and rated 3,155 MSMEs till March 31, 2010 showing a growth of 80.5% over the preceding year. The cumulative number of ratings since inception till March 31, 2010 stood at 6,599. Further, SMERA has managed to maintain a good balance of micro as well as small enterprise in its rating spread, i.e. 3,100 (46.98%) micro and 3,274 (49.61%) small enterprises ratings, respectively, as exhibited in the Table 6.3 below:.

Table 6.3: SMERA Ratings - Sector-wise

Sectors	As on March 31,2010
Micro Enterprises	3,100 (46.98%)
Small Enterprises	3,274 (49.61%)
Medium Enterprises	225 (3.41%)
Total	6,599

Note: Figures in the parentheses represent percentage share

In terms of regional spread of SMERA Ratings, Southern Region was ahead with 2,326 ratings followed by Western Region of 1,827 ratings and closely followed by the Northern Region at 1,816 ratings.



Various events/seminars conducted by SMERA on empowering MSMEs through Rating and relevance of Credit Rating.

### नए प्रयास

- वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान स्मेरा ने बाजार में अपनी सेवा-गितविधयों का विविधीकरण आरंभ किया। इसके फलस्वरूप वर्ष के दौरान हरित क्षेत्र एवं बभू (भूरा) क्षेत्र-रेटिंग, अल्प वित्त संस्था-रेटिंग, रेटिंग व जोखिम मॉडल मैपिंग / वैधीकरण की शुरुआत हुई। शुरुआत से अब तक स्मेरा ने अल्प वित्त संस्था क्षेत्र से रेटिंग के 30 आदेश हासिल किए, जिनमें से 14 रेटिंग हो चुकी हैं और बाकी का काम काफी आगे बढ़ चुका है।
- बाहरी रेटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्मेरा ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राज्य वित्तीय निगमों तथा अग्रणी उद्योग संघों के साथ 30 समझौता ज्ञापन किए हैं।

# इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड

इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) की स्थापना नवंबर 2005 को की गई। इसका उद्देश्य भारत के एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी विकास की विभिन्न गतिविधियाँ जैसे- प्रौद्योगिकी का मेल कराना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वच्छ विकास प्रणाली का निष्पादन करना है।

### गतिविधियाँ

एमएसएमई क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से आईएसटीएसएल ने इसी प्रकार की गतिविधियों में जुटे विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है। इस प्रकार की कुछ एजेंसियाँ हैं- केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर; भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नई दिल्ली; केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान (सीपीपीआरआई), सहारनपुर; केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई), चेन्नै; सरदार पटेल नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (एसपीआरईआरआई), गुजरात; उन्नत सामग्री एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान (एएमपीआरआई) भोपाल; सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स (आईआईएससी) बंगलूरु और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास एकक, आईआईटी, दिल्ली। इसका उद्देश्य उक्त संस्थानों द्वारा विकिसित अधुनातन प्रौद्योगिकी की पहुँच में बने रहना है। इन प्रौद्योगिकियों को एमएसएमई के बीच प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है।

आईएसटीएसएल ने वर्ष के दौरान विभिन्न औद्योगिक समूहों में जागरूकता अभियान आयोजित किए और केएफडब्ल्यू, जर्मनी के सहयोग से जोधपुर के स्टेनलेस स्टील री-रोलिंग क्लस्टर में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकयों के कार्यान्वयन की परियोजना भी आरंभ की।



Various events/seminars conducted by SMERA on empowering MSMEs through Rating and relevance of Credit Rating.

### **New Initiatives**

- During the financial year 2009-10, SMERA embarked on diversification of its service offerings to the market. Accordingly, newer services, such as, Green Field & Brown Field Ratings, Micro Finance Institutions' Ratings and Risk Model Mapping/Validation were introduced during the year. Since its introduction, SMERA has managed to garner 30 rating mandates from the MFI sector; of which, 14 ratings have been completed and others are at an advanced stage of completion.
- In order to promote external ratings SMERA has entered into 30 MoUs with banks, Financial Institutions, State Financial Corporations and leading Industries Associations.

### **India SME Technology Services Limited**

India SME Technology Services Limited (ISTSL), was established in November, 2005 to carry out various technological development activities like technology matchmaking, technology transfer and clean development mechanism for MSMEs in India.

### **Activities**

In order to strengthen and accelerate the process of technological modernization in the MSME sector, ISTSL has entered into partnership with various national and international organizations engaged in similar activities. Some such agencies are Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysore; India Institute of Chemical Technology (IICT), Hyderabad; Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi, Central Pulp & Paper Research Institute (CPPRI), Saharanpur; Central Leather Research Institute (CLRI) Chennai; Sardar Patel Renewable Energy Research Institute (SPRERI) Gujarat; Advanced Materials and Processes Research Institute (AMPRI) Bhopal; Center for Sustainable Technologies Indian Institute of Science (IISc) Bangalore and Industrial Research & Development Unit, IIT, Delhi, to have access to the latest technologies developed by them. These technologies are being disseminated amongst the MSMEs.

ISTSL organized awareness campaigns in various industrial clusters during the year and also took up the project for implementing Energy Efficient technologies in Stainless Steel Re-rolling Cluster of Jodhpur, in



Various events/seminars conducted by SMERA on empowering MSMEs through Rating and relevance of Credit Rating.

अब इस परियोजना के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन के ज़रिए स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) आरंभ की जा रही है। आशा है कि इन उपायों से इकाइयों द्वारा जलाए जा रहे ईंधन की लागत में कमी के साथ-साथ सीडीएम आय भी अर्जित होगी।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान आईएसटीएसएल ने कई उत्पादों जैसे- ऐल्युमीनियम पाउडर और ऐस्ट, ऐग्रो-प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर (एन- ट्रायाकॉन्टानॉल), लिक्विड फ्लोर पॉलिश (मोम-आधारित), सोलर फोटोवोल्टाइक और पपीते के हरे फल के लैटेक्स के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सुविधाकारी सेवाएँ प्रदान कीं। ग्रीन हाउस गैसों में कमी लानेवाली ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकियों को सुविधाकारी बनाने के प्रयास भी किए गए हैं।

### आय


वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान आईएसटीएसएल ने 59.28लाख रुपये की कुल आय अर्जित की, जिसमें परिचालनगत आय के 12 लाख रुपये, अन्य आय के 8.31 लाख रुपये तथा ब्याज से हुई आय के 38.82 लाख रुपये शामिल हैं।

# भारत एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि.

भारत एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि.(इसार्क) की स्थापना एमएसएमई क्षेत्र की गैर निष्पादक आस्तियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, गैर निष्पादक आस्तियों के अभिग्रहण और अपनी नवोन्मेषी प्रणालियों के माध्यम से उनका समाधान करने के लिए अप्रैल, 2008 में की गई। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान इस कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र के अपने 19 शेयरधारकों से 100 करोड़ रुपये की अपनी समस्त शेयर पूंजी जुटाने की पूर्ण सफलता हासिल की। ये शेयरधारक हैं- सिडबी, सिडबी वेंचर, बैंक ऑफ बड़ौदा, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (प्रायोजक), सार्वजनिक क्षेत्र के 10 अन्य बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और 4 राज्य-स्तरीय संस्थाएं। यह 15 अप्रैल, 2009 से पूर्णतया परिचालन में आ गई।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान इसार्क ने 20 बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के 1,117 गैर निष्पादक खातों का मूल्यांकन किया और 663 गैर निष्पादक खातों के संबंध में विस्तृत ड्यू-डिलिजेंस किया। इसार्क ने 4 बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से 6 ढेरियों में 202 खातों का अभिग्रहण किया, जिनमें कुल मूलधन बकाया 249 करोड़ रुपये है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी की आय 699.61 लाख रुपये थी और निवल लाभ 278.39 लाख रुपये रहा। 31 मार्च 2010 को कंपनी की निवल मालियत 102.07 करोड़ रुपये है।



Signing of asset takeover agreement by the members of ISARC.

A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of textiles at Noida, Uttar Pradesh.

association with KfW, Germany. The project is now being taken up for implementing Clean Development Mechanism (CDM) project by implementing Energy Efficiency measures, which are expected to generate CDM revenues, besides reducing the cost of fuel being consumed by the units.

During the FY 2009-10, ISTSL offered technology facilitation services in the field of many products like Aluminium Powder and Paste, Agro Plant Growth Promoter (N –Triacontanol), Liquid Floor Polish (WAX BASE), Solar Photovoltaic and Latex of the Green Papaya Fruit. Efforts have also been made to facilitate energy efficient technologies leading to reduction in Green House Gases (GHG).

### Income

During the financial year 2009-10, ISTSL earned total income of Rs. 59.28 Lakh comprising operational income of Rs 12 Lakh, other income of Rs. 8.31 Lakh and interest income Rs. 38.82 Lakh.

### India SME Asset Reconstruction Company Ltd.

India SME Asset Reconstruction Company Ltd. (ISARC) was set up in April 2008 as an Asset Reconstruction Company (ARC) to acquire non-performing assets (NPAs) and to resolve them through its innovative mechanisms with a special focus on the NPAs of MSME sector. During FY 2009–10 year, the Company successfully completed raising of its entire share capital of Rs.100 crore from 19 public sector shareholders, i.e. SIDBI, SIDBI Venture, Bank of Baroda, United Bank of India (the sponsors), 10 other public sector banks, LIC and 4 State-level institutions. It also became fully operational from April 15, 2009.

During FY 2009-10, ISARC evaluated 1,117 non-performing accounts of 20 banks/FIs and carried out detailed due-diligence in respect of 663 NPAs. ISARC acquired 202 accounts from 4 banks/FIs in 6 lots with an aggregate principal outstanding amount of Rs.249 crore.

The income of the Company during FY 2009-10 stood at Rs.699.61 lakh and the net profit at Rs.278.39 lakh. The networth of the company as on March 31, 2010 was Rs.102.07 crore.

# SIDBI FOUNDATION FOR RISK CAPITAL

To provide risk capital assistance to

Micro, Small & Medium

Enterprises by evolving

innovative products and

building an ecosystem for

fostering entrepreneurship.





तुलनपत्र एवं लेखा विवरण Balance Sheet & Statement of Accounts



SIDBI's Annual Business Meet held at Mumbai.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का वित्तीय वर्ष 2009-10 का लेखापरीक्षित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण **परिशिष्ट 1** में दिए गए हैं। सिडबी और उसकी सहायक संस्थाओं - सिडबी वेंचर कैपिटल लि. (एसवीसीएल) तथा सिडबी ट्रस्टी कंपनी लि. (एसटीसीएल) और सहयोगी संगठनों - एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (स्मेरा), इंडियन एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इसार्क) तथा इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ लि. (आईएसटीएसएल) और अन्य का समेकित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण **परिशिष्ट II** में दिए गए हैं। सिडबी के वित्तीय वर्ष 2009-10 के वार्षिक लेखा की प्रमुख विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है:

वर्ष के दौरान, बैंक की आवश्यक प्रावधानों से पूर्व कुल आय बढ़कर 3,206.96 करोड़ रुपये हो गई, जबिक पिछले वर्ष आवश्यक प्रावधानों से पूर्व कुल आय 2,651.29 करोड़ रुपये थी। यह मुख्य रूप से समग्र संविभाग में वृद्धि तथा ऋण उत्पादों के बेहतर मूल्यन का परिणाम है। वर्ष के दौरान कुल व्यय भी बढ़कर 1,674.87 करोड़ रुपये हो गया, जबिक पिछले वर्ष 1,253.10 करोड़ रुपए था। इसके फलस्वरूप, वर्ष का कर-पूर्व लाभ 864.94 करोड़ रुपये रहा, जबिक पिछले वर्ष यह 829.20 करोड़ रुपये था और इस प्रकार इसमें 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष का कर और आस्थिगत कर समायोजन पश्चात निवल लाभ 421.30 करोड़ रुपये रहा, जबिक पिछले वर्ष यह 299.20 करोड़ रुपये था। बैंक ने 450 करोड़ रुपये की चुकता ईक्वटी पूंजी पर 25 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया, जो लाभांश कर और उस पर देय अधिभार तथा शिक्षा उपकर को मिलाकर 131.19 करोड़ रुपए होता है। वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपए का विनियोजन स्टाफ कल्याण निधि में किया गया। 95 करोड़ रुपए की राशि को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरिक्षिति में अंतरित किया गया। विशेष आरिक्षित, स्टाफ कल्याण निधि, लाभांश और उस पर लाभांश कर में विनियोजन के पश्चात लाभ की शेष 194.11 करोड़ रुपये की राशि आरिक्षत निधि में अंतरित कर दी गई।

# महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

# 1. तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडो, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धितयों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धित के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा लागू की गई लेखा नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।





A unit assisted by SIDBI engaged in Engineering and Heat Treatment Services at Peenya, Bangalore.

A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of precision auto components at Chinchwad, Pune.

The audited Balance Sheet, along with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of Small Industries Development Bank of India, for the financial year 2009-10, are given in the **Appendix – I.** The consolidated Balance Sheet, along with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of SIDBI with its subsidiaries viz., SIDBI Venture Capital Limited (SVCL) and SIDBI Trustee Company Limited (STCL) and associates viz. SME Rating Agency of India Limited (SMERA), Indian SME Asset Reconstruction Company Limited (ISARC) and India SME Technology Services Limited (ISTSL) and others as given in **Appendix II.** The salient features of annual accounts of SIDBI for the financial year 2009-10 are discussed below:

The total income of the Bank during the year was higher at Rs. 3,206.96 crore, before necessary provisions, from Rs. 2,651 .29 crore before necessary provisions, during the previous year mainly due to growth in the overall portfolio and better pricing of loan products. The total expenditure during the corresponding period was higher at Rs. 1674.87 crore as compared to Rs.1253.10 crore during the previous year. As a result, the Profit Before Tax for the year has been Rs.864.94 crore, up from Rs.829.20 crore in the previous year, registering an increase of 4.3%. The net Profit After Tax and Deferred Tax Adjustment for the year was Rs.421.30 crore as against Rs.299.20 crore in the previous year. The Bank declared a dividend of 25% on paid up equity capital of Rs.450 crore which worked out to Rs.131.19 crore, inclusive of dividend tax, surcharge and cess payable thereon. During the year, appropriation of Rs.1 crore was made to Staff Welfare Fund (SWF). A sum of Rs. 95 crore was transferred to Special Reserve created under Section 36(1)(viii) of IT Act, 1961. After appropriation of profit to the Special Reserve, SWF, Dividend and Dividend Tax thereon, the balance of profit of Rs. 194.11 crore was transferred to the Reserve Fund.

#### **Significant Accounting Policies**

#### 1. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared to comply in all material respects with the Small Industries Development Bank of India Act, 1989, prudential norms prescribed by Reserve Bank of India, applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and practices prevailing in the banking industry. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis, unless otherwise stated. The accounting policies that are applied by the Bank, are consistent with those used in the previous year.



A unit assisted by SIDBI engaged in garment manufacturing at Tirupur, Tamil Nadu.

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करे, जो आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरण की तारीख में आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

## 2. राजस्व निर्धारण

## क) आय

- (i) ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय उन मामलों के, जहाँ सावधि ऋणदात्री और पुनर्वित्त संस्थाओं के लिए प्रयोज्य भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त/बिल चुकौती तुलनपत्र की तारीख को 90 दिन से अधिक समय से देय हो। ऐसे ऋण खातों तथा प्राप्यराशि/बिल वित्तपोषण को वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया गया है। दांडिक ब्याज और बीज पूंजी/सुलभ ऋण सहायता पर ब्याज की उगाही में काफी अनिश्चितता होने के कारण उन्हें वास्तविक प्राप्ति आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- (ii) लाभ और हानि लेखे में आय, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के संबंध में वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों/बट्टे खाते डाली गई राशि/पुनरांकनों तथा अन्य आवश्यक एवं उचित प्रावधानों को घटाकर दर्शाई गई है।
- (iii) बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई तथा जमा प्रमाणपत्र के संबंध में प्राप्त बट्टा राशि को लिखतों की मीयाद के अनुसार संविभाजित कर दिया गया है।
- (iv) मानक (निष्पादक) अस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूंजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- (v) औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को वसूली के पश्चात आय माना गया है।
- (vi) उद्यम पूंजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- (vii) गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:
  - क) गैर-निष्पादक आस्ति होने की तारीख तक अतिदेय ब्याज
  - ख) मूलधन
  - ग) लागत और प्रभार
  - घ) ब्याज और
  - ङ) दांडिक ब्याज



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of components at Peenya, Bangalore.

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent liabilities on the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the period reported. Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognised in accordance with the requirements of the respective accounting standard.

## 2. Revenue Recognition

#### A) Income

- (i) Interest income is accounted for on accrual basis, except where interest and/or installment of principal/ bills repayment is due for more than 90 days as on the date of Balance Sheet as per RBI norms applicable to the term lending and Refinancing Institutions. Interest in respect of such loan accounts and receivable / bills finance is taken credit on actual receipt basis. Penal interest and interest on seed capital/soft loan assistance are being accounted for on actual receipt basis in view of significant uncertainty about their realisability.
- (ii) Income is shown in the Profit and Loss Account net of provisions / write offs / write backs during the year for bad and doubtful debts and also other necessary and expedient provisions.
- (iii) Discount received in respect of bills discounted / rediscounted and on Certificate of Deposit is apportioned over the period of usance of the instruments.
- (iv) Commitment charges, service charges on seed capital / soft loan assistance and royalty income are accounted for on accrual basis in respect of standard (performing) assets.
- (v) Dividend on shares held in industrial concerns and financial institutions is recognised as income when realized.
- (vi) Income from Venture Capital funds are accounted on realisation basis.
- (vii) Recovery in non-performing assets (NPA) is appropriated in the following order:
  - a) overdue interest upto the date of NPA,
  - b) principal,
  - c) cost & charges,
  - d) Interest and
  - e) penal interest.



Bamboo Splinter- used for making of splints for agarbatti incense sticks and bamboo mat boards.

Natural Water Cooler-Low cost, energy efficient, environment friendly water cooler, which cools water naturally based on principle of heat exchange.

#### ख) व्यय

- (i) विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- (ii) जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

## 3. निवेश

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को "परिपक्वता तक धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" तथा "व्यापार हेतु धारित" की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुन: निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है: (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) डिबेंचर तथा बॉण्ड, (v) सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उपक्रम और (vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट आदि)।

## (क) परिपक्वता तक धारित

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अविध में परिशोधित कर दिया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी को छोड़कर, हेतु प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग अलग प्रावधान किया गया है।

# (ख) व्यापार हेतु धारित

अल्पाविध मूल्य/ब्याज दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए व्यापार करने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को "व्यापार हेतु धारित" श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/ मूल्यहास को लाभ और हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है और अलग-अलग स्क्रिपों के बही मूल्य में तदनुरूप परिवर्तन कर दिया गया है।



Sanitary Napkin Machine-prepare low cost sanitary napkin with the same materials as conventional napkins.

Laxmi Asu Machine-A low cost, energy efficient tie and dye machine.

#### B) Expenditure

- (i) All expenditures are accounted for on accrual basis except Development Expenditure which is accounted for on cash basis.
- (ii) Discount on Bonds and Commercial papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Paper. The expenses relating to issue of Bonds are amortized over the tenure of the Bonds.

#### 3. Investments

(i) In terms of extant guidelines of the Reserve Bank of India, the entire investment portfolio is categorized as "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading". Investments are valued in accordance with RBI guidelines. The investments under each category are further classified as i) Government Securities, ii) Other approved securities, iii) Shares, iv) Debentures & Bonds, v)Subsidiaries/joint ventures and vi) Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units etc.)

#### (a) Held to Maturity:

Investments acquired with the intention to hold till maturity are categorized under Held to Maturity. Such investments are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Dimunition, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/joint ventures under this category is provided for each investment individually.

#### (b) Held for Trading:

Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of the short-term price/interest rate movements are categorized under Held for Trading. The investments in this category are revalued as a whole and net appreciation /depreciation is recognized in the profit & loss account, with corresponding change in the book value of the individual scrips.



Multi Crop Thresher-machine capable of thrashing all types of crops with minimum changes Used in reducing carbon in the setting of mechanical parts, thus saves time and energy.

particulates from the flue gas and damping the sound as well as temperature.

# (ग) बिक्री हेतु उपलब्ध

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आने वाले निवेशों को "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग अलग स्क्रिपों का पुनर्मुल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मुल्यहास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज करे दिया गया है। अलग अलग स्किपों के बही मूल्य में परिवर्तन नहीं किया गया है।

# (घ) निवेश की बिक्री में लाभ या हानि

किसी भी वर्ग के निवेशों की बिक्री में लाभ या हानि को लाभ और हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि, "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

- जो डिबेंचर/बॉण्ड/शेयर अग्रिम की प्रकृति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं। अंतर-कार्पोरेट जमाओं में निवेशों को 'निवेश - अन्य' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- बीज पूंजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

## विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 11 के अनुसार किया गया है

- आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों के अनुसार दर्ज किया गया है।
- आय और व्यय को वास्तविक विक्रय/क्रय के जरिए मासिक अंतरालों पर परिवर्तित किया गया है और लाभ और हानि लेखे में तदनुसार हिसाब में लिया गया है।
- (iii) जहाँ विदेशी मुद्रा देयताओं का मिलान विदेशी मुद्रा आस्तियों से नहीं किया गया है, वहाँ पुनर्मूल्यांकन पर आनुमानिक अंतर को, उन खातों में समायोजित किया गया है, जो विनिमय जोखिम प्रबंधन हेतु ऋणदाताओं/सरकार के साथ की गई विशेष व्यवस्थाओं के अंतर्गत रखे जाते
- (iv) व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

#### ऋण और अग्रिम 5.

आस्तियों, अर्थात् ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को उनके वसूली रिकॉर्ड के आधार पर मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए हैं।



Design making machine- An attachment can be fitted into any handloom Jacquard machine for the insertion of weft threads needed to make a variety of designs.

Stencil Cutter for imprinting the cloths with the desired design being made on the butter paper.

#### (c) Available for Sale:

Investments which do not fall within the above two categories are categorized under Available for Sale. The individual scrips under this category are revalued and net depreciation under any of the classification mentioned above is recognized in the profit & loss account. Net appreciation under any classification is ignored. The book value of individual scrips is not changed.

#### (d) Profit or loss in sale of investment:

Profit or loss on sale of investments in any category is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments under "Held to Maturity" category, an equivalent amount is appropriated to Capital Reserve Account.

- (ii) The debentures / bonds / shares deemed to be in the nature of advance, are subject to the usual prudential norms applicable to loans & advances. Investments in inter-corporate deposits are classified as Investments Others.
- (iii) In respect of unquoted investments in industrial concerns under Seed Capital Scheme, full provision has been made.

## 4. Foreign Currency Transactions

Foreign currency transactions are recorded in the books of account in respective foreign currencies. Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS)-11 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

- (i) Assets and Liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- (ii) Income and Expenses are translated at monthly intervals through actual sale/purchase and recognized in the profit and loss account accordingly.
- (iii) Where foreign currency liabilities are not matched with foreign currency assets, the notional difference on revaluation is adjusted with the accounts maintained under the special arrangements entered with lenders/Government for managing exchange risk.
- (iv) The Bank follows hedge accounting in respect of derivative transactions as per RBI guidelines.

#### 5. Loans and Advances

(i) Assets representing loan and other assistance portfolios are classified based on record of recovery as Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss Assets. Provision is made for assets, as per the norms in accordance with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of textiles at Rajkot, Gujarat.

- (ii) तुलन पत्र में उल्लिखित अग्रिम, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर हैं।
- (iii) मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं।
- (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त, विवेकपूर्ण उपाय के तौर पर बैंक अनुमोदित नीति के अनुसार कितपय ऐसी मानक आस्तियों के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान कर रहा है, जो दबावग्रस्त आस्तियों के वर्ग में आती हैं। दबावग्रस्त आस्तियों हेतु प्रावधान की आंतिरक नीति अप्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत कितपय संविभाग के संबंध में जोखिम बोध/जोखिम रुचि पर आधारित है।

#### 6. कराधान

- कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थिगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली संभावित राशि पर की गई है।
- (ii) आस्थिगित आयकर, वर्ष की करयोग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतरालों के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थिगित कर की गणना कर की दरों पर और तुलनपत्र की तारीख तक अधिनियमित अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों के आधार पर की गई है।
- (iii) आस्थिगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थिगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।
- (iv) पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थिगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थिगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

# 7. प्रतिभूतीकरण

बैंक क्रेडिट रेटिंग युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति समूहों को बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-श्रू प्रमाणपत्रों के जिरए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है। बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

# 8. आस्ति वसूली कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

(i) गैर निष्पादक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing of capacitors at Faridabad, Haryana.

- (ii) Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non performing assets.
- (iii) General provision on Standard Assets is made as per RBI guidelines.
- (iv) In addition to the General provisions on Standard Assets as per RBI guidelines, as a measure of prudence, the Bank is making additional provision in respect of certain Standard Assets which are in the Stressed Assets category, as per an approved policy. The internal policy for Provisions for Stressed Assets is based on risk perception/ risk appetite in respect of certain portfolio under Indirect Finance.

#### 6. Taxation

- (i) Tax expense comprises both current tax and deferred taxes. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with Income Tax Act.
- (ii) Deferred income taxes reflects the impact of the current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date.
- (iii) Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised.
- (iv) Unrecognized deferred assets of earlier years are re-assessed and recognized to the extent that it has become reasonably certain that future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

#### 7. Securitisation

The Bank purchases credit rated Micro, Small and Medium Enterprises Asset pools from Banks / Non Banking Finance Companies by way of pass- through certificates issued by the Special Purpose Vehicle. Such securitisation transactions are classified as Investments and further categorized as Held for Trading / Available For Sale depending upon investment objective. The Bank purchases credit rated pool of Micro, Small and Medium Enterprises assets under bilateral direct assignment. Such direct assignment transactions are accounted for as 'advances' by the Bank.

#### 8. Sale of Financial Assets to Asset Reconstruction Companies (ARCs)

(i) The sale of NPA's is on cash basis or investment in Security Receipt (SR) basis.



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Faridabad, Haryana.

- (ii) एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को एसआर के रूप में निवेश समझा जाता है।
- (iii) यदि बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य में से धारित प्रावधान घटाने पर प्राप्त मूल्य ) से कम पर की जाती है, तो कमी को उस वित्तीय वर्ष के लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है।
- (iv) यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर की जाती है, तो धारित बेशी प्रावधान को प्रतिवर्तित नहीं किया जाता है, बल्कि उसका उपयोग अन्य गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री से उत्पन्न कमी/हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

# 9. स्टाफ लाभों हेतु प्रावधान

# क. सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

- (i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निर्धारित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान वर्ष के लाभ और हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।
- (ii) ग्रेच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निर्धारित लाभकारी दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हर वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है, जो अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।
- (iii) बीमांकिक लाभ/हानि तत्काल लाभ-हानि लेखे में दर्ज किए जाते हैं और आस्थगित नहीं किए जाते।
- (iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

# ख सेवा में रहते हुए लाभ (अल्पावधि)

(i) अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टा आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

# 10. स्थिर आस्तियां और मूल्यहास :

- क) स्थिर आस्तियाँ लागत में से मूल्यहास घटाकर दर्शाई गई हैं।
- ख) पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान निम्नलिखित दर पर किया गया है
  - फर्नीचर और फिक्स्चर
  - i) बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ 100 प्रतिशत



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing precision components and moulds at Balanagar, Andhra Pradesh

- (ii) In case of sale on SR basis, the sale consideration or part thereof is treated as investment in the form of SRs.
- (iii) If the sale at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and loss A/c of that Financial Year.
- (iv) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision held is not reversed but utilized to meet the Shortfall/loss on account of sale of other non-performing financial assets.

#### 9. Provisioning for Staff Benefits

#### A Post retirement benefits:

- (i) Provident Fund is a defined contribution scheme administered by the Bank and the contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year.
- (ii) Gratuity liability and Pension liability are defined benefit obligations and other long term employee benefits like compensated absences, post retirement medical benefits, leave fare concession etc. are provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of each financial year based on the projected unit credit method.
- (iii) Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.
- (iv) Payments made under the Voluntary Retirement Scheme are charged to the Profit & Loss account in the year of expenses incurred.

#### B Benefits (Short - term) while in service:

(i) Liability on account of Short term benefits are determined on an undiscounted basis and recognized over the period of service, which entitles the employees to such benefits.

#### 10. Fixed Assets and Depreciation

- a) Fixed Assets are shown at cost less depreciation.
- b) Depreciation for the full year is provided on:
- Furniture and Fixture
- i) For assets owned by Bank @ 100 percent



A unit assisted by SIDBI engaged in Engineering works at Dharwad, Karnataka.

A unit assisted by SIDBI engaged in Engineering works at Hubli, Karnataka.

- ii) कर्मचारियों के आवास की साजसज्जा के लिए पट्टे पर दी गई अन्य आस्तियाँ मूल्यह्रासित मूल्य पद्धित 10 प्रतिशत
- कंप्यूटर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 100 प्रतिशत
- भवन मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति 5 प्रतिशत
- विद्युत संस्थापना
- i) बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ मूल्यहासित मूल्य पद्धति 50 प्रतिशत
- ii) कर्मचारियों के आवास की साजसज्जा के लिए पट्टे पर दी गई अन्य आस्तियाँ मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति 20 प्रतिशत
- मोटर कार सीधी रेखा पद्धति 50 प्रतिशत
- ग) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि पर्यंत किया जाता है।

# 11. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियां

जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। संसाधनों के व्यय की संभाव्यता रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। वित्तीय विवरणों में आकिस्मिक आस्तियों की न तो मान्यता होती है न ही प्रकटन। आकिस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और उनका प्रकटन टिप्पणियों के जिरए होता है।

## 12. अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन, करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

# लेखापरीक्षक

बैंक के वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखाओं की लेखापरीक्षा मै. ए.जे. शाह एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई ने की, जिन्हें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (यथासंशोधित) की धारा 30 (1) के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षा करने के लिए दिनांक 26 जून 2009 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पृष्ठ सं. 178 तथा 210 पर दी गई है।



A unit assisted by SIDBI engaged in manufacturing auto components at Faridabad, Haryana.

- ii) For other assets given on lease to employees for furnishing of residence @ 10 percent on WDV basis.
- Computer and Computer Software @ 100 percent
- Building @ 5 per cent on WDV basis
- Electrical Installations
- i) For assets owned by Bank @ 50 percent on WDV basis
- ii) For other assets given on lease to employees for furnishing of residence @ 20 percent on WDV basis.
- Motor Car Straight Line Method @ 50 percent.
- c) Leasehold land is amortized over the period of lease.

#### 11. Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events, it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

#### 12. Grants and Subsidies

Grants and subsidies from the Government and other agencies are accounted as per the terms and conditions of the agreement.

#### **Auditors**

The accounts of the Bank for the financial year 2009-10 were audited by M/s A.J. Shah & Co., Chartered Accountants, Mumbai who were appointed in terms of Section 30(1) of the SIDBI Act, 1989 (as amended) at the Annual General Meeting held on June 26, 2009 for carrying out the statutory audit.

The reports of the Auditors are given on Page Nos. 178 & 210.

परिशिष्ट—।

# वार्षिक लेखे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

31 मार्च, 2009 March 31, 2009		देयताएं LIABILITIES		31 मार्च, 2010 March 31, 2010
₹. Rs.			₹. Rs.	₹. Rs
750,00,00,000	<b>प्राधिकृत /</b> 10/- रु. प्र 75,00,00,	ी/SHARE CAPITAL 'Authorised ति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर 000 Equity Shares of Rs. 10/- each ति शेयर की दर से 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर	750,00,00,000	
250,00,00,000	25,00,00,	.000 Redeemable Preference Shares of Rs. 10/- each	250,00,00,000	
1000,00,00,000				1000,00,00,00
450,00,00,000	10/- रु. प्र	चुकता d paid-up ति शेयर की दर से 45,00,00,000 ईक्विटी शेयर 000 Equity shares of Rs. 10/- each		450,00,00,00
	2. आरक्षितिय RESERVE	ां, निधियां और अधिशेष (टिप्पणी सं. 1) S, FUNDS AND SURPLUS (Note No. 1)		, , ,
4129,20,73,725	i) ii)	आरक्षिति निधि / Reserve Fund अन्य निधियां / Other Funds क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि	4323,31,73,555	
148,10,87,203		a) National Equity Fund ख) स्टाफ कल्याण निधि	167,44,64,973	
24,94,22,674	iii)	b) Staff Welfare Fund आरक्षितियां / Reserves क) निवेश आरक्षिति	24,25,71,858	
55,19,63,645		a) Investment Reserve ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अन्तर्गत सृजित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षिति b) Special Reserve created and maintained u/s	55,19,63,645	
792,00,00,000 —	iv)	36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961 अधिशेष / Surplus	887,00,00,000 —	
5149,45,47,247				5457,21,74,03
	GIFTS, G	नुदान, दान और अनुग्रह राशि RANTS, DONATIONS AND BENEFACTIONS		
	i) ii)	सरकार से / From Government अन्य म्रोतों से / From other sources		
3525,40,50,000		: डिबेंचर (टिप्पणी सं. 2) AND DEBENTURES (Note No. 2)		5311,73,90,00
7437,05,55,830		प्पणी सं. 3) S (Note No. 3)		11586,95,57,21
16561,91,53,077		अग्रेनीत Carried Forward		22805,91,21,24.

Appendix - I
Annual Accounts

#### SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

Balance Sheet as at March 31, 2010

31 मार्च, 2009 March 31, 2009		आस्तियां ASSETS		31 मार्च, 2010 March 31, 2010
₹. Rs.			₹. Rs.	₹. Rs.
	1.	नकदी और बैंक अतिशेष CASH AND BANK BALANCES		
14,25,655		i) हाथ में नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Cash in hand and Balances with Reserve Bank of India	7,08,355	
		ii) भारत स्थित अन्य बैंकों में अतिशेष Balances with other Banks in India		
		क) चालू खाते में		
21,52,89,002		a) On Current Account	50,21,61,996	
120 60 75 000		ख) निक्षेप खाते में	156 40 00 000	
120,69,75,000		b) On Deposit Account	156,49,00,000	
		iii) भारत के बाहर अन्य बैंकों में अतिशेष Balances with other Banks outside India		
36,03,835		क) चालू खाते में a) On Current Account	33,57,756	
		ख) निक्षेप खाते में		
679,57,67,145		b) On Deposit Account	968,13,36,106	
822,30,60,637				1175,24,64,213
	2.	निवेश INVESTMENTS		
9,23,89,500		i) केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में In securities of Central and State Governments ii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयरों में	46,90,42,500	
329,07,85,973		ii) बैको और वित्तीय संस्थाओं के शेयरों में In shares of banks and financial institutions	308,25,54,064	
		iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्डों और डिबेंचरों में		
482,49,32,811		In bonds and debentures of banks and financial institutions	288,75,58,795	
78,99,04,056		iv) औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयरों, बॉण्डों और डिबेंचरों में In stocks, shares, bonds and debentures of industrial concerns	364,76,20,569	
		v) अन्य		
869,76,49,526		Others	754,66,26,661	
1769,56,61,866				1763,34,02,589
	3.	ऋण और अग्रिम LOANS AND ADVANCES		
24298,95,66,068		i) बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को To banks and other financial institutions	28872,43,69,291	
5036,37,54,296		ii) औद्योगिक प्रतिष्ठानों को To industrial concerns	6845,70,73,494	
29335,33,20,364				35718,14,42,785
31927,20,42,867		अग्रेनीत		38656,73,09,587
		Carried Forward		

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

31 मार्च, 2009 March 31, 2009	देयताएं LIABILITIES		31 मार्च, 2010 March 31, 2010
₹. Rs.		₹. Rs.	₹. Rs.
16561,91,53,077 <b>6.</b>	अग्रानीत Brought Forward <b>उधार</b> BORROWINGS		22805,91,21,243
– 6269,00,00,000 –	i) भारतीय रिज़र्व बैंक से From Reserve Bank of India क) स्टॉक, निधियों और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों पर प्रतिभूत a) Secured against stocks, funds and other trustee securities ख) विनिमय बिलों या वचन पत्रों पर प्रतिभूत b) Secured against bills of exchange or promissory notes ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में से c) Out of the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	- - -	
6,72,60,000 654,13,33,238	ii) भारत सरकार से From Government of India क) ब्याज—मुक्त ऋण a) Interest-free loan ख) विदेशी ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत—जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) ऋण b) Against foreign lines of credit- Japan International Cooperation Agency (JICA) Loans	3,16,30,000 610,52,44,356	
-	ग) अन्य ऋण c) Other loans	-	
3330,58,00,000 3844,51,89,890	iii) अन्य म्रोतों से (टिप्पणी सं. 4) From Other sources (Note No. 4) iv) विदेशी मुद्रा में (टिप्पणी सं. 5) In Foreign Currency (Note No. 5)	8990,82,42,127 _4414,55,35,006	
14104,95,83,128			14019,06,51,489
<b>7.</b> 3938,74,51,102	चालू देयताएं व प्रावधान (टिप्पणी सं. 6) CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS (Note No. 6)		5060,06,13,420
34605,61,87,307			41885,03,86,152

लेखा टिप्पणियाँ (अनुबंध I) / Notes to Accounts (Annexure I) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अध्याय 7) / Significant Accounting Policies (Chapter 7)

Balance Sheet as at March 31, 2010

31 मार्च, 2009 March 31, 2009		आस्तियां ASSETS	31 मार्च, 2010 March 31, 2010
₹. Rs.			च. Rs.
		अग्रानीत	
31927,20,42,867		Brought Forward	38656,73,09,587
1544,91,40,393	4.	भुनाए गए या पुनः भुनाए गए विनिमय बिल व वचन पत्र BILLS OF EXCHANGE AND PROMISSORY NOTES DISCOUNTED OR REDISCOUNTED	2242,95,66,094
1344,51,40,555		DISCOUNTED ON REDISCOUNTED	2212,33,00,031
	5.	परिसर (टिप्पणी सं. 9)	
208,28,12,929		(लागत में से मूल्यहास घटाकर) PREMISES (Note No. 9)	203,39,27,399
200,20,12,929		(At cost less depreciation)	203,39,27,399
		, ,	
	6.	अन्य स्थिर आस्तियां	
		(लागत में से मूल्यहास घटाकर)	
5,04,55,840		OTHER FIXED ASSETS (At cost less depreciation)	4,24,82,828
		(At Cost less depreciation)	
	7.	अन्य आस्तियां	
920,17,35,278	7.	OTHER ASSETS	777,71,00,244
220,11,00,210			,1,00/211
34605,61,87,307			41885,03,86,152

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

	व्यय EXPENDITURE	31 मार्च, 2010 March 31, 2010
		₹. Rs.
1.	निक्षेपों, उधारों आदि पर प्रदत्त ब्याज व वित्तीय व्यय Interest & Financial Charges paid on Deposits, Borrowings, etc.	1476,81,64,798
2.	स्थापना व्यय Establishment Expenses	106,44,78,020
3.	निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस व व्यय Directors' & Committee Members' Fees and Expenses	22,71,592
4.	लेखा—परीक्षकों की फीस Auditors' Fees	14,23,961
5.	किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.	13,49,01,814
6.	विधि प्रभार Law Charges	77,00,437
7.	डाक व्यय, तार व टिकट Postage, Telegrams & Stamps	40,08,624
8.	लेखन सामग्री, मुद्रण, विज्ञापन आदि Stationery, Printing, Advertisement, etc.	2,46,94,188
9.	मूल्यहास / परिशोधन Depreciation / Amortisation	10,31,85,994
10.	अन्य व्यय Other Expenditure	63,79,27,691
11.	वर्ष का अधोनीत लाभ Profit for the year carried down	864,93,74,290
		2539,81,31,409
	वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ Profit before Tax for the year	864,93,74,290
	कर के लिए प्रावधान Provision for Tax	449,00,00,000
	पूर्ववर्ती वर्ष के कर हेतु पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान Excess provision for Tax of earlier year written back	1,35,73,978
	कर के बाद लाभ Profit after Tax	417,29,48,268
	आस्थगित कर समायोजन (आस्ति) / देयता Deferred Tax Adjustment (Asset) / Liability	(4,00,00,000)
	विनियोग से पूर्व लाभ Profit before appropriations	421,29,48,268
	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Prignar   Provided Head   P

Profit and Loss Account for the Year ended March 31, 2010

31 मार्च, 2009 March 31, 2009		आय INCOME	31 मार्च, 2010 March 31, 2010
		दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों तथा अन्य आवश्यक व उचित प्रावधानों को घटाकर) (Less provisions made during the year for bad and doubtful debts and other necessary and expedient provisions)	
रु. Rs.			रु. Rs.
1724,19,49,406	1.	ब्याज और बट्टा आदि Interest and Discount etc.	2318,64,29,552
61,54,27,931	2.	निवेशों से आय Income from Investments	69,52,81,339
	3.	कमीशन, दलाली आदि Commission, Brokerage, etc.	4 -
	4.	निवेशों की बिक्री से निवल लाभ (जो आरक्षितियों में या किसी विशिष्ट निधि या लेखे में जमा नहीं किया गया) Net Profit on sale of investments	
31,51,15,786		(not credited to reserves or any particular fund or account)	73,92,01,212
265,05,54,468	5.	अन्य आय (टिप्पणी सं. 12) Other Income (Note No. 12)	77,72,19,306
2082,30,47,591			2539,81,31,409

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

31 मार्च, 2009 March 31, 2009	व्यय EXPENDITURE	31 मार्च, 2010 March 31, 2010
₹. Rs.	SPORT / Annualistical	₹. Rs.
	विनियोग / Appropriations	
129,22,92,028	आरक्षिति निधि में अंतरित Transferred to Reserve Fund	194,10,99,830
	स्टाफ कल्याण निधि में अंतरित	
1,00,00,000	Transferred to Staff Welfare Fund	1,00,00,000
	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के	
	अन्तर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरित	
90,00,00,000	Transferred to Special Reserve u/s 36 (1) (viii) of IT Act 1961	95,00,00,000
	ईक्विटी शेयरों पर लाभांश	
67,50,00,000	Dividend on Equity Shares	112,50,00,000
	ईक्विटी शेयरों के लाभांश पर कर	
11,47,16,250	Tax on Dividend on Equity Shares	18,68,48,438
299,20,08,278		421,29,48,268
	प्रति शेयर अर्जन (रु.) टिप्पणी सं. 15; प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रु.	
6.65	Earning per share (Rs.) Note No. 15; Face value of Rs. 10/- each	9.36

#### लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति शेयरधारक,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

हमने **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक** के 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के तुलन—पत्र, लाभ—हानि लेखे एवं बैंक के उक्त तारीख <mark>को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह</mark> विवरण की लेखा—परीक्षा की है, जो कि संलग्न है।

विवरण का लखा—पराक्षा का ह, जो कि सलग्न हैं।

ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों की लेखा—परीक्षा के आधार पर विचार प्रकट करना है। हमारे द्वारा की गयी लेखा—परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा मानदण्डों पर आधारित है। उन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा—परीक्षा की योजना और कार्यान्वयन इस प्रकार करें जिससे कि इस बारे में समुचित रूप से आश्वरत हुआ जा सके कि उपर्युक्त वित्तीय विवरण, त्रुटियों एवं गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखा—परीक्षा में वित्तीय विवरण की राशियों एवं प्रकटनों के पक्ष में उपलब्ध माक्ष्यों की परीक्षण आधार पर, जांच शामिल है। लेखा—परीक्षा में, प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धातों तथा उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों की परीक्षा के साथ—साथ समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा—परीक्षा हमारी राय के लिए यथोचित आधार प्रदान करती है।

- (1) लेखा—परीक्षा के लिए हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो जानकारी और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं। (2) हमारी राय में तुलन—पत्र और लाम—हानि लेखा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सामान्य विनियमावली, 2000 के विनियम 14 की अपेक्षित शर्तों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किए गए हैं। (3) हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :
- - (i) तुलन—पत्र, उस पर की गई टिप्पणियों एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों सहित, पूर्ण और सही तुलन—पत्र है, जो 31 मार्च, 2010 को बैंक के कामकाज की सच्ची और सही स्थिति दर्शाता है। (ii) 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ—हानि लेखा, उस पर दी गई टिप्पणियों और लेखा नीतियों सहित, 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के अतिशेष
  - (iii)नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सच्ची एवं सही स्थिति बताता है।

कृते **ए.जे. शाह एण्ड कं.** सनदी लेखाकार एफआरएन. 109476W हिरेन शाह साझेदार - एम. नः 100052

मुम्बई, 31 मई, 2010

Report of the Auditors'

To the Shareholders of

the Small Industries Development Bank of India.

We have audited the attached Balance Sheet of the Small Industries Development Bank of India ('Bank') as at March 31, 2010 and also the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of the Bank for the year ended on that date.

These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

- We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and the same have been satisfactor
- In our opinion, the Balance Sheet and Profit and Loss Account are properly drawn up in accordance with the requirements of the Regulation 14 of the Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

  (i) The Balance Sheet read together with the notes thereon and Significant Accounting Policies, is a full and fair Balance Sheet so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2010.
  - (ii) The Profit and Loss Account read together with the notes thereon and Significant Accounting Policies, shows a true balance of profit for the year ended March
  - (iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flow for the year ended March 31, 2010.

For A.J. Shah & Co. Chartered Accountants FRN 109476W Hiren Shah Partner - M. No. 100052

Mumbai, May 31, 2010

Profit and Loss Account for the Year ended March 31, 2010

31 मार्च, 2009 March 31, 2009	आय INCOME (वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों तथा अन्य आवश्यक व उचित प्रावधानों को घटाकर) (Less provisions made during the year for bad and doubtful debts and other necessary and expedient provisions)	31 मार्च, 2010 March 31, 2010	
₹. Rs.		₹. Rs.	
299,20,08,278	वर्ष का अधोनीत लाभ Profit for the year brought down	421,29,48,268	

299,20,08,278 421,29,48,268

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date बोर्ड के आदेशानुसार BY ORDER OF THE BOARD

कृते ए.जे. शाह एण्ड के.	वी. एस. राठौड़	राकेश रेवारी	आर.एम. मल्ला
सनदी लेखाकार	कार्यपालक निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
For A.J. Shah & Co.	V.S. Rathore	Rakesh Rewari	R.M. Malla
Chartered Accountants	Executive Director	Deputy Managing Director	Chairman & Managing Director
एफआरएन / FRN. 109476W			
हिरेन शाह	एस. एस. चट्टोपाध्याय	टी. आर. बजालिया	जानकी बल्लभ
साझेदार	निदेशक	निदेशक	निदेशक
एम. नः 100052	S.S. Chattopadhyay	T. R. Bajalia	Janki Ballabh
Hiren Shah	Director	Director	Director
Partner			
M.No.100052	बी. मणिवनन्न	के. सीतारामम्	
	निदेशक	- निदेशक	
मुम्बई, 31 मई, 2010	B. Manivannan	K. Sitaramam	
Mumbai, May 31, 2010	Director	Director	

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

अनुबंध ।//	Annexu	ire I	31 मार्च, 2010 March 31, 2010	31 मार्च, 2009 March 31, 2009
			₹. Rs.	₹. Rs.
टिप्पणियाँ : NOTES :				
1.	आर्रा	क्षितियां, निधियां और अधिशेष		
	Rese	erves, Funds and Surplus		
	(i)	आरक्षिति निधि		
		Reserve Fund		
		गत तुलन-पत्र के अनुसार अतिशेष	4400 00 70 707	2622624502
		Balance as per last Balance Sheet	4129,20,73,725	3620,68,45,920
		जोड़िए : विभिन्न निधियों से अंतरित Add : Transferred from Various Funds		379,29,35,77
		जोड़िए : लाभ-हानि लेखे से अंतरित	_	379,29,33,77
		Add: Transferred from Profit and Loss Account	194,10,99,830	129,22,92,028
		Add T Hanselled Holl Floric and 2000 Account		
			4323,31,73,555	4129,20,73,725
	(ii)	अन्य निधियां		
		Other Funds		
		क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि a) National Equity Fund		
		गत तुलन-पत्र के अनुसार अतिशेष		
		Balance as per last Balance Sheet	148,10,87,203	144,53,76,320
		जोड़िए: पुनरांकित प्रावधान		, , ,
		Add: Provisions written back	19,33,77,770	3,57,10,883
			167,44,64,973	148,10,87,203
		-1 <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del>	107,44,04,373	140,10,07,20
		ख) उद्यम पूंजी निधि b) Venture Capital Fund		
		गत तुलन-पत्र के अनुसार अतिशेष		
		Balance as per last Balance Sheet		178,35,37,258
		जोड़िए: पुनरांकित प्रावधान	_	
		Add: Provision written back	_	96,65,00,000
		घटाइए: आरक्षिति निधि में अंतरित		
		Less: Transferred to Reserve Fund	_	275,00,37,258
		ग) विपणन विकास सहायता निधि		
		c) Marketing Development Assistance Fund		
		गत तुलन-पत्र के अनुसार अतिशेष		
		Balance as per last Balance Sheet	_	58,25,00,000
		जोड़िए: पुनरांकित प्रावधान		
		Add: Provision written back	_	7,75,00,000
		घटाइए: आरक्षिति निधि में अंतरित		66.00.00.00
		Less: Transferred to Reserve Fund		66,00,00,000
			_	
		घ) महिला विकास निधि		
		d) Mahila Vikas Nidhi		
		गत तुलन-पत्र के अनुसार अतिशेष		
		Balance as per last Balance Sheet		17,49,58,160
		घटाइए: आरक्षिति निधि में अंतरित		
		Less: Transferred to Reserve Fund		17,49,58,160
			_	

Balance Sheet as at March 31, 2010

पणियाँ : (जारी) TES : (Contd.)			31 मार्च, 2010 March 31, 2010	31 मार्च, 2009 March 31, 2009
TES : (Contu.)	ङ) महिला उ	हाम निधि	₹. Rs.	₹. R
		Jdyam Nidhi		
		- पत्र के अनुसार अतिशेष		
		as per last Balance Sheet	_	9,86,00,00
	जोड़िए:	पुनरांकित प्रावधान		
	Add :	Provisions written back	_	10,94,00,00
	घटाइए:	आरक्षिति निधि में अंतरित		
	Less :	Transferred to Reserve Fund		20,80,00,00
	च) स्टाफ कल	न्याण निधि		
	(f) Staff We	lfare Fund		
	गत तुलन-	<mark>-पत्र के अनुसार अतिशेष</mark>		
	Balance	as per last Balance Sheet	24,94,22,674	23,41,91,83
	जोड़िए:	अन्य आस्तियों में वर्गीकृत जमा		
	Add :	Deposit classified in other Assets		2,00,08,16
	घटाइए:	स्टाफ कल्याण पर व्यय		
	Less :	Expenditure towards staff welfare	1,68,50,816	1,47,77,32
	जोड़िए:	लाभ-हानि लेखे से अंतरित		
	Add :	Transferred from Profit and Loss Account	1,00,00,000	1,00,00,00
			24,25,71,858	24,94,22,67
····	and the Cari		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
(111)	आरक्षितियां Reserves			
		-D-C		
	क) निवेश आ a) Investme			
		-पत्र के अनुसार अतिशेष		
		as per last Balance Sheet	55,19,63,645	55,19,63,64
	जोड़िए:	लाभ-हानि लेखे से अंतरित	33,13,03,013	33/.3/03/0.
	Add :	Transferred from Profit and Loss Account		
			55,19,63,645	55,19,63,64.
	ख) आयकर अ	अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अन्तर्गत सृजित		
		त विशेष आरक्षिति		
	of the In	Reserve created and maintained u/s 36 (1)(viii) acome Tax Act, 1961		
		-पत्र के अनुसार अतिशेष		
		as per last Balance Sheet	792,00,00,000	702,00,00,00
	जोड़िए:	लाभ-हानि लेखे से अंतरित	, , , , , , , , ,	
		Transferred from Profit and Loss Account	95,00,00,000	90,00,00,00
			887,00,00,000	792,00,00,00
(:)	अधिशेष		887,00,00,000	792,00,00,00
(IV)	Surplus			
	Surpius			
			5457,21,74,031	5149,45,47,24
2. बॉण्ड	अौर डिबेंचर			
Bon	ds and Deben	tures		
क)	भारत सरकार	को जारी सिडबी बॉण्ड		
a)		issued to Gol	2172,80,00,000	2172,80,00,00
ख)	प्रतिभूतिरहित व			
b)	Unsecured I		3121,60,00,000	1321,60,00,00
ग)	पूंजीगत अभिल		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-1)			17,33,90,000	31,00,50,000
	Capital Gair		,55,55,550	3.,30,30,000
c)	Capital Gair		5311,73,90,000	3525,40,50,000

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

ES : (C	जारी) ontd.)	31 मार्च, 2010 March 31, 2010	31 मार्च, 2009 March 31, 2009
3.	जमा	₹. Rs.	₹. Rs
	Deposits		
	क) जनता से प्राप्त सावधि जमा a) Fixed Deposit from Public	2220,25,20,212	1246,63,81,830
	ख) विदेशी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों से	2220,23,20,212	1240,03,01,030
	b) From Foreign & Private Sector Banks	1031,13,37,000	2284,84,74,00
	ग) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (पूनर्वित्त) निधि वित्तीय वर्ष २००८–०९	, , ,	
	c) Under MSME (Refinance) Fund FY 2008-09	3325,57,00,000	3325,57,00,00
	घ) जमा प्रमाण पत्र		
	d) Certificate of Deposit ड) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (जोखिम पूंजी) निधि के अंतर्गत	510,00,00,000	330,00,00,00
	e) Under MSME (Risk Capital) Fund	500,00,00,000	250,00,00,00
	च) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (पुनर्वित्त) निधि वित्तीय वर्ष २००९–१० के अंतर्गत		
	f) Under MSME (Refinance) Fund FY 2009-10	4000,00,00,000	
		11586,95,57,212	7437,05,55,830
4.	अन्य स्रोतों से उधार		
	Borrowings From Other Sources		
	क) बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से अल्पावधि ऋण		
	a) Short Term Loan from Banks / Financial Institutions	300,00,00,000	1550,00,00,00
	ख) विदेशी मुद्रा जमा खाते के प्रति बैंक से		
	b) From Bank against Foreign Currency Deposit A/c	731,84,51,586	580,58,00,00
	ग) जारी वाणिज्यिक पत्र खाता	2275 00 00 000	
	c) Commercial Paper Issued Account	2275,00,00,000	
	घ) बैंक खाते से उधार d) Borrowings from Bank Account	5600,00,00,000	
	<u>ङ) अन्य अंतर—बैंक उधार (सावधि राशि, सीबीएलओ,</u> ऋण व्यवस्था)	3000,00,00,000	
	e) Other Inter-Bank Borrowings (Term Money, CBLO, Line of Credit)	83,97,90,541	1200,00,00,00
		8990,82,42,127	3330,58,00,00
5.	विदेशी मुद्रा में उधार		
٦.	Borrowings in Foreign Currency		
	क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी से		
	a) From KfW, Germany	761,20,89,566	593,89,36,82
	ख) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) से		
	b) From Japan International Cooperation Agency (JICA)	2322,71,49,759	2518,44,09,07
	ग) आईएफएडी, रोम से		
	c) From IFAD, Rome	109,46,75,618	123,54,43,98
	घ) वर्ल्ड बैंक — ऋण व्यवस्था d) World Bank Line of Credit	1221 16 20 062	600 64 00 000
	d) World bank Line of Credit	1221,16,20,063	608,64,00,00
		4414,55,35,006	3844,51,89,890
6.	चालू देयताओं में निम्नलिखित निधि—शेष शामिल हैं Current Liabilities include the following Fund Balances		
	क) सिडबी अक्षमता सहायता निधि		
	a) SIDBI Disability Assistance Fund	1,80,04,633	1,63,64,67
	ख) सिडबी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना	7.00.00.07.	<b>=</b> 00 0= 11
	b) SIDBI Voluntary Health Scheme	7,82,38,254	5,30,87,23
	ग) विदेशी मुद्रा उतार—चढ़ाव निधि		

Balance Sheet as at March 31, 2010

टिप्पणियाँ : ( NOTES : (C		31 मार्च, 2010 March 31, 2010	31 मार्च, 2009 March 31, 2009
7.	आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	₹. Rs.	₹. Rs.
	क) बैंक पर वे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है a) Claims against the Bank not acknowledged as debts	124,49,90,953	112,06,21,632
	ख) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप b) On account of Guarantees / Letters of Credit	186,55,60,908	156,07,90,904
	ग) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप c) On account of Forward Contracts	123,82,623	34,98,93,799
	च) जोखिम हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप  d) On account of underwriting commitments ङ) आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों, ऋणपत्रों आदि पर न मांगी गयी राशियों के फलस्वरूप e) On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures, etc.	-	-
	च) अन्य राशियाँ जिन के लिए बैंक की आकस्मिक देयता है f) Other monies for which the Bank is contingently liable	1186,60,00,000	1313,70,00,000
		1498,89,34,484	1616,83,06,336
8.	पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया (प्रदत्त अग्रिम को घटाकर) Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Account not provided for (net of advance paid)	94,46,40,767	17,30,70,008

- 9. परिसर में परिसर अधिग्रहण से संबंधित अग्रिम राशियां 89,92,453 रुपये (पिछले वर्ष 42,13,253 रुपये) एवं प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य से संबंधित 1,59,43,524 रुपये (पिछले वर्ष 25,05,815 रुपये) शामिल हैं।
  Premises include advance towards acquisition of Premises Rs. 89,92,453 (Previous Year Rs. 42,13,253) and Capital Work in Progress Rs. 1,59,43,524 (Previous Year Rs. 25,05,815).
- 10. जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) (जिसे पहले जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन जेबीआईसी के नाम से जाना जाता था) से ऋण व्यवस्था V के अंतर्गत प्राप्त 30 बिलियन जापानी येन के विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में भारत सरकार के साथ सहमत शर्तों के अनुसार विनिमय दर उतार—चढ़ाव निधि (ईआरएफएफ) सृजित की गई है एवं उसे विदेशी मुद्रा उतार—चढ़ाव आरक्षिति निधि में शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा में उतार—चढ़ाव के कारण मूलधन खाते में आए 382,05,82,458 रुपये के अंतर (पिछले वर्ष 492,70,76,828 रुपये) को भारत सरकार की अनुमित के अनुरूप विनिमय दर उतार—चढ़ाव निधि में समायोजित किया गया है। यदि जरूरी हुआ, तो जब कभी अंतरों का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तब निधि खाते में समायोजिन किया जाएगा। यदि निधि में अतिशेष अपर्याप्त रहता है, तो इसका दावा भारत सरकार से किया जायेगा।

  In respect of foreign currency borrowings of JPY 30 billion, under line V from Japan International Co-operation Agency (JICA), (previously known as Japan Bank of International Cooperation-JBIC). Exchange Rate Fluctuation Fund (ERFF) has been created as per terms agreed with Government of India and included in Foreign Currency Fluctuation Reserve Fund. The difference on account of exchange fluctuation arising on principal account amounting to Rs 382,05,82,458 (Previous year Rs. 492,70,76,828) has been netted off against ERFF as permitted by the Government of India. Adjustment to the Fund account, if necessary, will be made as and when the differences are crystallised. If the balance in the Fund is insufficient, the claim will be on Government of India.
- 11. जेबीआईसी ऋण IV के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त 6,10,52,44,356 रुपये का ऋण तुलन—पत्र में अपने ऐतिहासिक रुपये मूल्य में अग्रेनीत किया गया है क्योंकि करार के अंतर्गत सिडबी की मूलधन चुकौती की देयता रुपये में ऋण और इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ के शेष के योग से अधिक होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इस ऋण के लिए रखे ईआरएफएफ में 31 मार्च, 2010 को शेष 4,88,27,51,545 रुपये है।

  The borrowing of Rs. 6,10,52,44,356 from Govt. of India under the JBIC IV loan is carried forward in the balance sheet at its historic rupee value since SIDBI's liability towards principal repayment under the agreement, is not expected to exceed the aggregate of the rupee borrowings and the balance in the ERFF maintained for this loan. The balance as on March 31, 2010 in ERFF maintained for this loan is Rs. 4,88,27,51,545.

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

टिप्पणियाँ : (जारी) NOTES : (Contd.)

12. पूर्ववर्ती वर्षों में बैंक ने के एफ डब्लू से ऋण के संबंध में विदेशी विनिमय के उतार—चढ़ाव से बचाव के लिए ब्याज दर विभेदक निधियों (आई आर डी एफ) का निर्माण किया है। आई आर डी एफ का रख—रखाव अब बंद कर दिया गया है, क्योंिक विदेशी विनिमय जोखिम का दीर्घावधि स्वैप से बचाव कर लिया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान 8,96,24,622 रु. (पिछले वर्ष — 236,48,93,308 रु.) के आई आर डी एफ की अतिरिक्त राशि को पुनरांकित किया गया है तथा इसको अन्य आय में शामिल किया गया है।

The Bank, in earlier years, has created Interest Rate Differential funds (IRDF) in respect of borrowings from Kfw to cover foreign exchange fluctuation in connection with these loans. The maintenance of IRDF has been discontinued since the foreign exchange risk has been covered through long term swaps. Accordingly, during the financial year the excess amount of IRDF of Rs. 8,96,24,622 (Previous Year-Rs. 236,48,93,308) is written back and same is included in other income.

13. बैंक ने 'सुपुर्दगी आधार' पर गैर जीवन—बीमा व्यवसाय के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कंपनी से भागीदारी की है। वर्ष के दौरान बैंक बीमा व्यवसाय से 4,47,464 रुपये (पिछले वर्ष 5,76,222 रुपये) की आय हुई।

The Bank has partnered with ICICI Lombard General Insurance Company to undertake non-life insurance business on 'Referral Basis'. The income from bancassurance business during the year is Rs. 4,47,464 (Previous Year - Rs. 5,76,222).

## 14. संबंधित पार्टियों की सूची

## List of Related Parties :

#### (क) सहायक संस्थाएँ

#### (A) Subsidiaries

- 1 सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) SIDBI Venture Capital Limited (SVCL)
- 2 सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल) SIDBI Trustee Company Limited (STCL)

#### (ख) सहयोगी संगठन

#### (B) Associates

- 1 भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यम आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी) India SME Asset Reconstruction Company (ISARC)
- 2 एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (स्मेरा) SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)
- 3 भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी सेवा लिमिटेड (आईएसटीएसएल) India SME Technology Services Ltd. (ISTSL)

#### (ग) बैंक के मुख्य प्रबंध कार्मिक

#### (C) Key Managerial Personnel of the Bank:

- 1 श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri R.M. Malla, Chairman & Managing Director
- 2 श्री राकेश रेवारी, उप प्रबंध निदेशक
  - Shri Rakesh Rewari, Deputy Managing Director
- 3 श्री बसंत सेठ, उप प्रबंध निदेशक (31 अगस्त 2009 तक)

Shri Basant Seth, Deputy Managing Director (Upto August 31, 2009)

उपरोक्त सूची में सरकार नियंत्रित उद्यम शामिल नहीं हैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक — 18 के अनुच्छेद 9 द्वारा छूट प्राप्त हैं।

The above list does not include State Controlled Enterprises since the same are exempted vide para 9 of Accounting Standard - 18 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

d)

#### SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

Balance Sheet as at March 31, 2010

	ाँ : (जारी) : (Contd.)		2009-2010	2008-2009
	बद्ध पृक्षों के लेनदेन से संबंधित विवर		₹. Rs.	₹. Rs.
(D) Dis	sclosures of details pertaining to । वर्ष के दौरान बैंक के प्रमुख प्रबंधकर्मियों	को पटन सकल वेतन जिसमें		
47)	परिलब्धियाँ भी शामिल हैं, निम्नवत हैं :	या प्रदेश रायान वर्षान, गिरान		
a)		uisites paid to the Key Managerial e year is as under : प्रबंध निदेशक		
	(i) श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं	प्रबंध निदेशक		
	Shri R.M. Malla, Chairma (ii) श्री राकेश रेवारी, उप प्रबंध नि	n & Managing Director	25,99,566	11,24,749
	Shri Rakesh Rewari, Dep		23,83,822	9,97,347
	Shri Basant Seth, Deputy (From April 01, 2009 to Au	Managing Director ugust 31, 2009)	15,07,214	9,33,017
ख)	उपर्युक्त व्यक्तियों को मंजूर ऋणों की	31 मार्च, 2010 तक बकाया राशियाँ		
b)	Outstanding balances of loans a	s on March 31,2010 in respect of above persons	Nil	Nil
ग)	प्रमुख प्रबंधकर्मियों को वित्त वर्ष 2009	<mark>–10 के दौरान मंजूर किए गए ऋणों पर ब्याज</mark>		
c)	Interest on loans granted to Key	/ Managerial Personnel during FY 2009-10	Nil	Nil
ਬ)	संबद्ध पक्ष / Related Party	सहायक संस्थायें / Subsidiaries	सहयोगी संगठन / Associates	

संबद्ध पक्ष / Related Party	सहायक संस्थायें				
विवरण / Particulars	एसवीसीएल / SVCL	एसटीसीएल / STCL	स्मेरा / SMERA	आईएसएआरसी / ISARC	आईएसटीएसएल/ISTSL
शेयरों में निवेश					
Investment in Shares					
वर्ष के दौरान संव्यवहार			2 40 75 020	12 50 00 600	
Transactions during the year	-	_	2,48,75,030	13,50,00,600	-
	-	-	(1,38,75,000)	(1,49,99,400)	-
वर्षान्त में बकाया	1 00 00 000	<b>5</b> 00 000	4.07.70.000	15 00 00 000	1 00 00 000
Outstanding at end of the year	1,00,00,000	5,00,000	4,97,50,000	15,00,00,000	1,00,00,000
	(1,00,00,000)	(5,00,000)	(2,48,74,970)	(1,49,99,400)	(1,00,00,000)
प्राप्त आय/Income received बैंक द्वारा प्राप्त राशि					
Amount received by Bank	3,61,64,414	80,000	34,31,863	75,32,635	-
	(2,61,20,598)	(90,000)	(74,740)	-	-
वर्षान्त में प्राप्य राशियाँ					
Receivables at end of the year	-	-	14,82,258	_	-
व्ययों की प्रतिपूर्ति Reimbursement of expenses					
बैंक द्वारा दावाकृत राशि	60.00.4.70		60.004	20.46.250	10.00.710
Amount claimed by Bank	60,89,170	-	60,394	38,16,259	13,93,719
	(10,27,392)	-	(5,22,482)	(46,18,845)	(12,49,376)
वर्षान्त में प्राप्य राशियाँ	12.60.617			21.00.706	11 72 262
Receivables at end of the year	13,69,617	-	(4.60.607)	21,00,786	11,73,262
\ <u>'</u>	-	-	(4,60,697)	(22,36,798)	(13,94,899)
व्ययों का भुगतान Payment of expenses					
बैंक द्वारा प्रदत्त राशि					
Amount paid by Bank					
शुल्क / कमीशन / Fees / Commission	_	-	57,69,318	8,61,993	_
ब्याज / Interest	_	-	_	_	-
वर्षान्त में देय					
Payable at end of the year			20 24 42=	4 54 500	
शुल्क / कमीशन / Fees / Commission	12 (7 22(	- 11 10 416	38,31,127	1,51,703	-
ब्याज / Interest	12,67,326	11,10,416		-	
जमा / Deposits वर्ष के दौरान प्राप्त					
Received during the year	2,75,00,000	2,14,46,000	_	_	_
वर्षान्त में बकाया	, =,==,===	, , ,			
Outstanding at end of the year	2,75,00,000	2,14,46,000	_		_
अग्रिमों का विक्रय / Sale of Advances	, , ,				
वर्ष के दौरान संव्यवहार					
Transactions during the year	-	-	-	28,90,35,000**	-
वर्षान्त में बकाया					
Outstanding at end of the year	-	-	-	-	_
(कोष्त्रकों में दी गर्ड राशियाँ पिछले व	한 라 카 //Eiguros in	brackets are for p	revieus vear)		

<sup>(</sup>कोष्टकों में दी गई राशियाँ पिछले वर्ष की है) / (Figures in brackets are for previous year)
\*\*इसमें 19,57,11,750 रु. की नकद और 9,33,23,250 रु. की प्रतिमूति—प्राप्तियाँ शामिल हैं। / \*\*includes cash of Rs. 19,57,11,750 and Security receipts of Rs. 9,33,23,250

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

टिप्पणियाँ (जारी) NOTES : (Contd.)

15. प्रत्येक शेयर पर उपार्जन/Earning Per Share (EPS)

	31 मार्च, 2010 March 31, 2010	31 मार्च, 2009 March 31, 2009
प्रत्येक शेयर पर उपार्जन परिकलन के लिए निवल लाभ (रु.) Net Profit considered for EPS calculation (Rs.) 10 रु. अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की संख्या	421,29,48,268	299,20,08,278
Number of equity shares of face value Rs. 10 each प्रत्येक शेयर पर उपार्जन (रु.)/ Earning per share (Rs.)	45,00,00,000 9.36	45,00,00,000 6.65

16. लेखा मानक 22 — आय पर कर हेतु लेखांकन की अपेक्षाओं के अनुसार, बैंक ने आस्थिगित कर व्यय/बचत की समीक्षा की है, और 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाम—हानि लेखे में 4,00,00,000 रुपये और आस्थिगित कर आस्ति मानी है। यथा 31 मार्च 2010, आस्थिगित कर आस्ति/(देयता) के अलग—अलग घटक निम्नलिखित हैं:

As per the Accounting Standard 22, Accounting for Taxes on Income, the Bank has reviewed the Deferred Tax Expenditure/Saving and recognised an amount of Rs. 4,00,00,000 as Deferred Tax Asset (Previous Year Deferred Tax Liability was Rs. 180,00,00,000) in the Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2010. The Break up of Deferred Tax Asset/(Liability) as on March 31, 2010 is as follows:

	समय अंतर Timing Difference	मार्च 31, 2010 को आस्थगित कर आस्ति / (देयता) (रु.) As at March 31, 2010 Deferred Tax Asset/(Liability) Rs.	मार्च 31, 2009 को आस्थगित कर आस्ति / (देयता) (रु.) As at March 31, 2009 Deferred Tax Asset/(Liability) Rs.
(ক)	मूल्यहास के लिए प्रावधान		
(a)	Provision for Depreciation	45,00,000	2,10,00,000
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति		
(b)	Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	(232,84,00,000)	(208,28,00,000)
(ग)	अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		
(c)	Provisions for Bad & Doubtful Debts	49,72,00,000	47,32,00,000
(ঘ)	भारत सरकार के बॉण्डों पर प्रीमियम का परिशोधन		
(d)	Amortisation of Premium on GOI Bonds	(26,36,00,000)	(28,56,00,000)
(ভ)	खातों की पुनर्सरचना हेतु प्रावधान		
(e)	Provision for Restructuring of Accounts	14,44,00,000	21,80,00,000
(ঘ)	अन्य		
(f)	Others	43,07,00,000	10,10,00,000
	निवल आस्थगित कर आस्ति / (देयता)		
	Net deferred tax Asset/(Liability)	(151,52,00,000)	(155,52,00,000)

- 17. आकस्मिक देयताएँ रु. 117,58,99,966 (गत वर्ष रु. 99,89,89,571) की हैं, जिसमें आयकर एवं सेवाकर की देयता शामिल है। बैंक इससे सहमत नहीं है और विशेषज्ञों की राय के आधार पर, प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। इसमें 58,66,00,000 रुपये की राशि शामिल है, जो आयकर विभाग द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर अपील से संबंधित है। आयकर देयता का भुगतान आयकर प्राधिकारियों को कर दिया गया है और उसे अन्य आस्तियों के समूह में रखा गया है।
  - Contingent liabilities of Rs. 117,58,99,966 (Previous Year Rs. 99,89,89,571) representing income tax and service tax liability. This is being disputed by the Bank and based on experts' opinion, the provision is not considered necessary. It includes an amount of Rs. 58,66,00,000 pertaining to appeals filed by Income Tax Department against the bank. The liability pertaining to Income Tax is paid to Income Tax Authorities and grouped under Other Assets.
- 18. बैंक ने कुल रु. 37,33,92,500 (बही मूल्य रु. 38,47,34,072) की भारत सरकार की प्रतिभूतियों को संपार्श्वीकृत उधार एवं ऋण बाध्यता (सीबीएलओ) हेतु क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास गिरवी रखा है। साथ ही, बैंक ने आईडीबीआई बैंक के साथ कार्यशील पूंजी व्यवस्था के अंतर्गत अपने परिचालनों के लिए आईडीबीआई बैंक के पास सावधि जमा राशियाँ रखी हैं।

The Bank has pledged Gol securities held aggregating to Rs. 37,33,92,500 (book value Rs. 38,47,34,072) with Clearing Corporation of India Ltd. for Collataralised Borrowings and Lending Obligations (CBLO). Further, the Bank has placed Fixed Deposit with IDBI Bank to cover its operations under Working Capital arrangement with IDBI Bank.

Balance Sheet as at March 31, 2010

टिप्पणियाँ : (जारी) NOTES: (Contd.)

लेखांकन मानक 17 की अपेक्षानुसार 'खंड रिपोर्टिंग' में बैंक ने प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष वित्त तथा राजकोष को अपने तीन रिपोर्टिंग खंड माना है। उत्पादों और सेवाओं

लखाकन मानक 17 की अपक्षानुसार खंड रिपाटिंग में बर्क ने प्रत्यक्ष वित्त तथा राजकाष की अपने तीन रिपाटिंग खंड मानी है। उत्पादी आर सवीओं की प्रकृति और जोखिम प्रोफाइल, संगठनात्मक ढांचों और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग पर विचार करने के पश्चात् इन खंडों की पहचान की गई है। बैंक ने व्यवसाय खंड को प्राथमिक खंड के रूप में प्रकट किया है। चूंकि बैंक का परिचान वर्ष गरत में है, अतः कोई भी रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन एवं पुनर्वर्गीकरण किया गया है, तािक वे वर्तमान वर्ष की पद्धित के अनुरूप हो सकें।

As required under Accounting Standard 17, 'Segment Reporting' the Bank has identified Direct Finance, Indirect Finance and Treasury as its three reporting segments. These segments have been identified after considering the nature and risk profile of the products and services, the organization structure and the internal reporting system of the Bank. The Bank has disclosed business segment as the Primary Segment. Since the Bank operates in India, there are no reportable geographical segments. Previous years figures have been regrouped and reclassified to conform to the current year's methodology. methodology

व्यवसाय खंड / Business Segments

(करोड़ रु. / Rs. Crore)

	विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष 2009-10/FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09/FY 2008-09
1.	राजस्व खंड / Segment Revenue		
	प्रत्यक्ष वित्त / Direct Finance	815	634
	अप्रत्यक्ष वित्त / Indirect Finance	1,557	1,038
	राजकोष / Treasury	159	174
	असाधारण मदें / Exceptional Items*	9	236
	योग / Total	2,540	2,082
2.	परिणाम खंड/Segment Results		
	प्रत्यक्ष वित्त / Direct Finance	469	372
	अप्रत्यक्ष वित्त / Indirect Finance	365	167
	राजकोष / Treasury	81	109
	असाधारण मदें / Exceptional Items*	9	236
	योग / Total	924	884
	अविनिधानीय खर्चे / Unallocable Expenses	59	55
	परिचालनगत लाभ / Operating profit	865	829
	आयकर (पुनरांकन के बाद) Income Tax (Net of write back)	444	530
	निवल लाभ / Net Profit	421	299
3.	अन्य सूचनाएं / Other information		
	आस्ति खंड/Segment Assets		
	प्रत्यक्ष वित्त / Direct Finance	9,060	6,539
	अप्रत्यक्ष वित्त / Indirect Finance	29,214	24,771
	राजकोष / Treasury	3,026	2,696
	योग / Total	41,300	34,006
	अविनिधानीत आस्तियाँ / Unallocated Assets	585	600
	योग / Total	41,885	34,606
4.	देयता खंड/Segment Liabilities		
	प्रत्यक्ष वित्त / Direct Finance	6,974	4,863
	अप्रत्यक्ष वित्त / Indirect Finance	25,992	21,604
	राजकोष / Treasury	2,400	2,094
	योग / Total	35,366	28,561
	अविनिधानीत देयताएं / Unallocated Liabilities	612	368
	योग / Total	35,978	28,929
5.	पूंजी / आरक्षितियां / Capital/ Reserves		
	प्रत्यक्ष वित्त / Direct Finance	2,080	1,726
	अप्रत्यक्ष वित्त / Indirect Finance	3,205	3,312
	राजकोष / Treasury	622	639
	योग / Total	5,907	5,677
	कुल देयताएं / Total Liabilities	41,885	34,606

<sup>\*</sup> विवरण के लिए कृपया टिप्पणी 12 देखें / Please refer to note 12 for details.

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

टिप्पणियाँ : (जारी) NOTES : (Contd.)

- 20. आयकर विभाग ने 19 फरवरी 2010 का धन—वापसी आदेश जारी किया है जो वित्तीय वर्ष बीतने के बाद मिला। इसलिए 46,82,30,254 रु. की राशि, तुलन पत्र में 'आयकर से प्राप्य' के रूप में दिखाई गई है और उसे 'अन्य आस्तियों' के अंतर्गत समूहित किया गया है। धन—वापसी 22,94,72,711 रु. के ब्याज को लाभ—हानि खाते में 'अन्य आय' के रूप में शामिल किया गया है।
  - The Income Tax Department has issued a refund order dated February 19, 2010, which was received after the end of the financial year. Hence the amount of Rs. 46,82,30,254 is shown as Receiveable from Income Tax and grouped under 'Other Assets' in the Balance Sheet. The interest on refund of Rs. 22,94,72,711 is included as 'Other Income' in Profit & Loss Account.
- 21. वित्तीय वर्ष 2009–10 की ब्याज आय में 38,65,92,962 रु. (25,52,56,024 रु. का कर घटाकर) की पूर्ववर्ती अवधि की आय शामिल है। Interest income for FY 2009-10 includes Prior Period Income of Rs. 38,65,92,962 (Net of tax Rs. 25,52,56,024)
- 22. वर्ष के दौरान बैंक परिचालन व लेखांकन के लिए नई परिचालन प्रक्रिया कार्यान्वित कर रहा है। कुछ शाखाओं में नई प्रणाली आरंभ कर दी गई है, जबिक शेष शाखाओं में यह प्रणाली 31 मार्च 2010 के बाद लागू हुई है। इस कारण कुछ शेष राशियों का समाधान अभी होना है। किन्तु प्रबंधन का विचार है कि चालू वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण पर उसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

  During the year, the bank is in the process of implementing new operating system for operations and accounting. The new system has been rolled out at certain branches, while in the remaining branches the system has been rolled out at certain branches, while in the remaining branches the system has been rolled out after March 31, 2010. Due to this certain

rolled out at certain branches, while in the remaining branches the system has been rolled out after March 31, 2010. Due to this certain balances are under reconciliation. However, the management is of the view that there is no material impact of the same in the financial statement for the current financial year.

- 23. हेजिंग रणनीति के हिस्से के रूप में बैंक ने विभिन्न ऋण—व्यवस्थाओं के अंतर्गत आहरित विदेशी मुद्रा निधियों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में रखा है और इन निक्षेपों के प्रति भारतीय रुपये में ऋण / ओवरड्राफ्ट सुविधा ली है। इन उधारों के अंतर्गत 31 मार्च 2010 को बकाया राशि 731,84,54,586 रु. थी। इन निक्षेपों पर प्राप्य ब्याज अंतर्निहित देयताओं पर देय ब्याज से मेल खाता है।

  As a part of hedging strategy, the Bank has placed foreign currency funds drawn under various lines of credit with scheduled commercial
  - banks and have availed loan / overdraft facility in Indian Rupees against these deposits. Outstanding under these borrowings aggregated Rs. 731,84,54,586 as on March 31, 2010. The interest receivable on these deposits match with the interest payable on underlying liabilities.
- 24. प्रबंधन की राय में, लेखांकन मानक 28 आस्तियों की हानि के नज़िए से, बैंक की अचल आस्तियों की कोई भौतिक हानि नहीं हुई है।
  In the opinion of the management, there is no material impairment of the fixed assets of the Bank in terms of Accounting Standard
  28 Impairment of Assets.
- 25.(i) बैंक की सुपरिमाषित लाभ पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंधन ट्रस्ट के जरिए किया जाता है। पेंशन और ग्रेच्युटी हेतु एएस 15 के अंतर्गत प्रकटन निम्नवत हैं:
  The Bank is having defined benefit Pension Plans and Gratuity Scheme which are managed by the Trust. The disclosures under Accounting Standard 15 for Pension and Gratuity are as under:

  (करोड़ रु.) (Rs. crore)

	पेंशन / Pension		ग्रे च्युटी / Gratuity	
	वित्तीय वर्ष 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09	वित्तीय वर्ष 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09
	FY 2009-10	FY 2008-09	FY 2009-10	FY 2008-09
पूर्वानुमान Assumptions				
भुनाई दर, पिछली				
Discount Rate Previous	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%
नियोजित आस्तियों पर प्रतिफल की दर, पिछली				
Rate of Return on Plan Assets Previous	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
वेतन–बढ़ोत्तरी, पिछली				
Salary Escalation Previous	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
भुनाई दर, वर्तमान / Discount Rate Current	8.25%	7.50%	8.25%	7.50%
नियोजित आस्तियों पर प्रतिफल की दर वर्तमान				
Rate of Return on Plan Assets Current	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
वेतन बढ़ोत्तरी, वर्तमान				
Salary Escalation Current	5.50%	5.00%	5.50%	5.00%
लाभ देयता में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका  Table showing change in Benefit Obligation				
वर्ष के आरंभ में देयता				
Liability at the beginning of the year	59.16	46.48	11.67	11.67
Elability at the beginning of the year	33.10	70.70	11.07	11.0

Balance Sheet as at March 31, 2010

(करोड़ रु.) (Rs. crore)

	पेंशन /	Pension	ग्रेच्यटी /	Gratuity
िं	वेत्तीय वर्ष 2009-10 FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09 FY 2008-09	वित्तीय वर्ष 2009-10 FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09 FY 2008-09
ब्याज लागत/Interest Cost	4.58	4.00	0.99	1.00
वर्तमान सेवा लागत/Current Service Cost	2.20	1.30	1.83	1.19
पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)				
Past Service Cost (Non Vested Benefit)	_	-	_	_
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)				
Past Service Cost (Vested Benefit)	_	_	_	_
देयता अंतरण आगम/Liability Transfer in		_	_	_
(देयता अंतरण निर्गम)/(Liability Transfer out)	-	_	_	-
(प्रदत्त लाभ) / (Benefit Paid)	(0.64)	(0.18)	(0.63)	(0.44)
देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि				
Actuarial (gain)/loss on obligations	24.45	7.56	3.78	3.48
वर्ष के अंत में देयता / Liability at the end of the y	ear <b>89.75</b>	59.16	17.64	16.90
3. नियोजित आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिक Table of Fair value of Plan Assets	ı <u>ŭ</u>			
वर्ष के आरंभ में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the	e year 43.70	36.57	12.90	11.67
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल				
Expected Return on Plan Assets	3.65	3.29	1.04	0.96
अंशदान / Contributions	2.25	4.61	0.38	0.55
अन्य कंपनी से अंतरण / Transfer from other comp	any _	_	_	_
(अन्य कंपनी को अंतरण) / (Transfer to other comp	any) _	_	_	_
प्रदत्त लाभ / Benefit Paid	(0.64)	(0.18)	(0.63)	(0.44)
नियोजित आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)				
Actuarial gain/(Loss) on Plan Assets	0.83	(0.59)	0.17	0.16
वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य				
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	49.79	43.70	13.86	12.90
संज्ञान में लिया जाने वाला कुल बीमांकिक लाभ / (हानि	ने)			
Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised	(23.62)	(8.15)	(3.61)	(3.32)
4. अंतर्वर्ती देयता का निर्धारण Recognition of Transitional Liability				
वर्ष के आरम्भ में अनिधीरित अंतर्वर्ती देयता				
Unrecognised Transition Liability at the beginn	ning of the year _	_		_
वर्ष के दौरान अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयता				
Transition Liability Recognised during the year	r _	_	_	_
वर्ष के अन्त में अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयता				
Unrecognised Transition Liability at the end of th	e year _	_		

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

(करोड़ रु.) (Rs. crore)

	पेंशन/	Pension	ग्रेच्युटी /	Gratuity
fa	वेत्तीय वर्ष 2009-10 FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09 FY 2008-09	वित्तीय वर्ष 2009-10 FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09 FY 2008-09
<ol> <li>योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल</li> </ol>				
Actual Return on Plan Assets				
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल				
Expected Return on Plan Assets	3.65	3.29	1.04	0.96
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)				
Actuarial gain/(Loss) on Plan Assets	0.83	(0.59)	0.17	0.16
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
Actual Return on Plan Assets	4.48	2.70	1.21	1.12
6. तुलन पत्र में स्वीकार की गयी राशि				
Amount Recognised in the Balance Sheet				
वर्ष के अंत में देयता/Liability at the end of the y	ear (89.75)	(59.16)	(17.64)	(16.90)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	40.70	42.70	12.06	12.00
Fair Value of Plan Assets at the end of the year		43.70	13.86	12.90
अंतर/Difference	(39.96)	(15.46)	(3.78)	(4.00)
वर्ष के अंत में अनिर्धारित पिछली सेवा लागत	41			
Unrecognised Past Service Cost at the end of	the year _	_	-	_
वर्ष के अंत में अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयता/	. the a conse			
Unrecognised Transition Liability at the end of	tne year _	-	-	-
तुलन पत्र में निर्घारित राशि Amount Recognised in the Balance Sheet	(39.96)	(15.46)	(3.78)	(4.00)
	(33.30)	(13.10)	(3.7.0)	(1.00)
7. आय विवरणी में निर्घारित व्यय Expenses Recognised in the Income Statemer	\f			
		1 20	1 02	1 10
चालू सेवा लागत/Current Service Cost	2.20	1.30	1.83	1.19
ब्याज लागत/Interest Cost	4.58	4.00	0.99	1.00
(योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल)	(2.65)	(2.20)	(1.04)	(0.06)
(Expected Return on Plan Assets)	(3.65)	(3.29)	(1.04)	(0.96)
निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर–निहित ला				
Past Service Cost (Non Vested Benefit) Recogn	iised _	-	-	
निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)				
Past Service Cost (Vested Benefit) Recognised	_	-	_	- 14
अंतर्वर्ती देयता का निर्धारण				
Recognition of Transition Liability during the y		-	- 1	-
बीमांकिक (लाभ) अथवा हानि / Acturial (Gain) or Lo		8.15	3.61	3.32
लाम और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय				
Expense Recognised in P & L	26.75	10.16	5.39	4.55

Balance Sheet as at March 31, 2010

(करोड़ रु.) (Rs. crore)

	पेंशन/	Pension	ग्रेच्यटी /	Gratuity
	वित्तीय वर्ष 2009-10 FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09 FY 2008-09	वित्तीय वर्ष 2009-10 FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09 FY 2008-09
8. तुलन—पत्र समाधान Balance Sheet Reconciliation				
आरंभिक निवल देयता / Opening Net Liability	15.46	9.91	(1.23)	_
यथोक्त व्यय / Expense as above	26.75	10.16	5.39	4.55
नियोक्ता का अंशदान / Employers Contribution	(2.25)	(4.61)	(0.38)	(0.55)
तुलन-पत्र में निर्धारित राशि				
Amount Recognised in Balance Sheet	39.96	15.46	3.78	4.00
अगले वर्ष के लिए अनुमानित अंशदान (12 मही Estimated Contribution for next year (12 m	•	5.94	2.14	1.44
10. आस्तियों की श्रेणी / Category of Assets				
भारत सरकार आस्तियाँ / Government of India	Assets _			
		_	_	_
निगमित बॉण्ड / Corporate Bonds	_	_	-	-
निगमित बॉण्ड / Corporate Bonds विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	-		-	-
	_ _ Companies _		-	- - - -
विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	Companies _			- - - - -
विशेष जमा योजना/Special Deposits Scheme सूबीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर/Equity Shares of Listed सम्पत्ति/Property बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ (भारतीय जीवन बीम	– । निगम)	- - - -		- - - -
विशेष जमा योजना/Special Deposits Scheme सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर/Equity Shares of Listed सम्पत्ति/Property बीमाकर्त्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ (भारतीय जीवन बीम Insurer Managed Funds (LIC of India)	_	- - - - - 43.70	- - - - 13.85	- - - - - 12.90
विशेष जमा योजना/Special Deposits Scheme सूबीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर/Equity Shares of Listed सम्पत्ति/Property बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ (भारतीय जीवन बीम	– । निगम)	43.70	- - - 13.85 0.01	- - - - 12.90

25(ii).स्वतंत्र बीमांकन द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अन्य दीर्घाविध लाभ योजनाओं से संबंधित राशियाँ जो लाभ–हानि खाते में प्रभारित की गयीं, इस प्रकार हैं:-

The following are the amounts charged to Profit & Loss Account relating to other long term benefits plan based on the acturial valuation provided by independent actuary.

(करोड़ रु.) (Rs. crore)

क्रमांक Sr. No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2010/ As on March 31, 2010	31 मार्च 2009/ As on March 31, 2009
1.	साधारण अवकाश नकदीकरण / Ordinary Leave Encashment		_
2.	छुट्टी किराया रियायत/ Leave Fare Concession (LFC)	0.03	1.27
3.	बीमारी अवकाश / Sick Leave	0.66	4.46
4.	पुनर्वास व्यय / Resettlement Expenses	_	0.36
5.	स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना / Voluntary Health Scheme (VHS)*	2.21	2.26

<sup>\*</sup>अधिवास संबंधी दावों के 2% बढ़ने का अनुमान किया गया है/\*Domiciliary claim has been assumed to go up by 2%.

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

26. आकर्ष्मिक देयताओं के प्रावधान के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखामानक-29 के अन्तर्गत प्रकटन

Disclosures under Accounting Standard - 29 issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for provisions in contingencies.

विवरण / Particulars	बकाया वेतन (रु.) / Wage Arrears (Rs.)	अन्य प्रावधान (रु.) / Other Provisions (Rs.)
प्रारंभिक शेष Opening Balance	11,00,00,000	4,95,57,098
जमा / Additions	10,80,00,000	2,09,00,663
उपयोग / Utilisations	_	_
पुनरांकन / Write Back		_
अंतिम शेष / Closing Balance	21,80,00,000	7,04,57,761

अन्य प्रावधान में वे दावे शामिल हैं जो विभिन्न विधिक मामलों और ऐसी आनुषंगिक देयताओं से संबंधित हैं जिनके लिए बैंक उत्तरदायी है और जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक के विरुद्ध दायर किए जाते हैं।

Other Provision represents claims filed against the bank in the normal course of business relating to various legal cases and other claims for which bank is contigently liable.

- 27. बैंक ने लाभ-हानि खाते के प्ररूप में 'जमा, उधार आदि पर प्रदत्त ब्याज' को बदलकर 'जमा, उधार आदि पर प्रदत्त ब्याज व वित्तीय प्रभार' कर दिया है, ताकि उसमें वित्तीय लागतों जैसे— गारंटी शुल्क और अदला—बदली की लागत को शामिल किया जा सके। तदनुसार, पिछले वर्ष के आंकड़ों को भी पुनः वर्गीकृत किया गया है। The bank has modified the nomenclature of the "Interest paid on Deposit's Borrowings, etc." to "Interest & financial charges paid on Deposits. Borrowings, etc." in the format of the Profit & Loss A/c. to include the financial costs viz. guarantee fees and swap cost and accordingly the previous year's figures have also been reclassified.
- 28. जहां कहीं आवश्यकता पड़ी है, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन एवं पुनर्वर्गीकरण किया गया है, ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तुलना योग्य बनाया जा सके।

Previous year's figures have been re-grouped and re-classified wherever necessary to make them comparable with the current year's figures.

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date बोर्ड के आदेशानुसार BY ORDER OF THE BOARD

कृत ए.ज. शाह एण्ड क.	वा. एस. राठाङ्	राकश रवारा	आर.एम. मल्ला
सनदी लेखाकार	कार्यपालक निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
For A.J. Shah & Co.	V.S. Rathore	Rakesh Rewari	R.M. Malla
Chartered Accountants एफआरएन / FRN. 109476W	Executive Director	Deputy Managing Director	Chairman & Managing Director
हिरेन शाह	एस. एस. चट्टोपाध्याय	टी. आर. बजालिया	जानकी बल्लभ
साझेदार	निदेशक	निदेशक	निदेशक
एम. नः 100052	S.S. Chattopadhyay	T. R. Bajalia	Janki Ballabh
Hiren Shah	Director	Director	Director
Partner			
M.No.100052	बी. मणिवनन्न	के. सीतारामम्	
	निदेशक	निदेशक	
मुम्बई, 31 मई, 2010	B. Manivannan	K. Sitaramam	
Mumbai, May 31, 2010	Director	Director	

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

	रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण nal disclosures as per RBI guidelines		(करोड़ रु.) (Rs. Crore)
क.	पूंजी	वित्तीय वर्ष 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09
A.	CAPITAL	FY 2009-10	FY 2008-09
क)	जोखिम आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर)		
a.	Capital to Risk Assets Ratio (CRAR)	30.08%	34.24%
	मुख्य सीआरएआर / Core CRAR	28.98%	33.16%
	अनुपूरक सीआरएआर / Supplementary CRAR	1.09%	1.09%
ख)	जुटाए गए गौण ऋण की राशि तथा टीयर—॥ पूँजी के रूप में बकाया राशि		
b.	The amount of subordinated debt raised and outstanding as Tier II Capital	Nil	Nil
ग) c.	जोखिम भारित आस्तियां-तुलन—पत्र में समाहित और इससे इतर मदों हेतु पृथक—पृथक Risk weighted assets-separately for on and off-balance sheet items तुलन—पत्र में/On Balance sheet तुलन—पत्र के अलावा/Off Balance sheet	23,537.65 314.69	19,410.72 315.28
ਬ)	तुलन-पत्र की तिथि को शेयर धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत
d)	The shareholding pattern as on the date of the Balance Sheet	No. of shares	Percentage of shareholding
G)	वित्तीय संस्थाएं / Financial Institutions	2,39,00,000	5.31
	बीमा कंपनियां/Insurance Companies	9,64,50,000	21.43
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंक / PSU Banks	32,96,50,000	73.26
	योग / Total	45,00,00,000	100.00
ख.	आस्ति गुणवत्ता और ऋण संकेन्द्रण	वित्तीय वर्ष 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09
<b>B.</b> क)	Asset quality and credit concentration निवल ऋणों और अग्रिमों के प्रति निवल गैर—निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत	FY 2009-10	FY 2008-09
a)	Percentage of net NPAs to net loans and advances	0.18	0.08
ख)	निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत, निवल गैर—निष्पादक आस्तियों की राशि और निवल अग्रिमों की तुलना में उनका प्रतिशत		

Amount and percentage of net NPAs to net advances under the prescribed asset classification categories

श्रेणी / Category	वित्तीय वर्ष / FY 2009-10		वित्तीय वर्ष / FY 2008-09	
, 0 ,	राशि / Amount	प्रतिशत / Percentage	राशि / Amount	प्रतिशत / Percentage
अव—मानक आस्तियां / Sub-standard assets	67.48*	0.17	22.96	0.07
संदिग्ध आस्तियां / Doubtful assets	1.61	0.01	3.11	0.01
योग / Total	69.09	0.18	26.07	

**<sup>\*</sup>गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत** पुनर्संरचित खातों से संबंधित समायोजित प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतू प्रावधान कवरेज अनुपात ग)

Provision Coverage Ratio for FY 2009-10 c)

94%

वर्ष के दौरान, मानक आस्तियों, गैर-निष्पादक आस्तियों, निवेशों (अग्रिम की प्रकृति से इतर निवेश) और आय कर के लिए किए गए प्रावधानों की राशि

Amount of provisions made during the year towards Standard assets, NPAs,

Investments (other than those in the nature of an advance) and Income Tax

विवरण	वित्तीय वर्ष 2009—10	वित्तीय वर्ष 2008-09
Particulars	FY 2009-10	FY 2008-09
मानक आस्तियां / Standard Assets*	626.41	495.14
गैर-निष्पादक आस्तियां / NPAs	57.33	36.08
निवेश / Investments	5.90	3.27
खातों की पुनर्संरचना / Restructuring of Accounts**	_	34.50
आयकर (एफबीटी, आस्थगित कर तथा अतिरिक्त प्रावधानों के पुनरांकन सहित)		
Income-Tax (including FBT, Deferred tax and write back of excess prov	visions) 445.00	530.00

<sup>\*</sup> आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के संबंध में किए गए रु. 30.73 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 16.84 करोड़) का सामान्य प्रावधान इसमें शामिल है।

<sup>\*</sup>Adjusted provision in respect of restructured accounts classified as NPA

<sup>\*</sup> Includes general provision of Rs. 30.73 crore (previous year Rs. 16.84 crore) held in respect of Standard Assets as per RBI guidelines.

<sup>\*\*</sup> चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, पुनर्संरचित खातों हेतु 22.49 करोड़ रुपये के निवल बेशी प्रावधान पुनरांकित किए गए।

<sup>\*\*</sup> During the current FY, net excess provisions of Rs. 22.49 crore for restructured accounts were written back.

Balance Sheet as at March 31, 2010

			(करोड़ रु.) / (Rs. Crore)
ड∙)	वि गैरनिष्पादक आस्तियों में परिवर्तन	वेत्तीय वर्ष 2009-10 FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09 FY 2008-09
e)	Movement of Non Performing Assets (NPAs)		
	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सकल गैरनिष्पादक आस्तियाँ / Gross NPA at the begining of the financia	l year 31.73	299.43
	जोड़िये : वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	Add: Additions during the year	114.18	40.48
	उप जोड़ (क)/Sub Total (A)	145.91	339.91
	घटाइये / Less :		
	i) उन्तयन / Upgradations	11.40	130.43
	ii) वसूलियाँ (उन्नयन खातों से वसूलियों को छोड़कर) / Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)	4.17	
	iii) बट्टे खाते / Write-off	53.24	177.75
	उप जोड़ (ख) / Sub Total (B)	68.81	308.18
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सकल गैर निष्पादक आस्तियाँ (क-ख)		
	Gross NPA at the end of the financial year (A-B)	77.10	31.73
च) f)	गैरनिष्पादक आस्तियों के प्रावधान में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर किये गये प्रावधानों को छोड़व Movement of provisions for NPAs (Excluding provisions on standard assets)	<sup>र</sup> र)	
	आरम्भिक शेष / Opening Balance at the beginning of the financial year	5.66	250.37
	जोड़िये : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान Add : Provisions made during the year	57.33	36.08
	घटाइये : बट्टे खाते डाले गये / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	37.33	30.00
	Less: Write-off / write-back of excess provisions	55.06	280.79
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष/Closing balance at the end of the financial year	7.93	5.66
छ)	निवल गैर निष्पादक आस्तियों में परिवर्तन		
g)	Movement in Net NPAs		
	वित्तीय वर्ष के आरंभ में अथशेष/Opening Balance at the beginning of the financial year	26.07	49.06
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	56.85	4.4
	वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	13.75	27.39
	घटाइये : गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचित खातों के उचित मूल्य में गिरावट हेतु प्रावधा Less : Provision for dimunition of fair value of restructured accounts classified as NPA	न 0.08	
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष/Closing balance at the end of the financial year	69.09	26.07
	Taking 44 of Admit 48 Side 4/ Closing balance at the end of the infancial year	69.09	26.07
ज) h)	चल प्रावधानों में परिवर्तन Movement of Floating Provisions		
	(क) अथशेष		
	(a) Opening Balance	_	-
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
	(b) Provisions made during the year	-	-
	(ग) वर्ष के दौरान आहरण द्वारा की गई कमी का उद्देश्य और राशि		
	(c) Purpose and amount of draw down made during the year	_	-
	(घ) इतिशेष		
	(d) Closing balance	_	-

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

#### ग. ऋण जोखिम

### **Credit Exposure**

निम्नलिखित के बारे में पूंजी निधियों और कुल आस्तियों के प्रति ऋण का प्रतिशत Credit exposure as percentage to capital funds and as percentage to total Assets, in respect of:

	Credit exposure as percentage to capital runds and as percentage to total Assets, in respect of :						
		वित्तीय वर्ष ।	FY 2009-10	वित्तीय वर्ष FY 2008-09			
更/ S.No.	विवरण / Particulars	कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत	पूंजी निधि के प्रति प्रतिशत	कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत	पूंजी निधि के प्रति प्रतिशत		
		As % to Total Assets	As % to	As % to Total Assets	As % to		
		Total Assets	Capital Fund	Total Assets	Capital Fund		
1	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता/The largest single borrower	6.72 34.83 5.05 22.5					
	सबसे बड़ा उघारकर्ता समूह The largest borrower group	चूंकि बड़े उधारकर्ता के रूप में प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं, राज्य विद्युत बोर्ड आदि हैं, अतः उधारकर्ता समूह की अवधारणा लागू नहीं है। As large borrowers are Primary lending Institutions, State Electricit					
		Boards etc. the co	oncept of borrow	ver group is not a	pplicable.		
2	10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता / The 10 largest single borrower	40.99	212.55	31.83	141.88		
	10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह The 10 largest borrower group	चूंकि बड़े उधारकर्ता के रूप में प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं, राज्य विद्युत बोर्ड आदि हैं, अतः उधारकर्ता समूह की अवधारणा लागू नहीं है। As large borrowers are Primary lending Institutions, State Electricit Boards etc. the concept of borrower group is not applicable.					

कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों (यदि लागू हो) को प्रदत्त ऋण\* b) Credit exposure to the five largest industrial sectors (if applicable) as percentage to total loan assets\* (करोड़ रु.)/(Rs. Crore)

	वित्तीय वर्ष 200	9-10 / FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 200	वित्तीय वर्ष 2008-09 / FY 2008-09	
उद्योग का नाम/Name of Industry	बकाया राशि / Amount Outstanding	कुल ऋण आस्तियों के प्रति प्रतिशत/ % to total loan assets	बकाया राशि/ Amount Outstanding	कुल ऋण आस्तियों के प्रति प्रतिशत/ % to total loan assets	
विद्युत उत्पादक / Electricity Generation	1,466.58	16.12	1,210.13	18.37	
परिवहन उपकरण / Transport Equipment	1,366.64	15.02	853.84	12.96	
ऑटो व ऑटो घटक / Auto and Auto Components	1,317.00	14.48	821.42	12.47	
निर्माण / Construction वस्त्र / सिलेसिलाए वस्त्र और हौजरी /	-	-	730.71	11.09	
Textile/Readymade Garments & Hosiery	961.61	10.57	709.28	10.77	
लोहा और स्टील / Iron & Steel	757.81	8.33	-		

ऋण जोखिम प्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत सहायता से संबंधित है।

	*E	exposure pertains to Assistance under Direct Finance	
घ. D)		अग्रिम तथा ऋण जोखिम एवं एनपीए का संकेंद्रण entration of Deposits, Advances and Exposures & NPAs	तिय वर्ष 2009—10 / FY 2009-10
	a)	जमा संकेंद्रण/Concentration of Deposits 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं का कुल जमा (करोड़ में) Total Deposits of twenty largest depositors (in Crores) बैंक के कुल जमा के प्रति 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	1,877.92 84.58
	b)	अग्रिम का संकेंद्रण/Concentration of Advances 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम (करोड़ में) Total Advances to twenty largest borrowers (in Crores) बैंक के कुल अग्रिम के प्रति 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	22,943.70 60.13
	c)	ऋण जोखिम का संकेंद्रण/Concentration of Exposures 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों में कुल ऋण जोखिम Total Exposures to twenty largest borrowers / customers (in Crores) उधारकर्ताओं/ग्राहकों में बैंक के कुल ऋण जोखिम के प्रति 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों में ऋण जोखिम का प्र Percentage of exposures to twenty largest borrowers / customers to total exposures of the bank on borrowers / customers	24,127.71 तिशत 53.93
	d)	गैर निष्पादक आस्तियों का संकेंद्रण—वित्तीय वर्ष 2010 हेतु शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल ऋण जोखिम (करो Concentration of NPAs – Total Exposure to top four NPA accounts for FY 2010 (in crores)	ड़ में) 18.29

Balance Sheet as at March 31, 2010

### क्षेत्रवार एनपीए

### Sector wise NPAs

विवरण / Particulars	उस क्षेत्र को कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत % of NPAs to Total Advance in that Sector
कृषि और सहवर्ती गतिविधियाँ / Agriculture & Allied Activities	-
उद्योग (सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े) / Industry (Micro, small, medium and large)	0.20
सेवाएँ / Services	0.22
व्यक्तिगत ऋण/Personal Loans	_

#### f) विदेशों में आस्तियाँ, एनपीए तथा राजस्व

Overseas Assets, NPAs and Revenue

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2009-10 / FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09 / FY 2008-09
कुल आस्तियाँ / Total Assets कुल एनपीए / Total NPAs		-
कुल राजस्व/Total Revenue	-	-

#### तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी g)

(जिन्हें लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित किया जाना है)

Off-Balance Sheet SPVs sponsored

(which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम

Name of the SPV sponsored

विदेशी / Overseas घरेलू / Domestic

Nil

Nil

#### E) निवेश / Investments

<mark>ं(क) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा</mark>–निर्देशों की अपेक्षा अनुसार निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है।

(a) The Investments have	been classified as under, as requir	ed by RBI guidelines:	

(a) The Investments have been classified as under, as req	(करोड रुपये) / (Rs. crore)	
विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2009-10 / FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09 / FY 2008-09
क) परिपक्वता हेतु धारित		
a) Held to Maturity	574.43	547.89
ख) बिक्री हेतु उपलब्ध		
b) Available for sale	1,278.06	1,384.27
ग) व्यापार हेतु धारित		
c) Held for Trading	-	-
घ) अन्य		
d) Others	75.00	
योग / Total	1,927.49	1,932.16

(ख) निवेशों में मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान (b) Provisions for depreciation in Investments	वित्तीय वर्ष 2009-10 FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09 FY 2008-09
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में आरम्भिक शेष	162.60	160.20
Opening balance as at the beginning of the financial year	162.60	168.28
जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add : Provisions made during the year	5.90	3.27
जोड़िए : निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षिति लेखा से विनियोग, यदि कोई हो	5.90	3.27
Add: Appropriations, if any, from Investment Fluctuation Reserve account	_	
घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि		_
Less: Write off during the year	4.35	8.95
घटाइए : निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षिति लेखा में अंतरण यदि कोई हो		
Less: Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve account	_	_
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष		
Closing balance at the end of the financial year	164.15	162.60

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

- ग. किए गए निवेश के संबंध में जारीकर्ता श्रेणियाँ
- c) Issuer Categories in respect of Investment made:

(करोड़ रुपये) / (Rs. crore)

	राशि / Amount	निम्नलिखित की राशि / Amount of			
जारीकर्ता / Issuer		निजी प्रस्तुति के जरिए किए गए निवेश / investment made through private placement	निवेश ग्रेड से नीचे की प्रतिभूतियाँ / below Investment Grade Securities held	बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियाँ / unrated securities held	गैर सूचीबद्ध प्रतिमूतियाँ / unlisted securities
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ PSUs वित्तीय संस्थाएँ/	297.47	3.00	-	-	-
Fls बैंक /	288.33	268.35	_	-	241.35
Banks निजी कंपनियां /	190.08	182.53	-	-	-
Private Corporate सहायक संस्थाएँ / संयुक्त उपक्रम	395.66	309.24	_	10.00	117.92
Subsidiaries / Joint Ventures	1.05	1.05	-	-	1.05
अन्य Others	706.82	349.29		1	349.29
उप—जोड़ / Sub-Total	1,879.41	1,113.46	_	10.00	709.61
मूल् <mark>य ह्रास के प्रति धारित प्रावधान</mark> Provision held towards depreciation	(162.98)		_	-	-
योग / Total	1,716.43	1,113.46	-	10.00	709.61

### d) गैर निष्पादक आस्तियाँ / Non-performing Inverstments

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2009-10 FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09 FY 2008-09
वित्तीय वर्ष के आरंभ में अथशेष Opening balance as at the begining of the financial year	2.11	1.88
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year since 1st April	0.75	0.35
उक्त अवधि में कमी Reductions during the above period	0.45	0.12
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष Closing balance at the end of the financial year	2.41	2.11
धारित कुल प्रावधान Total Provisions held	2.41	2.11

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

### F. पुनर्संरचित खाते/Re-structured Accounts

(करोड़ रु. / Rs. Crore)

Tage / Particulars		वित्तीय वर्ष 2	2009-10/FY 20	009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09/FY 2008-09			
		निगमित ऋण पुनर्संरचना तंत्र CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्संरचना SME Debt Restructuring	अन्य Others	निगमित ऋण पुनर्संरचना तंत्र CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्संरचना SME Debt Restructuring	अन्य Others	
पुनर्संरचित मानक अग्रिम Standard Advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	2	Nil	145	Nil	Nil	587	
	बकाया राशि Amount outstanding	3.53	_	208.62	_		745.06	
	हानि (उचित मूल्य में कमी) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.18	_	10.33	-		64.14	
पुनर्संरचित अव—मानक अग्रिम Sub-Standard Advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	Nil	Nil	2	Nil	Nil	4	
	बकाया राशि Amount outstanding	_		1.53	_	_	9.59	
	हानि (उचित मूल्य में कमी) Sacrifice (diminution in the fair value)	-	-	0.08	-	_	0.48	
पुनर्संरचित संदिग्ध अग्रिम Doubtful Advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
	बकाया राशि Amount outstanding	_		_	_	_	_	
	हानि (उचित मूल्य में कमी) Sacrifice (diminution in the fair value)	_	_	I	-	-	_	
योग / Total	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	2	Nil	147	Nil	Nil	591	
	बकाया राशि Amount outstanding	3.53		210.15	_	_	754.65	
	हानि (उचित मूल्य में कमी) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.18	_	10.41	_	-	64.62	

### <mark>छ. क) प्रतिभूतीकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई आस्तिया</mark>

G. a) Assets sold to Securitisation Company / Reconstruction Company

更/S.No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2009-10	वित्तीय वर्ष FY 2008-09
(i)	खातों की संख्या*		
	Number of Accounts*	170	Nil
(ii)	प्रतिभूतीकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान के बाद)		
	Aggregate Value (net of provisions) of Accounts sold to SC / RC	0.55	_
(iii)	कुल प्रतिफल		
	Aggregate Consideration	29.37	-
(iv)	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल		
	Additional Consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	_	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ / हानि		
	Aggregate Gain / Loss over net Book Value	20.59	-

<sup>\*</sup>वित्तीय वर्ष 2008–09 में बेचा गया एक लेखा शामिल है, जिसे चालू वित्त वर्ष में लिया गया है।

<sup>\*</sup>Includes one account sold in financial year 2008-09, accounted in current financial year.

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

### ख) निगमित ऋण पुनर्सरचना

b) Corporate Debt Restructuring

(करोड़ रुपये) / (Rs. crore)

兩/S.No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2009-10	वित्तीय वर्ष FY 2008-09
(i)	सीडीआर के अंतर्गत पुनर्संरचना के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि Total Amount of Loan Assets subjected to Restructuring under CDR	3.81	_
(ii)	सीडीआर के अधीन मानक आस्तियों की कुल राशि Total Amount of Standard Assets subject to CDR	3.81	_
(iii)	सीडीआर के अधीन अवमानक आस्तियों की कुल राशि Total Amount of Sub-Standard Assets subject to CDR	-	-

### ज) तरलता

### H. Liquidity

क) रुपया और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं का परिपक्वता स्वरूप

a.) Maturity pattern of rupee and foreign currency assets and liabilities

(करोड़ रुपये) / (Rs. crore)

मदें Items	1 वर्ष से कम या उसके बराबर Less than or equal to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक More than 1 year upto 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक More than 3 years upto 5 years	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक More than 5 years upto 7 years	7 वर्ष से अधिक More than 7 years	योग Total
रुपया आस्तियां / Rupee Assets विदेशी मुद्रा आस्तियां (समतुल्य रुपये) Foreign Currency Assets (Rupee Equivalent)	23,501	14,547	3,492	1,166	2,728	45,434
डॉलर/Dollar	134	347	353	102	626	1,562
यूरो / Euro	52	134	165	157	352	860
येन / Yen	4	7	750	103	356	1,220
कुल आस्तियां / Total Assets	23,691	15,035	4,760	1,528	4,062	49,076
रुपया देयताएं / Rupee Liabilities विदेशी मुद्रा देयताएं (समतुल्य रुपये) Foreign Currency Liabilities (Rupee Equivalent)	10,058	15,621	3,701	3,395	13,725	46,500
डॉलर / Dollar	68	130	354	124	724	1,400
यूरो / Euro	41	120	156	152	362	831
येन/Yen	4	7	178	234	807	1,230
कुल देयताएं / Total Liabilities	10,171	15,878	4,389	3,905	15,618	49,961

### झ) परिचालन परिणाम

### I. Operating results

		वित्तीय वर्ष (FY) 2009-10	वित्तीय वर्ष (FY) 2008-09
क)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय		
a)	Interest income as a percentage to average working funds	8.35	8.84
ख)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय		
b)	Non-interest income as a percentage to average working funds	0.41	1.11
ग)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ		
c)	Operating profit as a percentage to average working funds	4.19	5.25
ਬ)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल		
d)	Return on average assets	2.36	3.11
ङ)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (करोड़ रु.)		
e)	Net Profit per employee (Rs. Crore)	0.41	0.31

Balance Sheet as at March 31, 2010

### ञ) वायदा दर करार और ब्याज दर विनिमय

### J. Forward Rate Agreements & Interest Rate Swaps

क्र.सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2009-10 FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09 FY 2008-09
i)	बकाया लेन देनों की संख्या / No. of transactions outstanding	NIL	NIL
ii)	कुल बकाया अनुमानित मूलधन (करोड़ रु.)/ Total outstanding notional principal (Rs. Crore)	_	_
iii)	विनिमयों की प्रकृति / Nature of swaps	_	
iv)	शर्ते / Terms	_	_
v)	लेखांकन नीति / Accounting Policy	_	_
vi)	दायित्व पूरा करने में प्रति—पक्षकारों के विफल रहने पर होने वाली हानि (करोड़ रु.) / Loss which would be incurred in case counterparties fail to fulfill their obligations (Rs. Crore)		
vii)	विनिमय करने के लिए अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति/Collateral required upon entering into swaps	_	_
viii)	विनिमय से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण / Concentration of credit risk arising from swaps		
ix)	विनिमय बही का उचित मूल्य (करोड़ रु.)/Fair value of swaps book (Rs. Crore)	_	_

### त) ब्याज दर व्युत्पन्नों से संबंधित विवरण

(करोड़ रुपये) / (Rs. crore)

K. Details in respect of Interest Rate Derivatives :

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2009-10	वित्तीय <mark>वर्ष FY</mark> 2008-09
वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	1	
<mark>यथा 31 मार्च को बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड</mark> ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31	_	_
बकाया और "अत्यन्त प्रभावी" नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"		_
बकाया और "अत्यन्त प्रभावी" नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का बाजार मूल्य Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	_	_

### थ) रेपोज के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभृतियाँ एवं रिवर्स रेपोज के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभृतियाँ

#### L. Securities sold under Repos and Securities purchased under Reverse Repos

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	वित्तीय वर्ष FY 2009-10	वित्तीय वर्ष FY 2008-09
रेपोज के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repos	_	-			
रिवर्स रेपोज के अन्तर्गत क्रय की गयी प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repos	_	-	-	-	_

### द) व्युत्पन्नों में जोखिम का प्रकटीकरण

### M. Disclosure of risk exposure in derivatives

- क. गुणात्मक प्रकटीकरण
- a. Qualitative Disclosures
- (i) बैंक अपनी आस्तियों एवं देयताओं में असंतुलन से हुए ब्याज दर तथा विनिमय जोखिम की बचाव—व्यवस्था व्युत्पन्नों का इस्तेमाल करके करता है। बैंक व्युत्पन्नों का व्यापार नहीं करता है।

The Bank uses Derivatives for hedging of interest rate and exchange risk arising out of mismatch in the assets and liabilities. The Bank does not undertake trading in Derivatives.

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र

- आंतरिक नियंत्रण दिशा–निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित की जाती हैं। व्यत्पन्नों का प्रयोग आस्ति देयता प्रबंध समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है। व्यूत्पन्नों के विस्तृत विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को भी दी जाती है। Internal control guidelines and accounting policies are framed and approved by the Board. The derivative structures are undertaken only after the approval of ALCO. The particulars of derivative deals undertaken are also reported to ALCO /Board.
- (iii) बैंक ने व्युत्पन्न सौदों से हुए जोखिम से निपटने के लिये प्रणालियां निर्धारित की हैं। बैंक व्युत्पन्न सौदों से होने वाले लेन–देनों का लेखांकन उपचय पद्धति के अनुसार करता है।
  - The Bank has put systems in place for mitigating the risk arising out of derivative deals. The Bank follows the accrual method for accounting the transastions arising out of derivative deals.
- (iv) वर्ष की समाप्ति पर एम टी एम हानियों, यदि कोई है, के लिये प्रावधान किया जाता है। Provisions are made for Mark to Market (MTM) losses, if any, at the year end.

### मात्रात्मक प्रकटीकरण / b. Quantitative Disclosures

(करोड़ रु.) (Rs. Crore)

क्र.सं.		वित्तीय वर्ष 2	009-10/FY 2009-10	वित्तीय वर्ष 2008-09/FY 2008-09	
Sr. No.	विवरण Particulars	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	Interest rate	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate Derivatives
1. (i) (ii)	ब्युत्पन्त (आनुमानिक मूलधन)/Derivatives (Notional Principal Amount) बचाव के लिए/For hedging ब्यापार के लिए/For trading	1,186.60	- 1	1,313.70	
2. (i) (ii)	बाजार स्थिति के लिए चिह्नित / Marked to Market Positions [1] आस्तियां (+)/Asset (+) देयताएं (-)/Liability (-)	(83.00)		20.00	-
3.	ऋण जोखिम/Credit Exposure [2]	68.00		102.70	_
4.	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पीवी 01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100* PV01)	0.06		0.00	
(i) (ii)	बचाव व्युत्पन्न पर/On hedging derivatives व्यापार व्युत्पन्न पर/On trading derivatives	0.26	_	0.22	_
5. (i) (ii)	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100* पीवी 01 Maximum and Minimum of 100* PV01 observed during the year बचाव पर/On hedging व्यापार पर/On trading	0.17/0.33	-	0.20/0.30	-

अतिरिक्त प्रकटीकरण [मद सं. ख (ग) तथा घ] के अंतर्गत पिछले वर्ष के आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये चालू वित्तीय वर्ष से ही अनिवार्य हुए हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

बोर्ड के आदेशानुसार BY ORDER OF THE BOARD

कृते ए.जे. शाह एण्ड कं.	वी. एस. राठौड़	राकेश रेवारी	आर.एम. मल्ला
सनदी लेखाकार	कार्यपालक निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
For A.J. Shah & Co.	V.S. Rathore	Rakesh Rewari	R.M. Malla
Chartered Accountants एफआरएन / FRN. 109476W	Executive Director	Deputy Managing Director	Chairman & Managing Director
हिरेन शाह	एस. एस. चट्टोपाध्याय	टी. आर. बजालिया	जानकी बल्लभ
साझेदार	निदेशक	निदेशक	निदेशक
एम. नः 100052	S.S. Chattopadhyay	T. R. Bajalia	Janki Ballabh
Hiren Shah	Director	Director	Director
Partner			
M.No.100052	बी. मणिवनन्न	के. सीतारामम्	
	निदेशक	निदेशक	
मुम्बई, 31 मई, 2010	B. Manivannan	K. Sitaramam	
Mumbai, May 31, 2010	Director	Director	

Previous year figures has not been incorporated under additional disclosures [Point No. B(c) & D] since the same has become mandatory from current financial year.

# भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह

31 मार्च, 2009 March 31, 2009	विवरण PARTICULARS		31 मार्च, 2010 March 31, 2010
(₹./Rs.)	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह Cash Flow for the year ended March 31, 2010		(₹./Rs.)
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Operating Activities		
829,20,08,278	लाभ—हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before tax as per P & L Account समायोजन : Adjustments for :		864,93,74,290
10,79,13,120	मूल्यहास Depreciation	10,31,85,994	
(236,48,93,308)	आईआरडीएफ से पुनरांकित Write back out of IRDF	(8,96,24,622)	
3,26,80,835	निवेशों में निवल हास के लिए प्रावधान Provision for net depreciation in investments किए गए प्रावधान	5,90,17,577	
565,71,44,658	Provisions made निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	661,24,84,305	
(31,51,15,786)	Profit on sale of Investment (net) निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(73,92,01,212)	
(10,03,91,023) (89,00,00,000)	Dividend Received on Investments पुनरांकित प्रावधान Provisions written back	(17,19,55,950)	577,39,06,092
	Trovisions written back		
1041,93,46,774	परिचालन से उपार्जित नकदी  Cash generated from operations (परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) (Prior to changes in operating Assets and Liabilities) निवल परिवर्तन के लिए निम्न का समायोजन : Adjustments for net changes in : वर्तमान आस्तियां		1442,32,80,382
152,39,75,593	Current assets वर्तमान देयताएं	120,31,71,565	
(269,06,29,539)	Current liabilities विनिमय बिल	461,00,69,422	
(651,09,27,069)	Bills of Exchange ऋण एवं अग्रिम	(698,04,25,701)	
10253,03,28,712)	Loans & Advances बॉण्डों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	(6384,94,22,518)	
5678,08,86,143	Net Proceeds of Bonds and Debentures & other borrowings সাদো जमा	1700,44,08,361	
4512,07,12,828 (830,63,10,756)	Deposits received	4149,90,01,382	(651,31,97,489)
211,30,36,018			791,00,82,893
(380,58,19,553)	आयकर का भुगतान Payment of Income Tax	(450,76,12,120)	(450,76,12,120)
(169,27,83,535)	परिचालन—गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash flow from operating Activities		340,24,70,773

Cash Flow for the year ended March 31, 2010

31 मार्च, 2009 March 31, 2009				31 मार्च, 2010 March 31, 2010
(₹./Rs.)				(₹./Rs.)
	2.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash flow from Investing Activities		
(39,04,12,435)		स्थिर आस्तियों के (क्रय) / विक्रय की निवल राशि Net (Purchase)/Sale of fixed assets	(4,63,27,453)	
(514,89,93,633)		निवेशों के (क्रय) / विक्रय / शोधन की निवल राशि Net (Purchase)/Sale/Redemption of Investments	78,59,22,362	
10,03,91,023 (543,90,15,045)		निवेशों पर प्राप्त लाभांश Dividend Received on Investments निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी Net cash used in Investing Activities	17,19,55,950	91,15,50,859
	3.	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash flow from Financing Activities		
(78,54,51,464)		ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर Dividend on Equity Shares & tax on Dividend	(78,46,18,056)	
(78,54,51,464)		वित्तीयन गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी Net cash used in Financing Activities		(78,46,18,056)
(791,72,50,044)	4.	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी) Net increase / (decrease) in cash and cash equivalent		352,94,03,576
1614,03,10,681	5.	अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and cash Equivalents at the beginning of the period		822,30,60,637
822,30,60,637	6.	अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents at the end of the period		1175,24,64,213

टिप्पणी : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक – 3 (संशोधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि द्वारा नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।

Note: Cash Flow statement has been prepared as per the Indirect Method prescribed in AS-3 (Revised) 'Cash Flow Statement' issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

लेखा टिप्पणियाँ (अनुबंध ।)

Notes to Accounts (Annexure I)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अध्याय 7)

Significant accounting Policies (Chapter 7)

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date बोर्ड के आदेशानुसार BY ORDER OF THE BOARD

कृते ए.जे. शाह एण्ड कं.	वी. एस. राठौड़	राकेश रेवारी	आर.एम. मल्ला
सनदी लेखाकार	कार्यपालक निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
For A.J. Shah & Co.	V.S. Rathore	Rakesh Rewari	R.M. Malla
Chartered Accountants एफआरएन / FRN. 109476W	Executive Director	Deputy Managing Director	Chairman & Managing Director
हिरेन शाह	एस. एस. चट्टोपाध्याय	टी. आर. बजालिया	जानकी बल्लभ
साझेदार	निदेशक	निदेशक	निदेशक
एम. नः 100052	S.S. Chattopadhyay	T. R. Bajalia	Janki Ballabh
Hiren Shah	Director	Director	Director
Partner			
M.No.100052	बी. मणिवनन्न	के. सीतारामम्	
	निदेशक	निदेशक	
मुम्बई, 31 मई, 2010	B. Manivannan	K. Sitaramam	
Mumbai, May 31, 2010	Director	Director	

परिशिष्ट—॥

# भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 31 मार्च, 2010 का समेकित तुलन-पत्र

31 मार्च, 2009 March 31, 2009		देयताएं LIABILITIES	31 मार्च, 2010 March 31, 2010
₹. Rs.		₹. Rs.	₹. Rs.
	1.	शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL प्राधिकृत / Authorised 10/- रु. प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर	
750,00,00,000		75,00,00,000 Equity Shares of Rs 10/- each 750,00,00,000 10/- रु. प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर	
250,00,00,000		25,00,00,000 Redeemable Preference Share of Rs. 10/-each 250,00,00,000	
1000,00,00,000			1000,00,00,000
450,00,00,000		जारी और चुकता Issued and Paid-up 10/-रु. प्रति शेयर की दर से 45,00,00,000 ईक्विटी शेयर 45,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each	450,00,00,000
4152,85,81,603	2.	आरक्षितियां, निधियां और अधिशेष RESERVES, FUNDS AND SURPLUS i) आरक्षित निधियां / Reserve Fund 4358,39,62,868 ii) अन्य निधियां / Other Funds	
148,10,87,203 24,94,22,674		क)       राष्ट्रीय ईक्विटी निधि         a)       National Equity Fund       167,44,64,973         ख)       स्टाफ कल्याण निधि       2425,71,858         b)       Staff Welfare Fund       2425,71,858	
55,19,63,645		iii) आरक्षितियां / Reserves  क) निवेश आरक्षिति  a) Investment Reserve 55,19,63,645	
33,13,03,013		ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां b) Special Reserve created and maintained u/s 36 (1) (viii)	
792,00,00,000 8,04,38,773		of the income Tax Act, 1961 887,00,00,000 iv) अधिशेष / Surplus -	
5181,14,93,898			5492,29,63,344
		3. उपहार, अनुदान, दान और अनुग्रह राशि GIFTS, GRANTS, DONATIONS AND BENEFACTIONS	
		i) सरकार से / From Government — ii) अन्य म्रोतों से / From other sources — —	
3525,40,50,000	4.	बॉण्ड और डिबेंचर BONDS AND DEBENTURES	5311,73,90,000
7437,05,55,830	5.	निक्षेप DEPOSITS	11582,06,11,212
16593,60,99,728		अग्रेनीत Carried forward	22836,09,64,556

Appendix - II

### SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2010

31 मार्च, 2009 March 31, 2009		आस्तियां ASSETS	31 मार्च, 2010 March 31, 2010
₹. Rs.		च. Rs.	₹. Rs.
	1.	नकदी और बैंक अतिशेष CASH AND BANK BALANCES	
14,31,089		i) हाथ में नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Cash in hand and balances with Reserve Bank of India 7,12,554	
		ii) भारत स्थित अन्य बैंकों में अतिशेष Balance with other Banks in India	
21,53,90,547		क) चालू खाते में a) On Current Account 50,23,96,389	
142,20,69,046		ख) निक्षेप खाते में b) On Deposit Account 166,04,89,000	
		iii) भारत के बाहर अन्य बैंकों में अतिशेष Balances with other Banks outside India	
36,03,835		क) चालू खाते में a) On Current Account 33,57,756	
679,57,67,145		ख) निक्षेप खाते में b) On Deposit Account	
843,82,61,662			11,84,82,91,805
	2.	निवेश INVESTMENTS	
9,23,89,500		i) केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में In securities of Central and State Governments 46,90,42,500	
338,43,08,904		ii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयरों में In shares of banks and financial institutions 317,30,17,897	
482,49,32,811		iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्डों और डिबेंचरों में In bonds and debentures of banks and financial institution 288,75,58,795	
78,99,04,056		iv) औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयरों, बॉण्डों और डिबेंचरों में In stocks, shares, bonds and debentures of industrial concerns 364,76,20,569	
869,77,34,526		v) अन्य Others 765,67,26,661	
1778,92,69,797			1783,39,66,422
	3.	ऋण और अग्रिम LOANS AND ADVANCES	
24298,95,66,068		i) बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को To banks and other financial institutions 28872,43,69,291	
5036,37,54,296		ii)	
29335,33,20,364			35718,14,42,785
		अग्रेनीत	
31958,08,51,823		Carried forward	38686,37,01,012

# भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 31 मार्च, 2010 का समेकित तुलन-पत्र

31 मार्च, 2009 March 31, 2009		देयताएं LIABILITIES		31 मार्च, 2010 March 31, 2010
₹. Rs.			₹. Rs.	₹. Rs.
16593,60,99,728		अग्रानीत Brought Forward		22836,09,64,556
	6.	उद्यार BORROWINGS		
		i) भारतीय रिज़र्व बैंक से From Reserve Bank of India क) स्टॉक, निधियों और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों पर प्रतिभूत a) Secured against stocks, funds and other trustee securities ख) विनिमय बिलों या वचन पत्रों पर प्रतिभूत	_	
6269,00,00,000		b) Secured against bills of exchange or promissory notes ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में से c) Out of the National Industrial Credit	-	
		(Long Term Operations) Fund ii) भारत सरकार से From Government of India		
6,72,60,000		क) ब्याज—मुक्त ऋण a) Interest-free loan ख) विदेशी ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत—जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) ऋण b) Against foreign lines of credit-Japan International Cooperation	3,16,30,000	
654,13,33,238		Agency (JICA) Loans ग) अन्य ऋण	610,52,44,356	
-		c) Other Loans iii) अन्य म्रोतों से	-	
3330,58,00,000		From Other sources	8990,82,42,127	
3844,51,89,890		iv) विदेशी मुद्रा में In Foreign Currency	4414,55,35,006	
14104,95,83,128				14019,06,51,489
3939,64,02,089	7.	चालू देयताएं व प्रावधान CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		5060,77,22,790
34638,20,84,945				41915,93,38,835

Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2010

31 मार्च, 2010 March 31, 2010	आस्तियां ASSETS	31 मार्च, 2009 March 31, 2009
₹. Rs.		₹. Rs.
38686,37,01,012	अग्रानीत Brought Forward	31958,08,51,823
2242,95,66,094	. भुनाए गए या पुनः भुनाए गए विनिमय बिल व वचन पत्र BILLS OF EXCHANGE AND PROMISSORY NOTES DISCOUNTED OR REDISCOUNTED	1544,91,40,393
203,39,27,399	परिसर (लागत में से मूल्यहास घटाकर) PREMISES (At cost less depreciation)	208,28,12,929
434,89,916	अन्य स्थिर आस्तियां (लागत में से मूल्यहास घटाकर) OTHER FIXED ASSETS (At cost less depreciation)	5,23,62,779
778,86,54,414	अन्य आस्तियां OTHER ASSETS	921,69,17,021
41915,93,38,835		34638,20,84,945

Significant accounting Policies and Notes to Accounts (Annexure I) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ (अनुबंध I)

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखा

31 मार्च, 2009 व्यय March 31, 2009 EXPENDITURE			31 मार्च, 2010 March 31, 2010
₹. Rs.			₹. Rs
1068,65,49,561	1.	जमा, उधारियों आदि पर अदा किया गया ब्याज तथा वित्तीय प्रभार Interest & Financial charges paid on Deposits, Borrowings, etc.	1476,57,87,056
96,39,48,758	2.	स्थापना व्यय Establishment Expenses	108,59,95,141
25,02,532	3.	निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस व व्यय Directors' & Committee Members' Fees and Expenses	25,96,592
17,36,630	4.	लेखा—परीक्षकों की फीस Auditors' Fees	14,91,961
14,34,31,657	5.	किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.	14,10,23,735
82,38,063	6.	विधि प्रभार Law Charges	89,54,863
24,33,479	7.	डाक व्यय, तार व टिकट Postage, Telegrams & Stamps	40,08,624
3,73,18,386	8.	लेखन सामग्री, मुद्रण, विज्ञापन, आदि Stationery, Printing, Advertisement, etc.	264,67,652
10,85,63,314	9.	मूल्यहास / परिशोधन Depreciation/Amortisation	10,36,16,636
61,55,74,928	10.	अन्य व्यय Other Expenditure	64,18,62,935
837,07,17,281	11.	वर्ष का अधोनीत लाभ Profit for the year carried down	871,26,70,023
2094,10,14,589			2549,44,75,218
837,07,17,281		वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ Profit before Tax for the year	871,26,70,023
353,62,25,000		कर के लिए प्रावधान Provision for Tax	452,21,00,000
179,99,69,336		आस्थगित कर समायोजन (आस्ति) / देयता Deferred Tax adjustment (Asset)/Liability	(4,01,18,801)
(1,03,98,888)		सहयोगी संगठनों में अर्जन / (हानि) का अंश Share of Earning/(loss) in associates	91,33,986
		पिछले वर्षों के कर हेतु किए गए बेशी प्रावधानों का पुनरांकन Excess Provision for Tax of earlier years written back	(143,89,494)
302,41,24,057		विनियोगों से पूर्व लाभ Profit before appropriations	425,42,12,304

Consolidated Profit and Loss Account for the Year ended March 31, 2010

31 मार्च, 2009 March 31, 2009	आय INCOME (वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु किये गये प्रावधानों तथा अन्य आवश्यक व उचित प्रावधानों को घटाकर) (Less provisions made during the year for bad and doubtful debts and other		
₹. Rs.		necessary and expedient provision)	₹. Rs.
1738,46,84,409	1.	ब्याज और बट्टा आदि Interest and Discount, etc.	2331,87,11,506
59,04,27,931	2.	निवेशों से आय Income from Investments	66,52,81,339
-	3.	कमीशन, दलाली आदि Commission, Brokerage, etc.	_
31,51,15,786	4.	निवेशों की बिक्री से निवल लाभ (जो आरक्षितियों में या किसी विशिष्ट निधि या लेखे में जमा नहीं किया गया) Net Profit on sale of investments (not credited to reserves or any particular fund or account)	73,92,01,212
265,07,86,463	5.	अन्य आय Other Income	77,12,81,161
2094,10,14,589			2549,44,75,218

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखा

31 मार्च, 2009 March 31, 2009	व्यय EXPENDITURE	31 मार्च, 2010 March 31, 2010
₹. Rs.	विनियोग / Appropriations	₹. Rs.
129,22,92,028	आरक्षित निधि में अंतरित Transferred to Reserve Fund	205,65,74,350
1,00,00,000	स्टाफ कल्याण निधि में अंतरित Transferred to Staff Welfare Fund	1,00,00,000
90,00,00,000	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अर्न्तगत विशेष आरक्षिति में अंतरित Transferred to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961	95,00,00,000
67,50,00,000	ईविचटी शेयरों पर लाभांश Dividend on Equity Shares	112,50,00,000
11,98,14,750	ईक्विटी शेयरों के लाभांश पर कर Tax on Dividend on equity shares	19,30,76,727
8,04,38,773	तुलनपत्र में अग्रेनीत Balance carried to balance sheet	_
307,75,45,551		433,46,51,077
6.72	प्रतिशेयर अर्जन (रु.), टिप्पणी सं. 11, प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 10/— Earning per share (Rs.) Note No. 11 Face value of Rs. 10/- each	9.45
<mark>महत्वपूर्ण लेखानी</mark> तियाँ और लेर	gा संबंधी टिप्पणियाँ (अनुबंध I)/Significant Accounting Policies and Notes to Acco <mark>unts (Annexure I)</mark>	

प्रति निदेशक मंडल

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रात निदशक महल मारतीय <mark>लघु उद्योग विकास बैंक</mark> हम रिपोर्ट करते हैं कि **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक)** द्वारा समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 "समेकित वित्तीय विवरण" तथा एएस 23 "सहयोगी संगठनों में निवेश का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन" की अपेक्षाओं के अनुसार और बैंक तथा समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल उसकी सहायक संस्थाओं एवं सहयोगी संगठनों के पृथक वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किये गये हैं।

ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर विचार प्रकट करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की। उन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा है कि हम लेखा परीक्षा को इस प्रकार से नियाजित और निष्पादित कर कि यह समुचित आश्वासन मिल सके के उपर्युक्त वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा के अनुसार यह अपेक्षा है कि हम लेखा परीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित कर कि यह समुचित आश्वासन मिल सके के उपर्युक्त वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा के अनुसार यह अपेक्षा है कि हम लेखा परीक्षा के सहपूर्ण उत्तर के साम प्रकार के

हमनें बैंक की सहयोगी संस्थाओं अर्थात् सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड व सिडबी वेंचर केपीटल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का परीक्षण नहीं किया है। इन संस्थाओं के लेखापरीक्षित लेखा को बैंक के लेखा में समेकित किया गया है, और उनके विवरण मार्च 31, 2010 को कुल रु. 27,09,25,327 /— की आस्तियाँ, 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु कुल रु. 13,49,65,965 /— का राजस्व तथा (रु. 7,04,27,432 /—) का निवल नकदी प्रवाह दर्शात है। इन वित्तीय विवरण तथा अन्य वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय पूर्णतः अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

<mark>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर और बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उसके पूर्वोक्त सहायक संस्थाओं एवं सहयोगी संगठनों –सिडबी ट्रस्टी कंपनी लि0 एवं सिडबी वेंचर कैंपिटल</mark> लि0 के पृथक लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करने के पश्चात हमारी यह राय है कि

- समेकित तुलनपत्र भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा इसके सहायक एवं सहयोगी संगठनों की यथा 31 मार्च, 2010 की समेकित स्थिति की सच्ची और सही स्थिति दर्शाता है। समेकित लाम और हानि लेखा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा इसके सहायक एवं सहयोगी संगठनों की यथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु परिचालनों के समेकित परिणामों <mark>की सच्ची और</mark>
- सही स्थिति दर्शाता है, और
- समेकित नकद प्रवाह विवरण उक्त वर्ष हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा इसके सहायक एवं सहयोगी संगठनों के विवरणों में शामिल किये गये समेकित नकद प्रवाह की सच्ची और सही

कृते **ए.जे. शाह एण्ड कं.** सनदी लेखाकार एफआरएन 109476W हिरेन शाह साझेदार - एम. नं : 100052

मुम्बई, 31 मई, 2010

Report of the Auditors

To the Board of Directors of

the Small Industries Development Bank of India
We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the Small Industries Development Bank of India ('Bank') in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21, "Consolidated Financial Statements" and AS 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and on the basis of the separate financial statements of the Bank and its Subsidiaries and Associates included in the consolidated financial statements.

These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We did not audit the financial statements of the subsidiaries, viz. SIDBI Trustee Company Ltd. and SIDBI Venture Capital Ltd. The autited accounts of these subsidiaries are consolidated and their financial statements reflect total assets of Rs. 27,09,25,327 as at 31st March, 2010, the total revenue of Rs. 13,49,65,965 and net cash flows amounting to (Rs. 7,04,27,432/-) for the year ended March 31, 2010. These financial statements and other financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion is based solely on the report of the other auditors.

- On the basis of the information and explanations given to us and on the consideration of the financial statements of Bank audited by us and separate audited financial statements of SIDBI Trustee Company Ltd. and SIDBI Venture Capital Ltd., its aforesaid subsidiaries, and its associates we are of the opinion that:

  a) The Consolidated Balance Sheet gives a true and fair view of the consolidated state of affairs of Small Industries Development Bank of India, its subsidiaries and its associate as at March 31, 2010.

  b) The Consolidated Profit & Loss Account gives a true and fair view of the consolidated results of operations of Small Industries Development Bank of India, its subsidiaries and its associates for the year ended on March 31, 2010. and

  c) The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the consolidated cash flow for the year covered by the statement of Small Industries Development Bank of India & its subsidiaries.

For A.J. SHAH & Co. Chartered Accountants FRN. 109476W Hiren Shah Partner - M. No.: 100052

Consolidated Profit and Loss Account for the Year ended March 31, 2010

31 मार्च, 2009 March 31, 2009	आय INCOME (वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु किये गये प्रावधानों तथा अन्य आवश्यक व उचित प्रावधानों को घटाकर) (Less provisions made during the year for bad and doubtful debts and other necessary and expedient provision)	31 मार्च, 20010 March 31, 2010
₹. Rs.		₹. Rs.
	वर्ष का अधोनीत लाभ	
302,41,24,057	Profit for the year brought down	425,42,12,304
	लाभ — हानि की अग्रानीत शेष राशि	
5,34,21,494	Balance of profit and loss brought forward	804,38,773
307,75,45,551		433,46,51,077

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date बोर्ड के आदेशानुसार BY ORDER OF THE BOARD

कृते <b>ए.जे. शाह एण्ड कं.</b> सनदी लेखाकार For <b>A.J. Shah &amp; Co.</b> Chartered Accountants एफआरएन / FRN. 109476W	वी. एस. राठौड़ कार्यपालक निदेशक <b>V.S. Rathore</b> Executive Director	<b>राकेश रेवारी</b> उप प्रबंध निदेशक <b>Rakesh Rewari</b> Deputy Managing Director	<b>आर.एम. मल्ला</b> अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक <b>R.M. Malla</b> Chairman & Managing Director
हिरेन शाह साझेदार एम. नः 100052 Hiren Shah Partner	एस. एस. चट्टोपाध्याय निदेशक S.S. Chattopadhyay Director	टी. आर. बजालिया निदेशक <b>T. R. Bajalia</b> Director	जानकी बल्लभ निदेशक Janki Ballabh Director
M.No.100052	<b>बी. मणिवनन्न</b> निदेशक	<b>के. सीतारामम्</b> निदेशक	
मुम्बई, 31 मई, 2010 Mumbai, May 31, 2010	<b>B. Manivannan</b> Director	K. Sitaramam Director	

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखा

समेकित लेखे के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ : Additional Notes to Consolidated Accounts अनुबंध। — महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Annexure I — Significant Accounting Policies

- समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में अलग—अलग वित्तीय विवरणों के अध्याय 7 में उल्लिखित सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का भी अनुसरण किया गया है।
   All the significant accounting policies as mentioned in Chapter 7 to the standalone financial statements have also been followed in the preparation of consolidated financial statements.
- 2. बैंक और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को पंक्ति दर पंक्ति आधार पर संयुक्त किया गया है। इसके लिए आस्ति, देयता, आय तथा व्यय की एक जैसी मदों के बही मूल्य को जोड़ दिया गया है। ऐसा अंतरा समूह शेष राशियों तथा अंतर—समूह लेनदेनों के पूर्ण विलोपन के बाद किया गया है, जो एएस 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार है। सहयोगी संगठनों को एएस 23 "सहयोगी संगठनों में निवेश का लेखांकन" में निर्धारित ईक्विटी पद्धित का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया गया है।

The financial statements of the Bank and its subsidiary companies are combined on a line to line basis by adding together the book values of like items of Assets, Liabilities, Income and Expenses after fully eliminating intra group balances and inter group transactions in accordance with AS-21" Consolidated Financial Statements". The Associates are accounted for using the equity method as prescribed by AS-23 "Accounting for Investments in Associates in consolidated financial statement".

3. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सहायक संस्थाओं के विवरण :

Details of Subsidaries included in consolidated financial statements are as follows:

क्रमांक Sr.No.		देश का नाम Country of Incorporation	स्वामित्व का भाग Proportion of ownership	लाभ (हानि) Profit/(Loss) रु. Rs.
1.	सिडबी वेंचर कैपिटल लि./SIDBI Venture Capital Ltd.	भारत / India	100%	574,56,729
2.	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लि./SIDBI Trustee Company Ltd.	भारत / India	100%	46,73,321
	योग / Total			621,30,050

सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण लेखा परीक्षित हैं।

Financial statements of the subsidaries are audited.

4.A. समेकित वित्तीय विवरण में शामिल की गई सहयोगी संस्थाओं के विवरण इस प्रकार हैं :

Details of Associates included in consolidated financial statements are as follows:

क्रमांक Sr. No.	सहयोगी संस्था Name of the Associate	हिस्सा (%) Holding (%)	विवरण Description	निवेश Investment रु. Rs.	लाभ / (हानि) में हिस्सा Share of Profit/(Loss) रु. Rs.	
1.	स्मेरा SMERA	33.45	एसएमई की ऋण रेटिंग एजेंसी Credit Rating Agency for SME's	497,50,000	19,03,873	(277,34,704)
2.	आईएसटीएसएल ISTSL	22.73	एसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता Technology Support to SME's	99,96,800	327,310	893,815
3.	आईएसएआरसी ISARC	26.00**	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी Asset Reconstruction Company	2,60,00,000	69,52,438	(18,48,383)
4.	एएफसी AFC	24.14	राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporation	2,22,08,750	52,98,189	(95,98,703)
5.	डीएफसी DFC	24.15	राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporation	3,13,87,500	(114,63,492)	11,78,21,035
6.	आरएफसी RFC	25.87	राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporation	11,19,05,000	61,15,668	1,22,96,787
	योग / Total			25,12,48,050	91,33,986	918,29,847

\* समेकित तुलनपत्र की मद संख्या 2(i) की रु. 4358,39,62,868 / – की आरक्षिति निधि में सिम्मिलित

\* Included in Reserve Fund of Rs. 4358,39,62,868/- in Item 2(i) of the Consolidated Balance Sheet

\*\* एसवीसीएल (सिडबी की 100% सहायक संस्था) द्वारा धारित 11% इसमें शामिल है।

\*\* Includes 11% holding by SVCL (100% subsidiary of SIDBI)

Consolidated Profit and Loss Account for the Year ended March 31, 2010

4.B. समेकित तुलनपत्र में निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के परिणाम शामिल नहीं हैं तथापि, वित्तीय विवरणों में हानि के हिस्से हेतु पूर्ण प्रावधान किया गया है।

The results of the following associates are not included in the consolidated financial statements. However, full provision has been made in the financial statements for share of the losses.

क्रमांक Sr. No.	सहयोगी संस्था Name of the Associate	हिस्सा (%) Holding (%)	विवरण Description	निवेश Investment रु. / Rs.	लाभ (हानि) में हिस्सा Share of Profit/(Loss) रु./Rs.
1.	बीएसएफसी BSFC	48.43	राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporation	18,84,88,500	(18,84,88,500)
2.	जीएसएफसी GSFC	28.41	राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporation	12,66,00,000	(12,66,00,000)
3.	जेकेएसएफसी* JKSFC*	32.39	राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporation	10,46,20,000	(10,46,20,000)
4.	एमएसएफसी MSFC	39.99	राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporation	12,52,41,750	(12,52,41,750)
5.	पीएफसी PFC	25.92	राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporation	5,23,51,850	(5,23,51,850)
6.	यूपीएसएफसी* UPSFC*	24.18	राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporation	21,67,59,000	(21,67,59,000)
	योग / Total			81,40,61,100	(81,40,61,100)

राज्य <mark>वित्तीय निगमों को छोड़कर</mark> अन्य सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2010 के लिए अपरीक्षित हैं। राज्य वित्तीय निगम<mark>ों के आकड़े 31 मार्च, 2009 के लेखा परीक्षित लेखों पर आधारित हैं।</mark>

Financial statements of the associates other than State Financial Corporation's (SFC) are unaudited for the year ended March 31, 2010. The figures for SFC's are based on audited results for the year ended March 31, 2009.

- \* अनंतिम परिणाम उपलब्ध हैं।
- \* Provisional results are available.
- 4.C. निम्नलिखित संस्थाओं के संबंध में यद्यपि बैंक के पास 20 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार हैं, तथापि उन्हें एएस 23 ''सहयोगी संगठनों में निवेश का समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकन'' के अंतर्गत सहयोगी संगठनों में निवेश नहीं माना गया है क्योंकि उन्हें ऐसा सारवान निवेश नहीं समझा गया है, जिनका समेकन आवश्यक हो। In case of following entities, though the bank holds more than 20% of voting power, they are not treated as investments in associate under AS 23 'Accounting for Investment is Associates in Consolidated Financial Statements', because they are not considered as material investments requiring consolidation.

क्रमांक	सहयोगी संस्था	हिस्सा (%)	विवरण	निवेश
Sr. No.	Name of the Associate	Holding (%)	Description	Investment ₹. / Rs.
1.	एपीआईटीसीओ APITCO	41.29	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	54,70,975
2.	जे&के औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लि0 J&K Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.	48.65	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	1
3.	केआईटीसीओ KITCO	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	24,95,296
4.	उत्तर—पूर्व औद्योगिक परामर्शी लि0 North Eastern Industrial Consultants Ltd.	20.78	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	13,474
5.	उत्तर—पूर्व औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लि0 North Eastern Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.	46.37	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	1
6.	उड़ीसा औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लि0 Orissa Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.	49.42	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	1
7.	यूपी औद्योगिक परामर्शी लि0 U.P. Industrial Consultancy Ltd.	48.99	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	15,33,472
8.	प. बंगाल परामर्श संगठन लि0 W.Bengal Consultancy Organisation Ltd.	26.00	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	4,86,783
	योग / Total			100,00,003

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखा

### समेकित लेखों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ Additional Notes to Consolidated Accounts

5. सहयोगी संस्थाओं से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नानुसार हैं : Details of significant transactions with associates are as under:

क्रमांक Sr.No.	सहयोगी संस्था Name of the Associate	विवरण Particulars	संवितरण Disbursements रु. Rs.	चुकौती Repayments रु. Rs.
1.	डीएफसी DFC	दी गई पुनर्वित्त सहायता Refinance assistance provided	629,75,000	12,54,09,970
2.	आरएफसी RFC	दी गई पुनर्वित्त सहायता Refinance assistance provided	125,72,16,000	142,99,32,752

6. वित्तीय वर्ष 2009—10 के दौरान आरक्षित निधि में परिवर्तन Movement in Reserve Fund during FY 2009-10

विवरण Particulars	31 मार्च 2010 31 March 2010 रु. Rs.	31 मार्च 2009 31 March 2009 रु. Rs.
पिछले तुलन पत्र के अनुसार इतिशेष		
Balance as per last Balance Sheet	4152,85,81,603	3632,87,80,979
जोड़िए : विभिन्न निधियों से अंतरित Add : Transferred from Various Funds	_	379,29,35,771
जोड़िए : लाभ और हानि लेखा से अंतरित Add : Transferred from Profit and Loss A/c.	205,65,74,350	129,22,92,028
जोड़िए : सहयोगी प्रतिष्ठान के आरंभिक रिजर्व में परिवर्तन में हिस्सा Add : Share in movement of opening reserve of associate concerns	(11,93,085)	11,45,72,825
योग / Total	4358,39,62,868	4152,85,81,603

7. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की मूल्यहास नीति में सीधी रेखा पद्धित / मूल्यहासित मूल्य पद्धित पर पूर्व निर्धारित दरों पर आस्तियों का मूल्यहास किया जाता है, जबिक सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा मूल्यहास का दावा कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार मूल्यहासित मूल्य पद्धित पर किया गया है। इसलिए समेकित तुलनपत्र में शामिल रु. 10,36,16,636 के समस्त मूल्यहास में 0.42% राशि कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार किए गए मूल्यहास पर आधारित है।

As against depreciation policy of SIDBI whereby assets are depreciated on SLM / WDV at pre-determined rates, the subsidiaries and associates claim depreciation on WDV basis as per Schedule XIV of The Companies Act, 1956. Thus out of the total depreciation of Rs.10,36,16,636/- included in Consolidated Financial Statements, 0.42% of the amount is determined based on depreciation provided as per The Companies Act, 1956.

- 8. चूंकि सहायक संस्थाओं के सभी शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्व में हैं, अतः अल्पांश शेयरधारकों के हित के संबंध में अलग से कोई प्रकटन नहीं किया गया है।
  - As all shares of the subsidiaries are owned by SIDBI directly or indirectly, no separate disclosure relating to minority interest is reflected.
- 9. सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक को रु. 12,55,279 का कुल पारिश्रमिक दिया गया है। (पिछले वर्ष 9,34,147 रु.)
  Aggregate remuneration paid to whole time director of SVCL is Rs. 12,55,279. Previous year (Rs. 9,34,147)
- 10. वर्ष के दौरान एक सहायक संस्था एसवीसीएल ने मोबाइल/टेलीफोन उपकरण के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है और उसे क्रय—वर्ष में राजस्व खाते पर प्रभारित किया गया है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप वर्ष का कर पूर्व लाभ रु. 2,55,445/— कम है।

  During the year SVCL, one of the subsidiary has changed its accounting policy in respect of mobile / telephone instrument, whereby the same have been charged to revenue account in the year of purchase. Pursuant to this change profit before tax for the year is less by an amount of Rs. 2,55,445/-.

Consolidated Profit and Loss Account for the Year ended March 31, 2010

### 11. प्रति शेयर अर्जन Earning Per Share (EPS)

विवरण Particulars	31 मार्च 2010 31 March 2010 रु. Rs.	31 मार्च 2009 <b>31 March 2009</b> रु. <b>Rs.</b>
ईपीएस गणना हेतु लिया गया निवल लाभ (रु.) Net Profit considered for EPS calculation (Rs.)	425,42,12,304	302,41,24,057
10 रु. के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की सं. Number of equity shares of face value Rs. 10 each	45,00,00,000	45,00,00,000
प्रति शेयर अर्जन (रु.) Earning per share (Rs.)	9.45	6.72

### 12. आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities

क्रमांक Sr.No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2010 31 March 2010 (Rs.)	31 मार्च 2009 31 March 2009 (Rs.)
(क) (a)	बैंक पर वे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts	124,74,90,954	112,06,21,632
(ख) (b)	जारी गारंटियों / साख–पत्रों के फलस्वरूप On account of Guarantees/Letters of Credit	186,55,60,908	156,07,90,904
(可) (C)	वायदा संविदाओं के फलस्वरूप On account of Forward Contracts	1,23,82,623	34,98,93,799
(घ) (d)	हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप On account of underwriting commitments		_
(ভ়) (e)	आंशिक रूप से चुकता शेयरों, ऋणपत्रों आदि पर न मांगी गयी राशियों के फलस्वरूप On account of uncalled monies on partly paid shares, Debentures etc.		
(च) (f)	अन्य राशियाँ जिन के लिए बैंक की आकिस्मिक देयता है Other monies for which the Bank is contingently liable	1186,60,00,000	1313,70,00,000
	योग / Total	1499,14,34,485	1616,83,06,335

नगर निगम कर के प्रति एसवीसीएल की विवादग्रस्त देयता है, जिसकी राशि निर्धारित नहीं की जा सकती। SVCL has disputed liability towards municipal taxes, the amount of which cannot be determined.

13. मूल एवं सहायक कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त सांविधिक सूचना के जिन प्रकटनों का समेकित वित्तीय विवरणों की सही और सच्ची स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं है उनका तथा गैर महत्वपूर्ण मदों से संबंधित जानकारी का प्रकटन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material has not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the general clarification issued by The Institute of Chartered Accountants of India.(ICAI)

14. जहां कहीं आवश्यकता पड़ी है, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन एवं पुनर्वर्गीकरण किया गया है, ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तुलना योग्य बनाया जा सके।

Previous years figures have been regrouped and reclassified wherever necessary to make them comparable with current year's figures.

# भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह

31 मार्च, 2009 March 31, 2009	विवरण PARTICULARS		31 मार्च, 2010 March 31, 2010
(₹. / Rs.)	77MTCCD/MC		(₹. / Rs.)
1.	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Operating Activities		(٧.) κοι)
837,07,17,281	लाभ—हानि लेखे के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before tax as per Consolidated P&L Account		871,26,70,023
	समायोजन : Adjustments for :		
10,85,63,314	मूल्यहास Depreciation	10,38,88,321	
(189,85,812)	अनुसूचित बैंकों से सावधि जमा पर अर्जित ब्याज/ Interest earned on FD with scheduled banks	(98,77,608)	
(236,48,93,308)	आईआरडीएफ से पुनरांकन Writeback out of IRDF	(896,24,622)	
3,26,80,835	निवेशों में निवल मूल्यहास के लिए प्रावधान Provision for net depreciation in investments	590,17,577	
565,71,44,658	प्रावधान Provisions	661,24,84,305	
(31,51,15,786)	निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल) Profit on sale of investments (net)	(73,92,01,212)	
(89,00,00,000)	पुनरांकित प्रावधान Provision written back	_	
(7,53,91,023)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश Dividend Received on Investments	(17,19,55,950)	576,47,30,811
1050,47,20,159	परिचालनों से उपार्जित नकदी (परिचालनरत आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) Cash generated from operations (Prior to changes in operating Assets and Liabilities) निम्नलिखित में निवल परिवर्तन के लिए समायोजन :		1447,74,00,834
152,59,02,308	Adjustments for net changes in : वर्तमान आस्तियां Current Asssets	120,50,21,414	
(269,67,64,944)	वर्तमान देयताएं Current Liabilities	461,14,04,008	
(651,09,27,069)	विनिमय बिल Bills of Exchange	(698,04,25,701)	
10253,03,28,712)	ऋण एवं अग्रिम Loans and Advances	(6384,94,22,518)	
5678,08,86,143	बॉण्ड तथा ऋणपत्रों एवं अन्य उधारों से निवल आगम Net Proceeds of Bonds and Debentures & other borrowings	1700,44,08,361	
4512,07,12,828	प्राप्त निक्षेप Deposits received	4145,00,55,382	
(831,05,19,446)			(655,89,59,054)
219,42,00,713			791,84,41,780
(383,86,25,354)	आयकर का भुगतान Payment of Income Tax		(454,01,32,086)
(164,44,24,641)	परिचालन—गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash flow from Operating Activities		337,83,09,694

Consolidated Cash Flow for the year ended March 31, 2010

31 मार्च, 2009 March 31, 2009		विवरण PARTICULARS		31 मार्च, 2010 March 31, 2010
(₹. / Rs.)				(₹. / Rs.)
	2.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash flow from Investing Activities		
(39,07,93,116)		स्थिर आस्तियों के (क्रय) /विक्रय की निवल राशि Net (Purchase)/Sale of fixed assets	(4,61,29,929)	
(516,00,13,633)		निवेशों की (खरीद) / बिक्री /शोधन की निवल राशि Net (Purchase)/sale/redemption of Investments	68,69,07,362	
9,55,80,926		निवेशों पर प्राप्त लाभांश / ब्याज Dividend/Interest Received on Investments	18,06,59,573	
(545,52,25,823)		निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी Net cash used in Investing Activities		82,14,37,006
	3.	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash flow from Financing Activities		
(78,97,00,214)		ईक्विटी शेयरों से लाभांश और लाभांश पर कर Dividend on Equity Shares & tax on Dividend	(78,97,16,557)	
(78,97,00,214)		वित्तीयन गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी Net cash used in Financing Activities		(78,97,16,557)
(788,93,50,678)	4.	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) Net Increase / (Decrease)in cash and cash equivalents		341,00,30,143
1632,76,12,340	5.	अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period		843,82,61,662
843,82,61,662	6.	अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents at the end of the period		1184,82,91,805

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक — 3 (संशोधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

Note: Cash Flow statement has been prepared as per the Indirect Method prescribed in AS-3 (Revised) 'Cash Flow Statement' issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ (अनुबंध I)

Significant accounting Policies and Notes to Accounts (Annexure I)

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुस As per our report of even date	<del>।</del> र		बोर्ड के आदेशानुसार BY ORDER OF THE BOARD
कृते ए.जे. शाह एण्ड क. सनदी लेखाकार For <b>A.J. Shah &amp; Co.</b> Chartered Accountants	वी. एस. राठौड़ कार्यपालक निदेशक V.S. Rathore Executive Director	राकेश रेवारी उप प्रबंध निदेशक Rakesh Rewari	<b>आर.एम. मल्ला</b> अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक <b>R.M. Malla</b> Chairman & Managing Director
एफआरएन / FRN. 109476W	executive Director	Deputy Managing Director	Chairman & Managing Director
<b>हिरेन शाह</b> साझेदार	<b>एस. एस. चट्टोपाध्याय</b> निदेशक	<b>टी. आर. बजालिया</b> निदेशक	<b>जानकी बल्लभ</b> निदेशक
एम. नः 100052 <b>Hiren Shah</b> Partner	<b>S.S. Chattopadhyay</b> Director	<b>T. R. Bajalia</b> Director	<b>Janki Ballabh</b> Director
MNo.100052	<b>बी. मणिवनन्न</b> निदेशक	<b>के. सीतारामम्</b> निदेशक	
मुम्बई, 31 मई, 2010 Mumbai, May 31, 2010	<b>B. Manivannan</b> Director	<b>K. Sitaramam</b> Director	

सिडबी शाखा नेटवर्क / SIDBI BRANCH NETWORK
प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ —226001, उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष : 0522-2288546-50 फैक्स : 0522-2288455

Head Office: SIDBI Tower, 15, Ashok Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh, India Tel.: 0522-2288546-50 Fax: 0522-2288455-59 Telegram: LAGHUVIKAS

### पूर्व अंचल की शाखाएँ / Eastern Zone Branches

कोलकाता अल्प वित्त शाखा	कोलकाता	पटना	Kolkata-Micro Fin. Br.	Kolkata	Patna
गंगटोक	जमशेदपुर	राउरकेला	Gangtok	Jamshedpur	Rourkela
भुवनेश्वर	राँची	धनबाद	Bhubaneswar	Ranchi	Dhanbad
भुवनेश्वर अल्प वित्त शाखा	दुर्गापुर	खड़गपुर	Bhubaneswar-Micro Fin. Br.	Durgapur	Kharagpur

### उत्तर अंचल की शाखाएँ / Northern Zone Branches

			•		
नई दिल्ली	चंडीगढ़	शिमला	New Delhi	Chandigarh	Shimla
नोएडा	बद्दी	फरीदाबाद	Noida	Baddi	Faridabad
जम्मू	ओखला	गुड़गाँव	Jammu	Okhla	Gurgaon
जयपुर	अलवर	जालन्धर	Jaipur	Alwar	Jalandhar
कुंडली ू	लुधियाना	जोधपुर	Kundli	Ludhiana	Jodhpur
जनकपुरी	उँदयपुर	किशनगढ़	Janakpuri	Udaipur	Kishangarh
गेटर नोएडा	गातिसाबाट		Greator Noida	Ghaziahad	

### दक्षिण अंचल की शाखाएँ / Southern Zone Branches

चेन्नई	कोच्चि	इरोड	Chennai	Kochi	Erode
बँगलूरु	पुडुचेरी	त्रिचि	Bengaluru	Puducherry	Trichy
हैदराबाद	ॲम्बतूर	हुबली	Hyderabad	Ambattur	Hubli
विशाखपट्टणम	होसूर	कोझीकोड	Visakhapatnam	Hosur	Kozhikode
तिरुपुर	विजयवाड़ा	बालानगर	Tirupur	Vijayawada	Balanagar
कोयम्बतूर	बेलगाम	बेल्लारी	Coimbatore	Belgaum	Bellary
मंगलूर "	नेल्लूरु	पीन्या	Mangalore	Nellore	Peenya
हैदराबाद अल्पू वित्त शाखा	राजमुन्ड्री	मदुरै मैसूर	Hyderabad-Micro Fin. Br.	Rajamundry	Madurai
बंगलूरु अल्प वित्त शाखा	चेन्नई अल्प वित्त शाखा	मैसूर	Bengaluru-Micro Fin. Br.	Chennai-Micro Fin.Br	Mysore

### पश्चिम अंचल की शाखाएँ / Western Zone Branches

नरीमन पॉइंट बान्द्रा—कुर्ला कॉम्प्लेक्स अंधेरी ढाणे पुणे नागपुर	पणजी अहमदाबाद चिंचवाड़ कोल्हापुर बड़ोदा सूरत	औरंगाबाद नासिक राजकोट गाँधीधाम वापी जामनगर	Nariman Point Bandra-Kurla Complex Andheri Thane Pune Nagpur	Panaji Ahmedabad Chinchwad Kolhapur Baroda Surat	Aurangabad Nashik Rajkot Gandhidham Vapi Jamnagar
अंकलेश्वर	अहमदनगर	वालुज	Ankleshwar	Ahmednagar	Waluj
वटवा		, and the second	Vatva		

### मध्य अंचल की शाखाएँ / Central Zone Branches

कानपुर	वाराणसी	आगरा	Kanpur	Varanasi	Agra
लखनऊ अल्प वित्त शाखा	लखनऊ	बरेली	Lucknow-Micro Fin. Br.	Lucknow	Bareilly
देहरादून	रुड़की	इन्दौर	Dehradun	Roorkee	Indore
भोपाल	बिलासपुर	रायपुर	Bhopal	Bilaspur	Raipur
रुद्रपुर	अलीगढ़		Rudrapur	Aligarh	

### उत्तर पूर्व अंचल की शखाएँ / North-Eastern Zone Branches

अगरतला	गुवाहाटी	ईटानगर	Agartala	Guwahati	Itanagar
आईज़ॉल	इंम्फाल	शिलांग	Aizwal	Imphal	Shillong
गवाहाटी अल्प वित्त शाखा	दीमापर		Guwahati-Micro Fin. Br.	Dimapur	



Call Toll Free No.: 1800 22 6753 or visit www.sidbi.in

# वितरण माध्यमों का विस्तार/ Expanding Delivery Channels नये कार्यालय/ New Offices



खड़गपुर/ Kharagpur







मैसूर/ Mysore

